



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 456]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 30, 2018/अग्रहायण 9, 1940

No. 456]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 30, 2018/AGRAHAYANA 9, 1940

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)

अधिसूचना

गुरुग्राम, - 26 नवम्बर, 2018

गोवा और यूनियन टेरिटोरियों के राज्य के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(विद्युत आपूर्ति कोड) विनियम, 2018

सं. जेईआरसी -23/2018 .—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 के अधिनियम संख्या 36) (बाद में 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 50 के साथ धारा 181 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, और अन्य सभी शक्तियों को इस ओर से सक्षम करने में सक्षम बिजली की आपूर्ति से संबंधित अधिनियम के संदर्भ में सरकार द्वारा जारी कानून, नियम, सांविधिक आदेश, संकल्प, स्पष्टीकरण, गोवा राज्य और संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग इस प्रकार "विद्युत आपूर्ति संहिता" विनियम, 2018, इसके बाद आपूर्ति कोड, 2018 कहा जाता है।

अध्याय 1

1. लघु शीर्षक, स्कोप, विस्तार और कम्युनिकेशन

1.1 इस आपूर्ति संहिता, 2018 को गोवा राज्य और यूटी (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2018 "के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग कहा जाएगा (इसके बाद इसे 'आपूर्ति संहिता, 2018' के रूप में जाना जाता है)।

1.2 यह आपूर्ति संहिता, 2018 लाइसेंसधारक और उपभोक्ताओं के दायित्वों का विवरण एक-दूसरे के साथ-साथ करता है और उपभोक्ताओं को कुशल, लागत प्रभावी और उपभोक्ता अनुकूल सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंसधारकों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रथाओं के सेट को निर्दिष्ट करता है। यह विशेष रूप से निम्नलिखित विवरण देता है:

- (1) कनेक्शन, डिस्कनेक्शन, पुनः कनेक्शन, लोड का मूल्यांकन, मौजूदा कनेक्शन में परिवर्तन (लोड संशोधन, नाम बदलने, टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन आदि) की प्रक्रिया;
- (2) उपभोक्ता मीटरिंग, बिलिंग और भुगतान से संबंधित व्यवहार।
- (3) उपयुक्त अदालत द्वारा या बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामले में लंबित बिजली की चोरी के मामले में देय बिजली शुल्क के आकलन के तरीके;
- (4) चोरी या बिजली के अनधिकृत उपयोग और मीटर, विद्युत लाइन, विद्युत संयंत्र और अन्य सभी उपकरणों को हटाने के मामले में आपूर्ति का विघटन; तथा
- (5) बिजली, चोरी या अनधिकृत उपयोग या छेड़छाड़, बिजली संयंत्र, बिजली लाइन या मीटर को नुकसान या क्षति के मोड़ को रोकने के उपाय।

1.3 आपूर्ति कोड, 2018 से जुड़े सभी रूपों और प्रारूप इस आपूर्ति संहिता, 2018 का अभिन्न अंग हैं। लाइसेंसधारक, यदि यह अनिवार्य लगता है, तो फॉर्म / प्रारूपों में उपयुक्त संशोधन और ऐसे संशोधित रूपों / प्रारूपों में उपयुक्त संशोधन मांगने के लिए आयोग से संपर्क कर सकते हैं। उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग के लिए संबंधित लाइसेंसधारकों की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा।

1.4 यह आपूर्ति संहिता, 2018 इस पर लागू होगी:

- (1) समेकित लाइसेंसधारकों और सभी उपभोक्ताओं सहित सभी वितरण लाइसेंस गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली को छोड़कर)।
- (2) अन्य सभी व्यक्ति जिन्हें लाइसेंस प्राप्त करने से अधिनियम की धारा 13 के तहत छूट दी गई है; तथा
- (3) अनधिकृत उपयोग, अनधिकृत उपयोग, मोड़ और बिजली के अनधिकृत उपयोग / अमूर्तता के अन्य साधन।

1.5 आपूर्ति संहिता, 2018 के प्रावधान गोवा राज्य और यूटी (वितरण लाइसेंस के लिए प्रदर्शन मानक) विनियम, 2015 और अन्य प्रासंगिक विनियमों और कोड के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के तहत किए गए विनियमों के साथ पढ़े जाएंगे। गोवा राज्य और यूटी राज्य के लिए आयोग और समय-समय पर संशोधित:

बशर्ते कि इस आपूर्ति संहिता, 2018 में उल्लिखित समय-सारिणी और अन्य स्थितियों में गोवा राज्य और यूटी (वितरण लाइसेंस के लिए प्रदर्शन का मानक) विनियम, 2015 (एसओपी विनियम), समय सारिणी और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के साथ भिन्नता हो। इस आपूर्ति संहिता, 2018 में उल्लिखित अन्य स्थितियां प्रबल होंगी और ऐसी समय-सारिणी और अन्य स्थितियों को मौजूदा एसओपी विनियमों में बदल दिया जाएगा।

1.6 यह आपूर्ति संहिता, 2018 आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

1.7 आपूर्ति कोड, 2018 कॉन्फ्रेंस 10 अध्यायों के अनुसार, निम्नानुसार है:

- (1) अध्याय 1: लघु शीर्षक, दायरा, विस्तार और प्रारंभ
- (2) अध्याय 2: परिभाषाएँ
- (3) अध्याय 3: आपूर्ति कोड समीक्षा पैनल
- (4) अध्याय 4: उपभोक्ताओं की आपूर्ति और वर्गीकरण की प्रणाली
- (5) अध्याय 5: मौजूदा कनेक्शन के अनुसार नए कनेक्शन और संशोधन के रिलीज की प्रक्रिया
- (6) अध्याय 6: मीटरिंग
- (7) अध्याय 7: बिलिंग
- (8) अध्याय 8: प्रतिबंध-चोरी और बिजली का अनधिकृत उपयोग
- (9) अध्याय 9: डिस्कनेक्शन और रिकनेक्शन
- (10) अध्याय 10: सामान्य प्रावधान

अध्याय 2

2. परिभाषाएं और हस्तक्षेप

2.1 समय-समय पर संशोधित विद्युत अधिनियम, 2003 में परिभाषित शब्दों, शब्दों और अभिव्यक्तियों और इस आपूर्ति संहिता, 2018 में उपयोग किए गए शब्दों को परिभाषित और निर्दिष्ट अधिनियम में निर्दिष्ट किया जाएगा।

यहां उपयोग किए गए सभी अन्य अभिव्यक्तियों को विशेष रूप से अधिनियम या विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन सक्षम विधायिका द्वारा पारित किसी भी कानून के तहत परिभाषित किया गया है और गोवा राज्य और यूटी राज्य में बिजली उद्योग के लिए लागू होने वाले अर्थ का अर्थ इस तरह के कानून में दिया गया है। उपर्युक्त के अधीन, अभिव्यक्तियों का उपयोग यहां किया गया है लेकिन अधिनियम में विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है या सक्षम विधायिका द्वारा पारित किसी भी कानून का अर्थ आमतौर पर बिजली उद्योग में असाइन किया जाएगा।

2.2 इस आपूर्ति संहिता, 2018 की व्याख्या में, जब तक संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो:

- (1) एकवचन या बहुवचन शब्द में, जैसा भी मामला हो, शब्दों को क्रमशः बहुवचन या एकवचन शब्द शामिल करने के लिए समझा जाएगा;
- (2) किसी भी कानून, विनियमों या दिशानिर्देशों के संदर्भों को इस तरह के नियमों, विनियमों या दिशानिर्देशों को समेकित करने, संशोधित करने या बदलने के लिए सभी वैधानिक प्रावधानों के रूप में समझा जाएगा, जैसा कि मामला हो सकता है;
- (3) "शामिल" या "समेत" शर्तों को "सीमा के बिना" या "सीमित नहीं" माना जाएगा, भले ही इस तरह के शब्दों का आयात ऐसे आयात या आयात के शब्दों के बाद किया जाए।

2.3 इस आपूर्ति संहिता, 2018 में, जब तक कि यह संदर्भ के प्रति प्रतिकूल न हो:

- (1) "अधिनियम" का अर्थ विद्युत अधिनियम, 2003 और इसके बाद के संशोधन;
- (2) "समझौते" का अर्थ वितरण लाइसेंसधारक द्वारा उपभोक्ता द्वारा लाइसेंस की आपूर्ति सहित सेवाओं के लिए उपभोक्ता द्वारा प्रदान किया गया एक समझौता है;
- (3) "अपीलीय प्राधिकरण" का अर्थ अधिनियम की धारा 127 के उपधारा (1) के तहत निर्धारित प्राधिकरण है;
- (4) "आवेदन" का मतलब किसी भी भूमि / परिसर का मालिक या कब्जा है जो बिजली की आपूर्ति के लिए लाइसेंसधारक के साथ एक आवेदन पत्र फाइल करता है, स्वीकृत भार / अनुबंध मांग में वृद्धि या कमी, शीर्षक में परिवर्तन, डिस्कनेक्शन या आपूर्ति या समाप्ति की बहाली समझौते या किसी भी अन्य सेवाओं के अनुसार इस आपूर्ति संहिता, 2018 में निर्दिष्ट अधिनियम के प्रावधानों और कोड, नियम और नियमों के अनुसार या अन्य सेवाओं के अनुसार;
- (5) "आवेदन" का मतलब उचित प्रारूप में सभी मामलों में एक आवेदन पत्र है, जैसा कि इस आपूर्ति संहिता, 2018 में निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ आवश्यक शुल्क और अन्य अनुपालन का भुगतान दस्तावेज दिखाता है;
- (6) "आवेदन पत्र" का मतलब है कि इस आपूर्ति संहिता, 2018 के तहत आवश्यक उचित प्रारूप में सभी मामलों में एक आवेदन पत्र पूरा हो गया है;
- (7) "एप्परेटस" का मतलब विद्युत उपकरण है और इसमें विद्युत मशीनों से जुड़े सभी मशीनों, फिटिंग, सामान और उपकरण शामिल हैं;
- (8) "आपूर्ति क्षेत्र" का अर्थ वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत एक वितरण लाइसेंसधारक को बिजली की आपूर्ति के लिए अपने लाइसेंस द्वारा अधिकृत किया जाता है;
- (9) "मूल्यांकन अधिकारी" का अर्थ अधिनियम के धारा 126 के प्रावधानों के तहत संबंधित राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकार द्वारा मूल्यांकन अधिकारी के रूप में नामित एक अधिकारी है;

- (10) "अधिकृत अधिकारी" का अर्थ अधिनियम के धारा 135 के प्रावधानों के तहत उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नामित एक अधिकारी है;
- (11) किसी भी व्यक्ति / इकाई के "अधिकृत प्रतिनिधि" का मतलब है सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रतिनिधियों या व्यक्तियों को संबंधित व्यक्ति / इकाई के सामान्य या विशिष्ट प्राधिकारी के तहत कार्य निर्वहन;
- (12) "बिलिंग चक्र या बिलिंग अवधि" का मतलब आयोग द्वारा अनुमोदित अवधि है जिसके लिए उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए लाइसेंसधारक द्वारा नियमित बिजली बिल तैयार किए जाने हैं;
- (13) "ब्रेकडाउन" का मतलब लाइसेंसधारक की वितरण प्रणाली के उपकरणों से संबंधित एक घटना है जिसमें उपभोक्ता मीटर तक विद्युत रेखा शामिल है जो इसकी सामान्य कार्यप्रणाली को रोकती है;
- (14) "कैलेंडर वर्ष" का मतलब है कि एक वर्ष के जनवरी के पहले दिन से उसी वर्ष की तीसरी दिन दिसंबर की अवधि;
- (15) "चेक मीटर" का अर्थ है वर्तमान मीटर ट्रांसफॉर्मर (सीटी) और वोल्टेज ट्रांसफार्मर (वीटी) के उसी कोर से जुड़ा एक मीटर जिसका मुख्य मीटर जुड़ा हुआ है और मुख्य रूप से विफल होने के मामले में बिजली और बिलिंग की बिलिंग के लिए उपयोग किया जाएगा मीटर;
- (16) "आयोग" का अर्थ गोवा और संघ शासित प्रदेशों (दिल्ली को छोड़कर) के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग है;
- (17) "कंडक्टर" का अर्थ है किसी भी तार, केबल, बार, ट्यूब, रेल या प्लेट का उपयोग विद्युत ऊर्जा के संचालन के लिए किया जाता है और इसलिए सिस्टम से विद्युत् रूप से जुड़े होने के लिए व्यवस्थित किया जाता है;
- (18) किलो वाट (केडब्ल्यू), किलो वोल्ट एम्पियर (केवीए) या हॉर्स पावर (एचपी) में व्यक्त "कनेक्टेड लोड" का मतलब है कि सभी ऊर्जा उपभोग करने वाले उपकरणों या वितरण लाइसेंसधारक की सेवा लाइन से जुड़े उपकरण की निर्माता की रेटेड क्षमताओं का कुल योग उपभोक्ता के परिसर, जिसे एक साथ उपयोग किया जा सकता है और इस आपूर्ति संहिता, 2018 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। यह केडब्ल्यू या केवीए में व्यक्त किया जाएगा। यदि रेटिंग केवीए में है, तो उसे केवीए को 0.9 के पावर फैक्टर के साथ गुणा करके केडब्ल्यू में परिवर्तित किया जाएगा। यदि एच या पी में समान या कोई अन्य उपकरण रेट किया गया है, तो एच.पी. को 0.746 तक गुणा करके केडब्ल्यू में परिवर्तित किया जाएगा;
- (19) कनेक्शन प्वाइंट "या" इंटरकनेक्शन "का अर्थ एक बिंदु है जिस पर उपभोक्ता की स्थापना और / या उपकरण वितरण लाइसेंसधारक के वितरण प्रणाली से जुड़े होते हैं;
- (20) "उपभोक्ता" का अर्थ किसी भी व्यक्ति को लाइसेंसधारक या सरकार द्वारा या उसके तहत अधिनियम या जनता के लिए किसी अन्य कानून के लिए बिजली की आपूर्ति के कारोबार में लगे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बिजली के साथ आपूर्ति की जाती है। समय लागू हो रहा है और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसका परिसर लाइसेंसधारक, सरकार या ऐसे अन्य व्यक्ति के कार्यों के साथ बिजली प्राप्त करने के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मामले में अस्थायी रूप से डिस्कनेक्ट किए गए परिसर शामिल हो सकते हैं। एक उपभोक्ता को एक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है:
- ए। कम उपभोक्ता (एलटी उपभोक्ता) 'यदि उपभोक्ता लाइसेंसधारक से कम या मध्यम वोल्टेज पर आपूर्ति प्राप्त करता है;
- ख। यदि उच्च उपभोक्ता लाइसेंसधारक से उच्च वोल्टेज पर आपूर्ति प्राप्त करता है तो 'उच्च तनाव उपभोक्ता (एचटी उपभोक्ता)';
- सी। अतिरिक्त उच्च-तनाव उपभोक्ता (ईएचटी उपभोक्ता) 'यदि उपभोक्ता अतिरिक्त उच्च वोल्टेज पर लाइसेंसधारक से आपूर्ति प्राप्त करता है;
- (21) "उपभोक्ता स्थापना" या "उपभोक्ता की स्थापना" का अर्थ है किसी भी समग्र पोर्टेबल या स्थिर विद्युत इकाई जिसमें बिजली के तार, फिटिंग, मोटर और उपभोक्ता की ओर से या उपभोक्ता की ओर से आपूर्ति के बिंदु से उपभोक्ता के परिसर में वायर्ड और वायर्ड शामिल हैं, उस उपकरण को शामिल किया गया है जो उसके परिसर में स्थापित होने के लिए जुड़ा हुआ है या स्थापित होने के लिए उपलब्ध है लेकिन समय के साथ कनेक्ट नहीं है

- ; (22) "उपभोक्ता के परिसर" का मतलब जमीन, भवन या संरचना या भाग या संयोजन है जिसके संबंध में बिजली की आपूर्ति के लिए लाइसेंसधारक द्वारा एक अलग मीटर या मीटरिंग व्यवस्था की गई है।
- (23) "खपत शुल्क" का मतलब है कि केडब्ल्यूएच या केवीएच में विद्युत ऊर्जा की खपत लागू ऊर्जा शुल्क और मांग शुल्क / निश्चित शुल्क, ईंधन अधिभार समायोजन (एफएसए), पीक लोड छूट शुल्क, जो भी लागू हो, से गुणा हो जाती है। इनमें सभी प्रकार के कर्तव्यों और करों, सेवा शुल्क और किराये को शामिल नहीं किया गया है;
- (24) अनुबंधित भार "या" अनुबंध मांग "का अर्थ है केडब्ल्यू, केवीए या एचपी में अधिकतम मांग, लाइसेंसधारक द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सहमति है और लाइसेंसधारक और उपभोक्ता के बीच निष्पादित समझौते में दर्शाया गया है;
- (25) "कट-आउट" का अर्थ है किसी भी उपकरण या उपकरण को स्वचालित रूप से किसी भी कंडक्टर के माध्यम से बिजली के संचालन में बाधा डालने के लिए जब पूर्व निर्धारित क्रांति से ऊपर उगता है और इसमें फ्यूजिबल डिवाइस भी शामिल होंगे;
- (26) "आपूर्ति शुरू होने की तारीख" वह तारीख है जब लाइसेंसधारक उपभोक्ता की स्थापना को मुख्य रूप से वितरण मुख्य से जोड़कर सक्रिय करता है;
- (27) बिलिंग अवधि के लिए "डिमांड चार्ज" अनुबंधित / स्वीकृत भार या अधिकतम मांग (इस आपूर्ति संहिता, 2018 के उपखंड 2.3 (50) के संदर्भ में उपभोक्ता पर लगाए गए शुल्क को संदर्भित करता है) जो भी अधिक हो, और आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेश में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गणना की जाएगी;
- (28) "डेवलपर" का अर्थ है एक व्यक्ति या कंपनी या संगठन या प्राधिकरण जो आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक उपयोग के लिए क्षेत्र का विकास करता है और इसमें विकास एजेंसियां, कॉलोनिज़र, सहकारी समूह आवास समितियां, संघ आदि शामिल हैं;
- (29) डिस्कनेक्शन "का मतलब लाइसेंसधारक के सिस्टम से उपयोगकर्ता या उपभोक्ता का भौतिक पृथक्करण है;
- (30) "वितरण मुख्य" का अर्थ किसी भी मुख्य भाग का हिस्सा है जिसके साथ एक सेवा लाइन है, या जिसका इरादा तुरंत जुड़ा हुआ है;
- (31) "वितरण प्रणाली" का मतलब ट्रांसमिशन लाइनों या जनरेटिंग स्टेशन कनेक्शन और उपभोक्ताओं की स्थापना के संबंध में कनेक्शन के वितरण बिंदुओं के बीच तारों और संबंधित सुविधाओं की प्रणाली है;
- स्पष्टीकरण: मुख्य रूप से ओवरहेड लाइनों, भूमिगत केबल, सेवा लाइनों, विद्युत संयंत्र, नियंत्रण स्विचगियर और मीटर के 33 वोल्ट और उससे कम डिज़ाइन वाले वोल्टेज वाले किसी भी सिस्टम में उच्च वोल्टेज की कोई अन्य प्रणाली शामिल होगी क्योंकि आयोग विशेष रूप से पहचान सकता है। वितरण प्रणाली में उपभोक्ता अंत में जुड़े टर्मिनल उपकरण (मीटरिंग सिस्टम, सीटी और पीटी) को छोड़कर ट्रांसमिशन सिस्टम का कोई भी हिस्सा शामिल नहीं होगा और अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (66 केवी और ऊपर) उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए उपयोग किया जाएगा;
- (32) "मिट्टी" का मतलब पृथ्वी के सामान्य द्रव्यमान से इस तरह से जुड़ा हुआ है कि हर समय खतरे के बिना ऊर्जा का तत्काल निर्वहन सुनिश्चित किया जाए;
- (33) "इलेक्ट्रिक लाइन" का अर्थ किसी भी उद्देश्य के लिए बिजली ले जाने के लिए किया जाता है और इसमें शामिल है
ए। ऐसी किसी भी पंक्ति के लिए कोई समर्थन, जो कहने के लिए, किसी भी संरचना, टावर, ध्रुव या अन्य चीज, उसमें से, या उसके द्वारा ऐसी कोई भी लाइन है, या हो सकती है, समर्थित, ले जाया जा सकता है या निलंबित किया जा सकता है; तथा
ख। बिजली ले जाने के उद्देश्य से ऐसी किसी भी लाइन से जुड़े किसी भी उपकरण;
- (34) "आपातकालीन रोस्ट्रिंग" का अर्थ है शॉर्ट नोटिस पर डिस्कनेक्ट करके या कर्मियों और उपकरणों की सुरक्षा के लिए कोई सूचना नहीं;

- (35) "एनर्जी चार्ज" उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई बिजली की मात्रा (केडब्ल्यूएच या केवीएएच में इकाइयों) के आधार पर उपभोक्ता पर लगाए गए चार्ज को संदर्भित करता है;
- (36) "अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (ईएचवी)" या "अतिरिक्त उच्च तनाव (ईएचटी)" का मतलब वोल्टेज 33000 वोल्ट से अधिक है;
- (37) "विद्युत निरीक्षक" का अर्थ अधिनियम की धारा 162 के उपधारा (1) के तहत उचित सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति है और इसमें मुख्य विद्युत निरीक्षक भी शामिल है;
- (38) "वित्तीय वर्ष" का अर्थ है अप्रैल के पहले से एक अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष में शुरू होने वाली अवधि और अगले कैलेंडर वर्ष के मार्च के पहले तीसरे के साथ समाप्त होता है;
- (39) "फीडर" का मतलब एक एलटी, एचटी या ईएचटी लाइन है, जो उप-स्टेशन से निकलता है, जिसमें एक वितरण उप-स्टेशन या एलटी, एचटी या ईएचटी उपभोक्ता जुड़े होते हैं;
- (40) "निश्चित शुल्क" आयोग द्वारा लाइसेंसधारक के लिए जारी मौजूदा टैरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुसार होगा;
- (41) "उच्च वोल्टेज (एचवी)" या "उच्च तनाव (एचटी)" का अर्थ है 440 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज स्तर और 33000 वोल्ट तक;
- (42) "स्वतंत्र फीडर" का अर्थ है उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के समूह की लागत पर निर्मित फीडर और उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के समूह को बिजली की आपूर्ति करना;
- (43) "द्वीप क्षेत्र" का अर्थ अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीपसमूह है;
- (44) "लाइसेंस" का अर्थ अधिनियम की धारा 14 के तहत दिया गया लाइसेंस है;
- (45) "लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार (एलईसी)" का मतलब केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियमन, 2010 के विनियमन 29 के तहत लाइसेंस प्राप्त एक ठेकेदार है और समय-समय पर संशोधित किया गया है;
- (46) "लाइसेंसधारी" या "वितरण लाइसेंस" का अर्थ है एक व्यक्ति जिसे अधिनियम के धारा 14 के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया है, आपूर्ति के क्षेत्र में उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए वितरण प्रणाली को संचालित और बनाए रखने के लिए और समझा गया लाइसेंसधारक शामिल है;
- (47) "लोड फैक्टर" किसी दिए गए अवधि के दौरान खपत इकाइयों की कुल संख्या का अनुपात है जो उपभोग की गई कुल इकाइयों की कुल संख्या में लोड किया गया था, उसी अवधि में लोड बनाए रखा गया था और आमतौर पर निम्नलिखित प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाएगा:
- प्रतिशत में लोड कारक = किसी दिए गए अवधि (केडब्ल्यूएच / केवीएएच) में खपत वास्तविक इकाइयों * 100 / (अवधि में घंटों के केडब्ल्यू/केवीए एक्स संख्या में अनुबंधित भार)
- (48) "कम तनाव (एलटी)" का अर्थ है सामान्य अवधि के तहत किसी भी दो चरणों के बीच चरण और तटस्थ या 440 वोल्ट के बीच 230 वोल्ट का वोल्टेज समय-समय पर अनुमत प्रतिशत भिन्नता के अधीन;
- (49) "मुख्य भूमि क्षेत्र" का अर्थ है जेईआरसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले द्वीप क्षेत्रों के अलावा अन्य सभी क्षेत्रों।
- (50) "अधिकतम मांग" का अर्थ बिलिंग अवधि के दौरान 30 (तीस) मिनट की अवधि या आयोग द्वारा प्रदान की गई किसी भी अवधि के दौरान उपभोक्ता की आपूर्ति के बिंदु पर औसत केवीए या केडब्ल्यू में मापा गया उच्चतम भार है;
- (51) "मीटर" का मतलब है कि केडब्ल्यूएच या केवीएएच में ऊर्जा जैसे बिजली की मात्रा को मापने, इंगित करने और रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण, केवीए या केवीए में अधिकतम मांग, केवीएआर घंटों में प्रतिक्रियाशील ऊर्जा इत्यादि, जिसमें वर्तमान ट्रांसफार्मर (सीटी), वोल्टेज ट्रांसफार्मर (वीटी) / संभावित ट्रांसफार्मर (पीटी) / कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर (सीवीटी), आदि, जहां इस तरह के मीटर के संयोजन के साथ प्रयोग किया जाता है।

इसमें सीलिंग, विश्वसनीयता और बिजली के चोरी / अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए लाइसेंसधारक द्वारा प्रदान की गई किसी भी मुहर या सीलिंग व्यवस्था और अन्य उपायों को भी शामिल किया जाएगा;

(52) "अधिग्रहण" का अर्थ उस परिसर के कब्जे में मालिक या व्यक्ति है जहां ऊर्जा का उपयोग किया जाता है या इस्तेमाल करने का प्रस्ताव किया जाता है;

(53) "ओवरहेड लाइन" का अर्थ है किसी भी विद्युत आपूर्ति लाइन, जो जमीन से ऊपर और खुली हवा में रखी गई है लेकिन कर्षण प्रणाली के लाइव रेल को छोड़कर;

(54) "बकाया राशि" का अर्थ अधिनियम के धारा 56 (2) के अधीन डिस्कनेक्शन और देर से भुगतान अधिभार के समय कहा गया परिसर (यानी उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि का भुगतान नहीं किया गया) पर लंबित सभी बिजली बकाया का मतलब है;

(55) "चरणबद्ध अनुबंध मांग" का मतलब है कि अनुबंध की मांग चरणबद्ध तरीके से प्राप्त की जाएगी;

(56) "आपूर्ति का बिंदु" उपभोक्ता द्वारा स्थापित स्विचगियर के आने वाले टर्मिनल पर बिंदु का मतलब है;

(57) "पावर फैक्टर" का मतलब है, औसत मासिक पावर फैक्टर और कुल किलोवाट घंटों के प्रतिशत के रूप में महीने के दौरान आपूर्ति किए गए कुल किलोवोल्ट एम्पियर घंटे के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाएगा; अनुपात को दो दशमलव आंकड़ों तक गोल किया जा रहा है;

(58) "परिसर" का अर्थ जमीन, भवन या बुनियादी ढांचे या उसके हिस्से या संयोजन के संबंध में है, जिसके संबंध में बिजली की आपूर्ति के लिए लाइसेंसधारक द्वारा एक अलग मीटर या मीटरिंग व्यवस्था की गई है;

(59) "प्रोसममेर" का अर्थ उपभोक्ता है जो ग्रिड में बिजली इंजेक्शन दे रहा है;

(60) "ग्रामीण क्षेत्रों" का मतलब शहरी क्षेत्रों के अलावा अन्य सभी क्षेत्रों में है;

(61) "स्वीकृत लोड" का मतलब केडब्ल्यू, केवीए या एचपी में भार है, जो लाइसेंसधारक वितरण लाइसेंसधारक और उपभोक्ता के बीच समझौते की अनुपस्थिति में शासकीय नियमों और शर्तों के अधीन समय-समय पर आपूर्ति करने पर सहमत हो गया है;

(62) "सर्विस लाइन" का अर्थ है किसी भी विद्युत आपूर्ति लाइन जिसके माध्यम से बिजली है, या इसका उद्देश्य है, आपूर्ति की गई है:

ए। एक उपभोक्ता को या तो वितरित मुख्य या तत्काल वितरण लाइसेंसधारक के परिसर से; या

ख। एक मुख्य परिसर में उपभोक्ताओं के एक समूह से या वितरित मुख्य के उसी बिंदु से आपूर्ति किए गए संगत परिसर में;

(63) "स्टैंडबाय मीटर" का अर्थ मुख्य मीटर और चेक मीटर के लिए उपयोग किए गए सीटी और वीटी से जुड़ा एक मीटर है और वोल्टेज स्तर पर सभी नए कनेक्शन के लिए मुख्य मीटर की विफलता के मामले में बिजली और बिलिंग की बिलिंग के लिए उपयोग किया जाएगा इन विनियमों की अधिसूचना के बाद 33 केवी और उससे अधिक जारी किए जाएंगे;

(64) "प्रदायक" का अर्थ है अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपभोक्ता को बिजली की आपूर्ति करने के लिए प्राधिकृत कोई भी इकाई;

(65) लाइसेंसधारक के संबंध में "टैरिफ ऑर्डर" का मतलब आयोग द्वारा जारी किए गए बल में सबसे हालिया आदेश है जो कि लाइसेंसधारक द्वारा विद्युत ऊर्जा और सेवाओं की आपूर्ति के लिए उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों से लाइसेंसधारियों द्वारा लगाए जाने वाले दरों को इंगित करता है;

(66) "अस्थायी आपूर्ति" का मतलब किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध आपूर्ति के लिए किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध आपूर्ति के लिए अस्थायी रूप से अस्थायी उद्देश्य के लिए बिजली आपूर्ति की आवश्यकता होगी, जिसे औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद आगे बढ़ाया जा सकता है;

(67) "टैरिफ अनुसूची" का अर्थ लाइसेंसधारक द्वारा जारी लाइसेंस और सेवाओं की आपूर्ति के लिए शुल्क के नवीनतम अनुसूची का मतलब है जो लाइसेंसधारक के लिए टैरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुसार है;

(68) "चोरी" का मतलब अधिनियम की धारा 135 में परिभाषित बिजली की चोरी होगी;

(69) "ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी" का अर्थ है एक व्यक्ति जिसे अधिनियम की धारा 14 के तहत लाइसेंस दिया गया है ताकि उसे ट्रांसमिशन लाइनों को स्थापित या संचालित किया जा सके;

(70) "ट्रांसमिशन सिस्टम" का अर्थ है ईएचवी इलेक्ट्रिक लाइनों को ईएचवी (जेनरेटर इंटरकनेक्शन सुविधाओं को छोड़कर) के स्वामित्व में और / या एक पावर स्टेशन से एक उप-स्टेशन तक बिजली के संचरण के प्रयोजनों के लिए ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक द्वारा संचालित किया जाता है या किसी अन्य पावर स्टेशन या उप-स्टेशनों के बीच या किसी भी बाहरी इंटरकनेक्शन उपकरण से या वितरण प्रणाली के साथ अंतःक्रिया तक उपकरण और बिजली के संचरण के संबंध में ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक द्वारा स्वामित्व या उपयोग किए जाने वाले संयंत्र और उपकरण और मीटर शामिल हैं, लेकिन किसी भी लाइसेंसधारी के वितरण प्रणाली के किसी भी हिस्से को शामिल नहीं किया जाएगा;

(71) "शहरी क्षेत्रों" का अर्थ सभी नगर निगमों और अन्य नगर पालिकाओं द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों सहित विभिन्न शहरी विकास प्राधिकरणों, छावनी प्राधिकरणों और औद्योगिक एस्टेट या शहरों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों सहित शहरों सहित;

(72) "उपयोगकर्ता" का अर्थ है किसी भी व्यक्ति को विद्युत लाइसेंस वाला वितरण या वितरण लाइसेंसधारक की वितरण प्रणाली का उपयोग करना जिसके लिए यह आपूर्ति कोड, 2018 लागू है।

स्पष्टीकरण: वितरण प्रणाली से जुड़े किसी भी वितरण लाइसेंसधारक, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक और उत्पन्न इकाइयों और ट्रांसमिशन या वितरण प्रणाली में खुली पहुंच प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भी इस अवधि में शामिल किया गया है।

अध्याय 3

3. विद्युत आपूर्ति कोड समीक्षा पैनल

3.1 आयोग इस आपूर्ति संहिता, 2018 की आवधिक आधार पर समीक्षा के लिए विद्युत आपूर्ति संहिता समीक्षा पैनल का गठन करेगा समीक्षा पैनल में गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली को छोड़कर) के सदस्यों की संख्या शामिल होगी, क्योंकि आयोग आवश्यक विचार कर सकता है।

समीक्षा पैनल में निम्न शामिल होंगे: -

- (1) आयोग के सचिव;
- (2) गोवा राज्य और संघ शासित प्रदेशों के प्रत्येक वितरण लाइसेंस से प्रत्येक सदस्य;
- (3) राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिता (एसटीयू) का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य;
- (4) आयोग द्वारा नामित औद्योगिक उपभोक्ताओं के तीन प्रतिनिधियों को नामित किया जाएगा। वे विधिवत पंजीकृत संगठन या एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज / वाणिज्य मंडल से होंगे। इनमें से दो प्रतिनिधि एचटी / ईएचटी उपभोक्ताओं और एलटी औद्योगिक उपभोक्ताओं से होंगे;
- (5) आयोग द्वारा मनोनीत किए जाने वाले दो प्रतिनिधि उपभोक्ताओं की घरेलू और वाणिज्यिक श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वे पंजीकृत उपभोक्ता संगठनों / निकायों से होंगे;
- (6) समय-समय पर आयोग द्वारा नामित एक घूर्णन आधार पर उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) के दो प्रतिनिधि; सीजीआरएफ प्रतिनिधियों में से एक द्वीप क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा और दूसरा मुख्य भूमि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा;
- (7) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) के लोकपाल समीक्षा पैनल का स्थायी सदस्य होगा;
- (8) आयोग द्वारा मनोनीत होने वाला एक सदस्य कृषि उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले पंजीकृत निकायों से होगा;
- (9) आयोग किसी अन्य क्षेत्र (ओं) या विशेषज्ञों को किसी भी क्षेत्र / पेशे से समीक्षा पैनल में आगे जोड़ सकता है, जैसा कि आवश्यक समझा जा सकता है।

3.2 संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) के सचिव समीक्षा पैनल के अध्यक्ष होंगे।

- 3.3 समीक्षा पैनल के सदस्य सचिव पैनल के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त आयोग के अधिकारी होंगे।
- 3.4 समीक्षा पैनल के सभी सदस्यों को तीन साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा जब तक कि वे अपना कार्यालय नहीं रोकते। प्रतिस्थापन में नया सदस्य एक ही श्रेणी से और अवधि की अप्रत्याशित अवधि के लिए होगा।
- 3.5 समीक्षा पैनल के मौजूदा सदस्य अपने कार्यकाल की समाप्ति तक या नए सदस्यों को नियुक्त किए जाने तक समीक्षा पैनल के सदस्य बने रहेंगे, जो भी बाद में हो।
- 3.6 समीक्षा पैनल प्रत्येक बारह (12) महीनों में कम से कम एक बार मिलेंगे। समीक्षा पैनल के सदस्य सचिव आयोग के परामर्श से अध्यक्ष की मंजूरी के साथ बैठकें आयोजित करेंगे। अध्यक्ष दस दिनों पहले सभी सदस्यों को एजेंडा के साथ मीटिंग नोटिस भेज देगा।
- 3.7 अध्यक्ष, सदस्य सचिव और सभी सदस्य समीक्षा पैनल के अंशकालिक सदस्य होंगे। वे अपने संबंधित माता-पिता संगठनों से अपने वेतन, भत्ते और परिक्रमा करेंगे।
- 3.8 यह सीजीआरएफ के सदस्यों पर सीजीआरएफ की अन्य उपयोगिताओं से परामर्श करने और बैठकों में अपने मुद्दों को उठाने के लिए समीक्षा पैनल की बैठकों में भाग लेगा।
- 3.9 समीक्षा पैनल के सदस्य सचिव बैठकें की तारीख से 15 दिनों के भीतर सभी सदस्यों और आयोग को बैठकों की कार्यवाही भेज देंगे।
- 3.10 कोई भी लाइसेंसधारी, कंपनी, उपभोक्ता, उद्योग या कोई दिलचस्पी रखने वाली पार्टियां या व्यावसायिक संगठन उत्पन्न करने के लिए समीक्षा पैनल के सदस्य सचिव को इस आपूर्ति संहिता, 2018 के संशोधन के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। इन सभी प्रतिनिधियों या सुझावों को मीटिंग में दर्ज और चर्चा की जाएगी। सदस्य सचिव समीक्षा पैनल से संबंधित संपूर्ण पत्राचार बनाए रखेंगे।
- 3.11 आयोग आपूर्ति कोड, 2018 सू-मोटो या समीक्षा पैनल समिति की सिफारिशों में संशोधन कर सकता है। हालांकि, किसी भी संशोधन जारी होने से पहले, समय-समय पर संशोधित संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (व्यवसाय आचरण) विनियम, 200 9 में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
- 3.12 आपूर्ति संहिता, 2018 में किए गए संशोधन की जानकारी का एक नोटिस लाइसेंसधारकों द्वारा आपूर्ति के क्षेत्रों / क्षेत्रों में व्यापक परिसंचरण वाले कम से कम दो समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें कहा गया है कि संशोधित विद्युत आपूर्ति संहिता की प्रतियां खरीद के लिए उपलब्ध हैं जैसा कि नीचे 3.13 पर उल्लिखित कार्यालय है।
- 3.13 समय-समय पर संशोधित इस आपूर्ति संहिता, 2018 की प्रतियां, क्षेत्र के कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों, सर्कल कार्यालयों, विभाजन और लाइसेंसधारकों के उपखंड कार्यालयों और आयोग द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्यालयों में रखी जाएंगी। लाइसेंसधारक अपनी आपूर्ति वेबसाइटों पर इस आपूर्ति संहिता, 2018 की प्रति भी पोस्ट करेंगे।

अध्याय 4

4. उपभोक्ताओं की आपूर्ति और वर्गीकरण की प्रणाली

आपूर्ति की प्रणाली:

4.1 लाइसेंसधारक केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2010 में निर्दिष्ट आवृत्ति बैंड के भीतर बिजली की आपूर्ति करेगा, जिसमें कोई भी संशोधन, यदि कोई हो, और जेईआरसी (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2010, जिसमें कोई भी संशोधन शामिल है। आपूर्ति के शुरू होने के समय, उपभोक्ता की लिखित सहमति या आयोग की पिछली मंजूरी के साथ, एक सप्लायर वोल्टेज को समय से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट सीमा से अधिक घोषित वोल्टेज से भिन्न होने की अनुमति नहीं देगा पहर।

आपूर्ति का वर्गीकरण

4.2 आपूर्ति का वर्गीकरण राज्य और संघ शासित प्रदेशों के नेटवर्क पर निर्भर करता है और राज्य और संघ शासित प्रदेशों में प्रचलित वोल्टेज स्तर के आधार पर अनुकूलित किया गया है।

4.3 नीचे दी गई सारणी के अनुसार राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए अनुबंधित भार के आधार पर आपूर्ति निम्नलिखित वोल्टेज पर दी जाएगी:

तालिका 1: आपूर्ति का मानक वोल्टेज

आपूर्ति की श्रेणी प्रणाली

वर्ग	आपूर्ति की प्रणाली
कम तनाव	
5 किलोग्राम तक अनुबंधित लोड के साथ सभी प्रतिष्ठान (सिंचाई पंपिंग और कृषि सेवाओं के अलावा)	220 वी / 230 वी पर एकल चरण
सिंचाई पंपिंग और कृषि सेवाएं और 5 किलोवाट से अधिक अनुबंधित लोड के साथ सभी प्रतिष्ठानों और अनुबंधित भार के 100 केवीए सहित	4 चरण, 4 तार 440 वी पर
उच्च तनाव	
अनुबंधित लोड 100 केवीए से अधिक और 5000 केवीए सहित	6.6 केवी / 11 केवी / 22 केवी / 33 केवी
अतिरिक्त उच्च तनाव	
अनुबंधित भार 5000 केवीए से अधिक है	66 केवी और ऊपर

उपरोक्त के बावजूद, उपभोक्ता उच्च वोल्टेज पर आपूर्ति का विकल्प चुन सकता है भले ही अनुबंधित भार निर्दिष्ट सीमा से कम हो, यदि उपभोक्ता ऐसा चाहता है:

बशर्ते कि ऐसी आपूर्ति केवल तकनीकी रूप से व्यवहार्य होने पर ही प्रदान की जाएगी:

बशर्ते कि उच्च वोल्टेज पर ऐसी आपूर्ति की लागत उपभोक्ता द्वारा ऐसी आपूर्ति की मांग की जाएगी।

लाइसेंसधारक वितरण प्रणाली की तकनीकी बाधाओं के आधार पर, उपरोक्त निर्दिष्ट की तुलना में उच्च वोल्टेज पर आपूर्ति प्रदान कर सकता है, हालांकि, उच्च वोल्टेज पर आपूर्ति के लिए अंतर लागत लाइसेंसधारक द्वारा ली जाएगी।

उपरोक्त निर्दिष्ट सीमा से कम वोल्टेज पर मौजूदा उपभोक्ताओं को आपूर्ति जारी रहेगी, और यदि उनकी लोड आवश्यकता बढ़ जाती है, तो उपर्युक्त निर्दिष्ट सीमा लागू होगी और उपभोक्ता को उच्च वोल्टेज पर आपूर्ति का विकल्प चुनना होगा।

इसके अलावा, विभिन्न अनुबंध भारों पर आपूर्ति के वोल्टेज के संबंध में लाइसेंसधारक के अनुसार विशिष्ट विवरण आपूर्ति की शर्तों और आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के अनुसार होंगे, 2018 में इस संबंध को आपूर्ति की शर्तों के साथ पढ़ा जाएगा।

4.4 इस आपूर्ति संहिता, 2018 में निर्धारित वोल्टेज स्तर की तुलना में उच्च वोल्टेज स्तर पर आपूर्ति का लाभ उठाने के लिए वोल्टेज छूट, आयोग द्वारा टैरिफ ऑर्डर में निर्दिष्ट की जाएगी।

4.5 ऊर्जा गहन उपभोक्ताओं जैसे कि आर्क / प्रेरण भट्टियां, रोलिंग मिल्स, री-रोलिंग मिल्स और मिनी स्टील प्लांट्स के लिए लोड केवल एक स्वतंत्र फीडर के माध्यम से जारी किया जाएगा जहां संभव हो और उपभोक्ता द्वारा सभी आवश्यक शुल्क का भुगतान किया जाएगा। यदि उपभोक्ता सभी लागू शुल्कों को सहन करने के इच्छुक है तो उपभोक्ता के अनुरोध पर अन्य मामलों में स्वतंत्र फीडर के माध्यम से आपूर्ति दी जा सकती है।

4.6 लाइसेंसधारक वितरण प्रणाली की तकनीकी स्थितियों के आधार पर, इस आपूर्ति संहिता, 2018 के विनियमन 4.3 में आपूर्ति के वर्गीकरण के अलावा वोल्टेज और चरण में आपूर्ति दे सकता है, आयोग की मंजूरी के अधीन। पावर फैक्टर और शंट कैपेसिटर्स की स्थापना की पर्याप्तता

4.7 20 किलोवाट और उससे अधिक की अनुबंधित मांग वाले उपभोक्ताओं को शंट कैपेसिटर जैसे पीएफ सुधार उपकरण को स्थापित करना होगा। उपभोक्ता इस तरह के उपकरणों को सुनिश्चित करेगा यदि पहले से इंस्टॉल नहीं किया गया है, तो इस आपूर्ति संहिता, 2018 की अधिसूचना की तारीख से निम्नलिखित समयरेखा के अनुसार स्थापित किया जाएगा:

ए) घरेलू उपभोक्ताओं को छोड़कर 50 किलोवाट और उससे अधिक की अनुबंध मांग: पीएफ सुधार उपकरण छह महीने (06) महीने की अवधि के भीतर स्थापित किया जाना चाहिए।

बी) 25 किलोवाट से अधिक की मांग के साथ 20 किलोवाट से 50 किलोवाट और घरेलू उपभोक्ताओं की अनुबंध मांग: पीएफ सुधार उपकरण बारह (12) महीने की अवधि के भीतर स्थापित किया जाना चाहिए।

4.8 सभी एलटी उपभोक्ताओं को 3 चरण की आपूर्ति प्राप्त करने के ऊपर विनियमन 4.7 में निर्दिष्ट के रूप में अपने स्थापना के संबंध में 0.85 से कम नहीं पावर फैक्टर (अंतराल) को बनाए रखना है। सभी एचटी / ईएचटी उपभोक्ताओं को 0.95 और उससे ऊपर के पावर फैक्टर (लैगिंग) को बनाए रखना चाहिए। लाइसेंसधारक द्वारा स्थापित मीटर में पावर फैक्टर मापने की सुविधा होगी और वास्तविक पावर फैक्टर उपभोक्ताओं के बिलों में भी संकेत दिया जाएगा।

4.9 यदि एचटी / ईएचटी उपभोक्ताओं द्वारा 25 किलोवाट और 0.95 (लापरवाही) तक घरेलू उपभोक्ताओं को छोड़कर एलटी उपभोक्ताओं द्वारा 0.85 (लापरवाही) पर पावर फैक्टर को बनाए रखा नहीं जाता है, तो टैरिफ ऑर्डर में आयोग द्वारा निर्दिष्ट एक जुर्माना लगाया जाएगा। यदि एचटी / ईएचटी उपभोक्ताओं के मामले में घरेलू उपभोक्ताओं को 25 किलोवाट और 0.90 (लापरवाही) तक छोड़कर एलटी उपभोक्ताओं को छोड़कर एलटी उपभोक्ताओं के मामले में पावर फैक्टर 0.80 (लापरवाही) से कम हो जाता है, तो 60 दिनों की नोटिस पावर के सुधार के लिए लाइसेंसधारक द्वारा दी जाएगी फैक्टर। 60 दिनों की नोटिस अवधि के बाद भी, यदि पावर फैक्टर में सुधार नहीं हुआ है, तो लाइसेंसधारी डिस्कनेक्शन नोटिस की सेवा कर सकता है जिसमें उल्लेख किया गया है कि यदि 30 दिनों के भीतर पावर फैक्टर में सुधार नहीं हुआ है, तो लाइसेंसधारी आपूर्ति को डिस्कनेक्ट कर सकता है।

4.10 टैरिफ ऑर्डर में आयोग द्वारा पावर फैक्टर पेनल्टी और प्रोत्साहन निर्दिष्ट किया जाएगा।

4.11 पावर फैक्टर पेनल्टी / प्रोत्साहन के साथ-साथ पावर फैक्टर में सुधार के लिए नोटिस और न्यूनतम निर्धारित पावर फैक्टर को बनाए रखने के कारण आपूर्ति की डिस्कनेक्शन केवल लाइसेंसधारक द्वारा मापा गया वास्तविक पावर फैक्टर के आधार पर लागू होगा और बिल के बिल में दर्शाया जाएगा उपभोक्ता।

4.12 वितरण लाइसेंसधारक किसी भी आवेदक को बिजली आपूर्ति शुरू नहीं करेगा, जिसमें विनियमन 4.7 में निर्दिष्ट सीमा से अधिक बिजली भार की आवश्यकता होती है जब तक उपभोक्ता स्थापना उपयुक्त और पर्याप्त पावर फैक्टर सुधारात्मक उपकरण प्रदान नहीं की जाती।

4.13 उपभोक्ता अपनी लागत पर पर्याप्त रेटिंग के वितरण लाइसेंसधारक (आईएस मानकों के अनुसार) द्वारा सूचीबद्ध निर्माताओं की सूची से किसी भी मेक का अपना शंट कैपेसिटर खरीद लेगा। उपभोक्ता वितरण लाइसेंसधारक को निर्माता का परीक्षण प्रमाण पत्र प्रदान करने के बाद इसे स्थापित करेगा। उपभोक्ता वैकल्पिक रूप से वितरण लाइसेंसधारक से अनुरोध कर सकता है कि वह अपने भुगतान के लिए शंट कैपेसिटर को आवश्यक भुगतान के अधीन स्थापित करे और वितरण लाइसेंसधारक इसके साथ उपलब्ध होने पर पर्याप्त रेटिंग के शंट कैपेसिटर स्थापित करेगा। वितरण लाइसेंसधारक उपभोक्ताओं से अनुरोध पर, शंट कैपेसिटर्स की उपयुक्त रेटिंग के लिए मार्गदर्शन और वितरण लाइसेंसधारक द्वारा सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ताओं के नाम प्रदान करेगा।

4.14 आवेदक / उपभोक्ता की लागत पर वितरण लाइसेंसधारक द्वारा स्थापित शंट संधारित्र आवेदक / उपभोक्ता की संपत्ति होगी जिसके द्वारा इसे बनाए रखा जाएगा। यदि संधारित्र स्थापित किया गया है या गुम हो गया है, तो उसे उपभोक्ता द्वारा उसकी लागत पर प्रतिस्थापित किया जाएगा या वितरण लाइसेंसधारक उपभोक्ता की लागत पर इसे प्रतिस्थापित कर सकता है यदि पर्याप्त रेटिंग के कैपेसिटर लाइसेंसधारक के साथ उपलब्ध हैं।

वितरण लाइसेंसधारक प्रणाली के साथ समांतर ऑपरेशन

4.15 यदि उपभोक्ता वितरण प्रणाली से जुड़ा हुआ है, तो उपभोक्ता किसी भी परिसर में किसी भी जनरेटिंग इकाई को स्थापित करने से पहले वितरण लाइसेंसधारक के साथ समन्वय के लिए जरूरी आवश्यक तकनीकी और परिचालन विवरण प्रस्तुत करेगा।

इसके अलावा, उपभोक्ता केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के अनुसार मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक सहित संबंधित एजेंसियों की स्वीकृति लेगा, जिसमें इसके संशोधन और प्रासंगिक सरकार की अधिसूचना, यदि कोई हो, लागू है ऐसी उत्पन्न इकाई के ऊर्जाकरण से पहले समय-समय पर।

4.16 लाइसेंसधारक प्रणाली के साथ समानांतर में उपभोक्ता की स्थापना में इकाई उत्पन्न करने का संचालन केवल लाइसेंसधारक की लिखित सहमति के साथ अनुमत है। हालांकि, उपभोक्ता स्वचालित 4 ध्रुव परिवर्तक और मैनुअल डबल लिंक स्विच परिवर्तक स्थापित करने के बाद ही जनरेटर, इन्वर्टर, सौर उत्पादन संयंत्र स्थापित कर सकता है ताकि जनरेटर / इन्वर्टर की वर्तमान किसी भी परिस्थिति में लाइसेंसधारक के वितरण प्रणाली में इंजेक्शन न हो। जनरेटर / इन्वर्टर की क्षमता को जुड़े लोड की गणना के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

4.17 जहां समानांतर संचालन के लिए सहमति दी गई है, उपभोक्ता लाइसेंसधारक प्रणाली में अपनी स्थापना को गड़बड़ी से बचाने की व्यवस्था करेगा। उपभोक्ता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी आपूर्ति लाइसेंसधारक प्रणाली से जुड़ी न हो। लाइसेंसधारक ऐसे समानांतर संचालन के कारण उपभोक्ता के पौधे, मशीनरी और उपकरण के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, या उसके उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रतिकूल परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ग्रिड के साथ समानांतर संचालन के लिए, उपभोक्ता को गोवा और यूटी राज्य और अन्य प्रासंगिक विनियमों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्दिष्ट विद्युत ग्रिड कोड के प्रावधानों का पालन करना होगा। वास्तविक संचालन राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिता और लाइसेंसधारक दोनों के समन्वय में किया जाएगा।

4.18 जहां ऐसी कोई सहमति नहीं दी गई है, उपभोक्ता अपनी उत्पन्न इकाइयों के पौधे, मशीनरी और उपकरण की व्यवस्था करेगा, जिसमें एक अलग मोड और जनरेटिंग यूनिट में काम करने के लिए इसका विस्तार या इसके अलावा, किसी भी मामले में, लाइसेंसधारक प्रणाली से जुड़े। उपभोक्ता को सूचित करने पर लाइसेंसधारक परिसर में प्रवेश कर सकता है और यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था का निरीक्षण कर सकता है कि जनरेटर किसी भी समय अपने सिस्टम से जुड़ा हुआ न हो।

4.19 यदि उपभोक्ता की आपूर्ति किसी जनरेटर या इन्वर्टर से या किसी अन्य स्रोत से लाइसेंसधारक की प्रणाली तक बढ़ा दी जाती है, लाइसेंसधारक से उचित अनुमोदन के बिना, लाइसेंसधारक के उपकरण या मानव जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उपभोक्ता को इसके लिए ज़िम्मेदार बनाया जाएगा और लाइसेंसधारक या लाइसेंसधारक के अन्य उपभोक्ताओं / व्यक्तियों के लिए होने वाले सभी नुकसान के लिए लाइसेंसधारक को पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा और नागरिक और आपराधिक अपराधों के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा।

उपभोक्ताओं / Prosumers का वर्गीकरण

4.20 आयोग समय-समय पर उप श्रेणियों और स्लैब समेत विभिन्न टैरिफ श्रेणियों में उपभोक्ताओं / पेशेवरों को वर्गीकृत और पुनः वर्गीकृत कर सकता है। आयोग द्वारा अनुमोदित लोगों के अलावा उप-श्रेणी या स्लैब सहित कोई अतिरिक्त श्रेणी लाइसेंसधारक द्वारा बनाई जाएगी। आपूर्ति के लिए शुल्क

4.21 बिजली की आपूर्ति के लिए शुल्क समय-समय पर आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ शेड्यूल के अनुसार होगा। शुल्क में शामिल हो सकते हैं:

- (1) लाइसेंसधारक के लिए नवीनतम टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा लाइसेंसधारक के लिए निर्धारित ऊर्जा (निश्चित शुल्क, ऊर्जा शुल्क, आदि) की आपूर्ति के लिए शुल्क;
- (2) आयोग द्वारा निर्धारित व्हीलिंग शुल्क और / या क्रॉस-सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार, यदि कोई हो, तो;

- (3) आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसार, मीटर, और लाइसेंसधारक के अन्य बिजली संयंत्र और उपकरणों की ओर किराए पर, यदि कोई हो;
- (4) अनुबंध शुल्क, देर से भुगतान अधिभार, और समय-समय पर आयोग द्वारा अनुमोदित लागू होने वाले किसी अन्य शुल्क के लिए दंड शुल्क जैसे विविध शुल्क।

आयोग द्वारा अनुमोदित शुल्क के अतिरिक्त, लाइसेंसधारक राज्य और यूटी की प्रासंगिक सरकार के कानून के अनुसार उपभोक्ता द्वारा देय बिजली शुल्क, कर या किसी भी अन्य कर / कर्तव्यों जैसे वैधानिक लेवी का शुल्क ले सकता है;

आयोग द्वारा अनुमोदित शुल्क के अतिरिक्त, सुरक्षा जमा राशि उपभोक्ता द्वारा इस आपूर्ति संहिता, 2018 के विनियमन 5.130 के अनुसार वितरण लाइसेंसधारक के साथ जमा की जाएगी।

4.22 आयोग द्वारा अनुमोदित होने के तुरंत बाद लाइसेंसधारी अपनी वेबसाइट पर टैरिफ शेड्यूल प्रकाशित करेगा। लाइसेंसधारक उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर टैरिफ शेड्यूल की प्रतियां भी उपलब्ध कराएगा।

स्वतंत्र फीडर के माध्यम से आपूर्ति

4.23 व्यापक शहरीकरण के कारण, समस्या निवारण के कारण, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में वितरण / संचरण लाइनों को रखना मुश्किल हो गया है। इसके बाद, स्वतंत्र फीडर के माध्यम से आवेदक को आपूर्ति की अनुमति देने से पहले, रेखा को रखने के तरीके के साथ तकनीकी व्यवहार्यता, नियंत्रण कक्ष / स्विचयार्ड में नियंत्रण ब्रेकर लगाने / अतिरिक्त लाइन बे बनाने के लिए स्थान की जांच की जाएगी। वही मामलों में केवल तभी अनुमति दी जाएगी जहां एक स्वतंत्र फीडर रखने के लिए तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो।

4.24 लाइसेंस देने में देरी के लिए लाइसेंसधारक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा यदि वैधानिक मंजूरी, सही तरीके से, भूमि अधिग्रहण, या उपभोक्ता के दायित्व में देरी से उच्च समस्याओं के लिए मुख्य विद्युत निरीक्षक की स्वीकृति प्राप्त करने में देरी से संबंधित समस्याओं के कारण तनाव प्रतिष्ठान, जिस पर लाइसेंसधारक का कोई उचित नियंत्रण नहीं है।

4.25 सर्किट ब्रेकर, बे (यदि खड़ा होना है), सीटी और पीटी, आइसोलेटर्स, लाइन और अर्थ स्विच सहित उपकरणों को नियंत्रित करने के आरोप, खाद्य उप-स्टेशन में आवश्यक मीटर, उपभोक्ता अंत तक इलेक्ट्रिक लाइन और उपभोक्ता पर मीटर अंत आवेदक द्वारा पैदा किया जाएगा।

4.26 ऐसे उपभोक्ता, जो स्वयं एक स्वतंत्र फीडर के माध्यम से बिजली की आपूर्ति के लिए अनुरोध करते हैं, सीईए (स्थापना और मीटर के संचालन) के अनुसार स्थापित मीटर के उपभोक्ता और लाइसेंसधारक द्वारा संयुक्त रूप से ली गई मीटर पढ़ने के अनुसार बिल किया जाएगा। विनियम, 2006। लाइसेंसधारक उपभोक्ता को फोन / एसएमएस के माध्यम से मीटर के संयुक्त पढ़ने के लिए उपस्थित होने के बारे में सूचित करेगा। यदि उपभोक्ता उपस्थित होने में विफल रहता है, तो इसे मीटर पढ़ने के लिए उपस्थित होने के रूप में माना जाएगा। हालांकि, अगर मीटर-रीडिंग के लिए स्वचालित मीटर पठन (एएमआर) मीटर स्थापित किए जाते हैं, तो लाइसेंसधारक द्वारा मीटर पढ़ने के अनुसार बिलिंग किया जाएगा और संयुक्त मीटर पढ़ने लागू नहीं होगा।

4.27 यदि मौजूदा स्वतंत्र फीडर से रास्ते या अन्य समान समस्याओं के कारण एक से अधिक आवेदक / उपभोक्ता को खिलाया जाना आवश्यक है, तो उपयोगिता ऐसे उपभोक्ता को मौजूदा स्वतंत्र फीडर से जोड़ देगी बशर्ते वे हों एक ही श्रेणी, यानी, एचटी औद्योगिक, एचटी गैर-घरेलू आपूर्ति / थोक आपूर्ति उपभोक्ताओं और स्वतंत्र उपभोक्ता की सहमति के अधीन जो स्वतंत्र फीडर के लिए भुगतान किया गया है। ऐसे मामलों में, उपभोक्ता अंत में मीटरिंग व्यवस्था अनिवार्य होगी।

ऐसे उपभोक्ताओं की बिलिंग सीईए (स्थापना और संचालन के संचालन) विनियमन 2006 के अनुसार स्थापित मीटर द्वारा दर्ज खपत के अनुपात में मीटर पढ़ने के आधार पर विनियमन 4.26 के अनुसार की जाएगी। दोनों सिरों पर मीटरिंग व्यवस्था (उप-स्टेशन के साथ-साथ उपभोक्ता अंत) सीईए मीटरिंग विनियमों के अनुरूप समान विनिर्देशों और सटीकता वर्ग का होगा।

4.28 स्वतंत्र फीडर को तब तक स्वतंत्र माना जाएगा जब तक कि एक स्वतंत्र फीडर से जुड़े उपभोक्ताओं की संख्या तकनीकी सीमाओं के अधीन पांच या उससे कम न हो।

जहां एक स्वतंत्र फीडर पर पांच से अधिक उपभोक्ता जुड़े हुए हैं, तो फीडर को सामान्य फीडर माना जाएगा और उपभोक्ताओं को बिलिंग संबंधित उपभोक्ता के लिए स्थापित मीटर द्वारा दर्ज खपत के आधार पर किया जाएगा।

4.29 ऐसे सामान्य उपभोक्ता को ऐसे सामान्य फीडर से कनेक्ट करने की आवश्यकता है, जो समय-समय पर आयोग द्वारा अनुमोदित सेवा कनेक्शन शुल्क जमा करेगा।

4.30 जब तक फीडर की स्थिति स्वतंत्र बनी रहती है, तब तक उप-स्टेशन और उपभोक्ता अंत में स्थापित मीटर उपभोक्ता के प्रतिनिधि की उपस्थिति में सबसे कम संभव समय में उसी दिन लाइसेंसधारक द्वारा पढ़े जाएंगे। स्वतंत्र फीडर पर उपभोक्ताओं के बीच फीडर घाटे का विभाजन फीडर पर उपभोक्ता की दूरी के बावजूद अपने अंत में स्थापित मीटर के अनुसार उनकी खपत के अनुपात में किया जाएगा। इस प्रकार उपभोक्ता को विनियमन 4.26 के अनुसार बिल किया जाएगा।

यदि अनिवार्यता / अप्रत्याशित कारणों के कारण, आपूर्ति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए कुछ अवधि के लिए किसी अन्य उपभोक्ता (ओं) को स्वतंत्र फीडर से जोड़ा जाना है, तो उसे केवल उचित प्राधिकरण की अनुमति से जोड़ा जाएगा लाइसेंसधारी यदि ऐसे उपभोक्ताओं को 7 दिनों से अधिक समय के लिए एक स्वतंत्र फीडर से कनेक्ट करने की आवश्यकता है, तो निदेशक या उपयुक्त प्राधिकारी की अनुमति की आवश्यकता होगी और इस अवधि के दौरान स्वतंत्र फीडर को सामान्य फीडर माना जाएगा।

स्वतंत्र फीडर के उपभोक्ता (ओं) को स्वतंत्र फीडर पर अन्य श्रेणी के उपभोक्ता (ओं) के कनेक्शन / डिस्कनेक्शन से पहले सूचित किया जाएगा और उपभोक्ता अंत में स्थापित मीटर पढ़ने और उप-स्टेशन मीटर लिया जाएगा साथ ही उपभोक्ता (ओं) या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में सबसे कम संभव समय में। इस अवधि के दौरान घाटे का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा और इस अवधि के लिए बिलिंग उपभोक्ता (ओं) के अंत में स्थापित मीटर द्वारा दर्ज खपत के अनुसार की जाएगी। एक स्वतंत्र फीडर पर दूसरे या बाद के उपभोक्ता को जोड़ने के लिए, मूल उपभोक्ता की सहमति आवश्यक होगी:

बशर्ते, बाद के उपभोक्ता (ओं) के भार के प्रस्तावित परिवर्धन के साथ, यदि स्वतंत्र फीडर पर कुल भार इसकी रेटेड क्षमता से अधिक हो, तो ऐसे उपभोक्ता तब तक जुड़े नहीं होंगे जब तक कि फीडर की क्षमता में वृद्धि नहीं हो जाती है।

4.31 जब एक स्वतंत्र फीडर पर अतिरिक्त उपभोक्ता जुड़े होते हैं, तो स्वतंत्र फीडर के सामान्य हिस्से की मूल लागत नए उपभोक्ता द्वारा साझा की जाएगी और इसका क्रेडिट मूल उपभोक्ता को दिया जाएगा नए उपभोक्ता (ओं) और मूल उपभोक्ता के बीच सहमति व्यक्त की गई।

4.32 यदि सामान्य ध्रुवों / संरचनाओं या अन्यथा एक स्वतंत्र फीडर लगाया गया है और लाइन कर्मचारियों द्वारा किसी अन्य लोड को जोड़ने के लिए बिजली के अबास्ट्रक्शन या स्वतंत्र फीडर के अनधिकृत उपयोग के लिए दुरुपयोग का कोई भी मामला नोट किया गया है, तो उसे भी निपटाया जाएगा बिजली अधिनियम के धारा 132 में डिफॉल्ट कर्मचारी / व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्राधिकारी अधिनियम की धारा 138 के तहत ऐसे कर्मचारी / व्यक्ति के खिलाफ किए गए किसी भी कार्रवाई का सामना नहीं करना उचित प्राधिकारी द्वारा:

बशर्ते कि उपभोक्ता की सहमति साबित हो जाए, तो बिजली के उपयोग को अधिकृत करने के अलावा बिजली के उपयोग के लिए बेईमानी से बिजली का उपयोग करने के लिए बिजली अधिनियम की धारा 135 के तहत इस मुद्दे का निपटारा किया जाएगा।

4.33 33 केवी और रेटिंग सबस्टेशन के लिए आपूर्ति स्वतंत्र रेडियल लाइनों के माध्यम से दी जाएगी, यानी, 33 केवी और उपरोक्त रेटिंग लाइनों की कोई टैपिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4.34 वितरण प्रणाली के विस्तार या एक स्वतंत्र फीडर लगाने के लिए अनुमानित लागत की गणना आयोग द्वारा अनुमोदित दरों की अनुसूची के अनुसार की जाएगी।

4.35 आवेदक द्वारा आवश्यक शुल्क जमा करने के बाद, लाइसेंसधारी इस आपूर्ति संहिता, 2018 में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर बिजली की आपूर्ति के लिए वितरण प्रणाली के विस्तार के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

4.36 मीटर को छोड़कर सभी उपकरण (यदि आवेदक द्वारा आपूर्ति की जाती है), इसके बावजूद कि पूरे या उसके हिस्से का उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया गया है, ऊर्जा पर, लाइसेंसधारक की संपत्ति बन जाएगी और लाइसेंसधारक किसी भी ऑपरेशन का दावा किए बिना इसे बनाए रखेगा और उपभोक्ता से दोषपूर्ण / क्षतिग्रस्त सामग्री / उपकरण के प्रतिस्थापन सहित रखरखाव व्यय। ऐसे उपकरणों की वारंटी / गारंटी भी लाइसेंसधारक को स्थानांतरित कर दी जाएगी। वितरण लाइसेंसधारक को किसी अन्य व्यक्ति को टैप करके या अन्यथा बिजली की आपूर्ति के लिए इसका उपयोग करने का अधिकार होगा, सिवाय इसके कि ऐसी आपूर्ति उपभोक्ता को पहले से जुड़े उपभोक्ता को आपूर्ति के लिए हानिकारक है और विनियमन 4.27 के तहत प्रावधान के अधीन है।

4.37 लाइसेंसधारक 11 केवी और उससे अधिक वोल्टेज पर आपूर्ति की आवश्यकता वाले उपभोक्ताओं के मामले में उपभोक्ता-वार वितरण प्रणाली के विस्तार पर किए गए व्यय का रिकॉर्ड बनाए रखेगा। काम के निष्पादन के बाद, अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, तो आवेदक को भविष्य के बिलों में समायोजन द्वारा वापस किया जाएगा। लाइसेंसधारक नोटिस देकर छोटी राशि, यदि कोई हो, मांगने के हकदार होगा और आवेदक नोटिस प्रेषण की तारीख से 30 दिनों के भीतर ही भुगतान करेगा। आवेदक @ 12% पीए ब्याज का भुगतान करेगा। नोटिस प्रेषण की तारीख से, कम राशि पर, अगर आवेदक नोटिस अवधि के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है और आवेदक डिफॉल्ट के मामले में डिस्कनेक्शन के लिए उत्तरदायी होगा:

बशर्ते लाइसेंसधारक खातों के अंतिम रूप को पूरा करेगा और उपभोक्ता को व्यय का विस्तृत बयान प्रस्तुत करेगा और यदि आपूर्ति के रिलीज की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर कोई भी राशि वापस आती है तो लाइसेंसधारक आवेदक को ब्याज का भुगतान करेगा काम की समाप्ति की तारीख से @ 12% प्रति वर्ष अतिरिक्त राशि पर।

विशेष प्रावधान यदि आवेदक खुद को वितरण प्रणाली के विस्तार के निष्पादन का विकल्प चुनता है और एकल बिंदु आपूर्ति के मामले में

4.38 यदि आवेदक अपना काम पूरा करने का विकल्प चुनता है, तो आवेदक को लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार के माध्यम से भी किया जाएगा।

लाइसेंसधारक विद्युतीकरण योजना और ऐसी योजनाओं के अनुमानों को मंजूरी मिलने के बाद शहरी प्रतिष्ठान / समूह आवास समितियों / नियोक्ता कॉलोनियों के विद्युतीकरण से संबंधित कार्य संबंधित विभाग / उपनिवेश / समाज / नियोक्ता द्वारा निष्पादित किया जाएगा और आवेदक पर्यवेक्षण शुल्क का भुगतान करेगा इस तरह के कार्यों की अनुमानित श्रम लागत के 15% की दर से लाइसेंसधारी। पर्यवेक्षण शुल्क, यदि कोई हो, पर सामान और सेवा कर (जीएसटी) उपभोक्ता से वसूल किया जाएगा। सिस्टम के ऊर्जाकरण के समय, लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रणाली अनुमोदित विद्युतीकरण योजना के अनुसार रखी गई है। ऐसे क्षेत्र में कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले आवेदक लाइसेंसधारक को सेवा कनेक्शन शुल्क का भुगतान नहीं करेंगे जब तक कि उसका भार स्वीकृत योजना के मानकों के भीतर न हो:

बशर्ते कि यदि सिस्टम के ऊर्जाकरण के समय, यह ध्यान दिया जाता है कि संबंधित विभाग / उपनिवेश / समाज ने लाइसेंसधारक द्वारा अनुमोदित विद्युतीकरण योजना के अनुसार पूर्ण विद्युतीकरण कार्य निष्पादित नहीं किया है, कोलोनाइज़र / डेवलपर को प्रस्तुत करना होगा अनुमोदित योजना के अनुसार शेष राशि के अनुमानित लागत के 1.5 गुणा के बराबर बैंक गारंटी। लाइसेंसधारक आवश्यक बैंक गारंटी के बिना ऐसे क्षेत्रों के निवासियों को एकल बिंदु कनेक्शन या व्यक्तिगत कनेक्शन जारी नहीं करेगा।

अध्याय 5

5. मौजूदा कनेक्शन में नई कनेक्शन और संशोधन की मंजूरी के लिए प्रक्रिया

आपूर्ति करने के लिए लाइसेंसधारक का दायित्व

5.1 लाइसेंसधारक, आपूर्ति के अपने क्षेत्र में स्थित किसी भी परिसर के मालिक या कब्जे के आवेदन पर, इस आपूर्ति संहिता, 2018 में निर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे परिसर में बिजली की आपूर्ति करेगा, बशर्ते कि

(1) बिजली की आपूर्ति तकनीकी रूप से व्यवहार्य है। जहां यह व्यवहार्य नहीं पाया जाता है, लाइसेंसधारक इस आपूर्ति संहिता, 2018 के अनुसार जल्द से जल्द व्यवहार्यता सुधारने और कनेक्शन जारी करने का प्रयास करेगा।

(2) आवेदक ने इस आपूर्ति संहिता, 2018 में निर्दिष्ट प्रक्रिया को देखा है; तथा

(3) आवेदक इस आपूर्ति संहिता, 2018 में निर्दिष्ट आपूर्ति और सेवाओं की लागत को सहन करने के लिए सहमत है।

5.2 आपूर्ति और वोल्टेज की प्रणाली इस आपूर्ति संहिता, 2018 के विनियमन 4.6 के अधीन विनियम 4.1 और 4.3 में दिए गए विवरण के अनुसार उपभोक्ता और भार की श्रेणी पर निर्भर करेगी।

5.3 लाइसेंसधारक अपने वितरण प्रमुखों के लिए लागू कनेक्शन की तकनीकी व्यवहार्यता की जांच करेगा और आवेदन की प्राप्ति के 5 कार्य दिवसों के भीतर निरीक्षण करेगा।

5.4 यदि कनेक्शन तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं पाया जाता है, तो लाइसेंसधारक आवेदन प्राप्त होने के 10 (दस) दिनों के भीतर आवेदक को लिखित रूप में सूचित करेगा, जिसके लिए कनेक्शन प्रदान करने के लिए यह वही अनुमानित समय होगा, जो कि नहीं होगा आपूर्ति कोड, 2018 के तहत निर्दिष्ट समय सीमा से अधिक:

बशर्ते कि मौजूदा नेटवर्क से 20 किलोवाट तक कोई कनेक्शन घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए तकनीकी आधार पर देरी हो और ऐसे कनेक्शन के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, 20 किलोवाट लाइसेंसधारक से अधिक लोड के लिए आपूर्ति कोड, 2018 में निर्दिष्ट मौजूदा नेटवर्क के संवर्द्धन (यदि आवश्यक हो) के बाद कनेक्शन प्रदान करेगा।

5.5 यदि कनेक्शन इस आपूर्ति संहिता, 2018 में निर्दिष्ट समयरेखा से परे देरी हो रही है, तो आवेदक लाइसेंसधारक के क्षेत्रीय / जिला कार्यालयों में या टेलीफोन के माध्यम से या लाइसेंसधारक की वेबसाइट पर या केंद्र के माध्यम से केंद्रीकृत कॉल सेंटर / शिकायत केंद्र में शिकायत दर्ज कर सकता है पद। इन केंद्रों का संपर्क विवरण बिजली बिल पर मुद्रित किया जाएगा, बिल संग्रह केंद्रों पर प्रदर्शित किया जाएगा और लाइसेंसधारक की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। लाइसेंसधारक इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर कॉल सेंटर / शिकायत केंद्र बनाएगा, अगर पहले से ही नहीं बनाया गया है।

5.6 लाइसेंसधारक उपभोक्ताओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करना आसान बनाने के लिए एक (1) वर्ष की अवधि के भीतर आवश्यक ऑनलाइन आधारभूत संरचना तैयार करेगा। एक बार ऑनलाइन लाइसेंसधारक द्वारा आधारभूत संरचना बनाई गई है, लाइसेंसधारक अपनी वेबसाइट पर नए कनेक्शन के लिए आवेदन की मासिक अद्यतन स्थिति प्रदर्शित करेगा।

5.7 उपरोक्त विनियमन 5.1 के तहत कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा, किसी भी परिसर में बिजली की आपूर्ति के लिए एक वितरण लाइसेंसधारी की आवश्यकता के रूप में लिया जाएगा यदि इसे चक्रवात, बाढ़, तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से इसके नियंत्रण से परे ऐसा करने से रोका जा सके।

लागत में वितरण प्रणाली और उपभोक्ता के हिस्से का विस्तार करने के लिए लाइसेंसधारक का दायित्व

5.8 लाइसेंसधारक को यह सुनिश्चित करने के लिए दायित्व होगा कि आपूर्ति के क्षेत्र में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए इसकी वितरण प्रणाली को उन्नत, विस्तारित और मजबूत किया गया है। जहां भी उप-स्टेशन अंत में मौजूदा परिवर्तन क्षमता इसकी क्षमता का 70% तक लोड हो जाती है, लाइसेंसधारी (एन -1) आकस्मिकता के बाद फैक्टरिंग के बाद ऐसी परिवर्तन क्षमता बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार करेगा। लाइसेंसधारक अपनी वेबसाइट पर प्रत्येक उप-स्टेशनों के लिए रूपांतरण क्षमता की मासिक अद्यतन स्थिति प्रदर्शित करेगा।

5.9 लाइसेंसधारक मौजूदा उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण / उन्नयन के लिए लागत को पूरा करेगा और इसके वार्षिक राजस्व या लाइसेंसधारक द्वारा व्यवस्थित धन के माध्यम से मांग में भावी वृद्धि के लिए लागत को पूरा करेगा और इस लागत को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति होगी कमीशन जांच के अधीन आयोग द्वारा टैरिफ के माध्यम से उपभोक्ताओं।

5.10 नए कनेक्शन के सभी मामलों में, उपभोक्ता को सेवा कनेक्शन शुल्क सहन करना होगा, जो समय-समय पर आयोग द्वारा अनुमोदित वितरण बिंदु से सेवा कनेक्शन की लागत है।

5.11 विस्तार की वास्तविक लागत की गणना करने में समानता और सरलीकरण के लिए, लाइसेंसधारी एक तैयार गणनाकर्ता तैयार करेगा और एलटी लाइन, एचटी लाइन, विभिन्न क्षमताओं के सबस्टेशन इत्यादि की प्रति इकाई सामग्री लागत दिखाने के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।, इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से 6 महीने के भीतर। लाइसेंसधारक आयोग की सूचना के तहत हर साल तैयार रेकोनर अपडेट करेगा।

5.12 यदि लागू रूपों में जमा किए गए किसी भी नए कनेक्शन के जुड़े / अनुबंधित भार 100 केवीए या उससे अधिक हैं, तो उपभोक्ता लागत पर पर्याप्त क्षमता का एक अलग ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा। ट्रांसफॉर्मर, सबस्टेशन, स्विच गियर, मीटर और पैनलों के आवास के लिए आवश्यक स्थान / कमरा उपभोक्ता द्वारा मुफ्त में प्रदान किया जाएगा, जो लाइसेंसधारक के लिए आसानी से सुलभ है: वशर्ते कि 100 केवीए से कम जुड़े / अनुबंधित लोड के साथ किसी भी नए कनेक्शन के लिए, उपभोक्ता द्वारा उपभोक्ता की लागत पर अनुरोध किए जाने पर लाइसेंसधारक एक अलग ट्रांसफार्मर स्थापित कर सकता है।

5.13 वितरण कनेक्शन के सेवा कनेक्शन / विस्तार, इसके बावजूद कि उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया गया है, वह लाइसेंसधारक की संपत्ति होगी। लाइसेंसधारक इसे अपनी लागत पर बनाए रखेगा और उसे किसी भी अन्य व्यक्ति को ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक ही सेवा कनेक्शन / विस्तार का उपयोग करने का अधिकार होगा, लेकिन इस तरह के विस्तार या सेवा कनेक्शन को विस्तार के लिए भुगतान करने वाले उपभोक्ता को आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए वितरण आपूर्ति नेटवर्क का और विनियमन 4.27 के अनुसार मूल उपभोक्ता की सहमति के अधीन होगा।

5.14 जब लाइसेंसधारक वितरण प्रमुखों के विस्तार का काम पूरा करता है और आपूर्ति देने के लिए तैयार है, तो लाइसेंसधारक एलटी के मामले में एक महीने के भीतर बिजली आपूर्ति और एचटी या ईएचटी के मामले में तीन महीने के लिए बिजली आपूर्ति करने के लिए उपभोक्ता पर एक नोटिस देगा। यदि उपभोक्ता नोटिस अवधि के भीतर आपूर्ति का लाभ उठाने में विफल रहता है, तो नोटिस नोटिस अवधि के अंत के बाद दिन से लागू होगा, और इसके बाद उपभोक्ता निश्चित शुल्क और अन्य सभी शुल्कों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि लागू है समझौता।

5.15 आवेदक के पास लाइसेंसीकृत वितरण ठेकेदार के उचित वर्ग के माध्यम से लाइसेंसधारक द्वारा अनुमोदित अनुमानों और लेआउट के अनुसार लाइसेंसधारक के वितरण मेन से सेवा लाइन के ड्राइंग के काम को प्राप्त करने का विकल्प होगा, और ईएचटी के विस्तार का कार्य और लाइसेंसधारक द्वारा अनुमोदित अनुमान और लेआउट के अनुसार, लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार के उचित वर्ग के माध्यम से एचटी लाइन, वितरण या एचटी सबस्टेशन और एलटी लाइन। ऐसे मामले में, उपभोक्ता खुद लाइसेंसधारक द्वारा जारी किए गए सूचीबद्ध निर्माताओं की सूची से सामग्री खरीद लेगा। लाइसेंसधारक अपनी वेबसाइट पर इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से 3 महीने के भीतर सूचीबद्ध निर्माताओं की सूची प्रकाशित करेगा। लाइसेंसधारक उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता को सत्यापित करने के लिए दस्तावेजी सबूत मांग सकता है।

5.16 यदि उपभोक्ता अपना काम पूरा कर रहा है, तो लाइसेंसधारक 15% की दर से काम के श्रम घटक पर पर्यवेक्षण शुल्क ले सकता है। पर्यवेक्षण शुल्क पर सामान और सेवा कर (जीएसटी), यदि कोई उपभोक्ता से वसूल किया जाएगा।

5.17 उपभोक्ता को इस आपूर्ति संहिता, 2018 के तहत प्रदान किए गए समय सीमा के भीतर काम पूरा किया जाएगा और यदि उपभोक्ता को अधिक समय की आवश्यकता है, तो उपभोक्ता लाइसेंसधारक को समय के विस्तार के लिए उचित आधार के साथ प्रतिनिधित्व करेगा और लाइसेंसधारी उसकी मंजूरी को इसके बारे में बताएगा उपभोक्ता।

कनेक्शन के अनुदान के लिए शर्तें

5.18 लाइसेंसधारक अपनी वेबसाइट पर और जहां भी व्यवहार्य होगा, अपने कार्यालयों में, उस क्षेत्र / सर्कल में नए कनेक्शन के लिए आवेदन की अद्यतन स्थिति, नए कनेक्शन के लिए विस्तृत प्रक्रिया, और साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की पूरी सूची ऐसे अनुप्रयोगों के साथ। आम तौर पर कोई दस्तावेज नहीं है, जिसे सूचीबद्ध नहीं किया गया है, नए कनेक्शन के लिए आवेदन पत्रों को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक होगा। इस आपूर्ति संहिता, 2018 में अनुलग्नक- XVIII के अनुसार आवेदक द्वारा जमा की जाने वाली सेवा राशि की सुरक्षा राशि और लागत को भी प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

5.19 अनधिकृत उपनिवेशों / क्षेत्रों या विवादित संपत्ति में रहने वाले किसी भी आवेदक से कनेक्शन नहीं दिया जाएगा जहां किसी भी भारतीय अदालत द्वारा रोकथाम / निषेध आदेश जारी किया गया है और / या किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा रोकथाम / निषेध आदेश जारी किया गया है।

मौजूदा संपत्ति की खरीद

5.20 जहां आवेदक ने एक मौजूदा संपत्ति खरीदी है जिसका बिजली कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है, तो यह सत्यापित करने के लिए आवेदक का कर्तव्य होगा कि पिछले मालिक ने लाइसेंसधारक को सभी बकाया राशि का भुगतान किया है और उससे "नो-बकाया प्रमाणपत्र" प्राप्त किया है। यदि संपत्ति के स्वामित्व में परिवर्तन से पहले पिछले मालिक द्वारा "नो-बकाया प्रमाणपत्र" प्राप्त नहीं किया गया है, तो नया मालिक ऐसे प्रमाण पत्र के लिए लाइसेंसधारी से संपर्क कर सकता है। लाइसेंसधारक इस तरह के अनुरोध की प्राप्ति को स्वीकार करेगा और या तो परिसर में बकाया बकाया राशि, यदि कोई हो, या इस तरह के आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 1 महीने के भीतर "नो-बकाया प्रमाणपत्र" जारी करने में अंतरंग होगा।

5.21 यदि लाइसेंसधारक बकाया बकाया राशि का अंतर नहीं उठाता है या इस समय के भीतर "कोई देय प्रमाणपत्र नहीं" जारी करता है, तो पिछले उपभोक्ता के बकाया बकाया राशि के आधार पर परिसर से नया कनेक्शन अस्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी घटना में, लाइसेंसधारक को कानून के प्रावधानों के अनुसार पिछले उपभोक्ता से यदि कोई हो, तो बकाया राशि वसूल करनी होगी।

उप विभाजित संपत्ति

5.22 जहां एक संपत्ति वैध रूप से उप-विभाजित की गई है, ऐसी अविभाजित संपत्ति, यदि कोई हो, पर ऊर्जा की खपत के लिए बकाया राशि, ऐसी उप-विभाजित संपत्ति के क्षेत्र के आधार पर प्रो-रेटा आधार पर विभाजित की जाएगी। ऐसे उप-विभाजित परिसर के किसी भी हिस्से के लिए एक नया कनेक्शन केवल वैध रूप से उप-विभाजित परिसर के लिए बकाया बकाया राशि के हिस्से के बाद ही आवेदक द्वारा भुगतान किया जाएगा। एक लाइसेंसधारक केवल आवेदक से इस संबंध में इनकार नहीं करेगा कि इस तरह के परिसर के अन्य हिस्सों पर बकाया भुगतान नहीं किया गया है, न ही लाइसेंसधारक ऐसे आवेदकों से अन्य हिस्सों के पिछले भुगतान बिलों की रिकॉर्ड मांग करेगा।

मौजूदा संपत्ति का पुनर्निर्माण

5.23 पूरे परिसर या भवन के विध्वंस और पुनर्निर्माण के मामले में, मौजूदा उपभोक्ता स्थापना आत्मसमर्पण की जाएगी, मीटर और सेवा लाइन हटा दी जाएगी और समझौता समाप्त कर दिया जाएगा। उपभोक्ता की सुरक्षा जमा विधिवत लाइसेंसधारक द्वारा वापस कर दी जाएगी। पुरानी परिसर में सभी बकाया राशि को समाशोधन के बाद पुनर्निर्मित भवन के लिए एक नया कनेक्शन लिया जाएगा। ऐसे मामलों में निर्माण उद्देश्यों के लिए मौजूदा कनेक्शन से अस्थायी बिजली आपूर्ति की अनुमति नहीं दी जाएगी। अस्थायी आपूर्ति का लाभ उठाने के लिए, आवेदक इस आपूर्ति संहिता, 2018 के प्रावधानों के अनुसार नए आवेदन करेगा।

नई विद्युत सेवा कनेक्शन प्रदान करने की प्रक्रिया

आवेदन पत्र

5.24 आवेदक इस आपूर्ति संहिता, 2018 के अनुलग्नक में दिए गए अनुसार निम्नलिखित प्रारूप में नए कनेक्शन के रिलीज के लिए आवेदन करेगा:

नए कनेक्शन (कम तनाव) के रिलीज के लिए आवेदन पत्र - अनुबंध- I

नए कनेक्शन (उच्च तनाव / अतिरिक्त उच्च तनाव) के रिलीज के लिए आवेदन पत्र - अनुबंध- II

विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने के समय घोषणा / उपक्रम के लिए हस्ताक्षर किए जाने के लिए प्रारूप - अनुलग्नक-III

5.25 आवेदन पत्र लाइसेंसधारक के स्थानीय कार्यालय में मुफ्त में उपलब्ध होंगे। लाइसेंसधारक मुफ्त डाउनलोड के लिए अपनी वेबसाइट पर सभी आवेदन पत्र भी लगाएगा। एक खाली फॉर्म की वैध फोटोकॉपी आवेदक द्वारा की जा सकती है, जिसे लाइसेंसधारक द्वारा स्वीकार किया जाएगा। लाइसेंसधारक स्पष्ट रूप से अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित होगा; कार्यालयों का पता और टेलीफोन नंबर जहां भरे हुए आवेदन पत्र जमा किए जा सकते हैं। लाइसेंसधारक आपूर्ति के संबंधित क्षेत्र में कार्यालयों के प्रत्येक कार्यालय, पते और टेलीफोन नंबरों में भी प्रदर्शित होगा जहां उस विशेष क्षेत्र से संबंधित भरे हुए आवेदन पत्र जमा किए जा सकते हैं। फॉर्म भरने में आवश्यक कोई भी सहायता या जानकारी लाइसेंसधारक के स्थानीय कार्यालय में आवेदकों को प्रदान की जाएगी।

5.26 लाइसेंसधारक वेबसाइट, कॉल सेंटर इत्यादि के माध्यम से नए कनेक्शन या मौजूदा कनेक्शन में संशोधन के लिए आवेदन करने के लिए नए मार्ग भी प्रदान करेगा, जो प्रक्रिया के दौरान उपयोगिता के साथ आवेदक के इंटरफ़ेस को कम करता है।

5.27 नए कनेक्शन के लिए आवेदन पत्र आवेदक की तस्वीर, आवेदक के पहचान प्रमाण, आवेदक के स्वामित्व का सबूत या परिसर में अधिभोग के साथ होना चाहिए जिसके लिए नए कनेक्शन की मांग की जा रही है, आवेदक के वर्तमान पते का प्रमाण, और विशिष्ट मामलों में, इस आपूर्ति संहिता, 2018 के विनियमन 5.2 9-5.34 में विस्तृत कुछ अन्य दस्तावेज।

5.28 रुपये की गैर-वापसी योग्य पंजीकरण-सह-प्रसंस्करण शुल्क एचटी और रु। के लिए 20,000 / - नए कनेक्शन के लिए आवेदन करते समय ईएचटी के लिए 1,00,000 / - लगाया जाएगा। मांग शुल्क जारी करते समय ये शुल्क लाइसेंसधारक द्वारा समायोजित किया जाएगा।

5.2 9 निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज पहचान के स्वीकार्य प्रमाण के रूप में माना जाएगा:

अगर आवेदक एक व्यक्ति है:

- (1) चुनावी पहचान पत्र
- (2) पासपोर्ट
- (3) ड्राइविंग लाइसेंस
- (4) सरकारी एजेंसी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र
- (5) पैन कार्ड
- (6) गांव प्रधान से फोटो सर्टिफिकेट या पटवारी / लेखपाल / ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता / गांव चौकीदार / प्राथमिक विद्यालय शिक्षक / प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी जैसे सरकारी कार्यकर्ता आदि।
- (7) आधार कार्ड।

5.30 निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज स्वामित्व या परिसर के अधिग्रहण के स्वीकार्य प्रमाण के रूप में माना जाएगा:

- (1) पंजीकृत बिक्री कार्य या लीज डीड या किराया समझौते की प्रतिलिपि और कृषि कनेक्शन के मामले में, खसरा / खतूनी / खता नकल की एक प्रति;
- (2) पंजीकृत जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी;
- (3) नगरपालिका / पंचायत कर रसीद या मांग नोटिस या कोई अन्य संबंधित दस्तावेज;
- (4) आवंटन पत्र;
- (5) राजस्व प्राधिकरणों द्वारा जारी पंचायत / स्वामित्व प्रमाण पत्र द्वारा जारी किए गए घर पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति;

(6) स्थानीय सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी कोई अन्य स्वामित्व संबंधित दस्तावेज।

(7) एक आवेदक जो मालिक नहीं है लेकिन परिसर का अधिग्रहण करेगा, ऊपर (1) से (6) में सूचीबद्ध दस्तावेजों में से किसी एक के साथ परिसर के मालिक से कोई आपत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं करेगा:

बशर्ते कि एक आवेदक, जो परिसर के वैध अधिकारी हैं, एक किरायेदार या लीजहोल्डर है और कनेक्शन प्राप्त करने के लिए मालिक से कोई आपत्ति प्रमाण पत्र तैयार करने में असमर्थ है, एक अलग क्षतिपूर्ति बॉन्ड को वितरण लाइसेंसधारक के पक्ष में निष्पादित किया जाएगा वितरण लाइसेंसधारक द्वारा निर्धारित फॉर्म।

(8) जे जे क्लस्टर में रहने वाले अन्य उपभोक्ताओं के लिए या किसी विशेष नगरपालिका पते वाले अन्य क्षेत्रों में, लाइसेंसधारक राशन कार्ड या चुनावी पहचान पत्र को अनिवार्य रूप से जारी करने के उद्देश्य से परिसर के अधिग्रहण के सबूत के रूप में एक ही पते के साथ स्वीकार कर सकता है बिजली कनेक्शन और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं:

बशर्ते कि बिजली बिल केवल उपभोक्ता द्वारा कब्जे वाले परिसर में बिजली की आपूर्ति के लिए होगा और परिसर में अधिकार या शीर्षक के रूप में नहीं माना जाएगा।

5.31 सभी संचार उस पते पर भेजे जाएंगे जहां कनेक्शन जारी किया गया है। हालांकि, कनेक्शन जारी होने तक, इस उद्देश्य के लिए आवेदक द्वारा प्रदान किए गए पते पर संचार भेजा जा सकता है।

5.32 साझेदारी फर्म के मामले में - आवेदक आवेदक के नाम पर साझेदारी कार्य और समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए साझेदारी कार्य और प्राधिकरण प्रस्तुत करेगा।

5.33 सार्वजनिक और / या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मामले में - आवेदक आवेदक के नाम पर प्राधिकरण के लिए मांग पत्र और समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकरण, जापन और एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन और बोर्ड रेज़ोल्यूशन प्रस्तुत करेगा।

5.34 अन्य दस्तावेज केवल चुनिंदा उपभोक्ता श्रेणियों के लिए लागू होते हैं:

(1) औद्योगिक उपभोक्ता: गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग की मंजूरी के साथ लागू होने पर वैध औद्योगिक लाइसेंस (औद्योगिक औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक नहीं)।

(2) कृषि उपभोक्ता: सक्षम सरकारी प्राधिकरण से कोई आपत्ति प्रमाणपत्र नहीं;

(3) गैर-घरेलू खोख और अस्थायी संरचना: खोख के लिए कोई आपत्ति प्रमाण पत्र या नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत / ग्राम सभा / ग्राम पंचायत / भूमि विकास प्राधिकरण / भूमि स्वामित्व एजेंसी से अस्थायी संरचना।

(4) जहां मौजूदा औद्योगिक कनेक्शन के लोड के लिए नए औद्योगिक कनेक्शन या अतिरिक्त प्रदूषण या पर्यावरणीय कोण से निकासी की आवश्यकता है, आवेदक सक्षम प्राधिकारी से वितरण लाइसेंसधारक को "कोई आपत्ति प्रमाण पत्र" जमा नहीं करेगा।

प्रसंस्करण आवेदन पत्र

5.35 नए कनेक्शन की आपूर्ति जारी करने से संबंधित सभी आवेदन पत्रों के लिए, लाइसेंसधारी संलग्न दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र की पुष्टि करेगा और यदि कम पाया जाता है, तो आवेदन पत्र में कमियों के बारे में स्पॉट पर एक लिखित नोट जारी करेगा। यदि आवेदन पत्र पूरा हो गया है, तो लाइसेंसधारक अपनी रसीद को स्पॉट पर स्वीकार करेगा। यदि आवेदन ऑनलाइन जमा किया जाता है, तो लाइसेंसधारक आवेदन जमा करने की तारीख से 3 कार्य दिवसों के भीतर आवेदन में कमियों के संबंध में एक लिखित नोट जारी करेगा।

5.36 लाइसेंसधारी आवेदन पंजीकरण / डेटाबेस में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का स्थायी रिकॉर्ड बनाए रखेगा। प्रत्येक आवेदन पत्र को उस क्रम में क्रमशः एक स्थायी आवेदन संख्या (पहचान के लिए) आवंटित की जाएगी। विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग रजिस्ट्रों / डेटाबेस बनाए रखा जा सकता है। लाइसेंसधारी रजिस्ट्रों / डेटाबेस को प्रत्येक आवेदन पत्र के निपटारे के चरण-वार स्थिति के साथ अद्यतन रखेगा।

उपर्युक्त जानकारी को लाइसेंसधारक वेबसाइट पर भी बनाए रखा जाना चाहिए और अपलोड किया जाना चाहिए जहां आवेदक आवेदन की स्थिति की जांच कर सके।

5.37 लाइसेंसधारक आवेदन रजिस्टर / डेटाबेस में सीरियल प्राथमिकता के अनुसार "पहले आओ, पहले परोसा गया" आधार के व्यापक सिद्धांत पर प्रत्येक टैरिफ श्रेणी में आवेदन पत्रों का निपटारा करेगा। लाइसेंसधारक नए कनेक्शन की मांग करने वाले आवेदकों की प्रतीक्षा सूची बनाए रखेगा, जारी किए गए नए कनेक्शन के बारे में क्षेत्रवार जानकारी, और प्रतीक्षा सूची की अद्यतन स्थिति लाइसेंसधारक की वेबसाइट या लाइसेंसधारक के स्थानीय कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। साप्ताहिक अपडेट किया गया।

5.38 एक आवेदन पत्र आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप में उपभोक्ता के आवेदन की प्राप्ति की तारीख को प्राप्त किया जाएगा, सभी मामलों में पूरा होगा और सभी प्रासंगिक दस्तावेजों से जुड़ा होगा।

5.39 आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद, इस आपूर्ति संहिता, 2018 के अनुलग्नक-XVIII के अनुसार सुरक्षा जमा सहित सभी लागू शुल्कों की प्राप्ति की तारीख को एक आवेदन प्राप्त किया जाएगा।

5.40 लाइसेंसधारक आवेदन पत्र प्राप्त होने के समय, आवेदक के साथ पारस्परिक परामर्श में आवेदक के परिसर के निरीक्षण के लिए एक तिथि निर्दिष्ट करेगा, लिखित पावती के तहत। निरीक्षण की तारीख शहरी क्षेत्रों में 3 कार्य दिवसों और आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख से ग्रामीण क्षेत्रों में 5 कार्य दिवसों के भीतर निर्धारित की जानी चाहिए। यदि आवेदक की इच्छा है, तो निरीक्षण के लिए शुल्क के भुगतान पर लाइसेंसधारक (यानी रविवार, राजपत्रित छुट्टियां इत्यादि) के लिए एक गैर-कार्य दिवस पर निरीक्षण निर्धारित किया जा सकता है। 500।

5.41 यदि निरीक्षण करने की आवश्यकता है, तो लाइसेंसधारक केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियमन, 2010 के विनियमन 31 के तहत आवेदक की उपभोक्ता स्थापना का निरीक्षण और परीक्षण करेगा और समय से संशोधित होगा आवेदक या उसके लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में समय। लाइसेंसधारक केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के समय-समय पर संशोधित अनुलग्नक -IX में दिए गए प्रारूप में दिए गए प्रारूप में परीक्षा परिणामों का रिकॉर्ड बनाए रखेगा और समय-समय पर संशोधित किया जाएगा।

5.42 निरीक्षण के दौरान, लाइसेंसधारी होगा:

(1) उपभोक्ता के परामर्श से आपूर्ति और उस स्थान पर जहां मीटर और एमसीबी इत्यादि को स्थापित किया जाएगा:

बशर्ते सेवा लाइन एक सुलभ स्थान पर रखी जाएगी और मीटर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटर की स्थापना और संचालन) विनियमन, 2006 के अनुरूप इस स्थान पर तय किया जाएगा कि यह बारिश जैसे तत्वों से संरक्षित है, इत्यादि, और इस उद्देश्य के लिए परिसर अनलॉक या खोले बिना आसानी से सुलभ है;

किसी भी मामले में, वितरण लाइसेंसधारक अपने उपकरण, मीटर या किसी भी संपत्ति को किसी स्थान पर ठीक नहीं करेगा, जिसके लिए उसके कर्मचारी द्वारा निजी परिसर में प्रवेश की आवश्यकता होती है।

(2) आवेदन पत्र में प्रदान नहीं किए जाने पर, परिसर के सही पूर्ण पते को रिकॉर्ड करें, और संपत्ति के पास स्थलों और ध्रुव संख्या को नोट करें जहां से सेवा कनेक्शन प्रस्तावित किया जाता है; तथा

(3) आवश्यकतानुसार, आवेदन पत्र में उल्लिखित सभी अन्य विवरणों को सत्यापित करें;

यदि निरीक्षण पर, लाइसेंसधारक को कोई दोष मिलता है (उदाहरण के लिए उपभोक्ता की स्थापना पूरी नहीं हुई है, कंडक्टर / जोड़ों के नंगे सिरों को सही ढंग से इन्सुलेट टेप के साथ कवर नहीं किया गया है, इस तरह की प्रकृति की तारों से यह जीवन / संपत्ति आदि के लिए खतरनाक है) लाइसेंसधारक को अंतरंग करना होगा अनुलग्नक -IX में दिए गए प्रारूप में उचित रसीद के तहत आवेदक को स्पॉट पर दोष।

5.43 आवेदक को इस आपूर्ति संहिता, 2018 के विनियमन 5.42 में निर्दिष्ट दोषों की सूचना प्राप्त होने से 30 कार्य दिवसों के भीतर हटाए गए सभी दोषों को प्राप्त किया जाएगा और लाइसेंसधारक को पावती के तहत लिखित में सूचित किया जाएगा। यदि आवेदक ऐसे दोषों को

हटाने में विफल रहता है या दोषियों को हटाने के बारे में लाइसेंसधारक को सूचित करने में विफल रहता है, तो आवेदन पत्र समाप्त हो जाएगा और आवेदक को फिर से आवेदन करना होगा। लाइसेंसधारक आवेदक को कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय दे सकता है, यदि आवेदक दोषों की सूचना प्राप्त होने से 10 कार्य दिवसों के भीतर एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत करता है।

5.44 दोषियों को हटाने के बारे में आवेदक से जानकारी प्राप्त होने पर,

लाइसेंसधारक आवेदक के साथ पारस्परिक परामर्श में लिखित पावती के तहत आवेदक के परिसर के पुनः निरीक्षण के लिए एक तारीख निर्धारित करेगा। पुनः निरीक्षण की तारीख शहरी क्षेत्रों में 3 कार्य दिवसों और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 कार्य दिवसों के भीतर ऐसी जानकारी प्राप्त होने की तारीख से निर्धारित की जानी चाहिए।

5.45 यदि पुनः निरीक्षण पर, पहले बताए गए दोषों को जारी रखा जाता है, तो लाइसेंसधारक फिर से इस आपूर्ति संहिता, 2018 में अनुलग्नक -IX में दिए गए प्रारूप में रिकॉर्ड करेगा और इसकी प्रतिलिपि आवेदक को सौंपेगा या साइट पर उपलब्ध उनके अधिकृत प्रतिनिधि। आवेदन पत्र तब समाप्त हो जाएगा और आवेदक को स्वीकृति के तहत लिखित रूप में सूचित किया जाएगा:

बशर्ते कि आवेदक लाइसेंसधारक की कार्रवाई या चूक से पीड़ित महसूस करता है, आवेदक शिकायत निवारण के लिए संबंधित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) को एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत कर सकता है:

5.46 यदि निरीक्षण पर, कोई दोष नहीं मिला है, या पुनः निरीक्षण पर पहले देखा गया दोष हटा दिया गया है, लाइसेंसधारक इस आपूर्ति संहिता, 2018 या लागू भार के लिए अनुलग्नक -VIII के अनुसार निर्धारित भार को मंजूरी दे देगा जो भी अधिक हो, और नीचे निर्दिष्ट समयरेखा के भीतर, पावती के तहत, लिखित में एक मांग नोट जारी करें:

तालिका 2: मांग नोट जारी करने के लिए समयरेखा:

विवरण	आवेदन प्राप्त होने से कार्य दिवसों की संख्या	
	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्रों
वितरण कार्य का विस्तार आवश्यक नहीं है	7 कार्य दिवसों के भीतर	10 कार्य दिवसों के भीतर
वितरण लाभ / प्रणाली का विस्तार आवश्यक है		
1. एलटी सेवा कनेक्शन के मामले में	7 कार्य दिवसों के भीतर	10 कार्य दिवसों के भीतर
2. एलटी सेवा कनेक्शन के मामले में	15 कार्य दिवसों के भीतर	20 कार्य दिवसों के भीतर
3. ईएचटी सेवा कनेक्शन के मामले में	30 कार्य दिवसों के भीतर	30 कार्य दिवसों के भीतर

बशर्ते आवेदक के परिसर में पाए गए दोष / कमियों को सुधारने के लिए आवेदक द्वारा लिया गया समय ऊपर निर्दिष्ट समयरेखा में शामिल नहीं किया जाएगा:

बशर्ते कि जहां भी समय और लागत अनुमान के लिए प्रक्रिया में ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक की भागीदारी की आवश्यकता हो, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक द्वारा लिया गया समय ऊपर निर्दिष्ट समयरेखा में शामिल नहीं किया जाएगा।

5.47 मांग नोट में निम्नलिखित विवरण होंगे:

- (1) विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए किए जाने वाले कार्यों (सेवा लाइन सहित) का विवरण;
 - (2) उपरोक्त कार्यों के लिए शुल्क आवेदक द्वारा लाइसेंसधारक द्वारा निर्दिष्ट शुल्कों के अनुसूची के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए।
- आयोग द्वारा अनुमोदित:

बशर्ते कि आवेदक खुद को काम करने की इच्छा रखता है, वही लाइसेंसधारक के अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण के तहत अनुमति दी जाएगी। लाइसेंसधारक द्वारा अनुमोदित अनुमान और लेआउट का पालन करते हुए, आवेदक लाइसेंसधारक के वितरण मेन से 'सी' या उच्च श्रेणी के लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार (एलईसी) के माध्यम से अपने परिसर तक सेवा लाइन के ड्राइंग का काम प्राप्त कर सकता है, और काम केवल

'ए' कक्षा LEC के माध्यम से एचटी / ईएचटी लाइन, वितरण या एचटी सबस्टेशन और एलटी लाइन के विस्तार का विस्तार। ऐसे मामले में उपभोक्ता सामग्री खरीद लेगा। लाइसेंसधारक उपभोक्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री को खरीदने के लिए सूचीबद्ध निर्माताओं की एक सूची जारी करेगा। उपभोक्ता सूचीबद्ध निर्माताओं की सूची से किसी भी मेक की सामग्री खरीद सकते हैं। लाइसेंसधारक उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता को सत्यापित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य मांग सकता है:

बशर्ते कि यदि आवेदक स्वयं द्वारा किए गए काम को प्राप्त कर रहा है, तो लाइसेंसधारक 15% की दर से कार्य के श्रम घटक पर पर्यवेक्षण शुल्क ले सकता है। पर्यवेक्षण शुल्क, यदि कोई हो, पर माल और सेवा कर (जीएसटी) आवेदक से वसूल किया जाएगा:

बशर्ते कि यदि आवेदक स्वयं को विस्तार कार्य पूरा करने का विकल्प चुनता है, तो आवेदक को इस आपूर्ति संहिता, 2018 के विनियमन 5.52 में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर किया जाएगा, जिसमें विफलता 15 दिनों की नोटिस दे सकती है रद्द के रूप में आपूर्ति के लिए आवेदन पत्र का इलाज करें।

(3) इस आपूर्ति संहिता, 2018 में अनुलग्नक -XVIII में निर्दिष्ट सुरक्षा जमा की राशि।

5.48 आवेदक मांग नोट प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान करेगा, जिसमें विफल होने पर आवेदन पत्र समाप्त हो जाएगा और आवेदक को स्वीकृति के तहत लिखित रूप में सूचित किया जाएगा। कनेक्शन को सक्रिय करने के लिए लाइसेंसधारक का दायित्व केवल पूर्ण भुगतान प्राप्त होने के बाद ही होगा। आवेदक 15 दिनों की भुगतान अवधि के भीतर, इसके लिए लिखित अनुरोध जमा करने के मामले में शुल्क के भुगतान के लिए आवेदक को अतिरिक्त समय दे सकता है।

5.4 9 मांग पत्र इस आपूर्ति संहिता, 2018 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया जाएगा और समय-समय पर आयोग की पूर्व अनुमोदन के साथ लाइसेंसधारक द्वारा निर्दिष्ट शुल्कों के आधार पर तैयार किया जाएगा। लाइसेंसधारक मांग पत्रों में लाइसेंसधारक द्वारा चार्ज किए जाने वाले विभिन्न शुल्कों की मंजूरी के लिए टैरिफ याचिका के साथ आयोग को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। एक आवेदक के लिए एक बार मांग पत्र, दो महीने के लिए मान्य होगा।

5.50 उपभोक्ता द्वारा किए गए किसी भी अतिरिक्त / कमी भुगतान को बाद के दो बिलों में समायोजित किया जाएगा।

5.51 यदि इस आपूर्ति संहिता, 2018 के अनुसार, आपूर्ति के प्रावधान के लिए आवेदक के परिसर के भीतर एक वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना की आवश्यकता होती है, तो आवेदक लाइसेंसधारक को स्थापना के लिए आपूर्ति की अवधि के लिए अपने परिसर के भीतर एक उपयुक्त कमरा या भूमि का हिस्सा उपलब्ध कराएगा वितरण ट्रांसफार्मर।

5.52 आवेदन की प्राप्ति की तारीख से, नए बिजली कनेक्शन को जारी करने के लिए समग्र समयरेखा निम्नानुसार होगी:

तालिका 3: नए बिजली कनेक्शन (ऊर्जाकरण) जारी करने के लिए समयरेखा:

गतिविधि	द्वीप क्षेत्रों		मुख्य भूमि क्षेत्रों	
नया कनेक्शन / अतिरिक्त भार जहां मौजूदा नेटवर्क से आपूर्ति प्रदान की जा सकती है	शहरी क्षेत्र: पूर्ण आवेदन प्राप्त होने से 30 दिन		शहरी क्षेत्र: पूर्ण आवेदन प्राप्त होने से 16 दिन	
	ग्रामीण क्षेत्र: पूर्ण आवेदन प्राप्त होने से 30 दिन		ग्रामीण क्षेत्र: पूर्ण आवेदन प्राप्त होने से 24 दिन	
विस्तार कार्य या ट्रांसफार्मर क्षमता में वृद्धि की आवश्यकता है	ग्रामीण क्षेत्र:	शहरी क्षेत्र:	ग्रामीण क्षेत्र:	ग्रामीण क्षेत्र:
	ए) एलटी -60 दिन	ए) एलटी-90 दिन	ए) एलटी -30 दिन	ए) एलटी -45 दिन
	बी) एचटी -20 दिन	बी) एचटी -20 दिन	बी) एचटी-90 दिन	बी) एचटी-90 दिन
	सी) ईएचटी-180 दिन	सी) ईएचटी-180 दिन	सी) ईएचटी-180 दिन	सी) ईएचटी-180 दिन

आपूर्ति बढ़ाने के लिए सबस्टेशन का निर्माण	आयोग की मंजूरी के अनुसार मामला आधार पर	आयोग की मंजूरी के अनुसार मामला आधार पर
---	--	--

बशर्ते लाइसेंसधारक ऊपर निर्दिष्ट समय के विस्तार के लिए आयोग से संपर्क कर सके, विशिष्ट मामलों में जहां डिस्ट्रीब्यूशन मेन के विस्तार के साथ विवरण के साथ अधिक समय की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में, लाइसेंसधारक उपभोक्ता को कार्यों के पूरा होने के संभावित समय के बारे में सूचित करेगा

5.53 जहां आपूर्ति के विस्तार के लिए नए सबस्टेशन के निर्माण और कमीशन की आवश्यकता होती है, लाइसेंसधारक साइट निरीक्षण के 15 दिनों के भीतर आयोग को जमा करेगा, इस तरह के सबस्टेशन के निर्माण के लिए प्रस्ताव के साथ-साथ निर्माण और कमीशन के लिए आवश्यक समय के साथ, और प्राप्त करें आयोग की मंजूरी लाइसेंसधारक आयोग द्वारा अनुमोदित समय अवधि के भीतर आवेदक को बिजली की आपूर्ति शुरू करेगा:

बशर्ते कि जहां इस तरह के सबस्टेशन आयोग द्वारा अनुमोदित निवेश योजना में शामिल है, लाइसेंसधारक को आयोग से कोई और अनुमोदन नहीं लेना होगा और ऐसी निवेश योजना में निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर इस तरह के सबस्टेशन का निर्माण पूरा करना होगा:

बशर्ते कि जिन मामलों में सबस्टेशन एक व्यक्तिगत उपभोक्ता को आपूर्ति बढ़ाने के लिए है, लाइसेंसधारक आवेदक से मांग नोट के खिलाफ आवश्यक भुगतान प्राप्त करने के बाद ही सबस्टेशन का निर्माण शुरू कर देगा।

5.54 लाइसेंसधारक को देरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, यदि कोई है, तो आपूर्ति के विस्तार में, जमीन के अधिग्रहण, या उपभोक्ता के दायित्व में देरी के कारण लाइसेंसधारक का कोई उचित नियंत्रण नहीं है।

5.55 यदि आवेदक ने विस्तार कार्य पूरा करने का विकल्प चुना है, तो आवेदक स्व-प्रमाणीकरण या परीक्षण की प्रक्रिया का पालन करेगा समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के प्रावधान:

बशर्ते कि बिजली की स्थापना 11 केवी से अधिक हो, तो आपूर्ति शुरू होने से पहले विद्युत निरीक्षक द्वारा इसकी जांच की आवश्यकता होगी।

बहु उपभोक्ता परिसर को आपूर्ति के लिए प्रक्रिया

5.56 ग्रुप-हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जैसे मल्टी-कंज्यूमर कॉम्प्लेक्स के मामले में, नए कनेक्शन की मांग एलटी पर एकल मीटर के साथ एकल बिंदु पर प्रदान की जाएगी यदि भार 100 केवीए तक है और एचटी पर लोड 100 केवीए से अधिक है। पूरा विद्युत ढांचा पूरा होने तक एक नया कनेक्शन तब तक नहीं दिया जाएगा। लाइसेंसधारक पूरे आंतरिक विद्युत बुनियादी ढांचे और विनियमन 5.35 की पूर्ति के भौतिक रूप से सत्यापन के बाद ही नए कनेक्शन का उत्साह सुनिश्चित करेगा। हालांकि, यह व्यक्तिगत कनेक्शन के लिए आवेदन करने के लिए किसी भी परिसर के व्यक्तिगत मालिक या कब्जे को प्रतिबंधित नहीं करेगा और लाइसेंसधारक ऐसे व्यक्तिगत कनेक्शन मंजूर करेगा। कनेक्शन जारी करने से पहले एक बार एलटी / एचटी कनेक्शन या व्यक्तिगत कनेक्शन रखने का विकल्प, परिचालन समस्या के कारण निरस्त नहीं किया जा सकता है।

यदि किसी भी कनेक्शन के कनेक्टेड / अनुबंधित लोड को 100 से अधिक केवीए होने का अनुमान है, तो उपभोक्ता लागत पर पर्याप्त क्षमता का एक अलग ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा। ट्रांसफार्मर, सबस्टेशन, स्विच गियर, मीटर और पैनलों के आवास के लिए आवश्यक स्थान / कमरा उपभोक्ता द्वारा मुफ्त में प्रदान किया जाएगा, जो लाइसेंसधारक के लिए आसानी से सुलभ है।

कनेक्टेड / अनुबंधित लोड के साथ किसी भी नए कनेक्शन के लिए 100 केवीए भी कम है, उपभोक्ता द्वारा उपभोक्ता की लागत पर अनुरोध किए जाने पर लाइसेंस एक अलग ट्रांसफार्मर स्थापित कर सकता है।

यदि मल्टी-कंज्यूमर कॉम्प्लेक्स में उपभोक्ताओं ने व्यक्तिगत कनेक्शन का लाभ उठाया है, तो लिफ्टों, पानी पंप करने के लिए पंप जैसे सामान्य सेवाओं के लिए ऊर्जा की खपत के लिए अलग कनेक्शन प्रदान किया जाएगा, और ऐसे कनेक्शन की ऐसी खपत उच्चतम स्लैब पर बिल की जाएगी संबंधित टैरिफ श्रेणी के।

पंद्रह मीटर से अधिक की बहु-मंजिला इमारत के लिए 11 केवी से अधिक कनेक्शन के लिए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) के प्रावधानों के अनुसार विद्युत निरीक्षक से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद कनेक्शन जारी किया जाएगा। समय-समय पर संशोधित विनियम, 2010।

5.57 ऐसे मल्टी उपभोक्ता परिसरों के लिए, निर्माता / डेवलपर / समाज / मालिक संघ। सेवा कनेक्शन शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, यानी समय-समय पर आयोग द्वारा अनुमोदित आपूर्ति के बिंदु पर वितरण / ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक के मौजूदा नेटवर्क से सेवा कनेक्शन की लागत।

नोट: डेवलपर / बिल्डर / सोसाइटी / मालिकों एसोसिएशन में कोई एजेंसी शामिल है चाहे सरकार, स्थानीय निकाय या निजी जो बहु उपभोक्ता परिसर का निर्माण करे।

(1) इस आपूर्ति संहिता, 2018 के अध्याय -6 में विस्तृत प्रक्रियाओं के अनुसार उपभोक्ता के परामर्श से मीटर की स्थापना के लिए स्थान तय किया जाना चाहिए।

(2) लिफ्ट, पानी पंप इत्यादि जैसी सामान्य सुविधाओं के लिए कनेक्शन, निर्माता / डेवलपर / समाज / मालिक संघ के नाम पर दिए जाएंगे।

(3) यदि मूल अनुमोदित योजना बहु-उपभोक्ता परिसर के लिए है, लेकिन बिल्डर / डेवलपर / समाज / उपभोक्ता इसके हिस्से के लिए कनेक्शन का लाभ उठाने की इच्छा रखता है, तो कनेक्शन इसे बहु उपभोक्ता परिसर के रूप में पेश किया जाएगा।

(4) यदि कोई भवन बहु-उपभोक्ता परिसर की श्रेणी में आती है और यदि ऐसी इमारत को आपूर्ति देने के लिए पर्याप्त क्षमता का एक अलग वितरण ट्रांसफार्मर आवश्यक है जो पहले प्रदान नहीं किया गया था, तो यह निर्माता / डेवलपर की लागत पर प्रदान किया जाएगा / समाज उपभोक्ता। वैकल्पिक रूप से, यदि लाइसेंसधारी द्वारा आवश्यक पाया गया तो निर्माता / डेवलपर / समाज / उपभोक्ता मौजूदा 11 / 0.4 केवी सबस्टेशन की क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त लागत लेगा।

(5) बहु उपभोक्ता परिसरों को बिजली की आपूर्ति के लिए निर्माता / डेवलपर / समाज उपभोक्ता से मांग की प्राप्ति पर, लाइसेंसधारी इस आपूर्ति संहिता, 2018 के अनुसार आपूर्ति का विस्तार करेगा।

5.58 कृषि / सिंचाई पंप सेट के लिए आपूर्ति के लिए प्रक्रिया

(1) लागू होने वाले क्लॉज 5.2 9 से 5.52 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन कृषि / सिंचाई पंप सेट को आपूर्ति देने के लिए किया जाएगा जहां वितरण लाभों का विस्तार और / या वितरण ट्रांसफार्मर के संवर्द्धन की आवश्यकता नहीं है।

(2) एक बिंदु पर कृषि / सिंचाई पंप सेट की आपूर्ति, एक पंजीकृत सहकारी समिति या लाइसेंसधारक द्वारा मान्यता प्राप्त परिवारों के समूह को भी दी जा सकती है।

(3) यदि परिसर के निरीक्षण पर, यह पाया जाता है कि वितरण लाभ का विस्तार या वितरण ट्रांसफार्मर क्षमता में वृद्धि या अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर आदि प्रदान करना आवश्यक है, लागत-डेटा के अनुसार आवश्यक अनुमान तैयार किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया। वितरण लाइसेंसधारक 33/11 केवी सहित, अपनी लागत पर वितरण प्रणाली के लिए आवश्यक संपूर्ण आधारभूत संरचना को विकसित, निर्माण, संवर्धन और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा। पंप सेट (ओं) के विद्युतीकरण का कार्य उपभोक्ता द्वारा सूचित किए गए राशि के बाद इस आपूर्ति संहिता, 2018 में निर्धारित अवधि के भीतर लिया जाएगा और पूरा किया जाएगा। पहले कनेक्शन के पहले आधार के व्यापक सिद्धांत पर नया कनेक्शन दिया जाएगा। काम पूरा होने के 7 कार्य दिवसों के भीतर,

लाइसेंसधारक उपभोक्ता की स्थापना के परीक्षण की तारीख को सूचित करेगा और उपभोक्ता के परिसर में तारों का निरीक्षण करेगा। यदि लाइसेंसधारी संतुष्ट है, तो कनेक्शन निरीक्षण के 3 कार्य दिवसों के भीतर किया जाएगा।

(4) एक कृषि उपभोक्ता, यदि ऐसा इच्छा है, तो शुल्क के भुगतान के बाद, लाइसेंसधारक की मंजूरी के साथ, उसके परिसर के भीतर अपने कनेक्शन के स्थान को स्थानांतरित कर सकता है।

5.5.9 पब्लिक स्ट्रीट लाइटिंग्स को आपूर्ति के लिए प्रक्रिया

(1) नई या अतिरिक्त सार्वजनिक सड़क रोशनी को बिजली की आपूर्ति के लिए अधिग्रहण नगर निगम या नगर पालिका या नगर बोर्ड या ग्राम पंचायत या स्थानीय निकाय या सरकारी विभाग या किसी अन्य संगठन द्वारा लाइसेंसधारक के स्थानीय कार्यालय को जमा करने के लिए जिम्मेदार होगा सार्वजनिक सड़क रोशनी (यहां 'स्थानीय निकाय' कहलाए जाने के बाद सार्वजनिक सड़क रोशनी के संदर्भ में)।

(2) सार्वजनिक रोशनी के लिए मांग स्थानीय निकाय के संकल्प और स्केच के साथ होगी, जो मौजूदा या नए ध्रुवों की संख्या दर्शाती है, जहां स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता होती है।

(3) फिटिंग, ब्रैकेट या कोई विशेष फिटिंग प्रासंगिक बीआईएस विनिर्देशों या उसके समकक्ष के अनुसार होगी, और मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुसार आवश्यक मंजूरी बनाए रखेगी। स्थानीय निकाय को पूरी तरह से फिटिंग और ब्रैकेट सहित सार्वजनिक स्ट्रीट लाइट्स को बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था की पूरी लागत होगी। यदि कोई विशेष फिटिंग प्रदान की जानी है, तो स्थानीय निकाय इसकी व्यवस्था करेगा।

(4) लाइसेंसधारक आवेदन की तारीख से 20 दिनों के भीतर लिखित में विस्तार की लागत को अंतरित करेगा। यह काम स्थानीय निकाय द्वारा राशि जमा करने और समझौते के निष्पादन के बाद ही लिया जाएगा।

(5) ऊर्जा मीटर और स्ट्रीटलाइट स्विच / एमसीबी / टाइमर रखने के लिए एक उपयुक्त डबल डिब्बे मौसम प्रमाण धातु बॉक्स लाइसेंसधारक द्वारा प्रदान किया जाएगा।

(6) स्ट्रीटलाइट फिटिंग को बनाए रखने और बदलने के लिए नगरपालिका निकाय / स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी होगी और स्ट्रीटलाइट को चालू और बंद कर दें। हालांकि, लाइसेंसधारक भुगतान के आधार पर स्ट्रीटलाइट फिक्स्चर के रख-रखाव कर सकता है। ऐसे रखरखाव शुल्क विविध शुल्क के अनुसूची में शामिल किए जाएंगे।

(7) पब्लिक स्ट्रीट लाइटिंग्स के लिए सभी नई स्थापना, जो इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से 3 महीने के बाद स्थापित की जाएगी, अनिवार्य रूप से ऊर्जा कुशल प्रकार दीपक होगी।

अस्थायी आपूर्ति प्रदान करने की प्रक्रिया

5.60 अस्थायी कनेक्शन एक समय में अधिकतम एक (1) वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा, यदि आवश्यक हो तो आगे बढ़ाया जा सकता है:

बशर्ते कि भवनों (आवासीय और गैर-आवासीय दोनों) के निर्माण के मामले में, जहां समान या अन्य ऐसी परियोजनाओं को पूरा करने में अधिक समय लगेगा, अस्थायी आपूर्ति कनेक्शन दो साल की अवधि के लिए दिया जाएगा, जो हो सकता है यदि आवश्यक हो तो आगे बढ़ाया गया:

बशर्ते कि जब इमारत / परियोजना का कोई भी हिस्सा प्रभावी रूप से पूरा हो गया हो और एक संभावित अधिभोग के लिए पेश किया गया हो, तो ऐसे भवन / भाग के डेवलपर / अधिवासकर्ता लाइसेंसधारक के स्थायी कनेक्शन के लिए इस तरह की तारीख से एक महीने के भीतर लागू होगा प्रभावी समापन / कब्जे की पेशकश। इस तरह के प्रभावी समापन / कब्जे की पेशकश की तारीख के तीन महीने के भीतर अस्थायी कनेक्शन हटा दिया जाएगा।

5.61 एलटी कनेक्शन के लिए, जहां भी तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो, प्रीपेड मीटर के माध्यम से अस्थायी कनेक्शन दिया जा सकता है।

5.62 लाइसेंसधारक निम्नलिखित शर्तों के अधीन 24 घंटे की अवधि के भीतर अस्थायी आपूर्ति दे सकता है:

(1) यदि यह तकनीकी रूप से व्यवहार्य है;

(2) लाइसेंसधारक द्वारा तय किए गए अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर और आयोग द्वारा अनुमोदित।

5.63 आवेदक इस आपूर्ति संहिता, 2018 के विनियम 5.2.9 से 5.34 में निर्धारित दस्तावेजों के साथ-साथ नो-ऑब्जेक्शन के साथ अनुबंध आपूर्ति। या II (लागू होने पर) में निर्धारित प्रारूप में अस्थायी आपूर्ति के लिए आवेदन करेगा। स्थानीय प्राधिकरण से सर्टिफिकेट (एनओसी) यदि स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व वाले किसी स्थान पर आपूर्ति की आवश्यकता होती है, तो आयोग द्वारा अनुमोदित अग्रिम राशि के साथ विविध शुल्क के हिस्से के रूप में .. इस अग्रिम को कार्यों की अनुमानित लागत के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा :

वशर्ते कि परिसर / स्थान पर अस्थायी आपूर्ति की आवश्यकता हो, जहां 100 या अधिक व्यक्ति इकट्ठे होने की संभावना है, आवेदक अधिनियम की धारा 54 के प्रावधानों का पालन करेगा:

वशर्ते कि यदि कनेक्शन के सक्रिय होने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी परमिट / एनओसी को वापस ले लिया जाता है, तो आपूर्ति तत्काल डिस्कनेक्ट हो जाएगी और परमिट / एनओसी बहाल होने के बाद ही इसे फिर से जोड़ा जाएगा।

5.64 लाइसेंसधारक इस आपूर्ति संहिता, 2018 के विनियम 5.35 से 5.45 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार आवेदन पत्र को संसाधित करेगा।

5.65 निरीक्षण के दौरान, लाइसेंसधारी के लिए लागू कनेक्शन की तकनीकी व्यवहार्यता की जांच करेगा। यदि कनेक्शन तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं पाया जाता है, तो लाइसेंसधारक आवेदक को आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद एलटी के लिए 7 कार्य दिवसों और 15 दिनों के भीतर एचटी / ईएचटी कनेक्शन के लिए लिखित रूप में सूचित करेगा, जिसके लिए कारण (ओं) दे रहा है। हालांकि, 20 किलोवाट तक कोई कनेक्शन तकनीकी आधार पर देरी नहीं होगी।

5.66 यदि निरीक्षण / पुनः निरीक्षण पर, कनेक्शन संभव पाया जाता है, तो लाइसेंसधारक इस आपूर्ति संहिता, 2018 के विनियमन 5.47 के अनुसार मांग पत्र जारी करने और जारी करने के लिए जारी करेगा, जिसमें बिजली के लिए अग्रिम शुल्क का अनुमान शामिल है, इस आपूर्ति संहिता, 2018 के विनियमन 5.46 में निर्दिष्ट समयरेखा के भीतर।

5.67 आवेदक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के साथ परीक्षण के दौरान उपस्थित होंगे जिन्होंने स्थापना की थी। यदि लाइसेंसधारी संतुष्ट है, तो लाइसेंसधारक स्पॉट पर एक लिखित पावती जारी करेगा।

5.68 यदि लाइसेंसधारी संतुष्ट नहीं है, तो आवेदक उपभोक्ता स्थापना में दोष / कमी के बारे में, लिखित रूप में, लिखित रूप में सूचित किया जाएगा। दोषियों के सुधार के बाद आवेदक, लाइसेंसधारक को लिखित में अंतरंग करेगा जिसके बाद लाइसेंसधारी इस आपूर्ति संहिता, 2018 के विनियमन 5.55 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा।

5.6.9 उपभोक्ता स्थापना और निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के बाद (पहले टेस्ट के लिए लाइसेंसधारक द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन प्रारंभिक परीक्षण में पाए गए दोष / कमियों के कारण बाद के परीक्षणों का शुल्क लिया जाएगा), यदि उपभोक्ता स्थापना है लाइसेंसधारक द्वारा संतोषजनक पाया गया, लाइसेंसधारक स्पॉट पर एक लिखित पावती जारी करेगा।

5.70 आवेदक द्वारा अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए अनुमानित लागत और अग्रिम शुल्क जमा करने के बाद, और उपभोक्ता स्थापना के संतोषजनक परीक्षण के बाद, अस्थायी कनेक्शन आवेदन पत्र में बताए गए अनुसार की तारीख से जारी किया जाएगा, या नीचे दी गई समय सीमा के अनुसार, जो भी बाद में हो।

तालिका 4: अस्थायी कनेक्शन की रिहाई के लिए समयरेखा:

गतिविधि	द्वीप क्षेत्रों	मुख्य भूमि क्षेत्रों
जहां मौजूदा नेटवर्क से आपूर्ति प्रदान की जा	शहरी क्षेत्र: 6 दिन	शहरी क्षेत्र: 3 दिन

सकती है	ग्रामीण क्षेत्र: 14 दिन	ग्रामीण क्षेत्र: 7 दिन
जहां नेटवर्क के विस्तार / संवर्धन के बाद आपूर्ति प्रदान की जा सकती है	शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों ए) एलटी -60 दिन बी) एचटी-9 0 दिन सी) ईएचटी-180 दिन	शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों: ए) एलटी -30 दिन बी) एचटी-9 0 दिन सी) ईएचटी-180 दिन

5.71 यदि परिसर में बकाया बकाया हैं, तो उपभोक्ता द्वारा इस तरह की देय राशि का भुगतान तब तक अस्थायी कनेक्शन नहीं दिया जाएगा।

5.72 अस्थायी आपूर्ति की अवधि खत्म होने के बाद और आपूर्ति को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, लाइसेंसधारक वास्तविक खपत के आधार पर अंतिम बिल तैयार करेगा। अवैतनिक बकाया समायोजन के बाद उपभोग सुरक्षा, लाइसेंसधारक द्वारा वापस किया जाएगा। भौतिक सुरक्षा (मीटर, ट्रांसफार्मर, आइसोलेटर, इत्यादि) को नुकसान पहुंचाने और आरोपों को खत्म करने के बाद सामग्री सुरक्षा भी वापस कर दी जाएगी, जो सामग्री सुरक्षा के 10% से अधिक नहीं होगी। इन प्रतिभूतियों की वापसी डिस्कनेक्शन की तारीख से 15 दिनों के भीतर की जाएगी, जिससे विफलता आयोग द्वारा जारी किए गए प्रचलित टैरिफ आदेश के अनुसार देर से भुगतान अधिभार के बराबर दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

5.73 अस्थायी आपूर्ति की अवधि के विस्तार के लिए, उपभोक्ता लाइसेंसधारक को अस्थायी आपूर्ति की समाप्ति की तारीख से कम से कम 7 कार्य दिवस लिखने पर लागू होगा। लाइसेंसधारक विस्तार प्रदान कर सकता है और उपभोक्ता को लिखित अनुरोध प्राप्त करने के 7 कार्य दिवसों के भीतर विस्तार की अवधि के लिए अग्रिम बिजली शुल्क की मांग नोट भेज सकता है। एक ही लोड के लिए अस्थायी आपूर्ति की अवधि के विस्तार के लिए, कोई ताजा व्यवहार्यता रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी।

5.74 आवेदक को शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति शुरू होने की मूल रूप से स्वीकृत तिथि से कम से कम 4 दिन पहले लाइसेंसधारक को आवेदन करके मूल स्वीकृति की तारीख से 9 0 दिनों के बाद की तारीख तक विस्तारित अस्थायी आपूर्ति का लाभ प्राप्त करने की तारीख मिल सकती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 8 दिन पहले।

5.75 अस्थायी कनेक्शन का अनुदान स्थायी कनेक्शन का दावा करने के लिए आवेदक के पक्ष में अधिकार नहीं बनाता है, जो अधिनियम के प्रावधानों और इस आपूर्ति संहिता, 2018 द्वारा शासित होगा।

मौजूदा कनेक्शन में संशोधन के लिए प्रक्रिया

आवेदन पत्र

5.76 आवेदक इस आपूर्ति संहिता, 2018 के अनुलग्नक में दिए गए अनुसार निम्नलिखित प्रारूप में मौजूदा कनेक्शन में संशोधन के लिए आवेदन करेगा:

- (1) स्वामित्व / अधिभोग में परिवर्तन के कारण पंजीकृत ग्राहक के नाम पर परिवर्तन के लिए आवेदन प्रारूप - अनुलग्नक IV
- (2) कानूनी उत्तराधिकारी के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन प्रारूप - अनुलग्नक V
- (3) सेवाओं के रूपांतरण / उपभोक्ता श्रेणी / परिसर के स्थानांतरण के लिए आवेदन प्रारूप - अनुलग्नक VI
- (4) भार वृद्धि / कमी के लिए आवेदन प्रारूप - अनुलग्नक VII

अंग्रेजी और हिंदी में 5.77 आवेदन पत्र लाइसेंसधारक के स्थानीय कार्यालय में मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे। लाइसेंसधारक मुफ्त डाउनलोड के लिए अपनी वेबसाइट पर सभी आवेदन पत्र भी लगाएगा। एक खाली रूप की वैध फोटोकॉपी उपभोक्ता द्वारा बनाई जा सकती है और लाइसेंसधारक द्वारा स्वीकार की जाएगी। लाइसेंसधारक अपनी वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से उन कार्यालयों के पते और टेलीफोन नंबर प्रदर्शित करेगा जहां भरे हुए आवेदन पत्र जमा किए जा सकते हैं। लाइसेंसधारक प्रत्येक कार्यालय में कार्यालय के पते और

टेलीफोन नंबरों को आपूर्ति के संबंधित क्षेत्र में भी प्रदर्शित करेगा जहां उस विशेष क्षेत्र से संबंधित भरे हुए आवेदन पत्र जमा किए जा सकते हैं। फॉर्म भरने में आवश्यक कोई भी सहायता या जानकारी लाइसेंसधारक के स्थानीय कार्यालय में आवेदकों को प्रदान की जाएगी।

5.78 लाइसेंसधारक वेबसाइट, कॉल सेंटर इत्यादि के माध्यम से नए कनेक्शन या मौजूदा कनेक्शन में संशोधन के लिए आवेदन करने के लिए ऐसे मार्गों को सुविधाजनक बनाएगा या प्रदान करेगा, जो प्रक्रिया के दौरान उपयोगिता के साथ आवेदक के इंटरफेस को कम करता है।

5.7 9 यदि मौजूदा आवेदक के नाम पर कनेक्शन पंजीकृत है, तो मौजूदा कनेक्शन में परिवर्तन के लिए सभी आवेदन पत्र आवेदक के पहचान प्रमाण के साथ इस आपूर्ति संहिता, 2018 के विनियमन 5.2 9 के अनुसार होना चाहिए; या उस व्यक्ति से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) जिसका नाम कनेक्शन पंजीकृत है, अगर कनेक्शन आवेदक के नाम पर पंजीकृत नहीं है।

प्रसंस्करण आवेदन पत्र

5.80 लाइसेंसधारक संलग्न दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र की पुष्टि करेगा और यदि कम पाया गया है, तो आवेदन पत्र में कमियों के बारे में स्पॉट पर एक लिखित नोट जारी करेगा। यदि आवेदन पत्र पूरा हो गया है, तो लाइसेंसधारक अपनी रसीद को स्पॉट पर स्वीकार करेगा।

5.81 लाइसेंसधारक आवेदन रजिस्टर / डेटाबेस में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का स्थायी रिकॉर्ड बनाए रखेगा। प्रत्येक आवेदन पत्र को उस क्रम में क्रमशः एक स्थायी आवेदन संख्या (पहचान के लिए) आवंटित की जाएगी। लाइसेंसधारी रजिस्ट्रों / डेटाबेस को प्रत्येक आवेदन पत्र के निपटारे के चरण-वार स्थिति के साथ अद्यतन रखेगा। लाइसेंसधारक आवेदन रजिस्टर / डेटाबेस में धारावाहिक प्राथमिकता के अनुसार "पहले आओ, पहले परोसा गया" आधार के व्यापक सिद्धांत पर आवेदन पत्रों से निपटेंगे।

5.82 आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप में आपूर्ति की मांग की उपभोक्ता की प्राप्ति की प्राप्ति की तारीख, सभी मामलों में पूर्ण और सभी प्रासंगिक दस्तावेजों से जुड़ी एक आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा।

5.83 आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद, इस आपूर्ति संहिता, 2018 के अनुलग्नक XVIII के अनुसार सुरक्षा जमा सहित सभी लागू शुल्कों की प्राप्ति की तारीख को एक आवेदन प्राप्त किया जाएगा।

5.84 लाइसेंसधारक नीचे दिए गए अनुसार मौजूदा कनेक्शन में परिवर्तन के लिए आवेदन पत्रों को संसाधित करेगा।

कनेक्शन का स्थानांतरण

5.85 उपभोक्ता वितरण लाइसेंसधारक के साथ निष्पादित समझौते के लाभ के साथ वितरण लाइसेंसधारक असाइन, हस्तांतरण या भाग के लिखित में पूर्व सहमति के बिना नहीं होगा और न ही किसी भी तरीके से किसी भी आंशिक या अलग ब्याज के साथ भाग लेगा या तैयार करेगा।

5.86 उपभोक्ता की मृत्यु पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर या कनेक्शन के स्वामित्व या कब्जे के हस्तांतरण के मामले में अनुबंध को IV या V में दिए गए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र दर्ज करने पर एक कनेक्शन को स्थानांतरित किया जा सकता है (जैसा लागू हो) नए मालिक या कब्जे वाले नाम बदलने के लिए;

बशर्ते कि नाम के इस तरह के परिवर्तन से आवेदक को वर्तमान स्थान से कनेक्शन को स्थानांतरित करने की आवश्यकता न हो।

5.87 लाइसेंसधारक नीचे विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार संपत्ति के स्वामित्व / कब्जे में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन से संबंधित अनुप्रयोगों से निपटेंगे।

(1) आवेदक इस आपूर्ति संहिता, 2018 में अनुलग्नक IV में निर्धारित प्रारूप में उपभोक्ता के नाम के परिवर्तन के लिए आवेदन करेगा, साथ ही भुगतान किए गए नवीनतम बिल की एक प्रति के साथ। कनेक्शन के हस्तांतरण के लिए अनुरोध तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित कनेक्शन के खिलाफ वसूल करने योग्य सभी बकाया नहीं सुलझाए जाते हैं। संपत्ति के स्वामित्व / कब्जे के सबूत दिखाने पर आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। पंजीकृत उपभोक्ता / अधिकृत व्यक्ति / परिसर के पिछले अधिवास से "कोई आपत्ति प्रमाण

पत्र" आवेदक के नाम पर सुरक्षा जमा के हस्तांतरण से जुड़े मामलों के लिए आवश्यक नहीं होगा। लाइसेंसधारी इस आपूर्ति संहिता, 2018 के नियम 5.80 से 5.83 के अनुसार आवेदन पत्र को संसाधित करेगा।

(2) यदि पंजीकृत उपभोक्ता / अधिकृत व्यक्ति / पिछले व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति प्रमाण पत्र सबमिट नहीं किया गया है, तो नाम बदलने के लिए एक आवेदन पत्र केवल तभी मनोरंजन किया जाएगा जब इस आपूर्ति संहिता, 2018 में निर्धारित सुरक्षा जमा को फिर से भुगतान किया जाता है। हालांकि, मूल सुरक्षा जमा दावेदार को वापस कर दिया जाएगा जब संबंधित व्यक्ति द्वारा दावा को प्राथमिकता दी जाती है।

(3) आवेदन पत्र की स्वीकृति के बाद उपभोक्ता के नाम का परिवर्तन दो बिलिंग चक्रों के भीतर प्रभावी होगा।

5.88 लाइसेंसधारक उपभोक्ता के नाम के हस्तांतरण से संबंधित आवेदनों के अनुसार कानूनी वारिस को नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार सौदा करेगा:

(1) आवेदक इस आपूर्ति संहिता, 2018 में अनुलग्नक वी में निर्धारित प्रारूप में उपभोक्ता के नाम के परिवर्तन के लिए आवेदन करेगा, जिसमें भुगतान किए गए नवीनतम बिल की एक प्रति है। आवेदन पत्र पंजीकृत इच्छा / कार्य, उत्तराधिकार / कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र, नगरपालिका / भूमि अभिलेखों में उत्परिवर्तन या कानूनी उत्तराधिकारी के किसी भी अन्य प्रमाण को दिखाने पर स्वीकार किया जाएगा। लाइसेंसधारी इस आपूर्ति संहिता, 2018 के नियम 5.7 9 से 5.83 के अनुसार आवेदन पत्र को संसाधित करेगा।

(2) मूल उपभोक्ता के नाम पर लाइसेंसधारक के साथ झूठ बोलने वाली सुरक्षा जमा को उसके कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित किया जाएगा, जिसके लिए कनेक्शन स्थानांतरित किया जाना है और सुरक्षा जमा में कमी की गणना इस आपूर्ति संहिता, 2018 के अनुलग्नक XVIII में निर्दिष्ट है, यदि कोई भी आवेदक द्वारा देय होगा।

(3) आवेदन की स्वीकृति के बाद उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन दो बिलिंग चक्रों के भीतर प्रभावी होगा।

(4) बिजली के लिए कोई शुल्क या बिजली के लिए शुल्क के अलावा किसी अन्य राशि के रूप में लाइसेंसधारक के लिए देय और देय है, जो किसी मृत उपभोक्ता या किसी भी भूमि / परिसर के पूर्व मालिक / कब्जे वाले मामले के रूप में भुगतान नहीं किया जाता है, एक चार्ज होगा कानूनी प्रतिनिधि / उत्तराधिकारी को प्रसारित आधार पर या आधार के नए मालिक को हस्तांतरित किया जा सकता है, और इसी तरह के कानूनी प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी के कारण लाइसेंसधारक द्वारा वसूली योग्य होगी या परिसर के नए मालिक / कब्जे के मामले के रूप में हो सकता है।

सेवाओं का रूपांतरण

5.8 9 आवेदक इस आपूर्ति संहिता, 2018 में अनुलग्नक VI में दिए गए प्रारूप में अपने मौजूदा कनेक्शन की प्रकृति के रूपांतरण के लिए आवेदन करेगा। लाइसेंसधारक इस आपूर्ति संहिता, 2018 के विनियम 5.80 से 5.83 के अनुसार आवेदन पत्र को संसाधित करेगा। साइट निरीक्षण और जारी करने और काम की अनुमानित लागत के लिए मांग नोट का भुगतान, लाइसेंसधारक और आवेदक दोनों इस आपूर्ति संहिता, 2018 के विनियम 5.40 से 5.51 में निर्धारित प्रक्रिया और समय-सारिणी का पालन करेंगे। आवेदक द्वारा आवश्यक शुल्क के भुगतान के बाद, लाइसेंसधारक निम्नलिखित सेवाओं के भीतर निम्न तनाव से उच्च तनाव या इसके विपरीत, और एकल चरण से तीन चरण या इसके विपरीत, मौजूदा सेवाओं के रूपांतरण के लिए आवेदनों को प्रभावी करेगा:

तालिका 5: सेवाओं के रूपांतरण के लिए समयरेखा:

	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
एलटी एकल चरण से एलटी 3-चरण या इसके विपरीत में रूपांतरण	उपभोक्ता द्वारा आवश्यक शुल्क के भुगतान से दो बिलिंग चक्रों के भीतर	उपभोक्ता द्वारा आवश्यक शुल्क के भुगतान से दो बिलिंग चक्रों के भीतर

एलटी से एचटी या इसके विपरीत में रूपांतरण	उपभोक्ता द्वारा आवश्यक शुल्क के भुगतान से दो बिलिंग चक्रों के भीतर	उपभोक्ता द्वारा आवश्यक शुल्क के भुगतान से दो बिलिंग चक्रों के भीतर
एचटी से ईएचटी या इसके विपरीत में रूपांतरण	उपभोक्ता द्वारा आवश्यक शुल्क के भुगतान से चार बिलिंग चक्रों के भीतर	उपभोक्ता द्वारा आवश्यक शुल्क के भुगतान से चार बिलिंग चक्रों के भीतर

5.90 लाइसेंसधारक, निर्दिष्ट अवधि के भीतर, उपरोक्त अनुसूची को पूरा नहीं किया जा सकता है, समय सीमा के विस्तार के लिए आयोग की मंजूरी लेना चाहिए।

मीटर / मौजूदा कनेक्शन का स्थानांतरण

5.9 1 आवेदक मौजूदा परिसर में सेवा कनेक्शन को स्थानांतरित करने या अनुलग्नक VI में निर्धारित प्रारूप में मौजूदा लाइनों के विचलन के लिए इस आपूर्ति संहिता, 2018 में आवेदन करने के लिए आवेदन करेगा। लाइसेंसधारक इस आपूर्ति के नियम 5.7 9 से 5.83 के अनुसार आवेदन पत्र को संसाधित करेगा संहिता, 2018. साइट निरीक्षण और जारी करने और कार्यों की अनुमानित लागत के लिए मांग नोट के भुगतान के लिए, लाइसेंसधारी और आवेदक इस आपूर्ति संहिता, 2018 के विनियम 5.40 से 5.51 में निर्धारित प्रक्रिया और समय-सारिणी का पालन करेंगे।

5.92 लाइसेंसधारक द्वारा अनुमानित राशि देने और कार्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित समय सारिणी मनाई जाएगी:

(1) मीटर / सेवा लाइन / एलटी / एचटी लाइनों / ट्रांसफार्मर का स्थानांतरण: उपभोक्ता को अनुमानित राशि देने के लिए और उपभोक्ता के 30 दिनों के भीतर राशि जमा करने के लिए 30 दिनों के भीतर;

5.93 उपभोक्ता द्वारा किए गए किसी भी अतिरिक्त / कमी भुगतान को बाद के दो बिलों में समायोजित किया जाएगा।

उपभोक्ता श्रेणी का पुनर्मूल्यांकन

5.9 4 यदि यह पाया जाता है कि एक उपभोक्ता को किसी विशेष श्रेणी में गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया है, या अनुबंध में उल्लिखित आपूर्ति का उद्देश्य अन्य टैरिफ श्रेणी में बदल गया है, या बिजली की खपत आयोग के आदेश के अनुसार उस श्रेणी की सीमा से अधिक हो गई है, लाइसेंसधारक उचित श्रेणी के तहत उपभोक्ता को पुनः वर्गीकृत करने पर विचार कर सकता है। उपभोक्ता को नोटिस के माध्यम से प्रस्तावित पुनः वर्गीकरण के बारे में सूचित किया जाएगा और अगर आपत्तियां दायर करने के लिए 30 दिनों की नोटिस अवधि दी जाएगी। लाइसेंसधारक, उपभोक्ता के उत्तर के उचित विचार के बाद, यदि कोई हो, तो उत्तर प्राप्त होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर वर्गीकरण को बदल सकता है। किसी भी विवाद के मामले में, उपभोक्ता उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम से संपर्क कर सकता है।

5.9 5 यदि कोई उपभोक्ता अपनी उपभोक्ता श्रेणी को बदलना चाहता है, तो उपभोक्ता इस आपूर्ति संहिता, 2018 में अनुलग्नक VI में दिए गए प्रारूप में लाइसेंसधारक को आवेदन पत्र जमा करेगा। लाइसेंसधारक आवेदन पत्र को विनियमन 5.7 9 से 5.83 के अनुसार संसाधित करेगा यह आपूर्ति संहिता, 2018. साइट निरीक्षण और जारी करने और कार्यों की अनुमानित लागत के लिए मांग नोट के भुगतान के लिए, लाइसेंसधारक और आवेदक इस आपूर्ति संहिता, 2018 के विनियम 5.40 से 5.51 में निर्धारित प्रक्रिया और समय-सारिणी का पालन करेंगे। लाइसेंसधारक निरीक्षण के समय मीटर पढ़ने को भी नोट करेगा। यदि निरीक्षण पर, पुनः वर्गीकरण के लिए उपभोक्ता का अनुरोध मान्य पाया जाता है, तो लाइसेंसधारी आवेदन की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर श्रेणी बदल देगा।

5.9 6 यदि लाइसेंसधारक को पुनः वर्गीकरण के लिए अनुरोध नहीं मिलता है, तो यह आवेदक को लिखित रूप में सूचित करेगा, जिसके लिए निरीक्षण की तारीख से 10 दिनों के भीतर, कारण (कारण) देना होगा।

5.9 7 जिस अवधि में पुनर्वितरण के लिए उपभोक्ता का आवेदन लंबित है, उपभोक्ता बिजली के अनधिकृत उपयोग के आधार पर किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

लोड संवर्द्धन

5.98 आवेदक इस आपूर्ति संहिता, 2018 में अनुलग्नक VII में निर्धारित प्रारूप में लाइसेंसधारक को लोड एन्हांसमेंट के लिए आवेदन करेंगे। लाइसेंसधारक इस आपूर्ति संहिता, 2018 के नियम 5.7 9 से 5.83 के अनुसार आवेदन पत्र को संसाधित करेगा। साइट निरीक्षण के लिए, जारी करना और काम की अनुमानित लागत के लिए मांग नोट का भुगतान, लाइसेंसधारक और आवेदक दोनों इस आपूर्ति संहिता, 2018 के विनियम 5.40 से 5.51 में निर्धारित प्रक्रिया और समय-सारिणी का पालन करेंगे। उपभोक्ता वेबसाइट से स्व-घोषणा फॉर्म पुनर्प्राप्त कर सकता है लाइसेंसधारक या लाइसेंसधारक के कार्यालय से इसे इकट्ठा करता है, अगर उपभोक्ता को किसी भी समय लोड में वृद्धि / कमी करना है।

5.99 यदि निरीक्षण पर, कोई दोष नहीं मिला है, या फिर से निरीक्षण पर, पहले देखा गया दोष हटा दिया गया है, लाइसेंसधारक अतिरिक्त भार लागू करने के लिए स्वीकृति देगा, और स्वीकृति के तहत लिखित में एक मांग नोट जारी करेगा नीचे निर्दिष्ट समयरेखा:

तालिका 6: अतिरिक्त लोड के लिए मांग नोट बढ़ाने के लिए समयरेखा

एस नं।	मद	समय सीमा (भीतर)
1	100 केवीए तक कुल भार	आवेदन की प्राप्ति के 10 दिन
2	100 केवीए से ऊपर और 4000 केवीए तक कुल भार	आवेदन की प्राप्ति के 15 दिन
3	4000 केवीए से ऊपर कुल भार	आवेदन की प्राप्ति के 30 दिन

बशर्ते आवेदक के परिसर में पाए गए दोष / कमियों को हटाने में आवेदक द्वारा लिया गया समय ऊपर निर्दिष्ट समयरेखा में शामिल नहीं किया जाएगा। इस आपूर्ति संहिता, 2018 के विनियमन 5.52 में निर्दिष्ट अनुसार सीमा रेखा के अधीन आधारभूत संरचना को बढ़ाने के लिए लाइसेंसधारक द्वारा लिया गया समय शामिल नहीं होगा।

5.100 उपभोक्ता को मांग नोट के साथ भेजे गए लाइसेंसधारक की लिखित सूचना निम्नलिखित को कवर करेगी:

- (1) क्या मौजूदा बिजली मौजूदा वोल्टेज पर या उच्च वोल्टेज पर आपूर्ति की जा सकती है;
- (2) सिस्टम में किए जाने वाले खर्च और उपभोक्ता द्वारा खर्च की जाने वाली लागत, यदि कोई हो, तो जोड़ या परिवर्तन, यदि कोई हो;
- (3) अतिरिक्त सुरक्षा जमा की राशि, अतिरिक्त बुनियादी ढांचे की लागत और प्रणाली को मजबूत करने के आरोप या क्षमता निर्माण शुल्क, यदि कोई हो, जमा किया जाना है; तथा
- (4) यदि आवश्यक हो तो उपभोक्ता के वर्गीकरण और टैरिफ की प्रयोज्यता में परिवर्तन।

5.101 यदि उपभोक्ता लाइसेंसधारक की देनदारियों के भुगतान के बकाया है तो भार बढ़ाने के लिए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि, यदि आवेदन के न्यायालय, या आयोग द्वारा नियुक्त आयोग या प्राधिकरण द्वारा बकाया भुगतान का भुगतान किया गया है तो आवेदन पत्र स्वीकार किया जा सकता है।

5.102 यदि बढ़ाया भार की आपूर्ति व्यवहार्य है, तो उपभोक्ता:

- (1) मांग सुरक्षा प्राप्त होने के 15 कार्य दिवसों के भीतर, अतिरिक्त सुरक्षा जमा, अतिरिक्त लागत या सिस्टम में किए जाने वाले बदलाव, यदि कोई हो, और सिस्टम मजबूती शुल्क / क्षमता निर्माण शुल्क, यदि कोई हो, का भुगतान करें;
- (2) एक पूरक समझौते का निष्पादन।

5.103 बढ़ाया भार की आपूर्ति इस आपूर्ति संहिता, 2018 के विनियमन 5.52 में निर्दिष्ट समयरेखा के अनुपालन में प्रदान की जाएगी।

5.104 यदि उपभोक्ता लाइसेंसधारी की कार्यवाही या चूक से पीड़ित है, तो उपभोक्ता अपनी शिकायत के निवारण के लिए संबंधित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) को अपना प्रतिनिधित्व दे सकता है।

5.105 यदि उपरोक्त तालिका 6 में उल्लिखित अवधि के भीतर लाइसेंसधारक द्वारा आवेदन का निर्णय नहीं लिया जाता है, तो आवेदक, लाइसेंसधारक को लिखित नोटिस द्वारा, इस मामले पर अपना ध्यान आकर्षित कर सकता है और फिर भी यदि उसे आगे की अवधि में कोई निर्णय नहीं दिया जाता है 15 दिनों में, अनुबंध मांग में वृद्धि के लिए अनुमति दी गई समझा जाएगा।

5.106 लोड की वृद्धि उस तारीख से प्रभावी होगी जिस पर लाइसेंसधारक द्वारा बढ़ाया गया भार जारी किया गया है या समझा गया अनुमति दी गई है।

लोड कमी

5.107 भार में कमी के लिए आवेदन 100 केवीए तक कनेक्शन के लिए मूल ऊर्जा से छह महीने के बाद और 100 केवीए से ऊपर कनेक्शन के लिए मूल ऊर्जा से 1 (एक) वर्ष के बाद स्वीकार किया जाएगा।

5.108 आवेदक निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ इस आपूर्ति संहिता, 2018 में अनुलग्नक VII में निर्धारित प्रारूप में लाइसेंसधारक को लोड में कमी के लिए आवेदन करेगा:

(1) कार्य पूरा करने के प्रमाण पत्र और एक लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार से परीक्षण रिपोर्ट के साथ विद्युतीय स्थापना के संशोधन / संशोधन / परिवर्तन का विवरण जहां स्थापना में बदलाव शामिल है;

(2) अनुबंध मांग में कमी के लिए कोई अन्य कारण (ओं)।

5.10 9 लाइसेंसधारी इस आपूर्ति संहिता, 2018 के विनियम 5.7 9 से 5.83 के अनुसार आवेदन पत्र को संसाधित करेगा। साइट निरीक्षण के लिए, लाइसेंसधारक और आवेदक दोनों इस आपूर्ति संहिता के विनियम 5.40 से 5.45 में निर्धारित प्रक्रिया और समय-सारिणी का पालन करेंगे, 2018।

5.110 लाइसेंसधारक आवेदन में बताए गए भार में कमी के आधार पर विचार करेगा, निरीक्षण के दौरान उसे सत्यापित करेगा और निरीक्षण से 10 कार्य दिवसों की अवधि के भीतर आवेदन का निर्णय लेगा। यदि उपभोक्ता लाइसेंसधारी की कार्यवाही या चूक से पीड़ित महसूस करता है, तो उपभोक्ता संबंधित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) को अपना प्रतिनिधित्व दे सकता है।

5.111 लाइसेंसधारक उपभोक्ता को विनियमन 5.46 में निर्दिष्ट समयरेखा के अनुसार, स्वीकृति के तहत, लिखित रूप में एक मांग नोट जारी करेगा, और इसके बाद, लाइसेंसधारक और आवेदक विनियम 5.47 से 5.51 में निर्धारित प्रक्रिया और समय-सारिणी का पालन करेंगे। यह आपूर्ति संहिता, 2018।

5.112 यदि निरीक्षण से 10 दिनों की उपर्युक्त अवधि के भीतर लाइसेंसधारक द्वारा आवेदन का निर्णय नहीं लिया जाता है, तो आवेदक, लाइसेंसधारक को लिखित नोटिस द्वारा, इस मामले पर अपना ध्यान आकर्षित कर सकता है। यदि 15 दिनों की अवधि के भीतर उपभोक्ता को कोई निर्णय नहीं दिया जाता है, तो अनुबंध मांग में कमी के लिए अनुमति दी जाएगी।

5.113 लोड कमी से उत्पन्न सुरक्षा जमा में कोई अंतर उपभोक्ता के बाद के दो बिलों में समायोजित किया जाएगा।

5.114 लोड की कमी माह के पहले दिन से उस महीने के बाद प्रभावी होगी जब स्वीकृति को सूचित किया जाता है या अनुमति माना जाता है।

अनुबंध मांग की वार्षिक समीक्षा

5.115 एचटी और ईएचटी कनेक्शन के मामले में, यदि पिछले वित्त वर्ष के दौरान अधिकतम मांग कम से कम चार बार अनुबंध की मांग से अधिक 5% या उससे अधिक हो गई है, तो लाइसेंसधारक उपभोक्ता को 30-दिन का नोटिस जारी करेगा लोड बढ़ाने के लिए आवेदन पत्र जमा करने के लिए। यदि नोटिस अवधि के अंत तक उपभोक्ता से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, तो लाइसेंसधारक उपभोक्ता के अधिकतम मांग

संकेतकों (एमडीआई) मीटर द्वारा दिखाए गए अधिकतम मांग के चार रिकॉर्डिंग के औसत के उपभोक्ता की अनुबंध मांग को बढ़ाने के लिए प्रक्रिया शुरू करेगा। पिछले वित्तीय वर्ष। एलटी कनेक्शन के मामले में, एमडीआई मीटर से लैस कनेक्शन के लिए इसी तरह की समीक्षा की जाएगी।

5.116 सभी नए एचटी और ईएचटी कनेक्शन के लिए सभी वितरण लाइसेंसों द्वारा एमडीआई सुविधा के साथ ऊर्जा मीटर स्थापित किए जाने हैं। यदि उपभोक्ता की स्थापना में मीटर का अधिकतम मांग संकेतक दोषपूर्ण पाया जाता है या रिकॉर्डिंग नहीं करता है (जब तक छेड़छाड़ नहीं किया जाता है), मांग शुल्क की गणना पिछले वर्ष के इसी महीने / बिलिंग चक्र के दौरान अधिकतम मांग के आधार पर की जाएगी, जब मीटर कार्यात्मक और सही ढंग से रिकॉर्डिंग था। यदि पिछले वर्ष के इसी महीने / बिलिंग चक्र की रिकॉर्ड की अधिकतम मांग भी उपलब्ध नहीं है, तो आपूर्ति कोड, 2018 के अनुलग्नक XVIII के अनुसार लोड फैक्टर को लागू करके अधिकतम मांग की गणना की जानी चाहिए।

5.117 लाइसेंसधारक और आवेदक इस आपूर्ति संहिता, 2018 के नियम 5.35 से 5.50 के अनुसार कार्यों की अनुमानित लागत के लिए आवेदन पत्र, साइट निरीक्षण और मांग नोट की स्वीकृति के संबंध में प्रक्रिया और समय सारिणी का पालन करेंगे। उन्नत आपूर्ति होगी इस आपूर्ति संहिता, 2018 के विनियमन 5.52 के अनुसार जारी किया गया।

5.118 यदि उपभोक्ता लाइसेंसधारी की कार्रवाई या चूक से पीड़ित है, तो उपभोक्ता अपनी शिकायत के निवारण के लिए संबंधित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) को अपना प्रतिनिधित्व दे सकता है।

समझौते का निष्पादन

5.119 लाइसेंसधारक को आवेदक को नाम बदलने के लिए, और आपूर्ति शुरू होने से पहले स्वीकृत भार में वृद्धि या कमी के लिए नए कनेक्शन प्राप्त करने के लिए एक समझौते को निष्पादित करने की आवश्यकता हो सकती है।

5.120 समझौता फॉर्म आवेदन पत्र के साथ लाइसेंसधारी द्वारा प्रदान किया जाएगा और लाइसेंसधारक की वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए भी उपलब्ध होगा।

समझौते में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (1) उपभोक्ता / आवेदक का नाम और पता;
- (2) परिसर का पता जिसके लिए बिजली की आपूर्ति की मांग की गई है और जिसके लिए समझौते को निष्पादित किया जा रहा है;
- (3) स्वीकृत भार / अनुबंध की मांग;
- (4) बिजली के उपयोग का उद्देश्य;
- (5) आवेदक / उपभोक्ता द्वारा घोषणा:

ए) अधिनियम और इस आपूर्ति संहिता, 2018 के प्रावधानों का पालन करना;

बी) मौजूदा टैरिफ दरों के आधार पर बिजली की आपूर्ति के लिए भुगतान करना;

सी) इस आपूर्ति संहिता, 2018 और समय-समय पर आयोग द्वारा अनुमोदित लाइसेंसधारक के विविध शुल्क की अनुसूची के अनुसार देय अन्य सभी शुल्कों का भुगतान करना;

डी) इस तरह के सुरक्षा धन जमा करने के लिए लाइसेंसधारक अधिनियम और इस आपूर्ति संहिता, 2018 के तहत उससे पुनर्प्राप्त करने का हकदार हो सकता है;

5.121 यदि बिजली की आपूर्ति शुरू होने के बाद वितरण लाइसेंसधारक और उपभोक्ता के बीच कोई अलग लिखित समझौता नहीं है, तो उपभोक्ता को आपूर्ति संहिता, 2018 के नियमों और शर्तों से बंधे माना जाएगा। उपभोक्ता निविदा से इनकार नहीं करेगा आपूर्ति के शुरू होने के तीस दिनों के भीतर वितरण लाइसेंसधारक द्वारा आवश्यक एक समझौता। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए उपभोक्ता की विफलता पर, यह उचित नोटिस देने और ऐसे परिसर में आपूर्ति को डिस्कनेक्ट करने के प्रतिनिधित्व के अवसर के बाद वितरण

लाइसेंसधारक के लिए खुला होगा। हालांकि, वितरण लाइसेंसधारक इस तरह के उपभोक्ता द्वारा अनुबंध के निष्पादन पर तुरंत आपूर्ति बहाल करेगा।

5.122 यदि कोई उपभोक्ता नई या अतिरिक्त आपूर्ति के शुरू होने के 2 साल की अवधि के भीतर अपने अनुबंध को समाप्त करता है (या जहां कोई औपचारिक समझौता नहीं किया जाता है, तो आपूर्ति का उपयोग 2 वर्षों की अवधि के लिए नहीं किया जाता है, जो एक समझौते पर लागू होता निविदा दी गई है), उपभोक्ता 2 साल की अवधि से कम प्रत्येक महीने के लिए निश्चित / न्यूनतम शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

5.123 निष्पादित समझौते की एक प्रति उपभोक्ता / आवेदक को दी जाएगी।

कनेक्टेड लोड के निर्धारण के लिए आपूर्ति की सामान्य शर्तें

5.124 कनेक्टेड लोड के निर्धारण की विधि अनुलग्नक VIII के अनुसार इस आपूर्ति संहिता, 2018 में होगी।

आपूर्ति की बात

5.125 उपभोक्ता के परिसर में एक बिंदु पर आपूर्ति दी जाएगी। आपूर्ति का बिंदु लाइसेंसधारक द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि मीटर और अन्य उपकरण हमेशा उपभोक्ता की गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना निरीक्षण के लिए लाइसेंसधारक के लिए सुलभ होते हैं। सभी एचटी और ईएचटी उपभोक्ता मीटर या मीटरिंग क्यूबिकल को स्वतंत्र प्रवेश प्रदान करेंगे। हालांकि, विशेष मामलों में, लाइसेंसधारक अलग भौतिक लेआउट और स्थापना के तारों और उपभोक्ता की आवश्यकताओं के कारण उपभोक्ता की स्थापना में एक से अधिक बिंदुओं पर आपूर्ति देने के लिए सहमत हो सकता है।

5.126 आपूर्ति शुरू होने के समय उपभोक्ता मुख्य स्विच / सर्किट ब्रेकर प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, एचटी और ईएचटी उपभोक्ता समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के प्रावधानों के अनुसार उचित सुरक्षात्मक उपकरण भी प्रदान करेंगे। आपूर्ति की शुरुआत से पहले लाइसेंस प्रणाली द्वारा सुरक्षा प्रणाली को मंजूरी देनी होगी। मीटर, एमसीबी / सीबी और संबंधित उपकरण लाइसेंसधारक द्वारा आपूर्ति के बिंदु पर स्थापित किए जाएंगे।

5.127 एचटी और ईएचटी उपभोक्ता एक वेक्टर समूह के साथ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्थापित करेंगे, जिसमें उच्च वोल्टेज पक्ष पर डेल्टा घुमाएगा और कम वोल्टेज तरफ घुमाएगी स्टार, तटस्थ टर्मिनल लाया जाएगा और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार ठोस रूप से शुरू किया जाएगा (इससे संबंधित उपाय सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति) विनियम, 2010 और समय-समय पर संशोधित।

5.128 मीटर, मीटर बोर्ड, सेवा प्रमुख, एमसीबी / सीबी, लोड सीमाएं इत्यादि, किसी भी खाते द्वारा लाइसेंसधारक के अधिकृत कर्मचारी / प्रतिनिधि नहीं होने पर किसी भी खाते को संभाला या हटाया जाना चाहिए। मीटर / मीटरिंग उपकरण, लोड सीमाओं और लाइसेंसधारी के उपकरण पर तय किए गए जवानों को किसी भी खाते को क्षतिग्रस्त, क्षतिग्रस्त या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता के परिसर में मीटर / मीटरिंग उपकरण पर सुरक्षित हिरासत, लाइसेंसधारक के उपकरण और मुहरों को रखने के लिए उपभोक्ता की जिम्मेदारी है।

5.129 किसी भी अधिनियम, उपभोक्ता या उसके कर्मचारियों के उपेक्षा या डिफ़ॉल्ट के कारण उपभोक्ता के परिसर में लाइसेंसधारक के उपकरण के कारण होने वाले किसी भी नुकसान की स्थिति में, लाइसेंसधारक द्वारा दावा की गई लागत उपभोक्ता द्वारा देय होगी। यदि उपभोक्ता मांग के बाद ऐसा करने में विफल रहता है, तो इसे आपूर्ति समझौते और बिजली के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा।

सुरक्षा जमा राशि

5.130 सभी उपभोक्ताओं द्वारा कवर करने के लिए एक सुरक्षा जमा जमा किया जाएगा:

(1) बिलिंग चक्र अवधि और एक महीने के अनुरूप बिल की अनुमानित राशि; तथा

(2) किसी भी इलेक्ट्रिक लाइन या इलेक्ट्रिकल प्लांट या इलेक्ट्रिक मीटर के लिए लाइसेंसधारक के कारण भुगतान उपभोक्ता को बिजली की आपूर्ति के लिए प्रदान किया जाना है।

नए कनेक्शन जारी करते समय विभिन्न श्रेणियों के लिए अनुमानित सुरक्षा जमा राशि की गणना इस आपूर्ति संहिता, 2018 में अनुलग्नक XVIII में दी गई पद्धति के अनुसार की जाएगी। भार बढ़ाने के मामले में अतिरिक्त खपत को कवर करने के लिए केवल अतिरिक्त सुरक्षा जमा की जानी चाहिए, दी गई पद्धति के अनुसार अनुमानित:

वर्षों कि जिन उपभोक्ताओं ने चरणबद्ध अनुबंध मांग का चयन करने का विकल्प चुना है, मौजूदा भार के लिए सुरक्षा जमा में संशोधन पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक खपत पर आधारित होगा, जबकि वर्ष के दौरान जारी अतिरिक्त भार के लिए सुरक्षा जमा के आधार पर अनुमान लगाया जाएगा इस आपूर्ति संहिता, 2018 में अनुलग्नक XVIII में दी गई पद्धति।

5.131 इसके बाद, सुरक्षा आपूर्ति को इस आपूर्ति संहिता, 2018 के विनियमन 5.136 में परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार सालाना संशोधित किया जाएगा। सुरक्षा जमा की कमी की मात्रा के लिए, लाइसेंसधारक अतिरिक्त सुरक्षा जमा के लिए उपभोक्ता को नोटिस देगा, उपभोक्ता द्वारा जमा किया जाएगा तीस दिन। यदि उपभोक्ता लाइसेंसधारक द्वारा नोटिस के 30 दिनों के भीतर अतिरिक्त सुरक्षा जमा जमा नहीं करता है, तो अतिरिक्त सुरक्षा जमा उपभोक्ता के दो बाद के बिलों में शामिल किया जाएगा। सुरक्षा जमा की कोई भी अतिरिक्त राशि उपभोक्ता के दो बाद के बिलों के भीतर समायोजित की जाएगी।

5.132 यदि बकाया राशि के समायोजन के कारण सुरक्षा जमा कम हो जाती है, तो उसे उपभोक्ता के बाद के दो बिलों में समायोजित किया जाएगा।

5.133 सभी बकाया समायोजन के 30 दिनों के भीतर अनुबंध की समाप्ति पर उपभोक्ता को सुरक्षा जमा वापस कर दिया जाएगा। देरी के मामले में, उस वर्ष के पहले अप्रैल को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेस रेट के बराबर ब्याज उपभोक्ता को देय होगा।

5.134 एलटी उपभोक्ता नकदी के रूप में सुरक्षा जमा (10,000 रुपये तक जमा के लिए लागू), चेक या डिमांड ड्राफ्ट प्रदान कर सकते हैं। एचटी / ईएचटी और औद्योगिक उपभोक्ता नकद / मांग ड्राफ्ट / बैंक की चेक, बैंक गारंटी के माध्यम से अनुलग्नक XXI में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार या सावधि जमा के खिलाफ ग्रहणाधिकार प्रदान करके सुरक्षा जमा प्रदान कर सकते हैं। यदि सुरक्षा गारंटी बैंक गारंटी के रूप में जमा की जाती है या सावधि जमा के खिलाफ ग्रहणाधिकार प्रदान करके उपभोक्ता को कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

सुरक्षा जमा पर ब्याज

5.135 लाइसेंसधारक वर्ष के लिए 1 अप्रैल को प्रचलित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेस रेट पर उपभोक्ता को ब्याज का भुगतान करेगा, जो उपभोक्ता की सुरक्षा जमा पर सालाना देय होने पर नए कनेक्शन के मामले में इस तरह की जमा राशि से प्रभावी रूप से देय होगा इस अधिसूचना, या अन्य मामलों में, इस आपूर्ति संहिता, 2018 की अधिसूचना की तारीख से। वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज उपभोक्ता के बिल में आने वाले वित्तीय वर्ष के पहले बिलिंग चक्र के लिए समायोजित किया जाएगा। यदि सुरक्षा गारंटी बैंक गारंटी के रूप में जमा की जाती है या सावधि जमा के खिलाफ ग्रहणाधिकार प्रदान करके उपभोक्ता को कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

सुरक्षा जमा की समीक्षा

5.136 वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, लाइसेंसधारक उपभोक्ता के खपत पैटर्न की समीक्षा पिछले वर्ष के अप्रैल से मार्च तक सुरक्षा जमा की पर्याप्तता के लिए करेगा। उपभोक्ता को एक बिलिंग चक्र और एक महीने की अवधि के लिए अपने औसत भुगतान के बराबर राशि बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जहां 'औसत भुगतान' पिछले वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए वास्तविक बिलों के औसत के बराबर होगा। वर्षों कि एक ऐसे उपभोक्ता के लिए जिसका बिजली कनेक्शन 1 वर्ष से कम पुराना हो, तो सुरक्षा जमा को वित्तीय वर्ष की शुरुआत में संशोधित नहीं किया जाएगा।

5.137 प्रत्येक उपभोक्ता के संबंध में लाइसेंसधारक के साथ उपलब्ध सुरक्षा जमा उपभोक्ता को जारी बिल में दिखाया जाएगा। लाइसेंसधारक द्वारा उपभोक्ता को सुरक्षा की वापसी, जैसे ही उत्पन्न होती है, अधिकतम दो बिजली बिलों के माध्यम से की जाएगी।

लोड के नए कनेक्शन / लोड की सेवा की लागत

5.138 उपभोक्ता सेवा लाइन, आदि, और अन्य लागू शुल्कों की लागत का भुगतान करेगा। ये शुल्क आयोग द्वारा अनुमोदित मानक शुल्कों के अनुसूची के आधार पर होंगे।

सेवा लाइन और उपकरण के संबंध में सामान्य प्रावधान

5.139 उपभोक्ता अपने परिसर, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, मीटर के भीतर आने वाली सेवा लाइन के उस हिस्से के निर्माण / स्थापना के लिए उपभोक्ता और लाइसेंसधारक के बीच परस्पर सहमति के रूप में आवश्यक आयामों और सुविधाजनक स्थान पर स्थान प्रदान करेगा। आपूर्ति के शुरू होने के बिंदु तक अन्य सभी उपकरण। पूरी सेवा लाइन और अन्य उपकरण को लाइसेंसधारक की संपत्ति माना जाएगा और इसके नियंत्रण में रहेगा।

5.140 लाइसेंसधारक अन्य उपभोक्ताओं को आपूर्ति देने के लिए सेवा लाइन और अन्य उपकरण का उपयोग कर सकता है बशर्ते उपभोक्ता को आपूर्ति जो इनके लिए भुगतान की गई है, प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होती है। इसके अलावा, अगर उपभोक्ता को लाइन / उपकरण के लिए भुगतान करने वाले उपभोक्ता को आपूर्ति किसी भी कारण से डिस्कनेक्ट कर दी गई है, तो उपभोक्ता लाइसेंसधारकों को सेवा लाइन और अन्य उपकरणों तक निरंतर पहुंच प्रदान करेगा यदि उन्हें अन्य उपभोक्ताओं को आपूर्ति करने की आवश्यकता हो, और वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने तक, इस तरह की पहुंच / सुविधा के लिए उपभोक्ता के लिए कोई भुगतान नहीं होगा। हालांकि, यह स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है कि लाइसेंसधारी 6 महीने के भीतर वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए सभी संभव प्रयास करेगा। इस उद्देश्य के लिए, लाइसेंसधारक मौजूदा स्थान पर स्थापना की निरंतरता के लिए परस्पर स्वीकार्य व्यवस्था का पता लगा सकता है।

ऊर्जा का पुनर्विक्रय

5.141 उपभोक्ता लाइसेंसधारक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या अन्य परिसर में आपूर्ति की गई किसी भी ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करेगा जब तक उपभोक्ता आयोग द्वारा दी गई ऊर्जा के वितरण और बिक्री के लिए उपयुक्त स्वीकृति या लाइसेंस नहीं रखता है या लाइसेंस प्राप्त करने से छूट दी गई है या वितरण लाइसेंसधारक के फ्रैंचाइजी के रूप में नियुक्त किया गया।

उपभोक्ता के परिसर तक पहुंच

5.142 वितरण लाइसेंसधारक या वितरण लाइसेंसधारक द्वारा विधिवत अधिकृत किसी भी व्यक्ति को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 163 के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता के परिसर तक पहुंच होगी।

फ्यूज विफलता के कारण आपूर्ति में विफलता

5.143 किसी भी समय लाइसेंसधारक की सेवा फ्यूज या फ्यूज विफल होनी चाहिए, शिकायत को लाइसेंसधारक के स्थानीय कार्यालय या कॉल सेंटर पर या निकटतम सबस्टेशन पर उप-स्टेशनों पर पंजीकृत होना चाहिए। लाइसेंसधारक के केवल अधिकृत प्रतिनिधियों को लाइसेंसधारक के कट-आउट में इन फ्यूज को प्रतिस्थापित करने की अनुमति है। उपभोक्ताओं को इन फ्यूज को प्रतिस्थापित करने की अनुमति नहीं है और वे लाइसेंसधारक के उपकरण को लाइसेंसधारक के उपकरण की रक्षा के लिए रखे गए हैं, तो वे खुद को दंड के लिए उत्तरदायी होंगे।

अध्याय 6

6. पैमाइश

6.1 मीटर के बिना कोई स्थापना नहीं की जाएगी। मीटर के सभी मीटर और स्थापना अधिनियम की धारा 55 के तहत जारी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटर की स्थापना और संचालन) विनियम, 2006 में निर्धारित अनुसार आवश्यकताओं के अनुरूप होगी, और समय-समय पर संशोधित की जाएगी। इसके बावजूद, लाइसेंसधारक बाजार में उपलब्ध अपग्रेड किए गए प्रौद्योगिकी मीटर को स्थापित करने पर विचार कर सकता है यदि यह सीईए की आवश्यकताओं के ऊपर और उससे अधिक आवश्यकताओं को पूरा करता है।

6.2 एलटी लोड के लिए, मिनीचर सर्किट ब्रेकर (एमसीबी) और एचटी / ईएचटी लोड के लिए, उपयुक्त रेटिंग और विनिर्देशों के सर्किट ब्रेकर (सीबीएस) को मीटर के साथ स्थापित किया जाएगा।

6.3 नए कनेक्शन की मांग के समय उपभोक्ता के पास विकल्प होगा:

- (1) समय-समय पर लाइसेंसधारक द्वारा जारी विनिर्देशों के अनुसार मीटर, एमसीबी / सीबी और संबंधित उपकरण खुद को खरीदें; या
- (2) आवश्यक है कि मीटर, एमसीबी / सीबी और संबंधित उपकरण लाइसेंसधारक द्वारा आपूर्ति की जाए।

उपभोक्ता इस विकल्प को आवेदन पत्र में इंगित करेगा और लाइसेंसधारी उसे मीटर विनिर्देशों के साथ आपूर्ति करेगा। एक बार उपभोक्ता ने विनिर्देशों के अनुसार मीटर खरीदा है, लाइसेंसधारक मीटर का परीक्षण, स्थापित और मुहर लगाएगा।

लाइसेंसधारी अपनी वेबसाइट, मीटर और अन्य उपकरणों के विनिर्देशों पर उपलब्ध कराएगा।

6.4 लाइसेंसधारक अपग्रेड किए गए प्रौद्योगिकी के संदर्भ में पहले से स्थापित मीटर की स्थिति की समीक्षा करने के लिए अधिकृत है और उस साइट की उपयुक्तता जहां उपभोक्ता के परिसर में मीटर रखा गया है।

6.5 यदि लाइसेंसधारक द्वारा समान परिसर में उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को आपूर्ति प्रदान की जाती है, तो प्रत्येक श्रेणी के लिए ऊर्जा के माप के लिए अलग-अलग मीटर स्थापित किए जाएंगे।

6.6 वितरण लाइसेंसधारक प्री-पेड मीटर, स्मार्ट मीटर, दिन का समय (टीओडी) / आवृत्ति-आधारित टैरिफ (एफबीटी) मीटर, स्वचालित रिमोट मीटर रीडिंग (एएमआर) जैसी नई तकनीकों के परिचय और गोद लेने की योजना तैयार करेगा।, उचित संचार प्रणाली के माध्यम से स्वचालित मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) प्रणाली।

6.7 मीटर के प्रतिस्थापन सहित इन विनियमों की अधिसूचना के बाद सभी मीटर स्थापित किए जाएंगे, एमडीआई सुविधा के साथ मीटर होंगे।

6.8 यदि एचटी / ईएचटी उपभोक्ता को अपने विशेष उपयोग के लिए एक स्वतंत्र फीडर पर आपूर्ति दी जाती है, तो मीटरिंग व्यवस्था लाइसेंसधारक के उप-स्टेशन पर स्थापित की जाएगी। इसके अलावा, स्वतंत्र फीडर के माध्यम से आपूर्ति का लाभ उठाने वाले सभी नए कनेक्शनों के लिए, मुख्य मीटर की विफलता के मामले में लेखांकन करने के लिए उपभोक्ता लागत पर उपभोक्ता के परिसर में स्टैंड-बाय मीटर स्थापित किया जाएगा।

6.9 जहां भी संभव हो अस्थायी कनेक्शन पूर्व-भुगतान मीटर पर जारी किए जाएंगे।

मीटर और एमसीबी / सीबीएस की आपूर्ति और स्थापना

6.10 एलटी, एचटी और ईएचटी उपभोक्ताओं, यदि वे मीटर और संबंधित उपकरण की खरीद का विकल्प चुनते हैं, तो सीटी और पीटी समेत मीटरिंग उपकरण रखने के लिए लाइसेंसधारक द्वारा अनुमोदित एक डिजाइन के लॉक और मौसमरोधी संलग्नक प्रदान करेंगे। अन्य मामलों में, इन्हें अनुमान में शामिल किया जाएगा और लाइसेंसधारक द्वारा प्रदान किया जाएगा।

6.11 यदि लाइसेंसधारक द्वारा मीटर की आपूर्ति की जाती है, तो लाइसेंसधारक मांग नोटिस के हिस्से के रूप में मीटर और संबंधित उपकरणों की लागत वसूलने का हकदार होगा। अन्यथा, लाइसेंसधारक आयोग द्वारा अनुमोदित मीटर किराया चार्ज करेगा। कनेक्शन के मामले में जहां उपभोक्ता द्वारा मीटर खरीदा गया है, उपभोक्ता से कोई मीटर किराया और मीटर लागत नहीं ली जाएगी।

6.12 मीटर की स्थापना उपभोक्ता के परामर्श से तय की जाएगी। उपभोक्ता इस तरह से मीटर की स्थापना के लिए उपयुक्त और पर्याप्त जगह प्रदान करेगा कि यह लाइसेंसधारक या उसके प्रतिनिधियों के लिए हमेशा उपलब्ध है। बहु-मंजिला इमारतों के मामले में, सभी मीटर जमीन के तल पर / उचित हवा वाले वायुवीजन और निर्दिष्ट मानकों और निर्दिष्ट कोडों के अनुसार पर्याप्त रोशनी वाले उभरते हुए माइनों पर तय किए जाएंगे।

6.13 मीटर की प्रारंभिक स्थापना या प्रतिस्थापन उपभोक्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में लाइसेंसधारक के प्रतिनिधि द्वारा 3 दिनों का नोटिस देने के बाद किया जाएगा।

6.14 लाइसेंसधारक प्रारंभिक स्थापना या प्रतिस्थापन के समय मीटर के विवरण रिकॉर्ड करने के लिए मीटर विवरण पत्रक का एक प्रारूप विकसित करेगा। लाइसेंसधारक एक प्रतिलिपि बनाए रखेगा और दूसरी प्रतिलिपि, लाइसेंसधारक के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, उचित स्वीकृति के तहत उपभोक्ता को दी जाएगी। उपभोक्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि भी मीटर विवरण पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद, मीटर, मरम्मत, प्रतिस्थापन इत्यादि में किसी भी दोष के ब्योरे को लाइसेंसधारक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मीटर विवरण पत्र में दर्ज किया जाएगा।

6.15 जब भी कोई नया मीटर स्थापित होता है (नए कनेक्शन के लिए या प्रतिस्थापन के रूप में) इसे उपभोक्ता की उपस्थिति में बंद कर दिया जाएगा। कहा गया उपकरण या उपकरण पर लगाए गए मुहर, नाम प्लेट्स और विशिष्ट संख्या या अंक उपभोक्ता द्वारा किसी भी तरह टूटा, मिटाया या बदला नहीं जाएगा। मीटर मुहरों का उपचार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटर की स्थापना और संचालन) विनियम, 2006 और उसके बाद के सभी संशोधनों के अनुसार होगा।

6.16 उपभोक्ता के परिसर में स्थापित होने पर उपभोक्ता मीटर (ओं), एमसीवी / सीवी इत्यादि की सुरक्षित हिरासत के लिए जिम्मेदार होगा। उपभोक्ता तुरंत लाइसेंसधारक को मीटर के साथ किसी भी गलती, दुर्घटना या समस्या के बारे में सूचित करेगा।

6.17 इस आपूर्ति संहिता, 2018 जारी करने से छह (6) महीने की अवधि के भीतर लाइसेंसधारक द्वारा कृषि और स्ट्रीट लाइट समेत सभी समेकित कनेक्शनों को पूरा किया जाना चाहिए।

6.18 मीटर को बनाए रखने और इसे हर समय काम करने के क्रम में रखने के लिए लाइसेंसधारक की जिम्मेदारी होगी। लाइसेंसधारक के पास ऐसे मीटरिंग सिस्टम के लिए भी प्रावधान हो सकता है जहां डिस्प्ले यूनिट उपभोक्ता परिसर में है और मीटरिंग इकाई परिसर के बाहर है जैसे ध्रुव आदि। ऐसे मामलों में, मीटरिंग इकाई की सुरक्षित हिरासत की जिम्मेदारी होगी लाइसेंसधारी के साथ झूठ बोलो।

6.19 लाइसेंसधारक उपभोक्ता के खपत पैटर्न की निगरानी करेगा और जहां भी आवश्यक माना जाता है, मीटर को उचित काम करने की स्थिति में सुनिश्चित करने के लिए मीटर की जांच करें।

6.20 उपभोक्ता केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटर की स्थापना और संचालन) विनियमन, 2006 में निर्धारित तकनीकी विनिर्देशों के उचित मेक के अनुरूप मीटर स्थापित कर सकता है। ये चेक मीटर निर्धारित शुल्क के भुगतान पर लाइसेंसधारक द्वारा कैलिब्रेटेड हो सकते हैं आयोग की मंजूरी के साथ लाइसेंसधारी द्वारा निर्दिष्ट। हालांकि, लाइसेंस रीडिंग का उपयोग लाइसेंसधारक द्वारा बिलिंग उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। स्टैंड-बाय मीटर रीडिंग का उपयोग केवल लाइसेंसधारक द्वारा बिलिंग उद्देश्यों के लिए किया जाएगा जब मुख्य मीटर दोषपूर्ण / जला हुआ हो।

मीटर का पठन

6.21 मीटर प्रत्येक बिलिंग चक्र में एक बार पढ़ा जाएगा और उपभोक्ता लाइसेंसधारक या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को मीटर पढ़ने के लिए सभी सुविधाओं का विस्तार करेगा।

6.22 मीटर लाइसेंसधारक के एक अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पढ़ा जाएगा। लाइसेंसधारक सभी मीटर पाठकों को उचित फोटो पहचान पत्र जारी करेगा और मीटर पाठकों को मीटर पढ़ने के दौरान फोटो पहचान पत्र ले जाएगा।

6.23 मीटर रीडर रिकॉर्डिंग मीटर रीडिंग और स्पॉट पर बिलों की पीढ़ी के लिए हाथ से आयोजित उपकरणों, मीटर पढ़ने के उपकरण (एमआरआई) या वायरलेस उपकरण का उपयोग कर सकते हैं।

6.24 इलेक्ट्रॉनिक मीटर पर एल ई डी (प्रकाश उत्सर्जक उपकरण) की स्थिति की जांच करने के लिए मीटर रीडर का कर्तव्य होगा। यदि इलेक्ट्रॉनिक मीटर पर उपलब्ध ई / एल एलईडी सूचक 'ऑन' पाया जाता है, तो मीटर पाठक उपभोक्ता को सूचित करेगा कि परिसर में रिसाव है और उपभोक्ता को तारों की जांच और रिसाव हटाने की सलाह दी जाती है। मीटर पाठक लाइसेंसधारक के संबंधित अधिकारियों को रिसाव के बारे में सूचित करेगा।

6.25 प्रत्येक उपभोक्ता के पिछले छह बिलिंग चक्रों के लिए मीटर पढ़ने के विवरण के साथ मीटर और / या इसकी मुहर की स्थिति लाइसेंसधारक की वेबसाइट पर भी लाइसेंसधारक द्वारा उठाए जाने वाले प्रत्येक बिल में उपलब्ध कराई जाएगी।

6.26 यदि मीटर चक्र के अनुसार लगातार दो मीटर पढ़ने की तारीखों पर पहुंच योग्य नहीं है, तो उपभोक्ता को तारीख को पढ़ने के लिए मीटर को सुलभ रखने के लिए उपभोक्ता को नोटिस जारी किया जाएगा (नोटिस की तारीख के कम से कम 7 दिन बाद) और नोटिस में निर्दिष्ट समय ..

6.27 यदि निर्दिष्ट तिथि पर मीटर को भी सुलभ नहीं किया गया है, तो अगले 7 दिनों के भीतर लाइसेंसधारक को मीटर पढ़ने को सूचित करने के लिए उपभोक्ता, यदि उपलब्ध हो, या परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार के पास चिपक गया हो, तो नोटिस पर एक नोटिस दिया जाएगा। यह विफल होने पर, आपूर्ति को डिस्कनेक्ट किया जाएगा।

6.28 इस आपूर्ति संहिता, 2018 के विनियम 6.26 और 6.27 के प्रावधान घरेलू उपभोक्ता के मामले में लागू नहीं होंगे, जिसने उपभोक्ता के स्टेशन से बाहर होने के कारण पढ़ने के लिए अपने मीटर की पहुंच की पहुंच के लाइसेंसधारक को अग्रिम सूचना दी है और इस आपूर्ति संहिता, 2018 के विनियमन 7.22 के अनुसार राशि भी जमा की गई।

6.29 जब घरेलू उपभोक्ता निवास से निरंतर अनुपस्थिति के कारण लाइसेंसधारक को मीटर की पहुंच के बारे में लिखित में पूर्व सूचना देता है, तो लाइसेंसधारक उपभोक्ता को कोई नोटिस / अस्थायी बिल नहीं भेजेगा बशर्ते उपभोक्ता इस अवधि के लिए निश्चित शुल्क चुकाए अग्रिम। जब भी मीटर को पढ़ने के लिए उपभोक्ता द्वारा मीटर को सुलभ किया जाता है, तो पूरी खपत इस तरह की जाएगी कि खपत अप्राप्यता की अनुमानित अवधि को छोड़कर अवधि के लिए थी। यह सुविधा उपभोक्ता को उपलब्ध होगी यदि बकाया राशि अद्यतित है।

6.30 यदि उपभोक्ता एक विशेष पढ़ने की इच्छा रखता है, तो उसे लाइसेंसधारक और चार्ज द्वारा व्यवस्थित किया जाएगा, जैसा कि आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है उपभोक्ता के अगले बिल में शामिल किया जाएगा।

मीटर की आवधिक परीक्षण

6.31 यह स्थापित होने से पहले मीटर की शुद्धता के संबंध में खुद को संतुष्ट करने के लिए लाइसेंसधारक की ज़िम्मेदारी होगी और लाइसेंसधारक इस उद्देश्य के लिए उनका परीक्षण कर सकता है। लाइसेंसधारक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटर की स्थापना और संचालन) विनियमन, 2006 और समय-समय पर संशोधित अनुसार निर्दिष्ट मीटर के आवधिक निरीक्षण / परीक्षण और अंशांकन का संचालन करेगा।

6.32 लाइसेंसधारक निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार मीटर के आवधिक निरीक्षण / परीक्षण आयोजित करेगा:

- (1) एकल चरण मीटर: हर 5 साल में एक बार
- (2) एलटी 3-चरण मीटर: हर 3 साल में एक बार
- (3) एमडीआई सहित एचटी / ईएचटी मीटर: वार्षिक

जहां भी लागू हो, सीटी और पीटी का भी मीटर के साथ परीक्षण किया जाएगा।

6.33 परीक्षण परिणाम इस आपूर्ति संहिता, 2018 में अनुलग्नक IX में दिए गए प्रारूप के अनुसार बनाए रखा जाएगा।

मीटर की शुद्धता का परीक्षण

6.34 अगर मीटर की सटीकता के बारे में उचित संदेह है तो लाइसेंसधारक को किसी भी मीटर और संबंधित उपकरण का परीक्षण करने का अधिकार होगा। उपभोक्ता परीक्षण के संचालन में लाइसेंसधारी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

6.35 एक उपभोक्ता लाइसेंसधारक से अपने परिसर में मीटर का परीक्षण करने का अनुरोध कर सकता है यदि उपभोक्ता अपनी सटीकता को संदेह करता है, अनुलग्नक एक्स में दिए गए प्रारूप में लाइसेंसधारक को आवेदन आपूर्ति, 2018 में दिए गए प्रारूप में आवश्यक परीक्षण

शुल्क के साथ। इस तरह के अनुरोध की प्राप्ति पर, लाइसेंसधारी इस आपूर्ति संहिता, 2018 के विनियम 6.36 से 6.3 9 में विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार पालन करेगा।

6.36 उपभोक्ता द्वारा वांछित होने पर मीटर को किसी तृतीय-पक्ष सुविधा पर सटीकता के लिए परीक्षण किया जा सकता है। एनएबीएल (परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड) द्वारा मान्यता प्राप्त तीसरे पक्ष की एजेंसियों की सूची लाइसेंसधारक की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी:

बशर्ते कि उपभोक्ता के अनुरोध पर परीक्षण के मामले में, उपभोक्ता को आयोग की मंजूरी के साथ लाइसेंसधारक द्वारा निर्दिष्ट लागत के अनुसार परीक्षण शुल्क का भुगतान करना होगा:

बशर्ते कि यदि लाइसेंसधारक के लिए जिम्मेदार तकनीकी कारणों से मीटर दोषपूर्ण / जला पाया जाता है, जैसे वोल्टेज उतार-चढ़ाव, ट्रांजिस्टर इत्यादि, लाइसेंसधारक बाद के बिल में समायोजन द्वारा उपभोक्ता को परीक्षण शुल्क वापस कर देगा।

6.37 उपभोक्ता के मीटर का परीक्षण करने से पहले, लाइसेंसधारी शहरी क्षेत्रों में 7 दिन की अग्रिम सूचना और ग्रामीण क्षेत्रों में 10 दिनों की अग्रिम सूचना देगी, जो परीक्षण, तिथि और परीक्षण की जगह को सूचित करता है ताकि उपभोक्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकें परीक्षण का समय लाइसेंसधारक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिकायत प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर मीटर की शुद्धता का निरीक्षण और जांच करेगा। लाइसेंसधारी, परीक्षण के बाद, यदि आवश्यक हो, तो उसके बाद 15 दिनों के भीतर मीटर को प्रतिस्थापित कर देगा।

6.38 परीक्षण के दौरान उपस्थित उपभोक्ता / अधिकृत प्रतिनिधि गवाह के प्रतीक के रूप में परीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेंगे। यदि उपभोक्ता / अधिकृत प्रतिनिधि मौजूद नहीं है, तो लाइसेंसधारी का प्रतिनिधि और परीक्षण प्रयोगशाला अधिकारी परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेगा।

6.3 9 लाइसेंसधारी परीक्षण की तारीख के 7 कार्य दिवसों के भीतर, पावती के तहत प्राप्त होने वाले उपभोक्ता को परीक्षा रिपोर्ट भेज देगा। दोषपूर्ण मीटर के मामले में, छह महीने की अधिकतम अवधि के लिए संशोधन या अंतिम परीक्षण की तिथि से, जो भी बाद में परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर संशोधित किया जाएगा, उसे बाद के बिल में समायोजित या जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

6.40 यदि कोई उपभोक्ता परीक्षण के परिणामों पर विवाद करता है, तो उपभोक्ता उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) का प्रतिनिधित्व कर सकता है।

दोषपूर्ण / जला / खोया मीटर की प्रतिस्थापन की लागत

6.41 यदि, परीक्षण के परिणामस्वरूप, यह स्थापित किया गया है कि तकनीकी कारणों से मीटर दोषपूर्ण / जला हो गया है, जैसे वोल्टेज उतार-चढ़ाव, ट्रांजिस्टर इत्यादि, लाइसेंसधारक के लिए जिम्मेदार है, मीटर की लागत से उत्पन्न किया जाएगा लाइसेंसधारी।

6.42 यदि, परीक्षण के परिणामस्वरूप, यह स्थापित किया गया है कि उपभोक्ता के लिए जिम्मेदार कारणों जैसे उपभोक्ता के लिए जिम्मेदार कारणों, उपभोक्ता द्वारा अनधिकृत भार के कनेक्शन आदि के कारण मीटर को दोषपूर्ण / जला दिया गया था, मीटर की लागत नीचे निर्दिष्ट अनुसार उपभोक्ता द्वारा उठाया जाएगा:

(1) यदि मीटर उपभोक्ता द्वारा स्वामित्व में था, तो लाइसेंसधारक उपभोक्ता को मीटर और संबंधित उपकरण को इस आपूर्ति संहिता, 2018 के विनियम 6.1 से 6.4 के प्रावधानों के अनुसार 7 दिनों के भीतर बदलने के लिए सूचित करेगा, जिसके बाद लाइसेंसधारी को अधिकार दिया जा सकता है एक नया मीटर स्थापित करने और अतिरिक्त सुरक्षा जमा की तलाश करने और लागू होने पर मीटर किराया चार्ज करना शुरू करें;

(2) यदि मीटर लाइसेंसधारक के स्वामित्व में था, तो लाइसेंसधारक अपनी लागत पर एक नया मीटर स्थापित करेगा और मीटर के शेष उपयोगी जीवन के अनुपात में उपभोक्ता से जला मीटर की लागत वसूल करेगा (मीटर का उपयोगी जीवन आयोग के मूल्यहास अनुसूची के अनुसार - उपर्युक्त मीटर की पहली किश्त की तारीख के बाद वर्षों की संख्या) जिसे दोषपूर्ण / जला दिया गया था:

बशर्ते कि यदि परीक्षण के परिणामस्वरूप, यह स्थापित किया गया है कि मीटर को हस्तक्षेप करने के लिए उपभोक्ता द्वारा छेड़छाड़ या किसी अन्य जानबूझकर कार्य के कारण मीटर को दोषपूर्ण / जला दिया गया था, उपभोक्ता का मूल्यांकन इस के विनियमन 8.50 के अनुसार किया जाएगा आपूर्ति संहिता, 2018 और कानून के तहत अनुमत कार्रवाई को उपभोक्ता के खिलाफ चोरी और छेड़छाड़ के लिए लिया जाएगा।

6.43 उपभोक्ता द्वारा वांछित होने पर, मीटर को किसी तृतीय-पक्ष सुविधा पर परीक्षण किया जा सकता है। एनएबीएल (परीक्षण और अंशान्कन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड) द्वारा मान्यता प्राप्त तीसरे पक्ष की एजेंसियों की सूची लाइसेंसधारक की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

बशर्ते कि उपभोक्ता के अनुरोध पर परीक्षण के मामले में, उपभोक्ता को आयोग की मंजूरी के साथ लाइसेंसधारक द्वारा निर्दिष्ट लागत के अनुसार परीक्षण शुल्क का भुगतान करना होगा:

6.44 मीटर के नुकसान के मामले में, नए मीटर और अन्य उपकरण की लागत उपभोक्ता द्वारा तब तक ली जाएगी जब तक उपभोक्ता परिसर के बाहर मीटर स्थापित नहीं किया जाता। लाइसेंसधारक मीटर के शेष उपयोगी जीवन के अनुपात में उपभोक्ता से मीटर की लागत वसूल करेगा।

लाइसेंसधारक शिकायत प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर दोषपूर्ण / अटक मीटर के लिए उपभोक्ताओं की शिकायत में भाग लेगा और यदि आवश्यक हो, परीक्षण के बाद, उसके बाद 15 दिनों के भीतर मीटर को प्रतिस्थापित करेगा।

मीटर का प्रतिस्थापन (एमडीआई समेत) रिकॉर्डिंग नहीं

6.45 उपभोक्ता को नोटिस बंद होने या रिकॉर्डिंग नहीं होने पर उपभोक्ता के नोटिस के तुरंत बाद लाइसेंसधारक को अंतरंग होने की उम्मीद है।

6.46 यदि आवधिक या अन्य निरीक्षण के दौरान किसी भी मीटर को लाइसेंसधारक द्वारा रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, या उपभोक्ता इस संबंध में शिकायत करता है, तो लाइसेंसधारी इस आपूर्ति संहिता, 2018 के विनियम 6.37 से 6.39 में विस्तृत प्रक्रिया का पालन करेगा।

6.47 यदि मीटर वास्तव में रिकॉर्डिंग नहीं पाया जाता है, तो लाइसेंसधारी 15 कार्य दिवसों के भीतर गैर-कामकाजी (फंसे, धीमे, तेज या रेंगने वाले) मीटर को प्रतिस्थापित करेगा।

बर्न मीटर की प्रतिस्थापन

6.48 यदि कोई मीटर उपभोक्ता की शिकायत पर या लाइसेंसधारक द्वारा निरीक्षण पर जला दिया जाता है, तो लाइसेंसधारक शिकायत प्राप्त करने या लाइसेंसधारक द्वारा निरीक्षण के 6 घंटे के भीतर आपूर्ति बहाल करेगा, जरूरी निवारक कार्रवाई सुनिश्चित करने के बाद जला मीटर को छोड़कर भविष्य में क्षति से बचने के लिए साइट ली गई है।

6.49 यदि लाइसेंसधारक के लिए जिम्मेदार कारणों से मीटर जला दिया जाता है, तो लाइसेंसधारक शिकायत प्राप्त करने के 5 कार्य दिवसों के भीतर जला मीटर को प्रतिस्थापित करेगा।

6.50 यदि उपभोक्ता के लिए जिम्मेदार कारणों के कारण मीटर जला दिया जाता है जैसे कि छेड़छाड़, उपभोक्ता की स्थापना में दोष, अनधिकृत अतिरिक्त भार इत्यादि को जोड़ना, विनियमन 6.42 में निर्धारित प्रक्रिया मीटर के प्रतिस्थापन के संबंध में पालन की जाएगी। लाइसेंसधारक उपभोक्ता को पहचान के 7 कार्य दिवसों के भीतर मीटर की लागत की वसूली के लिए नोटिस देगा और उपभोक्ता से भुगतान प्राप्त करने के 15 कार्य दिवसों के भीतर मीटर को प्रतिस्थापित करेगा और भविष्य के नुकसान से बचने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी मीटर। यदि उपभोक्ता मीटर को प्रतिस्थापित नहीं करता है या मीटर के प्रतिस्थापन के लिए निर्धारित समय के भीतर

भुगतान नहीं करता है, तो उपभोक्ता निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के 7 दिनों के भीतर डिस्कनेक्शन के लिए नोटिस परोसा जाएगा। इसके अनुपालन में विफलता तत्काल प्रभाव से डिस्कनेक्शन का कारण बन जाएगी।

खोया मीटर की प्रतिस्थापन

6.51 खोए गए मीटर के बारे में शिकायतों का लाइसेंस केवल लाइसेंसधारक द्वारा किया जाएगा यदि वे उपभोक्ता द्वारा पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी की एक प्रति के साथ हों। ऐसे सभी मामलों में, लाइसेंसधारी भी एक जांच आयोजित करेगा।

ऐसे मामलों में आपूर्ति को नए मीटर की स्थापना के बाद बहाल किया जाएगा, उस अवधि के लिए बिजली शुल्क का भुगतान जिसमें मीटर उपलब्ध नहीं था और आयोग द्वारा अनुमोदित किए गए किसी अन्य निर्धारित शुल्क। उस अवधि के लिए बिजली शुल्क जिसमें मीटर उपलब्ध नहीं था, का मूल्यांकन इस आपूर्ति संहिता, 2018 के विनियमन 7.14 के अनुसार किया जाएगा।

अध्याय 7

7. बिलिंग सामान्य

7.1 बिजली की आपूर्ति के लिए टैरिफ और शुल्क समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। लाइसेंसधारक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, उपभोक्ता को सूचित करेगा, निम्नलिखित:

(1) बिलिंग चक्र, जो कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों के लिए मासिक होगा, यानी, पंप सेट कनेक्शन, स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर, लाइसेंसधारक आयोग की मंजूरी के साथ अलग-अलग बिलिंग चक्र निर्दिष्ट करेगा।

एलटी एकल चरण आपूर्ति वाले उपभोक्ताओं के मामले में, अगर लाइसेंसधारक को इतनी बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं की मासिक बिलिंग में कठिनाई होती है, तो यह द्वि-मासिक आधार पर बिलिंग कर सकता है (यानी, दो महीने में एक बार) की मंजूरी के साथ आयोग। आयोग लाइसेंसधारक की कठिनाइयों पर विचार कर सकता है और सीमित अवधि के लिए द्वि-मासिक आधार पर बिलिंग को मंजूरी दे सकता है, जिसके बाद बिलिंग चक्र मासिक आधार पर होगा।

(2) संभावित सप्ताह जिसमें प्रत्येक बिलिंग चक्र में लाइसेंसधारक द्वारा बिल जारी किया जाएगा;

(3) बिल के भुगतान के लिए संभावित देय दिनांक; तथा

(4) उपभोक्ताओं को लागू होने पर छूट, यदि कोई हो।

7.2 बशर्ते कि चेक के माध्यम से बिल भुगतान की देय तिथि नकदी भुगतान के लिए सामान्य देय तिथि से 3 कार्य दिवस पहले हो। यदि उपभोक्ता ने आवश्यक विवरण प्रस्तुत किए हैं तो लाइसेंसधारक एसएमएस और / या ईमेल के माध्यम से बिल प्रेषण के उपभोक्ता को भी अंतरंग करेगा। सभी उपभोक्ताओं के लिए पिछले छह बिलों (नवीनतम बिल सहित) के बिलिंग विवरण भी भुगतान रसीद विवरण के साथ लाइसेंसधारक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

7.3 लाइसेंसधारक आपूर्ति के अपने क्षेत्र में घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को स्पॉट बिलिंग शुरू करने का विकल्प तलाश सकता है।

7.4 लाइसेंसधारक एक नया कनेक्शन सक्रिय करने के दो बिलिंग चक्रों के भीतर पहला बिल जारी करेगा। यदि उपभोक्ता कनेक्शन के ऊर्जाकरण की तारीख से दो बिलिंग चक्रों के भीतर पहला बिल प्राप्त नहीं करता है, तो उपभोक्ता लाइसेंसधारक के कार्यालय में लिखित रूप में शिकायत करेगा और लाइसेंसधारी अगले 14 दिनों के भीतर बिल जारी करेगा।

7.5 उपभोक्ता द्वारा स्वीकृति के तहत स्पॉट बिलिंग के मामले में तुरंत उपभोक्ता को बिल वितरित किया जाएगा। अन्य सभी मामलों में, लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करेगा कि भुगतान की देय तिथि से कम से कम 15 दिन पहले उपभोक्ता को हाथ / पोस्ट / कूरियर द्वारा बिल वितरित किया जाएगा।

7.6 यदि उपभोक्ता को संभावित बिल जारी करने की तारीख के 7 दिनों के भीतर बिल प्राप्त नहीं होता है, तो उपभोक्ता लाइसेंसधारक के संबंधित बिलिंग कार्यालय से डुप्लिकेट बिल प्राप्त कर सकता है या उसे लाइसेंसधारक की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है। हालांकि,

उपभोक्ता को बिल देने की ज़िम्मेदारी केवल लाइसेंसधारी के साथ है। यदि उपभोक्ता लाइसेंसधारक के कार्यालय को व्यक्तिगत रूप से / टेलीफोनिक रूप से, या पोस्ट द्वारा प्राप्त पावती की तारीख पर संपर्क करता है तो लाइसेंसधारी तुरंत डुप्लिकेट बिल जारी करेगा ..

7.7 निम्नलिखित जानकारी बिल में शामिल की जाएगी:

- (1) बिलिंग कार्यालय / वितरण केंद्र का पता और टेलीफोन नंबर;
- (2) सेवा कनेक्शन संख्या;
- (3) बिल संख्या और विधेयक की अवधि;
- (4) उपभोक्ता संख्या, नाम और पता;
- (5) ध्रुव संख्या से कौन सा कनेक्शन परोसा जाता है / उप-विभाजन या केंद्र का नाम;
- (6) विधेयक जारी करने की तिथि;
- (7) उपभोक्ता की टैरिफ श्रेणी (यानी, घरेलू, वाणिज्यिक, आदि);
- (8) टैरिफ, बिजली शुल्क और सेस लागू दर;
- (9) मीटर की स्थिति (ठीक / दोषपूर्ण / उपलब्ध नहीं);
- (10) बिलिंग स्थिति (कारण के साथ नियमित / मूल्यांकन / अनंतिम विधेयक)
- (11) आपूर्ति विवरण:
 - ए) आपूर्ति का प्रकार (यानी, एकल चरण, तीन चरण एलटी या एचटी)
 - बी) अनुबंधित लोड / कनेक्टेड लोड
- (12) मीटर संख्या और मीटर के पहचान विवरण (यदि मीटर बिलिंग अवधि के दौरान प्रतिस्थापित किया गया था, तो बिल को नए और साथ ही पुराने मीटर, प्रतिस्थापन की तारीख, पुराने मीटर के अंतिम पढ़ने और प्रारंभिक पढ़ने के मीटर संख्याओं को इंगित करना चाहिए मीटर के प्रतिस्थापन के समय नया मीटर);
- (13) प्रारंभिक मीटर तारीख के साथ पढ़ना;
- (14) अंतिम मीटर पढ़ने के साथ;
- (15) मीटर के फैक्टर को गुणा करना, यदि कोई हो;
- (16) इकाइयों का उपभोग;
- (17) अधिकतम मांग;
- (18) लागू होने पर पावर फैक्टर;
- (19) भुगतान की देय तिथि (नकदी, चेक, क्रेडिट / डेबिट कार्ड इत्यादि द्वारा भुगतान के लिए अलग से निर्दिष्ट), यदि आवश्यक हो तो भुगतान की तारीख;
- (20) उपभोक्ता द्वारा जमा सुरक्षा जमा;
- (21) बिलिंग विवरण: वर्तमान माह के साथ-साथ पिछले बकाया के लिए आइटम-वार विवरण बिल में प्रस्तुत किए जाएंगे। एक प्रतिनिधि सूची नीचे दी गई है:
 - ए) ऊर्जा शुल्क;
 - बी) निश्चित शुल्क;
 - सी) मीटर किराया, यदि कोई हो;
 - डी) संधारित्र surcharges;
 - ई) अन्य शुल्क, अगर कोई है;

एफ) विद्युत शुल्क;

जी) ईंधन मूल्य खरीद समायोजन शुल्क;

एच) पावर फैक्टर समायोजन शुल्क, यदि कोई हो;

i) प्रतिक्रियाशील ऊर्जा शुल्क, यदि कोई हो;

जे) देरी के लिए अधिभार, यदि कोई हो;

के) किस्तों पर ब्याज;

एल) कुल वर्तमान महीने की मांग;

मी) बकाया (विवरण के साथ);

एन) अधिनियम की धारा 65 के तहत सब्सिडी का विवरण, यदि कोई है;

ओ) अन्य (विवरण के साथ);

पी) कुल राशि देय;

क्यू) समायोजन;

आर) भुगतान की जाने वाली शुद्ध राशि;

एस) भुगतान के मोड स्वीकार किए जाते हैं;

टी) चेक और बैंक ड्राफ्ट के मामले में, प्राप्तकर्ता प्राधिकारी जिसके पक्ष में राशि तैयार की जानी चाहिए;

यू) सुरक्षा जमा की राशि और आवश्यक;

v) पिछले छः रीडिंग के उपभोग विवरण।

7.8 निम्नलिखित जानकारी बिल के विपरीत प्रदान की जाएगी, यदि बिल पर आगे या मुद्रित नहीं किया गया है या बिल के साथ कम से कम दो बार बिल के साथ अनुबंध में भेजा जाना चाहिए:

(1) बिल भुगतान के संग्रह के लिए अलग-अलग स्थानों पर मोबाइल बैंक की उपस्थिति की तारीख और समय सहित बिल भुगतान के संग्रह के लिए संग्रह केंद्र (ओं) और कार्य के घंटे के लिए कामकाजी घंटों;

(2) प्राधिकरण का पदनाम और पता जिसके साथ बिलों से संबंधित शिकायत / शिकायत दर्ज की जा सकती है;

(3) शिकायत केंद्रों के टेलीफोन नंबर (एस) के साथ पूरा पता (एस), यदि कोई हो;

(4) सीजीआरएफ के पते और टेलीफोन नंबर के साथ-साथ अधिनियम की धारा 42 उप-धारा 6 के तहत गठित लोकपाल के टेलीफोन नंबर;

(5) उपभोक्ता को लागू टैरिफ अनुसूची; तथा

(6) सुरक्षा, ऊर्जा संरक्षण, चोरी की रोकथाम आदि से संबंधित जानकारी

7.9 लाइसेंस में वांछित के रूप में, यदि कोई हो, तो बिल में अतिरिक्त जानकारी हो सकती है।

7.10 लाइसेंसधारक पते / स्थानों और संग्रह केंद्रों के कामकाजी घंटों के पर्याप्त प्रचार सुनिश्चित करेगा, जिसमें बैंकों के साथ बैंक उपभोक्ता भुगतान कर सकते हैं।

विशेष परिस्थितियों / बिलिंग के तहत बिलिंग के लिए प्रक्रिया जब मीटर पहुंच योग्य नहीं है

7.11 सभी मामलों में स्पॉट बिलिंग प्रणाली द्वारा कवर नहीं किया गया है, यदि लाइसेंसधारक मीटर को पढ़ने में सक्षम नहीं है, तो पिछले वर्ष की इसी अवधि के लिए खपत के आधार पर एक अस्थायी बिल जारी किया जा सकता है जिसमें मीटर कार्यात्मक था। हालांकि, लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी अस्थायी बिलिंग एक से अधिक बिलिंग चक्रों तक फैली न हो, और एक वित्तीय वर्ष के दौरान

उपभोक्ता के लिए उत्पन्न दो से अधिक अस्थायी बिल नहीं हैं। यदि उपभोक्ता का परिसर दो से अधिक बिलिंग चक्र के लिए पहुंच योग्य नहीं है, तो अस्थायी डिस्कनेक्शन के लिए उपभोक्ता के परिसर में एक नोटिस संलग्न किया जाना चाहिए। अगर इस तरह के नोटिस के प्रत्यर्पण से 30 दिनों के भीतर, यदि उपभोक्ता मीटर पढ़ने के लिए व्यवस्था करने में विफल रहता है, तो आपूर्ति एक माह की सूचना देने के बाद अस्थायी रूप से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अस्थायी बिलों को बाद के वास्तविक मीटर पढ़ने के आधार पर समायोजित किया जाएगा।

नए कनेक्शन के मामले में, जिसके लिए एक वर्ष का डेटा उपलब्ध नहीं है, अस्थायी बिलिंग के उद्देश्य के लिए खपत की गणना इन नियमों के अनुलग्नक XVIII में उस श्रेणी के लिए निर्दिष्ट लोड फैक्टर पर विचार करके की जाएगी।

दोषपूर्ण / अटक / बंद / जला मीटर के मामले में बिलिंग

7.12 दोषपूर्ण / फंसे / बंद / जला मीटर के मामले में, उपभोक्ता को पिछले वर्ष के इसी महीने की मासिक खपत और तीन महीने से पहले की औसत मासिक खपत के आधार पर बिल किया जाएगा। ये शुल्क केवल तीन महीने की अधिकतम अवधि के लिए लागू होंगे, जिसके दौरान लाइसेंसधारक को दोषपूर्ण मीटर को बदलने की उम्मीद है।

7.13 यदि उपभोक्ता की स्थापना में मीटर की अधिकतम मांग संकेतक दोषपूर्ण पाया जाता है या रिकॉर्डिंग नहीं करता है (जब तक छेड़छाड़ नहीं किया जाता है), मांग शुल्क की गणना पिछले वर्ष के इसी महीने / बिलिंग चक्र के दौरान अधिकतम मांग के आधार पर की जाएगी, जब मीटर कार्यात्मक और सही ढंग से रिकॉर्डिंग था। यदि पिछले वर्ष के इसी महीने / बिलिंग चक्र की रिकॉर्ड की अधिकतम मांग भी उपलब्ध नहीं है, तो आपूर्ति मांग, 2018 के अनुलग्नक XIX में निर्दिष्ट तंत्र के अनुसार अधिकतम मांग की गणना लोड कारक के आधार पर की जाएगी।

खोया मीटर के मामले में बिलिंग

7.14 खोए गए मीटर के मामले में, उस अवधि के लिए बिजली शुल्क जिसके लिए मीटर उपलब्ध नहीं था, का आकलन नीचे दिया जाएगा:

(1) इस आपूर्ति संहिता, 2018 के विनियमन 8.50 के अनुसार, यदि यह लाइसेंसधारक की पृष्ठताछ में स्थापित किया गया है कि मीटर का नुकसान उपभोक्ता और / या उसके सहानुभूति के जानबूझकर कार्य के कारण था;

(2) इस आपूर्ति संहिता, 2018 के विनियम 7.12 और 7.13 के अनुसार, अन्य मामलों में।

अधिग्रहण या घरेलू उपभोक्ताओं के लिए परिसर की रिक्ति के मामलों में मीटर की विशेष पढ़ाई और बिलिंग

7.15 अधिग्रहण के समय या परिसर में खाली होने के समय लाइसेंसधारक द्वारा विशेष पढ़ने के लिए उपभोक्ता की ज़िम्मेदारी होगी और लाइसेंसधारक से नो-ड्यूज प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।

7.16 उपभोक्ता परिसर की रिक्ति या अधिभोग के परिवर्तन की कम से कम 15 दिन पहले, विशेष रूप से मामले के रूप में, विशेष पढ़ने के लिए लाइसेंसधारक को लिखित में अनुरोध करेगा। हालांकि, लाइसेंसधारक छोटी अवधि के नोटिस को स्वीकार कर सकता है।

7.17 लाइसेंसधारक उपभोक्ता के लिखित अनुरोध प्राप्त करने के 5 दिनों के भीतर मीटर का विशेष पठन लेने की व्यवस्था करेगा और परिसर की अधिभोग / रिक्ति के परिवर्तन से कम से कम 5 दिन पहले बिलिंग की तारीख तक सभी बकाया सहित अंतिम बिल जारी करेगा। इस प्रकार उठाए गए अंतिम बिल का उल्लेख होगा कि परिसर में कोई अन्य बकाया लंबित नहीं है और बिल अंतिम है। अंतिम बिल में प्रो-राटा आधार पर विशेष पढ़ने और परिसर की रिक्ति की तारीख के बीच की अवधि के लिए शुल्क भी शामिल होगा।

7.18 अंतिम बिल उठाए जाने के बाद, लाइसेंसधारक को इस बिल की तारीख से पहले किसी भी अवधि के लिए अंतिम बिल के अलावा किसी भी शुल्क (ओं) को पुनर्प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा। लाइसेंसधारक अपनी रिक्ति पर परिसर में आपूर्ति को डिस्कनेक्ट करेगा। परिसर को खाली करने पर अंतिम भुगतान करने के लिए उपभोक्ता की ज़िम्मेदारी होगी और लाइसेंसधारक तदनुसार भुगतान प्राप्त करने पर कोई बकाया प्रमाणपत्र जारी करेगा। हालांकि, अधिभोग में परिवर्तन के मामले में, कनेक्शन को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाएगा और नाम बदलने के लिए व्यावसायिक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, यह भी प्रभावित होगा।

उपभोक्ता द्वारा आत्म-आकलन पर भुगतान

7.1 9 बिल की प्राप्ति के मामले में, उपभोक्ता इस आपूर्ति संहिता, 2018 में अनुलघ्नक XII में निर्धारित प्रारूप में आत्म-मूल्यांकन बिल जमा कर सकता है, जिसके लिए बिल प्राप्त नहीं हुआ है, बशर्ते कि यह उससे कम न हो पिछले छह महीनों में बिलिंग चक्र के दौरान औसत खपत। उपभोक्ता द्वारा किए गए अतिरिक्त / कमी वाले भुगतान को अगले बिल में समायोजित किया जाएगा।

7.20 अधिभारों के लेवी के संबंध में विवाद के मामले में, लाइसेंसधारक उसे सुनवाई का मौका देने के बाद उपभोक्ता द्वारा विरोध की तारीख से एक बिलिंग चक्र के भीतर विवाद को व्यवस्थित करेगा।

बिलों का अग्रिम भुगतान

7.21 यदि किसी उपभोक्ता के परिसर में कुछ अवधि के लिए खाली रहता है और उपभोक्ता अग्रिम रूप से एकमुश्त भुगतान करने का इरादा रखता है, जिससे बिल राशि का समय-समय पर कटौती की जा सकती है, तो उपभोक्ता इस आपूर्ति संहिता में अनुलघ्नक XIII में निर्धारित प्रारूप में लाइसेंसधारक पर आवेदन कर सकता है, 2018।

7.22 ऐसे मामलों में, उपभोक्ता प्रस्तावित अनुपस्थिति की अवधि के लिए निश्चित शुल्क को कवर करने वाली राशि जमा करेगा। वास्तविक मीटर पढ़ने के आधार पर बाद के बिल जारी किए जाने पर इस तरह के अस्थायी भुगतान को समायोजित किया जाएगा।

7.23 इस व्यवस्था का चयन करने वाले उपभोक्ताओं के बिल उपभोक्ता द्वारा जमा की गई राशि, प्रत्येक बिलिंग चक्र और शेष राशि के बाद बिजली बकाया के खिलाफ समायोजित राशि दिखाएंगे। ऐसे अग्रिम जमा से बकाया राशि पर, बचत बैंक खाते के लिए भारतीय स्टेट बैंक की मौजूदा ब्याज दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। यह ब्याज गणना त्रैमासिक किया जाएगा।

विवादित बिलों के मामले में बिलिंग

7.24 व्यक्तिगत रूप से विवादित बिलों के मामले में शिकायत प्राप्त होने पर, लाइसेंसधारक पद पर प्राप्त होने पर और रसीद के तीन दिनों के भीतर, लिखित / इलेक्ट्रॉनिक पावती जारी करेगा और संदर्भ के लिए शिकायत संख्या देगी।

7.25 यदि उपभोक्ता से कोई अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता नहीं है, तो लाइसेंसधारक उपभोक्ता की शिकायत को हल करेगा और शिकायत प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर उपभोक्ता को नतीजा देगा। यदि कोई अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है, तो उसे प्राप्त किया जाएगा, समस्या हल हो जाएगी और परिणाम अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर उपभोक्ता को सूचित किया जाएगा। हालांकि, अगर उपभोक्ता समय पर जानकारी प्रदान नहीं करता है, तो लाइसेंसधारी को परिणामी देरी के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। बिल पर शिकायत को हल करने तक, उपभोक्ता पिछले वर्ष की इसी अवधि की औसत खपत के आधार पर राशि का भुगतान करेगा जब मीटर कार्यात्मक था। इतनी राशि वसूल की गई शिकायत के समाधान पर अंतिम समायोजन के अधीन होगी।

7.26 अगर शिकायतकर्ता लाइसेंसधारक द्वारा सही पाया जाता है, तो संशोधित बिल उपभोक्ता को सूचित करने के 5 कार्य दिवसों के भीतर जारी किया जाएगा। उपभोक्ता संशोधित बिल की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर भुगतान करेगा। यदि संशोधित देय तिथि से भुगतान किया जाता है, तो उपभोक्ता से कोई देर से भुगतान अधिभार नहीं लिया जाएगा।

7.27 अगर शिकायत गलत साबित हुई तो उपभोक्ता अधिसूचित किया जाएगा और तुरंत मूल बिल के अनुसार भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाएगा और यदि मूल बिल की देय तिथि के बाद भुगतान किया जाता है तो उपभोक्ता देर से भुगतान अधिभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

7.28 उपभोक्ता, जो विशेष मीटर पढ़ने का इरादा रखते हैं, आयोग द्वारा समय-समय पर अनुमोदित के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान करेंगे।

अतिरिक्त भार के मामले में बिलिंग

7.2 9 अतिरिक्त भार के लिए बिलिंग आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

बिलों का भुगतान

7.30 उपभोक्ता बिल (5000 रुपये तक), चेक, डिमांड ड्राफ्ट या डेबिट / क्रेडिट कार्ड, बैंकर चेक, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, नेट बैंकिंग, ड्रॉप बॉक्स इत्यादि द्वारा बिल का भुगतान कर सकता है। चेक और डिमांड ड्राफ्ट किसी भी पर देय होंगे एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की शाखा जो उस क्षेत्र के लिए समाशोधन घर का सदस्य है जहां संबंधित उप मंडल कार्यालय स्थित है। उपभोक्ता द्वारा चेक जमा करने की तारीख, उस तारीख के रूप में समझा जाएगा जिस पर लाइसेंसधारक के खाते में भुगतान प्राप्त होता है।

7.31 भुगतान किया जा सकता है

- (1) निर्दिष्ट समय के दौरान लाइसेंसधारक के नामित संग्रह कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से; या
- (2) पोस्ट या कूरियर द्वारा; या
- (3) नामित स्थानों पर लाइसेंसधारक द्वारा बनाए गए ड्रॉप-बक्से में जमा करके; या
- (4) इंटरनेट के माध्यम से बैंक हस्तांतरण द्वारा; या
- (5) बिल भुगतान की स्वीकृति के लिए लाइसेंसधारक द्वारा स्वीकार की गई किसी अन्य योजना द्वारा।

7.32 लाइसेंसधारक आवश्यक स्थानों के साथ उचित स्थानों पर संग्रह केंद्रों की पर्याप्त संख्या स्थापित करेगा जहां उपभोक्ता बिल राशि को आसानी से और बिना किसी भीड़ के जमा कर सकता है। जहां भी आवश्यक हो, वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति और महिलाओं के लिए अलग-अलग संग्रह काउंटर प्रदान किया जाना चाहिए, अधिमानतः जमीन के तल पर।

7.33 लाइसेंसधारक अधिनियम की धारा 56 के अनुसार, किसी भी उपभोक्ता को देय राशि का भुगतान करने के लिए 15 स्पष्ट दिनों की नोटिस अवधि देने के बाद, किसी भी उपभोक्ता को लिखित में डिस्क्नेक्शन नोटिस जारी कर सकता है।

यदि चेक का अपमान किया जाता है, तो लाइसेंसधारक उपभोक्ता को सूचित करेगा और उसे 7 दिनों के भीतर नकद में बिल का भुगतान करने की आवश्यकता होगी। उपभोक्ता देर से भुगतान अधिभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, साथ ही मसौदे के चेक / गैर-अचलता के अपमान के कारण शुल्क भी। यदि वित्तीय वर्ष में किसी उपभोक्ता के चेक / ड्राफ्ट के अपमान के दो उदाहरण हैं, तो उपभोक्ता को निम्नलिखित वित्तीय वर्ष के अंत तक शुद्ध बैंकिंग के माध्यम से सभी भुगतान करना होगा। इसके अलावा, लाइसेंसधारक के पास वार्तालाप इंस्ट्रुमेंट्स अधिनियम के कानूनी प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का विकल्प हो सकता है।

7.34 इस आपूर्ति संहिता, 2018 के विनियमन 7.30 में उल्लिखित भुगतान के तरीके के अलावा, लाइसेंसधारी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या बैंक के नामित काउंटर या क्रेडिट / डेबिट कार्ड या किसी अन्य माध्यम से बिल भुगतान की स्वीकृति के लिए योजनाएं सूचित कर सकता है उपभोक्ताओं को उचित नोटिस दिए जाने के बाद, निर्दिष्ट क्षेत्र में और / या उपभोक्ताओं की एक निर्दिष्ट श्रेणी के लिए। हालांकि, भुगतान के तरीके में कोई भी बदलाव उपभोक्ता अनुकूल होगा।

7.35 जहां बिल पर भुगतान के लिए दी गई देय तिथि रविवार या सार्वजनिक अवकाश पर पड़ती है, तो भुगतान अगले कार्य दिवस पर देय होगा।

बिल भुगतान की प्राप्ति

7.36 व्यक्ति को किए गए बिलों के भुगतान के लिए उपभोक्ता को रसीद दी जाएगी। सभी मामलों में, भुगतान अगले बिल में स्वीकार किया जाएगा।

प्राप्त राशि का उपयोग

7.37 उपभोक्ता द्वारा किए गए सभी भुगतान प्राथमिकता के निम्नलिखित क्रम में समायोजित किए जाएंगे:

- (1) देर से भुगतान अधिभार;
- (2) बिजली शुल्क के बकाया और बिजली शुल्क / कर के संबंधित बकाया;
- (3) वर्तमान बिजली शुल्क और संबंधित वर्तमान बिजली शुल्क / कर;
- (4) विविध शुल्क।

देर से भुगतान अधिभार

7.38 मौजूदा टैरिफ ऑर्डर के अनुसार देरी भुगतान के लिए अधिभार लगाया जाएगा।

किश्त सुविधा

7.39 लाइसेंसधारक उन उपभोक्ताओं के लिए किस्तों में बिलों के भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार कर सकता है जो बिजली की आपूर्ति जारी रखने के लिए वित्तीय संकट के तहत हैं। देर से भुगतान अधिभार, देय तिथि के बाद भुगतान की गई राशि पर लगाया जाएगा।

बकाया की वसूली

7.40 भुगतान में चूक के कारण किसी भी उपभोक्ता से देय राशि, उस तारीख से दो साल की अवधि के बाद पुनर्प्राप्त करने योग्य नहीं होगी जब तक कि इस तरह की राशि पहली बार नहीं हो जाती है जब तक कि इस तरह की राशि लगातार बिजली के लिए शुल्क के बकाया के रूप में पुनर्प्राप्त करने योग्य नहीं दिखाया जाता है।

इसके अलावा, लाइसेंसधारक द्वारा पूरी तरह से सत्यापन के बाद किसी भी उपभोक्ता (यदि कोई हो) की अवधि के लिए लंबित किसी भी उपभोक्ता की दूसरी स्थापना में हस्तांतरित किया जा सकता है, यानी प्रमाण है कि दोनों उपभोक्ता समान हैं।

अध्याय -8

8. चोरी और अप्रत्यक्ष उपयोग बिजली

बिजली की चोरी

8.1 जब भी ऊर्जा की चोरी का मामला पता चला है, प्राधिकृत अधिकारी नीचे दिए गए खंडों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आकलन करेगा:

बिजली की चोरी के मामले की बुकिंग के लिए प्रक्रिया

8.2 लाइसेंसधारी या आपूर्तिकर्ता प्राधिकृत अधिकारियों की सूची सभी कार्यालयों और इसकी वेबसाइट में प्रमुख रूप से प्रकाशित करेगा और ऐसे अधिकारियों को जारी फोटो पहचान पत्र किसी भी स्थान या आधार के निरीक्षण के लिए इंगित करेगा, धारा 135 (2) के अनुसार अधिनियम।

8.3 एक अधिकृत अधिकारी, सुओ-मोटो या बिजली की चोरी के संबंध में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होने पर, उस क्षेत्र के कार्यकारी अभियंता (एसई) की पूर्व सूचना के तुरंत बाद ऐसे परिसर का निरीक्षण करेगा:

बशर्ते कि उन मामलों में जहां ईई नियुक्त नहीं किया गया हो; संबंधित सूचना अभियंता को पूर्व सूचना प्रदान की जाएगी:

बशर्ते कि किसी भी आवासीय परिसर का कोई निरीक्षण, खोज और जब्त सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच नहीं की जाएगी, इस तरह के परिसर में रहने वाले वयस्क पुरुष सदस्य की उपस्थिति को छोड़कर।

8.4 ऐसे प्राधिकृत अधिकारी की अध्यक्षता में लाइसेंसधारी या आपूर्तिकर्ता की निरीक्षण टीम उनके साथ उनके फोटो पहचान पत्र रखेगी। परिसर में प्रवेश करने से पहले फोटो पहचान पत्र उपभोक्ता / उपभोक्ता प्रतिनिधि को दिखाया जाना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी का फोटो पहचान पत्र स्पष्ट रूप से इंगित करेगा कि अधिनियम के धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार उन्हें प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

8.5 निरीक्षण करते समय प्राधिकृत अधिकारी और उनकी टीम अधिनियम की धारा 135 के उपधारा 2, 3 और 4 के प्रावधानों का पालन करेगी।

8.6 जहां तक संभव हो, निरीक्षण की घटनाओं को फोटोग्राफ / वीडियो ग्रैफ किया जाएगा। मामलों में, जहां महत्वपूर्ण कानून और व्यवस्था की समस्या का अनुमान लगाया जाता है, परिसर का निरीक्षण करने वाले प्राधिकृत अधिकारी तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी से सहायता लेते हैं और पुलिस सहायता भी मांगते हैं। ऐसे मामलों में सभी घटनाओं को वीडियो कैमरा के माध्यम से दर्ज किया जाएगा।

8.7 यदि ऐसी प्रविष्टि या निरीक्षण व्यक्ति / उपभोक्ता द्वारा बिजली की चोरी के किसी भी कार्य में कमीशन या जुड़ाव को इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं बताता है, प्राधिकृत अधिकारी, उसके साथ कर्मचारी और लाइसेंसधारक किसी भी कथित हानि या असुविधा के कारण उत्तरदायी नहीं होंगे इस तरह के प्रवेश, निरीक्षण और खोज के कारण व्यक्ति / उपभोक्ता को।

8.8 प्राधिकृत अधिकारी एक रिपोर्ट तैयार करेगा जैसे कि जुड़े लोड, मीटर मुहरों की स्थिति, मीटर का काम करना और किसी भी अनियमितता का उल्लेख करना (जैसे छेड़छाड़ मीटर, ऊर्जा की चोरी के लिए अपनाया जाने वाला कृत्रिम माध्यम)।

8.9 रिपोर्ट स्पष्ट रूप से इंगित करेगी कि ऊर्जा की चोरी को साबित करने वाले पर्याप्त सबूत पाए गए थे या नहीं। इस तरह के सबूत का विवरण रिपोर्ट में दर्ज किया जाना चाहिए।

8.10 चोरी के लिए कोई मामला केवल मीटर के लापता या छेड़छाड़ या ग्लास खिड़की के टूटने पर मुहरों के कारण बुक नहीं किया जाएगा, जब तक कि उपभोक्ता के खपत पैटर्न और अन्य प्रमाणों के मुताबिक उपलब्ध न हो।

8.11 यदि अधिनियम की धारा 135 उप-धारा (1 ए) के अनुसार बिजली, लाइसेंसधारी या प्रदायक की सीधी चोरी स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो आपूर्ति को डिस्कनेक्ट कर लेंगे और तारों / केबल्स, मीटर, सर्विस लाइन इत्यादि सहित सभी भौतिक सबूत जब्त करेंगे। परिसर से, इस तरह के डिस्कनेक्शन के समय से 24 घंटों के भीतर अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन में ऐसे अपराध के कमीशन से संबंधित लिखित में शिकायत दर्ज कराएगी।

8.12 संदिग्ध चोरी के मामले में, प्राधिकृत अधिकारी पुराने मीटर को जब्त जापान के तहत हटा देगा और इसे उपभोक्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि और अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में सील कर देगा और उपभोक्ता को मीटर पर मुहरबंद पर हस्ताक्षर करना होगा।

8.13 लाइसेंसधारी या आपूर्तिकर्ता उपभोक्ता को एक नए मीटर के साथ आपूर्ति जारी रखेगा। पुराने मीटर का उपभोक्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि और लाइसेंसधारक की परीक्षण प्रयोगशाला में अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में परीक्षण किया जाएगा, जो लिखित में एक परीक्षा रिपोर्ट देगी, जिसमें फोटोग्राफ / वीडियो के साथ सबूत होंगे। प्राधिकृत अधिकारी अपनी रिपोर्ट में परिसर में चोरी पर शक करने के कारणों को रिकॉर्ड करेगा:

बशर्ते कि उपभोक्ता अनुरोध, मीटर का परीक्षण एनएबीएल (परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड) उपभोक्ताओं की लागत पर मान्यता प्राप्त तीसरे पक्ष की परीक्षण सुविधा पर किया जाएगा।

8.14 रिपोर्ट प्राधिकृत अधिकारी और निरीक्षण टीम के प्रत्येक सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और इसे उचित रसीद के तहत तुरंत उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि को साइट पर सौंप दिया जाना चाहिए। उपभोक्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किसी भी रसीद को स्वीकार करने या देने के लिए इनकार करने के मामले में, निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति परिसर में / बाहर के एक विशिष्ट स्थान पर चिपकाई जानी चाहिए। साथ ही, रिपोर्ट उपभोक्ता को दिन के बाद या निरीक्षण के अगले दिन पंजीकृत पोस्ट / स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी जाएगी:

बशर्ते कि संदिग्ध चोरी के मामले में, यदि पिछले एक साल के लिए खपत पैटर्न उचित रूप से समान है और अनुमानित खपत का 75% से कम नहीं है, तो आगे की कार्यवाही नहीं की जाएगी और निर्णय उचित उपभोक्ता के भीतर उचित रसीद के तहत सूचित किया जाएगा तीन दिन।

8.15 उपभोक्ता के साक्ष्य और खपत पैटर्न की विस्तृत जांच के बाद, यदि लाइसेंसधारी या आपूर्तिकर्ता को आश्चर्य किया जाता है कि उपभोक्ता के खिलाफ बेईमानी से बिजली के अस्थिरता, खपत या उपयोग के लिए पहला मामला सामने आया है, तो लाइसेंसधारी या आपूर्तिकर्ता, निरीक्षण के 7 दिनों के भीतर, उपभोक्ता को शो कारण नोटिस के साथ इस आपूर्ति संहिता, 2018 के विनियमन 8.25 के अनुसार मूल्यांकन किए गए एक अस्थायी मूल्यांकन आदेश की सेवा करें, कारण बताएं कि चोरी के मामले को ऐसे मामले के खिलाफ क्यों नहीं बुक किया जाना चाहिए

उपभोक्ता ऐसे निर्णय और अंक पर पहुंचने के लिए पूर्ण विवरण दे रहा है जिस पर उत्तर जमा करना है। नोटिस स्पष्ट रूप से उस समय, तिथि और स्थान को अवश्य बताता है जिस पर उत्तर जमा करना होता है और उस व्यक्ति का पदनाम जिसे उसे संबोधित किया जाना चाहिए।

8.16 यदि लाइसेंसधारक या आपूर्तिकर्ता द्वारा निरीक्षण की तारीख से 30 दिनों के बाद भी कोई कारण-कारण नोटिस नहीं दिया जाता है, तो संदिग्ध चोरी का मामला गिरा दिया जाएगा और उपभोक्ता के खिलाफ कोई और कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है।

8.17 भौतिक निरीक्षण के दौरान मिले मीटर के साथ चोरी शारीरिक हस्तक्षेप तक ही सीमित नहीं होगी। इसमें रिमोट कंट्रोल, उच्च वोल्टेज इंजेक्शन इत्यादि जैसे बाह्य तरीकों का उपयोग करके चोरी भी शामिल होगी, जो उपभोग की गई ऊर्जा की सटीक रिकॉर्डिंग में हस्तक्षेप करती है। लाइसेंसधारक द्वारा नीचे लोड किए गए मीटरिंग डेटा के विश्लेषण द्वारा बिजली की चोरी की स्थापना की जा सकती है। यदि उपभोक्ता एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त तीसरे पक्ष की सुविधा द्वारा मीटर लोड किए गए मीटरिंग डेटा के मीटर या विश्लेषण के लिए अनुरोध करता है, तो तीसरे पक्ष द्वारा इस तरह के परीक्षण / विश्लेषण की लागत उपभोक्ता द्वारा ली जाएगी। यदि मीटर की भार के माध्यम से ऊर्जा की चोरी निर्धारित की जाती है, तो इस आपूर्ति संहिता, 2018 के विनियमन 8.25 के अनुसार मूल्यांकन किए गए अस्थायी मूल्यांकन आदेश के साथ उपभोक्ता / उपयोगकर्ता को भेजा जाएगा। नोटिस स्पष्ट रूप से उस समय, तिथि और स्थान को अवश्य बताता है जिस पर उत्तर जमा करना होता है और उस व्यक्ति का पदनाम जिसे उसे संबोधित किया जाना चाहिए।

8.18 जिस व्यक्ति को इस आपूर्ति संहिता, 2018 के विनियम 8.15 और 8.17 के तहत आदेश दिया गया है, वह आकलन अधिकारी के समक्ष अस्थायी मूल्यांकन के खिलाफ आपत्तियों को दर्ज करने के हकदार होगा, जो एक उचित अवसर प्रदान करने के बाद होगा ऐसे व्यक्ति को सुनने के लिए, मूल्यांकन का अंतिम आदेश पास करें।

उपभोक्ता के जवाब जमा करना

8.19 उपभोक्ता इस आपूर्ति संहिता, 2018 के विनियम 8.15 और 8.17 में उल्लिखित संबंधित अधिकारी को शो कारण नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अपना उत्तर जमा करेगा।

8.20 ऐसे मामलों में जहां उपभोक्ता अस्थायी मूल्यांकन आदेश के खिलाफ आपत्तियों को फाइल करता है, सुनवाई की प्रक्रिया इस आपूर्ति संहिता, 2018 के विनियम 8.21 और 8.22 के अनुसार होगी।

संदिग्ध चोरी के मामले में सुनवाई

8.21 उपभोक्ता के उत्तर जमा करने की तारीख से 5 कार्य दिवसों के भीतर, लाइसेंसधारी या प्रदायक उपभोक्ता के साथ सुनवाई की व्यवस्था करेगा। यदि उपभोक्ता सुनवाई के लिए उपस्थित होने में विफल रहता है तो उपभोक्ता को एक और मौका दिया जा सकता है। यदि उपभोक्ता दूसरी बार उपस्थित होने में विफल रहता है, तो लाइसेंसधारक उपभोक्ता के खिलाफ आगे बढ़ सकता है।

8.22 सुनवाई के दौरान, मूल्यांकन अधिकारी उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा और 5 कार्य दिवसों के भीतर पास होगा, यह आदेश कि चोरी का मामला स्थापित है या नहीं। आदेश में निरीक्षण रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण, उपभोक्ता द्वारा उनके लिखित उत्तर और मौखिक सबमिशन में सुनवाई के दौरान सबमिशन और स्वीकृति या अस्वीकृति के कारण शामिल होंगे।

8.23 उन सभी मामलों में जहां बिजली की चोरी का पता चला है, लाइसेंसधारी या प्रदायक अधिनियम के धारा 153 के तहत स्थापित विशेष न्यायालयों के साथ मामला दर्ज करेगा।

8.24 उपभोक्ता के उत्तर / सुनवाई के आधार पर निर्णय के मामले में जहां चोरी का मामला स्थापित नहीं किया गया है, आगे की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी।

मूल्यांकन

8.25 अधिनियम की धारा 126 के तहत परिभाषित लाइसेंसधारक या प्रदायक का मूल्यांकन अधिकारी, बिजली की चोरी के लिए अधिनियम की धारा 135 के तहत आपराधिक कार्रवाई के बावजूद, अनुबंध XIX में दिए गए मूल्यांकन सूत्र के अनुसार ऊर्जा खपत का

आकलन करेगा यह आपूर्ति संहिता, 2018, पूरे अवधि के दौरान, जिसमें बिजली की चोरी हुई है और यदि, हालांकि, जिस अवधि के दौरान बिजली की चोरी की गई है, उसे पता नहीं लगाया जा सकता है, ऐसी अवधि तुरंत 12 महीने तक सीमित होगी निरीक्षण की तारीख और लागू टैरिफ पर मूल्यांकन आदेश तैयार करें। इन विनियमों में अनुलग्नक - XIX में दिए गए मूल्यांकन फॉर्मूला के अनुसार ऊर्जा खपत का आकलन करने के बाद, लाइसेंसधारक लागू टैरिफ के दो गुना के बराबर एक अंतिम निर्धारण बिल तैयार करेगा और निम्नलिखित जानकारी वाले उपभोक्ता नोटिस पर कार्य करेगा:

(1) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक और समय, सामग्री जब्त की सूची और किसी भी अन्य प्रासंगिक तथ्य सहित निरीक्षण से संबंधित विवरण;

(2) बिजली की चोरी के कारण मूल्यांकन की गई ऊर्जा खपत का विवरण, जिस अवधि के लिए आकलन किया गया है और उपभोक्ता / व्यक्ति द्वारा जमा की जाने वाली राशि (अनुलग्नक में दी गई गणना गणना फॉर्मूला - इन नियमों में XIX)।

8.26 नियमित मीट्रिक कनेक्शन के मामले में, जहां बिजली की चोरी का मामला पता चला है, उस मीटर में दर्ज इकाइयां जिनके लिए लाइसेंसधारक द्वारा अवधि के दौरान व्यक्ति को बिल उठाया गया है, जिसके लिए मूल्यांकन किया जाता है, विधिवत होगा उपभोक्ता को श्रेय दिया।

8.27 उपभोक्ता को अपनी रसीद के 7 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा।

8.28 लाइसेंसधारक या प्रदायक, जैसा कि मामला हो, इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित राशि या बिजली शुल्क के जमा या भुगतान पर, दूसरी प्रावधान में उल्लिखित शिकायत दर्ज कराने के दायित्व के प्रति पूर्वाग्रह के बिना होगा अधिनियम की धारा 135 के खंड (1 ए) के लिए, इस तरह के जमा या भुगतान के चालीस घंटे के भीतर बिजली की आपूर्ति लाइन बहाल करें।

8.29 यदि व्यक्ति निर्धारित समय के भीतर भुगतान नहीं करता है, तो लाइसेंसधारी या आपूर्तिकर्ता मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपनी देनदारियों को पुनर्प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेगा।

8.30 मूल्यांकन राशि के भुगतान में व्यक्ति द्वारा डिफॉल्ट रूप से, व्यक्ति, मूल्यांकन राशि के अतिरिक्त, भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा, आकलन के आदेश से तीस दिन की समाप्ति पर, दर पर ब्याज की राशि उचित न्यायालय द्वारा निर्णय के लंबित हर 6 महीने में प्रति वर्ष 16% की वृद्धि हुई है।

मूल्यांकन राशि या उसके किस्तों के भुगतान में डिफॉल्ट

8.31 मूल्यांकन राशि के भुगतान में डिफॉल्ट रूप से, लाइसेंसधारक 15 दिनों की नोटिस देने के बाद, लिखित रूप में, अधिनियम के धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार नामित विशेष अदालत में उपभोक्ता के खिलाफ मामला दर्ज करेगा।

Tampered मीटर की स्वैच्छिक घोषणा

8.32 यदि कोई उपभोक्ता आगे आता है और स्वेच्छा से मीटर और / या मुहरों की छेड़छाड़ की घोषणा करता है:

(1) छेड़छाड़ मीटर को उपभोक्ता की लागत या उपभोक्ता द्वारा लाइसेंसधारक द्वारा नए मीटर के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा, जैसा कि मामला हो, तुरंत और लाइसेंसधारी अवधि के लिए सामान्य शुल्क के दो गुना पर मूल्यांकन बिल बढ़ाएगा पिछले छह महीने घोषणा की तारीख से गिना गया;

(2) मीटर बिल की अवधि के लिए ऊर्जा बिल, दोषपूर्ण मीटर की प्रक्रिया के अनुसार भेजा जाएगा;

(3) यदि कोई उपभोक्ता स्वेच्छा से छेड़छाड़ वाले मीटर की घोषणा करता है और समय पर अपेक्षित शुल्क चुकाता है तो लाइसेंसधारक विशेष न्यायालय नहीं लेगा;

(4) भुगतान में डिफॉल्ट के मामले में, चोरी मामले की बुकिंग के लिए प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है।

बिजली का अनधिकृत उपयोग (यूयूई)

मामलों को विद्युत के अनधिकृत उपयोग के रूप में माना जाएगा

8.33 उपभोक्ता के हिस्से पर निम्नलिखित कार्य अधिनियम के धारा 126 के प्रावधानों के तहत मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए बिजली के अनधिकृत उपयोग के रूप में माना जाना चाहिए;

- (1) किसी भी कृत्रिम माध्यम से; या
- (2) किसी माध्यम से संबंधित व्यक्ति या प्राधिकारी या लाइसेंसधारी द्वारा अधिकृत नहीं है; या
- (3) एक छेड़छाड़ मीटर के माध्यम से; या
- (4) जिसके उद्देश्य के लिए बिजली का उपयोग अधिकृत किया गया था; या
- (5) परिसर या उन क्षेत्रों के अलावा जिनके लिए बिजली की आपूर्ति अधिकृत थी।

8.34 मामलों को बिजली के अनधिकृत उपयोग के रूप में नहीं माना जाना चाहिए:

- (1) यदि किसी भी उपभोक्ता (घरेलू उपभोक्ता सहित) का जुड़ा हुआ भार पाया जाता है लोड की वृद्धि के परिणामस्वरूप या दीपक, प्रशंसकों, फ़्यूज़, स्विच, कम वोल्टेज घरेलू उपकरणों, फिटिंग आदि के किसी भी प्रतिस्थापन के कारण स्वीकृत / अनुबंधित लोड से भिन्नता में होना, यह न तो बिजली के अनधिकृत उपयोग के तहत आ जाएगा (अधिनियम 2003 की धारा 126) न ही बिजली की चोरी (अधिनियम 2003 की धारा 135);
- (2) मुख्य गतिविधि के लिए आकस्मिक गतिविधियों की आपूर्ति, उदाहरण के लिए नर्सिंग होम और अस्पतालों, चाय की दुकानों, कैंटीन, कर्मचारी सहायक दुकानों, औषधालयों, पेट्रोल पंपों में पंचर की दुकानों आदि में रसायनज्ञ की दुकान की आपूर्ति, बशर्ते कि इस तरह के लिए जुड़े लोड गतिविधियां मंजूर भार के 5% या 5 किलोवाट के भीतर रहती हैं, जो भी कम हो;
- (3) घरेलू / गैर-घरेलू कनेक्शन के मामले में, भवन / साजिश के अन्य हिस्से से कनेक्शन से आपूर्ति का विस्तार, नौकरियों के क्वार्टर, स्वयं के पार्किंग गैरेज या व्यक्तिगत धार्मिक कार्यों, खेल, आदि, आवासीय क्षेत्रों में जब तक आपूर्ति किसी भी हिस्से तक नहीं बढ़ाई जाती है जिसके लिए बकाया भुगतान के भुगतान के कारण कनेक्शन को डिस्कनेक्ट किया गया है और उपयोग की श्रेणी में कोई बदलाव नहीं है;
- (4) डॉक्टरों, इंजीनियरों, वकीलों, सीए, पत्रकारों और कंसल्टेंट्स जैसे पेशेवरों ने उनके निवास से अभ्यास के बावजूद पेशेवरों को प्रदान किया है, बशर्ते कि इस तरह के उपयोग परिसर के क्षेत्र के 25% से अधिक नहीं हो सकते हैं या जैसा कि उनके संबंधित नियमों / नियमों में निर्दिष्ट है राज्य या संघ शासित प्रदेश;
- (5) कॉटेज और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए घरों में परिचालन जैसे कि कोबबलर, धोबी, कपड़ों की इस्त्री, सिलाई / बुनाई, पैन-शॉप और बेकरी उत्पाद, छोटी दुकानें, चाय की दुकानें इत्यादि, कुल भार (अधिकतम मांग) 5 किलोवाट की, घरेलू टैरिफ लागू होगी, एमडीआई मीटर की स्थापना के अधीन। ऐसे मामलों में जहां कुल भार 5 किलोवाट से अधिक है, वाणिज्यिक और घरेलू उपयोग के लिए अलग मीटरिंग किया जाएगा, और लागू टैरिफ के अनुसार खपत का शुल्क लिया जाएगा;
- (6) औद्योगिक या वाणिज्यिक परिसर में जहां आपूर्ति एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा की जाती है जहां व्यवसाय में विभाजन होता है या परिवार में विभाजन होता है या जहां कनेक्शन के उपयोगकर्ता उत्तराधिकार के कारण बदलते हैं

विद्युत के अनधिकृत उपयोग के मामले की बुकिंग के लिए प्रक्रिया

8.35 लाइसेंसधारी या प्रदायक मूल्यांकन कार्यालयों की सूची प्रकाशित करेगा, मुख्य रूप से सभी कार्यालयों और इसकी वेबसाइट में और ऐसे अधिकारियों को फोटो पहचान पत्र जारी करेगा।

8.36 एक मूल्यांकन अधिकारी, सुओ-मोटो या बिजली के अनधिकृत उपयोग के संबंध में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होने पर, तत्काल ऐसे परिसर का निरीक्षण करेगा और इस तरह के परिसर का निरीक्षण करने के समय उपस्थित होगा।

8.37 ऐसे मूल्यांकन अधिकारी की अध्यक्षता में लाइसेंसधारक की निरीक्षण टीम उनके साथ उनके विज़िटिंग कार्ड और फोटो पहचान पत्र रखेगी। फोटो पहचान पत्र दिखाया जाना चाहिए और परिसर में प्रवेश करने से पहले उपभोक्ता को विज़िटिंग कार्ड सौंप दिया जाना चाहिए।

8.38 मूल्यांकन अधिकारी एक रिपोर्ट तैयार करेगा जैसे जुड़े लोड, सील की स्थिति, मीटर का काम करना और किसी भी अनियमितता का उल्लेख करना (जैसे कृत्रिम साधन बिजली के अनधिकृत उपयोग के लिए अपनाया गया है)।

8.39 रिपोर्ट स्पष्ट रूप से इंगित करेगी कि बिजली के अनधिकृत उपयोग को साबित करने के पर्याप्त प्रमाण पाए गए हैं या नहीं। इस तरह के सबूत का विवरण रिपोर्ट में दर्ज किया जाना चाहिए और उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री को सबूत के रूप में रखा जाएगा।

8.40 रिपोर्ट उपभोक्ता द्वारा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने में असफल होने पर, निरीक्षण टीम के प्रत्येक सदस्य और उपभोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, फिर उसे निरीक्षण रिपोर्ट में दर्ज किया जाना चाहिए और रिपोर्ट को सौंप दिया जाना चाहिए उचित रसीद के तहत तुरंत उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि साइट पर। उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि द्वारा किसी भी रसीद को स्वीकार करने या देने के लिए इनकार करने के मामले में, निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति परिसर में / बाहर के एक विशिष्ट स्थान पर चिपका दी जाएगी। साथ ही, रिपोर्ट उपभोक्ता को दिन के बाद या निरीक्षण के अगले दिन पंजीकृत पोस्ट / स्पीड पोस्ट के तहत भेजी जाएगी।

8.41 निरीक्षण की तारीख के तीन कार्य दिवसों के भीतर, मूल्यांकन अधिकारी, जहां भी उपलब्ध हो और निरीक्षण की रिपोर्ट तैयार करते हैं, उपभोग पैटर्न समेत सभी सबूतों पर ध्यान से विचार करने के बाद मामले का विश्लेषण करेगा। यदि यह निष्कर्ष निकाला गया है कि बिजली का कोई अनधिकृत उपयोग नहीं हुआ है, तो कोई और कार्रवाई नहीं की जाएगी।

उपभोक्ता को नोटिस

8.42 यदि मूल्यांकन अधिकारी को संदेह है कि बिजली का अनधिकृत उपयोग हुआ है, तो वह उपभोक्ता को शो कारण नोटिस के साथ आपूर्ति संहिता, 2018 के विनियम 8.49 और 8.50 के अनुसार मूल्यांकन किए गए एक अस्थायी मूल्यांकन आदेश की सेवा करेगा, जिसके कारण एक ऐसे उपभोक्ता के खिलाफ बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामले को बुक नहीं किया जाना चाहिए।

शो-कारण नोटिस स्पष्ट रूप से उस समय, तिथि और स्थान को अवश्य बताता है जिस पर उत्तर जमा करना होता है और उस व्यक्ति का पदनाम जिसे उसे संबोधित किया जाना चाहिए।

8.43 व्यक्ति, जिस पर इस आपूर्ति संहिता, 2018 के विनियमन 8.42 के तहत आदेश दिया गया है, सुनवाई अधिकारी के समक्ष अस्थायी मूल्यांकन के खिलाफ आपत्तियों को दर्ज करने के हकदार होगा, जो सुनने के उचित अवसर के बाद, ऐसे व्यक्ति को, मूल्यांकन का अंतिम आदेश पास करें।

8.44 यदि उपभोक्ता पर ऐसे अस्थायी मूल्यांकन आदेश की सेवा के 7 दिनों के भीतर अस्थायी मूल्यांकन राशि जमा की जाती है, तो नोटिस का उत्तर आवश्यक नहीं होगा।

उपभोक्ता के उत्तर का सबमिशन

8.45 उपभोक्ता इस आपूर्ति संहिता, 2018 के विनियमन 8.42 में उल्लिखित संबंधित अधिकारी को शो कारण नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अपना उत्तर जमा करेगा।

8.46 ऐसे मामलों में जहां उपभोक्ता अस्थायी मूल्यांकन आदेश के खिलाफ आपत्तियों को फाइल करता है, सुनवाई की प्रक्रिया इस आपूर्ति संहिता, 2018 के विनियम 8.47 और 8.48 के अनुसार होगी।

बिजली के संदिग्ध अनधिकृत उपयोग के मामले में सुनवाई

8.47 उपभोक्ता के उत्तर जमा करने की तारीख से 5 दिनों के भीतर, लाइसेंसधारी उपभोक्ता के साथ सुनवाई की व्यवस्था करेगा।

8.48 सुनवाई के दौरान, निर्धारित अधिकारी उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर विचार करेगा और 5 कार्य दिवसों के भीतर पास करेगा, यह आदेश कि बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामले की स्थापना की गई है या नहीं। आदेश में निरीक्षण रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण, उपभोक्ता द्वारा उनके लिखित उत्तर और मौखिक सबमिशन में सुनवाई के दौरान सबमिशन और स्वीकृति या अस्वीकृति के कारण शामिल होंगे।

मूल्यांकन

8.4 9 जहां यह स्थापित किया गया है कि उपभोक्ता के उत्तर जमा / सुनवाई के आधार पर बिजली के अनधिकृत उपयोग का मामला है, मूल्यांकन अधिकारी ऊर्जा खपत का आकलन निम्नलिखित पर विचार करेगा:

(1) मूल्यांकन की अवधि: यदि मूल्यांकन अधिकारी निष्कर्ष तक पहुंच जाता है कि बिजली का अनधिकृत उपयोग किया गया है, तो मूल्यांकन पूरे अवधि के लिए किया जाएगा जिसके दौरान बिजली का अनधिकृत उपयोग किया गया है और यदि, हालांकि, अवधि जिसके दौरान बिजली के इस तरह के अनधिकृत उपयोग का पता लगाया जा सकता है, इस तरह की अवधि निरीक्षण की तारीख से पहले 12 महीने की अवधि तक ही सीमित होगी;

(2) आकलन शुल्क: मूल्यांकन उस अवधि के लिए लाइसेंसधारक के कारण होने वाली वित्तीय हानि से दोगुना तक सीमित होगा, जिसके दौरान अनधिकृत उपयोग किया गया है, यानी, उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए जाने वाले बिजली शुल्क के दो गुना अंतर वास्तव में अवधि के दौरान भुगतान किए गए टैरिफ और बिजली शुल्क की प्रासंगिक श्रेणी के अनुसार, अधिकतम 12 महीने की अवधि के अधीन;

(3) यदि उपभोक्ता बिजली के अनधिकृत उपयोग के एक से अधिक अधिनियमों में शामिल होता है, तो उपभोक्ता द्वारा इस तरह के प्रत्येक अनधिकृत उपयोग के संबंध में देय शुल्क अलग-अलग मूल्यांकन और बिल के अनुसार बिल किया जाएगा।

8.50 अधिनियम की धारा 126 के तहत परिभाषित लाइसेंसधारक या प्रदायक का मूल्यांकन अधिकारी, बिजली की चोरी के लिए अधिनियम की धारा 135 के तहत आपराधिक कार्रवाई के बावजूद, अनुबंध XIX में दिए गए मूल्यांकन सूत्र के अनुसार ऊर्जा खपत का आकलन करेगा यह आपूर्ति संहिता, 2018।

8.51 अंतिम मूल्यांकन आदेश उपभोक्ता पर उचित रसीद के तहत किया जाएगा। उपभोक्ता को उचित रसीद के 7 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा। आदेश की एक प्रति उचित रसीद के तहत उपभोक्ता को भी सौंपी जाएगी।

8.52 अधिनियम के धारा 126 (2) के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार इस तरह के अधिग्रहण या कब्जे में या स्थान या परिसर के प्रभारी व्यक्ति को अंतिम मूल्यांकन का आदेश दिया जाएगा।

8.53 अंतिम मूल्यांकन के आदेश के साथ कार्यरत कोई भी व्यक्ति, इस तरह के मूल्यांकन को स्वीकार कर सकता है और मूल्यांकन राशि को सेवा आदेश की सेवा के 7 दिनों के भीतर लाइसेंसधारक के साथ जमा कर सकता है।

8.54 अंतिम मूल्यांकन आदेश की सेवा के 7 दिनों के भीतर बिल राशि का भुगतान न करने के मामले में, कनेक्शन 15 दिनों की नोटिस की सेवा करके डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जिसे मूल्यांकन राशि जमा होने तक पुनः कनेक्ट नहीं किया जाएगा। गैर-भुगतान के मामले में, राशि नियमित बिल में बकाया राशि के रूप में दिखाई जाएगी।

8.55 जब उपभोक्ता मूल्यांकन राशि का भुगतान करने में चूक करता है, तो उपभोक्ता मूल्यांकन राशि के अतिरिक्त, भुगतान के लिए उत्तरदायी होने की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, 16 की दर से व्याज की राशि प्रति वर्ष 6% हर साल मिश्रित।

अपीलीय प्राधिकारी के लिए अपील

8.56 मूल्यांकन अधिकारी द्वारा किए गए अंतिम आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति, आदेश के 30 दिनों के भीतर, इस तरह के रूप में एक अपील को प्राथमिकता देता है, इस तरह से सत्यापित किया जाता है और राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट अपील के साथ इस तरह के शुल्क के साथ किया जा सकता है प्राधिकरण।

8.57 उपरोक्त विनियमन 8.56 के तहत मूल्यांकन के आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाएगी जब तक कि मूल्यांकन राशि के आधे हिस्से के बराबर राशि लाइसेंसधारक के साथ जमा नहीं की जाती है और इस तरह के जमा के दस्तावेजी सबूत अपील के साथ संलग्न किए जाते हैं।

8.58 अपीलीय प्राधिकरण पार्टियों की सुनवाई के बाद अपील का निपटान करेगा और पार्टियों की सुनवाई के बाद उचित आदेश पारित करेगा और आदेश अधिकारी और अपीलकर्ता को आदेश की प्रतिलिपि भेज देगा। अपीलीय प्राधिकरण का आदेश अंतिम होगा।

8.59 अपीलीय प्राधिकरण के अंतिम आदेश के अनुसार 7 दिनों में उपभोक्ता को संशोधित बिल के साथ परोसा जाएगा।

8.60 यदि कोई उपभोक्ता अपीलीय प्राधिकारी के अंतिम आदेश की सेवा के 7 दिनों के भीतर भुगतान करने में चूक करता है, तो कनेक्शन 15 दिनों की नोटिस देने के बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जो बिल राशि को मंजूरी मिलने तक पुनः कनेक्ट नहीं किया जाएगा। गैर-भुगतान के मामले में, राशि नियमित बिल में बकाया के रूप में इंगित की जाएगी और वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी।

8.61 अधिनियम के धारा 127 (6) के अनुसार हर 6 महीने के लिए अंतिम आदेश की तारीख से तीस दिन बाद अपीलीय प्राधिकरण के अंतिम आदेश के अनुसार राशि पर 16% प्रति वर्ष ब्याज का शुल्क लिया जाएगा।

8.62 यदि अपीलीय प्राधिकरण का मानना है कि बिजली के अनधिकृत उपयोग की कोई समस्या नहीं है, तो लाइसेंसधारक द्वारा आगे की कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी और अपीलकर्ता द्वारा जमा की गई राशि प्रति वर्ष 16 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ वापस की जाएगी। जमा की तारीख से अवधि के लिए छह महीने, बकाया राशि तक तुरंत अगले महीनों के बिजली बिलों में समायोजन के माध्यम से समायोजित किया जाता है। अपीलकर्ता अपीलकर्ता द्वारा जमा राशि की नकदी वापसी का विकल्प भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मौजूदा बचत बैंक दर ब्याज के साथ कर सकता है, जब तक लाइसेंसधारक द्वारा इस तरह की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है।

8.63 यदि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि के मुताबिक देय राशि पहले से जमा राशि से कम है, तो अतिरिक्त राशि बैंक के स्टेट बैंक ऑफ ब्याज की बचत बचत दर के साथ तत्काल महीनों के बिलों में समायोजन द्वारा वापस की जाएगी। वास्तविक समायोजन की तारीख तक इस तरह के अतिरिक्त जमा की तारीख से भारत।

8.64 यदि व्यक्ति अधिनियम की धारा 127 के तहत अपील करना पसंद नहीं करता है और मूल्यांकन राशि के भुगतान में चूक भी करता है, तो कनेक्शन 15 दिनों की नोटिस की सेवा करके डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जिसे मूल्यांकन राशि जमा होने तक पुनः कनेक्ट नहीं किया जाएगा। गैर-भुगतान के मामले में, राशि नियमित बिल में बकाया के रूप में दिखाई जाएगी।

8.65 जब कोई व्यक्ति मूल्यांकन राशि का भुगतान करने में चूक करता है, तो वह मूल्यांकन राशि के अतिरिक्त, भुगतान के आदेश से 30 दिनों की समाप्ति पर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, 16% की दर से ब्याज की राशि हर 6 महीने में प्रति वर्ष मिश्रित।

अध्याय -9

9. डिसकनेक्शन और रिकॉन्क्शन

9.1 नीचे वर्णित प्रक्रिया के अनुसार आपूर्ति अस्थायी रूप से या स्थायी आधार पर डिस्कनेक्ट हो सकती है। स्थायी डिस्कनेक्शन के बाद लाइसेंसधारी सेवा लाइन, मीटर, आदि को हटा देगा। हालांकि, अस्थायी डिस्कनेक्शन के मामले में, लाइसेंसधारी सेवा लाइन, मीटर, आदि को हटा नहीं सकता है।

9.2 कनेक्शन, पुनर्निर्माण और विघटन के लिए शुल्क आयोग द्वारा अनुमोदित शुल्क की अनुसूची के अनुसार होगा।

अस्थायी डिसकनेक्शन

9.3 आपूर्ति निम्नलिखित मामलों में अस्थायी रूप से डिस्कनेक्ट हो सकती है:

(1) लाइसेंसधारक की देनदारियों के भुगतान पर: लाइसेंसधारक अधिनियम की धारा 56 के अनुसार, किसी भी उपभोक्ता को देय राशि के भुगतान पर चूक करने वाले व्यक्ति को लिखित में डिस्कनेक्शन नोटिस जारी कर सकता है, उसे न्यूनतम 15 का नोटिस अवधि देने के बाद

बकाया भुगतान करने के लिए कामकाजी दिन। इसके बाद, लाइसेंसधारक सेवा लाइन / मीटर को हटाकर उल्लिखित नोटिस अवधि की समाप्ति पर उपभोक्ता की स्थापना को डिस्कनेक्ट कर सकता है क्योंकि लाइसेंसधारक फिट समझा जा सकता है;

(2) यदि आवश्यक अनुमति की कमी या सक्षम प्राधिकारी से अनुमति वापस लेने के कारण किसी भी परिसर में किए जा रहे किसी भी व्यवसाय / उद्योग / गतिविधि का आचरण / निरंतरता गैरकानूनी हो जाती है;

(3) यदि उपभोक्ता के परिसर में तारों, उपकरण, उपकरण या स्थापना दोषपूर्ण पाए जाते हैं या बिजली का रिसाव होता है या यदि उपभोक्ता को मीटर और संबंधित उपकरण की स्थिति में बदल दिया गया है या उपभोक्ता किसी का उपयोग करता है उपकरण या उपकरण या सेवा लाइनों, उपकरण, विद्युत आपूर्ति प्रमुखों और लाइसेंसधारक के अन्य कार्यों को खतरे में डालने के लिए ऊर्जा का उपयोग करता है, या किसी भी तरीके से इसका उपयोग करने के लिए पाया जाता है जो ऊर्जा की कुशल आपूर्ति में अनावश्यक या अनुचित रूप से हस्तक्षेप करता है किसी अन्य उपभोक्ता को;

(4) यदि किसी भी समय उपभोक्ता किसी उद्देश्य के लिए ऊर्जा का उपयोग कर पाया जाता है, जिसके लिए इसका इरादा / प्रदान किया गया था या उसके परिसर में लाइसेंसधारक के मीटर और / या अन्य उपकरण के साथ टैम्पर्स या विस्तार / आपूर्ति की अनुमति देता है अपने कनेक्शन से किसी अन्य परिसर में ऊर्जा;

(5) यदि अनुपस्थिति की अवधि के लिए अग्रिम भुगतान में फैक्टरिंग के बाद उपभोक्ता दो या दो से अधिक बिलिंग चक्र के लिए मीटर पढ़ने के लिए अनुपलब्ध रहता है, यदि कोई इस आपूर्ति संहिता, 2018 के प्रावधानों के अनुसार कोई है।

9.4 न्यूनतम 15 दिनों की नोटिस अवधि देने के बाद आपूर्ति को डिस्कनेक्ट किया जाएगा। आपूर्ति केवल तभी डिस्कनेक्ट की जाएगी जब डिस्कनेक्शन का कारण नोटिस अवधि के भीतर नहीं हटाया जाता है।

9.5 लाइसेंसधारक, नियम 9.3 (2), 9.3 (3) और 9.3 (4) के अनुसार कनेक्शन अस्थायी रूप से डिस्कनेक्ट होने के बाद, घरेलू उपभोक्ता के लिए 45 दिनों के भीतर डिस्कनेक्शन के कारण को हटाने के लिए उपभोक्ता को नोटिस जारी करेगा और 15 दिन क्रमशः अन्य श्रेणियों के उपभोक्ता के लिए, विफल होने पर आपूर्ति स्थायी रूप से डिस्कनेक्ट हो जाएगी।

9.6 लाइसेंसधारक ऊपर वर्णित तरीके से डिस्कनेक्ट किए गए उपभोक्ताओं के अनधिकृत पुनः कनेक्शन को रोकने के लिए कदम उठा सकता है। जहां भी लाइसेंसधारक पता चलता है कि उस कनेक्शन को अनधिकृत तरीके से फिर से जोड़ा गया है, लाइसेंसधारी अधिनियम की धारा 138 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई शुरू कर सकता है। इसके अलावा, अगर लाइसेंसधारक पता चलता है कि ऐसे परिसर में आपूर्ति को किसी अन्य लाइव कनेक्शन के माध्यम से बहाल कर दिया गया है, तो उसे भी डिस्कनेक्ट किया जाएगा।

स्थायी डिस्कनेक्शन

9.7 निम्नलिखित मामलों में आपूर्ति स्थायी रूप से डिस्कनेक्ट हो जाएगी:

(1) समझौते की समाप्ति पर;

(2) यदि कारण अस्थायी रूप से डिस्कनेक्ट किया गया था तो नोटिस अवधि के भीतर हटाया नहीं गया है:

बशर्ते कि उपभोक्ता की सेवा लगातार 180 दिनों के लिए डिस्कनेक्ट हो जाती है, उपभोक्ता के अनुरोध पर अस्थायी डिस्कनेक्शन नहीं होने पर, समझौते को 15 दिनों की समाप्ति पर या समझौते की प्रारंभिक अवधि समाप्त होने के बाद समाप्त किया जाएगा, अनुबंध के तहत देय किसी भी राशि की वसूली के लिए जो भी बाद में लाइसेंसधारक या उपभोक्ता के अधिकार के अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है।

उपभोक्ता के अनुरोध पर असुविधा

9.8 यदि कोई उपभोक्ता अपने मीटर को स्थायी रूप से डिस्कनेक्ट करना चाहता है, तो उपभोक्ता इस आपूर्ति संहिता, 2018 में अनुलग्नक एक्सवी में निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेगा। लाइसेंसधारक इस तरह के अनुरोध की प्राप्ति की लिखित पावती देगी।

9.9 लाइसेंसधारक एक विशेष पढ़ाई करेगा और अनुरोध प्राप्त होने से 5 दिनों के भीतर ऐसी बिलिंग की तारीख तक सभी बकाया सहित अंतिम बिल तैयार करेगा। भुगतान पर, लाइसेंसधारी उस पर मुद्रित 'अंतिम बिल' के साथ एक रसीद जारी करेगा। इस रसीद को नो बकाया प्रमाणपत्र के रूप में माना जाएगा:

वशर्ते कि जब भी उपभोक्ता द्वारा दिए गए नोटिस पर एक समझौता समाप्त हो जाए, तो लाइसेंसधारी इस आपूर्ति संहिता, 2018 में अनुलग्नक XVI में दिए गए प्रारूप में समाप्ति के बाद 2 कार्य दिवसों के भीतर एक लिखित सूचना देगी, इस बात की विफलता कि इस तरह की सूचना को समझा जाएगा उपभोक्ता को दिया गया है।

9.10 उन उपभोक्ताओं के मामले में जिन्हें चरणबद्ध तरीके से अनुबंध की मांग मंजूर की गई थी और प्रारंभिक या मध्यस्थ चरणबद्ध मांगों के लिए आपूर्ति जारी की गई थी, उपभोक्ता ऐसी चरणबद्ध मांगों को स्थगित या रद्द कर सकता है, जो देय न्यूनतम अवधि से अधिक निर्धारित है, अग्रिम में 3 महीने का नोटिस या इसके बदले इस तरह की स्थगित मांगों को रद्द करने या रद्द करने की दिशा में 3 महीने का शुल्क देना।

9.11 एचटी / ईएचटी उपभोक्ताओं को डिस्कनेक्शन का विकल्प चुनने से उपकरण और सर्विस लाइन को हटाने पर अनुमानित व्यय भी होगा। लाइसेंसधारक अनुरोध प्राप्त होने के 10 कार्य दिवसों के भीतर, स्वीकृति के तहत उपभोक्ता को लिखित रूप में एक मांग नोट जारी करेगा।

पुनर्संयोजन

9.12 डिस्कनेक्शन के 6 महीने की अवधि के भीतर उपभोक्ता अनुरोध के लिए उपभोक्ता अनुरोध, लाइसेंसधारक पिछले बकाया भुगतान और पुनर्भुगतान के भुगतान के 5 दिनों के भीतर उपभोक्ता की स्थापना को फिर से कनेक्ट करेगा।

9.13 यदि उपभोक्ता 6 महीने के विघटन के बाद पुनः कनेक्शन के लिए अनुरोध करता है, तो कनेक्शन को फिर से कनेक्ट किया जाएगा जब उपभोक्ता द्वारा नए कनेक्शन के मामले में आवश्यक सभी औपचारिकताओं का पालन किया जाता है जिसमें लंबित बकाया भुगतान, सेवाएं लाइन शुल्क, सुरक्षा जमा, इत्यादि, उपभोक्ता की उस श्रेणी के लिए लागू है।

अध्याय -10

10. सामान्य प्रावधान सामान्य

10.1 लाइसेंसधारक मासिक आधार पर नए कनेक्शन, बिलिंग, मीटरिंग, डिस्कनेक्शन, पुनः कनेक्शन और चोरी की प्रगति की निगरानी करेगा और हर तिमाही में आयोग को एमआईएस रिपोर्ट भेज देगा, प्रदर्शन मानकों का उल्लेख करेगा, आपूर्ति संहिता का उल्लंघन, प्रत्येक श्रेणी में 2018, जुर्माना लेवी, जुर्माना समायोजित, आदि

10.2 लाइसेंसधारक क्षेत्रवार सूची और नए कनेक्शन, बिलिंग, मीटरिंग, डिस्कनेक्शन, पुनः कनेक्शन और चोरी के मामलों की वर्तमान स्थिति को अपलोड करने, निर्णय लेने और लंबित ऐसे मामलों के समग्र आंकड़े को जारी रखने के लिए जारी रहेगा। लाइसेंसधारक इस आपूर्ति कोड, 2018 के अनुसार आयोग को भेजी गई सभी रिपोर्टों को अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करेगा।

लोड शेडिंग के लिए प्रावधान

10.3 लाइसेंसधारक के साथ उपभोक्ता द्वारा निष्पादित किसी भी समझौते या उपक्रम में निहित कुछ भी होने के बावजूद या उसके लिए लागू टैरिफ में, उपभोक्ता अपनी अधिकतम मांग और / या इस अवधि के दौरान ऊर्जा खपत के मामले में बिजली के उपयोग को प्रतिबंधित करेगा जैसा शायद राज्य लोड डिस्पैच सेंटर या राज्य सरकार या लाइसेंसधारी द्वारा व्यवस्थित ग्रिड ऑपरेशन को बनाए रखने के लिए किए जा सकने वाले किसी भी आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है। लाइसेंसधारक वैकल्पिक साधनों की व्यवस्था के लिए किसी भी सुविधाजनक संचार मोड द्वारा जितनी जल्दी संभव हो सके इस तरह के प्रतिबंधों के बारे में थोक / एचटी उपभोक्ताओं को सूचित करेगा।

शिकायत प्रबंधन प्रणाली

10.4 कोई भी पीड़ित व्यक्ति, बिजली उपभोक्ता, उपभोक्ता संघ या कानूनी उत्तराधिकारी या अधिकृत प्रतिनिधि (उपभोक्ता की मौत के मामले में) केंद्रीय कॉल सेंटर / शिकायत केंद्र / वेबसाइट पर या टेलीफोन के माध्यम से या लाइसेंसधारक को पोस्ट कर सकते हैं। यदि उपभोक्ता की शिकायतों को लाइसेंसधारक द्वारा संबोधित नहीं किया जाता है, तो उपभोक्ता जेईआरसी (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम की स्थापना) विनियम, 200 9 के अनुसार लाइसेंसधारक द्वारा स्थापित उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) से संपर्क कर सकता है।

मौसमी उद्योग-अनुबंध मांग में परिवर्तन

10.5 मौसमी उद्योगों पर बोझ कम करने के लिए, मौसमी उद्योग उपभोक्ता कम से कम 1 महीने की नोटिस अवधि के साथ वर्ष में दो बार अपनी अनुबंध मांग बदल सकते हैं।

सूचना की सेवा

10.6 अधिनियम के सेक्शन 56 के तहत नोटिस समेत लाइसेंसधारक द्वारा उपभोक्ता पर कोई भी आदेश / नोटिस विधिवत सेवा के लिए उचित डाक पते पर पंजीकृत / स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाता है या हाथ से वितरित किया जाता है। उपभोक्ता द्वारा लाइसेंसधारक को अधिसूचित पते पर रहने वाले व्यक्ति:

बशर्ते कि किसी व्यक्ति के मामले में, उपभोक्ता के पति या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को नोटिस की सेवा, और एक फर्म, कंपनी या निगम के मामले में, प्रबंध निदेशक, निदेशक या प्रधान अधिकारी या किसी अधिकृत व्यक्ति के नोटिस की सेवा ऐसी चिंता, इस आपूर्ति संहिता, 2018 के प्रयोजन के लिए उचित और पूर्ण सेवा के रूप में लिया जाएगा।

10.7 यदि कोई उपभोक्ता नोटिस प्राप्त करने से इनकार करता है या इससे बचाता है, तो सेवा इस पर प्रभाव डाल सकती है:

- (1) दो गवाहों की उपस्थिति और नोटिस को चित्रित करने में उपभोक्ता के परिसर में एक विशिष्ट स्थान पर नोटिस को प्रत्यर्पित करना; या
- (2) दैनिक समाचार पत्रों में नोटिस का प्रकाशन आमतौर पर संबंधित इलाके में लाइसेंसधारक द्वारा रिकॉर्ड पर रखा जाना चाहिए।

उपर्युक्त में से कोई भी नोटिस की उचित और पूर्ण सेवा के रूप में समझा जाएगा।

पावर क्वालिटी ऑडिट

10.8 सभी एचटी / ईएचटी उपभोक्ता बिजली की गुणवत्ता में सुधार के लिए सालाना कम से कम एक बार संबंधित लाइसेंसधारक को पावर क्वालिटी ऑडिट रिपोर्ट जमा करेंगे।

आपूर्ति सुरक्षा दिशानिर्देश

10.9 लाइसेंसधारक और उपभोक्ता समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के प्रावधानों का अनुपालन करेंगे।

मांग साइड प्रबंधन

10.10 यह हर उपभोक्ता का कर्तव्य होगा कि वह बर्बादी और बिजली के अक्षम उपयोग को रोक सके और लाइसेंसधारक द्वारा लॉन्च किए जा सकने वाले डिमांड साइड मैनेजमेंट के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लाइसेंसधारक को आवश्यक सहयोग प्रदान करे।

आपूर्ति की अवधि और शर्तें

10.11 प्रत्येक लाइसेंसधारक आपूर्ति के नियमों और शर्तों, सभी परिपत्रों, आदेशों और किसी भी अन्य दस्तावेज या उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति से संबंधित संचार को आयोग को सूचना के तहत इन नियमों के अनुरूप बनाने के लिए संशोधित, संशोधित और अद्यतन करेगा।

छूट

10.12 इन नियमों में उल्लिखित समय-सारिणी और प्रक्रियाएं सेना के मज्जेदार स्थितियों जैसे युद्ध, विद्रोह, नागरिक प्रलोभन, दंगा, बाढ़, चक्रवात, बिजली, भूकंप, लॉकआउट, आग इत्यादि के दौरान निलंबित रहेंगी, जो लाइसेंसधारक की स्थापनाओं और गतिविधियों को प्रभावित करती हैं।

दोहराना और बचत

10.13 इस आपूर्ति संहिता, 2018, जेईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2010 में समय-समय पर किए गए संशोधन के साथ अन्यथा प्रदान की गई है, इस प्रकार निरस्त कर दिया गया है।

10.14 इस तरह के निरसन के बावजूद, कुछ भी किया गया या कार्रवाई की गई है या इस तरह के निरस्त नियमों के तहत शुरू की गई कार्यवाही, इस आपूर्ति संहिता, 2018 के तहत इस सीमा के तहत समझा जा सकता है कि अधिनियम के साथ असंगत नहीं था।

बेजोड़ता

10.15 आपूर्ति संहिता, 2018 के प्रावधानों में किसी भी असंगतता के मामले में और समय-समय पर संशोधित गोवा और यूटी राज्य (वितरण लाइसेंसधारक के लिए प्रदर्शन मानक) के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग, आपूर्ति संहिता के प्रावधान, 2018 प्रबल होगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

10.16 यदि इस आपूर्ति संहिता, 2018 के किसी भी प्रावधान को प्रभावित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, लाइसेंसधारकों को काम करने या करने के लिए या कर सकता है, जो आयोग की राय में कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य के लिए आवश्यक या उपयुक्त हैं।

संशोधन करने के लिए शक्तियां

10.17 आयोग किसी भी समय और ऐसे समय पर आपूर्ति कोड, 2018 के किसी भी प्रावधान में फिट, संशोधन, परिवर्तन या संशोधन कर सकता है या इस आपूर्ति संहिता, 2018 में किसी भी त्रुटि या दोष को हटा सकता है।

राकेश कुमार, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा. /376/18]

अनुलग्नक -1

आवेदन पत्र - नया कनेक्शन (कम तनाव सेवा):

1	आवेदक / संगठन का नाम:	
2	पिता / पति / निदेशक / साथी / ट्रस्टी का नाम	
3	पता:	
(ए)	संचार के लिए	घर / भूखंड / Premise संख्या।
		सड़क
		क्षेत्र / कॉलोनी
		जिला
		टेलीफोन नंबर।:
(बी)	जहां मौजूदा कनेक्शन के लिए नया कनेक्शन लागू किया जाना आवश्यक है	घर / भूखंड / Premise संख्या।
		सड़क
	(स्थान की पहचान करने के लिए स्थलचिह्न इंगित करें)	क्षेत्र / कॉलोनी

		जिला
4	भूखंड का आकार: वर्ग फुट	कवर क्षेत्र: वर्ग फुट
5	आपूर्ति की श्रेणी: (संलग्न श्रेणियों की सूची)	
6	आपूर्ति का उद्देश्य:	
7	कुल लोड (केडब्ल्यू में) के लिए आवेदन किया गया:	
8	आपूर्ति का प्रकार (स्थायी / अस्थायी):	
8 (ए)	यदि अस्थायी आपूर्ति, अवधि निर्दिष्ट करें आवश्यकता:	तारीख से): तारीख तक):
9	कृपया संकेत दें कि क्या आप बिजली आपूर्ति के लिए सेवा लाइन और / या समर्पित वितरण सुविधा के कार्यों को पूरा करना चाहते हैं (हां / नहीं)	
10	कृपया इंगित करें कि क्या आप अपना स्वयं का सीईए अनुमोदित मीटर स्थापित करना चाहते हैं (हां / नहीं)	
11	संलग्न दस्तावेजों की सूची:	
(ए)	आवेदन पत्र पर संलग्न फोटोग्राफ (हां / नहीं)	
(बी)	इस आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत पहचान प्रमाण:	
	अगर आवेदक एक व्यक्ति है (किसी को भी टिकें)	(i) चुनावी पहचान पत्र; (ii) पासपोर्ट; (iii) ड्राइविंग लाइसेंस; (v) सरकारी एजेंसी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र; (vi) पैन कार्ड; (vii) गांव प्रधान / पटवारी / लेखपाल / गांव स्तरीय कार्यकर्ता / गांव चौकीदार / प्राथमिक विद्यालय शिक्षक / प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि के प्रभारी से प्रमाण पत्र। (viii) आधार कार्ड
	अगर आवेदक एक संगठन है (किसी को भी टिकें)	सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर (जैसे शाखा प्रबंधक, प्रिंसिपल, कार्यकारी अभियंता इत्यादि) संबंधित संस्थान के प्रासंगिक संकल्प / प्राधिकरण पत्र के साथ
(सी)	स्वामित्व या परिसर की अधिभोग का सबूत जिसके लिए बिजली कनेक्शन की आवश्यकता है (किसी को भी टिकें)	(i) बिक्री कार्य या लीज डीड की प्रतिलिपि या कृषि कनेक्शन के मामले में खसरा / खतूनी / खता नकल की एक प्रति (ii) पंजीकृत जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी; (iii) नगर कर रसीद या मांग नोटिस या अन्य संबंधित दस्तावेज; (iv) आवंटन पत्र; (v) राजस्व प्राधिकरणों द्वारा जारी पंचायत / स्वामित्व प्रमाण पत्र द्वारा जारी किए गए घर पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति (vi) स्थानीय सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए किसी अन्य स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज (vii) एक आवेदक जो मालिक नहीं है लेकिन परिसर का अधिग्रहण करेगा (i) से (vi) में

		सूचीबद्ध दस्तावेजों में से किसी एक के साथ परिसर के मालिक से कोई आपत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया जाएगा; बशर्ते कि जहां एक आवेदक, जो परिसर के वैध अधिकारी हैं, एक किरायेदार या लीजहोल्डर है और कनेक्शन प्राप्त करने के लिए मालिक से कोई आपत्ति प्रमाण पत्र तैयार करने में असमर्थ है, वितरण लाइसेंसधारक के पक्ष में एक अलग क्षतिपूर्ति बॉन्ड निष्पादित किया जाएगा वितरण लाइसेंसधारक द्वारा निर्धारित फॉर्म। (viii) जे जे क्लस्टर में रहने वाले अन्य उपभोक्ताओं के लिए या किसी विशेष नगरपालिका पते वाले अन्य क्षेत्रों में, लाइसेंसधारक राशन कार्ड या चुनावी पहचान पत्र को अनिवार्य रूप से जारी करने के उद्देश्य से परिसर के अधिग्रहण के सबूत के रूप में एक ही पते के साथ स्वीकार कर सकता है बिजली कनेक्शन बशर्ते कि आवेदक एक व्यक्ति है, तो आवेदक को नए विद्युत सेवा कनेक्शन का लाभ उठाने के लिए भारतीय नागरिक होना चाहिए।
(डी)	वर्तमान पते का सबूत (किसी को भी चिह्नित करें)	(i) चुनावी पहचान पत्र; (ii) पासपोर्ट; (iii) ड्राइविंग लाइसेंस; (iv) राशन कार्ड; (v) किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र; (vi) चल रहे बैंक खाते का बयान; (vii) जल / टेलीफोन / बिजली / गैस कनेक्शन विधेयक; (viii) आयकर निर्धारण आदेश / आधार कार्ड
(ई)	लागू होने वाले किसी अन्य दस्तावेज़ (कृपया निर्दिष्ट करें)	
12	उपभोक्ता के नाम पर लाइसेंसधारक के संचालन क्षेत्र में बकाया कोई भी बिजली बकाया राशि: हां / नहीं / नहीं	
13	परिसर के लिए बकाया कोई भी बिजली बकाया जिसके लिए कनेक्शन लागू होता है: हां / नहीं	
14	किसी भी फर्म के खिलाफ लाइसेंसधारक के साथ बकाया कोई भी बिजली बकाया जिसके साथ उपभोक्ता एक मालिक, साथी, निदेशक या प्रबंध निदेशक के रूप में जुड़ा हुआ है: हां	
	(प्रश्न 12, 13 और 14 के लिए यदि उत्तर किसी भी मामले में 'हां' है तो कृपया एक अलग चादर पर विवरण प्रदान करें)	

मैं / हम इस प्रकार घोषणा करते हैं

ए) इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे ज्ञान के लिए सच है।

बी) मैंने / हमने संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) आपूर्ति संहिता पढ़ी है नियम 2018 और उसमें उल्लिखित शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ

सी) लागू बिजली शुल्क और अन्य शुल्कों के अनुसार, हम / हर महीने बिजली बकाया जमा करेंगे।

डी) मैं / हम मीटर, कट-आउट और उसके बाद स्थापना की सुरक्षा और सुरक्षा की ज़िम्मेदारी ले लेंगे।

ई) मैं / हम आगे सहमत हूँ कि मेरे / हमारे लिए दिया गया कनेक्शन केवल मेरे अधिग्रहण के दौरान बिजली का लाभ उठाने के लिए है और परिसर के स्वामित्व को दिखाने के लिए किसी भी तरह से इसका उपयोग नहीं किया जाएगा।

तिथि: उपभोक्ता /

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर

स्थान का नाम:

संपर्क संख्या:

ई मेल-आईडी:

नोट: पहचान प्रमाण के लिए दस्तावेजों के अलावा, परिसर के स्वामित्व / अधिग्रहण का प्रमाण और वर्तमान पते का सबूत, निम्नलिखित दस्तावेज आवेदन पत्र से जुड़े होंगे:

(1) साझेदारी फर्म के मामले में - आवेदक आवेदक के नाम पर साझेदारी कार्य और समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए साझेदारी कार्य और प्राधिकरण प्रस्तुत करेगा;

(2) सार्वजनिक और / या निजी सीमित कंपनी के मामले में - आवेदक आवेदक के नाम पर प्राधिकरण के लिए मांग पत्र और समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बोर्ड प्रस्ताव के साथ एक ज्ञापन और एसोसिएशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रस्तुत करेगा;

(3) अन्य दस्तावेज केवल उपभोक्ता श्रेणियों के लिए लागू होते हैं:

ए) औद्योगिक उपभोक्ता: लागू होने पर मान्य औद्योगिक लाइसेंस

बी) कृषि उपभोक्ता: यदि आवश्यक हो तो ट्यूब कुएं के लिए सक्षम सरकारी प्राधिकरण से कोई आपत्ति प्रमाणपत्र नहीं

सी) गैर-घरेलू खोख और अस्थायी संरचना: खोख के लिए कोई आपत्ति प्रमाणपत्र या नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत / ग्राम सभा / ग्राम पंचायत / भूमि विकास प्राधिकरण / भूमि मालिक एजेंसी से अस्थायी संरचना

अभिस्वीकृति

का आवेदन.....। (आवेदक का नाम) (उद्देश्य) इस प्रकार (तारीख) पर प्राप्त किया जाता है।

इस संबंध में, आवेदक को भविष्य के पत्राचार के लिए उपयोग करने के लिए एक संदर्भ संख्या दिया जाता है।

लाइसेंसधारक के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर / मुहर

नाम और पदनाम:

अनुलग्नक - II

आवेदन पत्र - नया कनेक्शन (उच्च तनाव / अतिरिक्त उच्च तनाव सेवा)

1	आवेदक / संगठन का नाम:								
2	पिता / पति / निदेशक / साथी / ट्रस्टी का नाम:								
3	संचार के लिए पता								
4	पता जहां मौजूदा कनेक्शन के लिए नया कनेक्शन लागू किया जाना आवश्यक है (स्थान की पहचान करने के लिए स्थलचिह्न इंगित करें)								
5	वोल्ट जिस पर आपूर्ति की आवश्यकता है (केवी) (कृपया लागू श्रेणी पर टिकटें)	66 के। वी	11 के। वी	22 के। वी	33 के। वी	66 के। वी	110 के। वी	132 के। वी	220 के। वी
6	आपूर्ति का प्रकार (स्थायी / अस्थायी):								
6 (ए)	यदि अस्थायी आपूर्ति, आवश्यकता की अवधि निर्दिष्ट करें:								
7	कुल अनुबंध मांग (केडब्ल्यू / केवीए में) के लिए आवेदन किया गया:								
8	अनुबंध मांग के प्रक्षेपण के लिए आधार								
9	अनुबंध मांग का चरण आवश्यक (हां / नहीं):								
	यदि हां, तो दिए गए प्रारूप में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:								
	टिप्पणी के साथ सीडी आवश्यक (केवीए), यदि कोई हो	टेंटेटिव तिथि जिसकी आवश्यकता है							
	(ए)								
	(ख)								
	(सी)								
10	10 स्थापना का उद्देश्य: टैरिफ की								
11	श्रेणी का चयन किया गया:								
12	टैरिफ की श्रेणी प्रदान की गई (लाइसेंसधारी द्वारा भरा जाना):								
13	उत्पादन क्षमता:								
14	उद्योग की श्रेणी: (लागू एक पर टिकटें)	लघु उद्योग		एमएसआई			LSI		
	इकाई का प्रकार: (जैसे स्वामित्व / भागीदारी / निजी लिमिटेड / सार्वजनिक लिमिटेड / समाज / सरकारी विभाग / सरकारी उपक्रम)								
15	परिसर का विकास संस्थान का नाम:								
16	कब्जा पत्र या कोई आपत्ति प्रमाण पत्र	संख्या: दिनांक:							
16 (ख)									
17	चाहे एक स्वतंत्र फीडर के माध्यम से आपूर्ति की आवश्यकता हो								
18	क्या उपर्युक्त इकाई किसी अन्य स्थान पर संचालित होती है या कनेक्शन के लिए आवेदन की जाती है? (अगर हां तो	(ए) स्वीकृत लोड:							
		(बी) सेवा कनेक्शन संख्या:							

	कृपया विवरण दें)	सी) भुगतान के बकाया (अगर कोई है):
19	यदि अतीत में परिसर के लिए बिजली कनेक्शन का अनुरोध किया गया था? (अगर हां तो कृपया विवरण दें)	(ए) इकाई का नाम: (बी) सेवा कनेक्शन संख्या: भुगतान के बकाया (यदि कोई हो):
20	भूमि अधिग्रहण की स्थिति:	
21	अपेक्षित तारीख जिसके द्वारा वित्त उपलब्ध होगा:	
22	क्या आवश्यक सहमति / एनओसी (प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सूची के अनुसार लागू होने पर) वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्राप्त की गई है (यदि हां, एक प्रति संलग्न करें):	
23	उपभोक्ता के नाम पर लाइसेंसधारक के क्षेत्र में बकाया कोई भी बिजली बकाया राशि: हां / नहीं	
24	परिसर के लिए बकाया कोई भी बिजली बकाया जिसके लिए कनेक्शन लागू होता है: हां / नहीं	
25	किसी भी फर्म के खिलाफ लाइसेंसधारक के साथ बकाया कोई भी बिजली बकाया जिसके साथ उपभोक्ता एक मालिक, साथी, निदेशक या प्रबंध निदेशक के रूप में जुड़ा हुआ है: हां / नहीं	
	(प्रश्न 22, 23 और 24 के लिए यदि उत्तर किसी भी मामले में 'हां' है तो कृपया एक अलग चादर पर विवरण प्रदान करें)	

मैं / हम इस प्रकार घोषणा करते हैं

ए) इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे ज्ञान के लिए सच है।

बी) मैंने / हमने विद्युत आपूर्ति संहिता, 2018 पढ़ा है और उसमें उल्लिखित शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ।

सी) लागू बिजली शुल्क और अन्य शुल्कों के अनुसार, हम / हर महीने बिजली बकाया जमा करेंगे।

डी) मैं / हम मीटर, कट-आउट और उसके बाद स्थापना की सुरक्षा और सुरक्षा की ज़िम्मेदारी ले लेंगे।

तिथि: उपभोक्ता / अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर

स्थान का नाम:

संपर्क संख्या: ईमेल आईडी:

नोट: निम्नलिखित दस्तावेज आवेदन पत्र से जुड़े होंगे:

1. परिसर के स्वामित्व का सबूत

2. एक नक्शा संयंत्र / कार्यालय के प्रस्तावित स्थान और उस बिंदु पर जहां आपूर्ति की आवश्यकता है इंगित करता है। नक्शा सामान्यतः 1 सेमी के पैमाने का होना चाहिए जो 1200 सेमी का प्रतिनिधित्व करता है।

3. वैधानिक प्राधिकारी से लाइसेंस / एनओसी, यदि आवश्यक हो या आवेदक द्वारा एक घोषणा कि उसके कनेक्शन किसी भी कानून के तहत एनओसी की आवश्यकता के तहत नहीं आते हैं।

4. एक मालिकाना फर्म के मामले में, एक हलफनामा प्रस्तुत करना है जिसमें कहा गया है कि आवेदक फर्म का एकमात्र मालिक है।
5. साझेदारी फर्म के मामले में, साझेदारी कार्य।
6. सीमित कंपनी, जापन और एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट के मामले में।
7. उपभोक्ता और पैन संख्या, यदि कोई हो, के स्थायी आवासीय पते का सबूत। यदि बाद की तारीख में कोई बदलाव आया है, तो उसे तुरंत उपभोक्ता द्वारा लाइसेंसधारक को सूचित किया जाएगा।
8. उत्पादन में उत्पादन / वृद्धि के इरादे का पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।
9. अपेक्षित भार के साथ स्थापित करने के लिए प्रस्तावित उपकरणों की सूची।
10. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए बोर्ड संकल्प।
11. उद्योग विभाग से पंजीकरण।
12. बिजली और प्रक्रिया आवश्यकताओं (उद्योगों के मामले में) से संबंधित परियोजना रिपोर्ट निकालें।
13. वर्तमान टैरिफ ऑर्डर के प्रासंगिक खंड की प्रतिलिपि जो उपभोक्ता द्वारा चुने गए टैरिफ श्रेणी का विवरण प्रदान करती है और उसके द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होती है। यह औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद समझौते के साथ जोड़ा जाएगा।

अभिस्वीकृति

_____ का आवेदन (आवेदक का नाम)

..... (उद्देश्य) के लिए _____ (तारीख) पर प्राप्त किया जाता है।

इस संबंध में, आवेदक को भविष्य के पत्राचार के लिए उपयोग करने के लिए संदर्भ संख्या . _____ दिया जाता है।

लाइसेंसधारक के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर / मुहर

नाम और पदनाम:

घोषणा / उपक्रम

मैं, _____ सन / बेटी इसके बाद (इसके बाद

जिसे "आवेदक" कहा जाता है, जिसका अर्थ होगा अधिकारियों, प्रशासकों, उत्तराधिकारी और असाइनमेंट शामिल करना), इस प्रकार शपथ लें और निम्नानुसार घोषित करें:

या

..... कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के प्रावधानों के तहत शामिल एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय
 (इसके बाद इसे "आवेदक" के रूप में जाना जाता है, जो अभिव्यक्ति तब तक होगी जब तक संदर्भ या उसके अर्थ के प्रति प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और असाइनमेंट शामिल हों), इस प्रकार शपथ लें और निम्नानुसार घोषित करें:

कि आवेदक परिसर का वैध कानून है

जिसके समर्थन में आवेदक ने अधिग्रहण का सबूत संलग्न किया है।

आवेदक ने आवेदन पत्र में उल्लिखित उद्देश्य के लिए आवेदकों के नाम पर उपर्युक्त परिसर में सेवा कनेक्शन प्रदान करने के लिए लाइसेंसधारक से अनुरोध किया है।

घोषणा प्रस्तुत करने में, आवेदक ने स्पष्ट रूप से समझा है कि उपर्युक्त बयान किसी भी बाद के चरण में गलत या गलत साबित होना चाहिए, लाइसेंसधारक को आवेदक को किसी भी नोटिस के बिना आपूर्ति को डिस्कनेक्ट करने का अधिकार होगा और उपभोक्ता के खिलाफ बकाया राशि को समायोजित करने के अधिकार सुरक्षा जमा राशि।

आवेदक इस प्रकार सहमत होता है और कार्य करता है:

(1) सभी कार्यवाही, दावों, मांगों, लागतों, क्षतियों, व्यय के लिए लाइसेंसधारक को क्षतिपूर्ति करने के लिए जो आवेदक को दिए गए नए सेवा कनेक्शन के कारण लाइसेंसधारक हो सकता है।

(2) परिसर के भीतर किए गए सभी विद्युत कार्यों केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के अनुसार हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार हैं और लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार द्वारा किए गए हैं (आवेदक के मामले में परिसर में एक मालिक और तारों का नया है)

या

परिसर के भीतर किए गए सभी विद्युत कार्य केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के अनुसार हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के लिए हैं (जहां आवेदन पुनः कनेक्शन के लिए है या आवेदक परिसर का कब्जा कर रहा है)

(3) लाइसेंसधारक को इस खाते पर आवेदक को अर्जित किसी भी नुकसान के खिलाफ क्षतिपूर्ति की जाती है। इसके अलावा, आवेदक इस बात से सहमत है कि यदि आवेदक के परिसर के भीतर विद्युत कार्य में गलती के कारण लाइसेंसधारक की संपत्ति के लिए कोई नुकसान / हानि है, तो सभी देनदारियों को आवेदक द्वारा लिया जाएगा।

(4) लाइसेंसधारक की टैरिफ अनुसूची में निर्धारित दरों पर बिजली खपत बिल और अन्य सभी शुल्कों का भुगतान करने के लिए समय-समय पर लागू होने वाली आपूर्ति के लिए विविध शुल्क, नियमित रूप से और जब भुगतान के लिए देय होता है।

(5) पिछले वर्ष में आवेदक की खपत के आधार पर समय-समय पर लाइसेंसधारक द्वारा संशोधित अतिरिक्त खपत जमा जमा करने के लिए।

(6) बिजली अधिनियम, 2003, विद्युत आपूर्ति संहिता, 2018 टैरिफ आदेश और समय-समय पर लागू आयोग द्वारा अधिसूचित किसी भी अन्य नियम या विनियम के प्रावधानों का पालन करना।

(7) अनुबंधित अवधि की समाप्ति से पहले या किसी के मामले में अनुबंध की समाप्ति की स्थिति में, आवेदक द्वारा प्रदत्त उपभोक्ता सुरक्षा जमा के खिलाफ किसी अन्य शुल्क के साथ बिजली खपत शुल्क समायोजित करने की स्वतंत्रता होगी संविदात्मक डिफॉल्ट।

(8) लाइसेंसधारक द्वारा प्रदान किए गए मीटर, सीटी, केबल्स इत्यादि की सुरक्षित हिरासत के लिए जिम्मेदार होना और मामले में, आवेदक को जिम्मेदार कारणों के कारण उपकरण को कोई नुकसान होता है, यह आवेदक को भी लागू होगा। इसके अलावा, मौजूदा कानूनों के अनुसार, मीटर के मुहरों के टूटने के कारण सभी ऊर्जा या ऊर्जा के डायरेक्ट / डिशोनस्ट एक्स्ट्रक्शन आवेदक के खाते में होंगे।

(9) मीटर पढ़ने और इसकी जांच आदि के उद्देश्य के लिए मीटर तक स्पष्ट और अनगिनत पहुंच की अनुमति देना।

(10) कि आवेदक किसी भी डिफॉल्ट, वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति में और वैधानिक प्राधिकरण (ies) द्वारा कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्देश की स्थिति में इस तरह के आदेश को प्रभावित करने के मामले में लाइसेंसधारक को संदर्भ के तहत सेवा कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने देगा। यह लाइसेंसधारक के किसी भी अन्य अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना होगा, जिसमें डिस्कनेक्शन की तिथि के अनुसार भुगतान प्राप्त करना शामिल है।

(11) कि लाइसेंसधारक बिजली की आपूर्ति के किसी भी बाधा या कमी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

(12) आवेदक द्वारा दी गई सभी उपरोक्त घोषणा लाइसेंसधारक और आवेदक के बीच एक समझौते के लिए समझा जाएगा।

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

आवेदक से संपर्क संख्या

हस्ताक्षर और वितरित
गवाह की उपस्थिति में
साक्षी का नाम

अनुबंध- IV

आवेदन पत्र - पंजीकृत उपभोक्ता के नाम पर बदलें

1	1 सेवा कनेक्शन संख्या	
2	2 पंजीकृत उपभोक्ता का नाम (वर्तमान में)	
3	3 उपभोक्ता श्रेणी	
4	4 अनुबंधित भार	
5	5 पता:	टेलीफोन नंबर:
6	6 उस व्यक्ति का नाम जिसका नाम कनेक्शन बदलना है (बड़े अक्षरों में)	

नोट: निम्नलिखित दस्तावेज आवेदन पत्र से जुड़े हुए हैं:

(जो भी लागू हो टिकटें)

1. विधिवत भुगतान किए गए नवीनतम बिल की प्रति
2. परिसर के स्वामित्व / कानूनी अधिभोग का सबूत
3. मौजूदा उपभोक्ता से उपलब्ध / संभावित होने पर कोई आपत्ति प्रमाण पत्र नहीं।
4. पंजीकृत कार्य / उत्तराधिकार प्रमाण पत्र / (यदि कोई अन्य दस्तावेज है, तो कृपया निर्दिष्ट करें)

तिथि: उपभोक्ता का हस्ताक्षर:

स्थान का नाम:

संपर्क संख्या: ईमेल आईडी:

अभिस्वीकृति

सेवा कनेक्शन संख्या का आवेदन पत्र वर्तमान में (आवेदक का नाम) के नाम पर उपभोक्ता के नाम को बदलने के लिए (दिनांक) पर प्राप्त किया गया है ..

इस संबंध में, उपभोक्ता को संदर्भ संख्या दी गई है। सभी भावी पत्राचार के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

लाइसेंसधारक के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

/ मुहर नाम और पदनाम:

अनुबंध- V

आवेदन पत्र - कानूनी उत्तराधिकारी के स्वामित्व का हस्तांतरण

1	1 सेवा कनेक्शन संख्या	
2	2 पंजीकृत उपभोक्ता का नाम (वर्तमान में)	
3	3 उपभोक्ता श्रेणी	

4	4 अनुबंधित भार	
5	5 पता:	टेलीफोन नंबर:
6	6 उस व्यक्ति का नाम जिसका नाम कनेक्शन बदलना है (बड़े अक्षरों में)	

नोट: निम्नलिखित दस्तावेज आवेदन पत्र से जुड़े हुए हैं:

(जो भी लागू हो टिकटें)

1. विधिवत भुगतान किए गए नवीनतम बिल की प्रति
2. परिसर के स्वामित्व / कानूनी अधिभोग का सबूत
3. पंजीकृत इच्छा / उत्तराधिकार या कानूनी वारिस प्रमाण पत्र / उत्परिवर्तन कार्य / (यदि कोई अन्य दस्तावेज है, तो कृपया निर्दिष्ट करें)
4. उपरोक्त 3 की अनुपस्थिति में कानूनी वारिस में से एक के नाम पर कनेक्शन बदलने के मामले में अन्य कानूनी उत्तराधिकारी से एनओसी।

तिथि: उपभोक्ता का हस्ताक्षर

स्थान का नाम:

संपर्क संख्या: ईमेल आईडी:

अभिस्वीकृति

सेवा कनेक्शन संख्या का आवेदन पत्र के नाम पर मौजूद है

(आवेदक

का

नाम)

.....

.....

..... भविष्य के पत्राचार के लिए इस्तेमाल किया।

लाइसेंसधारक के प्रतिनिधि का

हस्ताक्षर / मुहर

नाम

और पदनाम

अनुबंध- VI

आवेदन पत्र - सेवाओं का रूपांतरण / उपभोक्ता श्रेणी में परिवर्तन / कनेक्शन के नए परिसर में स्थानांतरण
(लागू उद्देश्य पर टिकटें)

1	सेवा कनेक्शन संख्या	
2	उपभोक्ता का नाम	
3	उपभोक्ता श्रेणी	
4	अनुबंधित भार	
5	पता:	
6	टेलीफोन नंबर:	
7	सेवा में बदलाव के लिए अनुरोध:	
1)	अगर अनुरोध सेवा के रूपांतरण के लिए है: (जो भी लागू हो टिकटें)	एलटी एकल चरण से एलटी 3-चरण में रूपांतरण एलटी 3-चरण से एलटी एकल चरण में रूपांतरण एलटी से एचटी में रूपांतरण एचटी से एलटी में रूपांतरण

		ईएचटी से एचटी तक एचटी से ईएचटी रूपांतरण में रूपांतरण अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)
II)	अगर उपभोक्ता श्रेणी में परिवर्तन के लिए अनुरोध है, तो टैरिफ श्रेणी का उल्लेख करें जिसमें उपभोक्ता बदलाव करना चाहता है:	(इस फॉर्म से जुड़ी सभी टैरिफ श्रेणियों की सूची देखें)
III)	यदि अनुरोध नए परिसर में कनेक्शन बदलने के लिए है:	(ए) नया पता जिस पर मौजूदा सेवा कनेक्शन को स्थानांतरित किया जाना है: (बी) स्थानांतरित करने के लिए उपकरणों का विवरण (मीटर / सेवा लाइन, एलटी / एचटी लाइन, ट्रांसफार्मर, आदि):
8	सेवा में बदलाव का कारण	

नोट: निम्नलिखित दस्तावेज आवेदन पत्र से जुड़े हुए हैं: (जो भी लागू हो टिकटें)

1. स्थापना निरीक्षण रिपोर्ट
2. परिसर के स्वामित्व / कानूनी अधिभोग का सबूत, अगर अनुरोध परिसर के स्थानांतरण के लिए है।
3. कोई अन्य दस्तावेज (कृपया निर्दिष्ट करें)

तिथि: उपभोक्ता का हस्ताक्षर

स्थान का नाम

संपर्क संख्या: ईमेल आईडी:

अभिस्वीकृति

वर्तमान में सेवा कनेक्शन संख्या का आवेदन पत्र वर्तमान में (आवेदक का नाम) के नाम पर प्राप्त किया गया है (दिनांक)

उद्देश्य हेतु)।

इस संबंध में, उपभोक्ता को एक संदर्भ संख्या सभी भावी पत्राचार के लिए उपयोग किया जाना है।

लाइसेंसधारक के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर / मुहर

नाम और पदनाम:

अनुबंध- VII

आवेदन पत्र - लोड संवर्द्धन / भार में कमी
(लागू उद्देश्य पर टिकटें)

1	आवेदक / संगठन का नाम:	
2	सेवा कनेक्शन संख्या परिसर के	
3	पते जहां बिजली की आपूर्ति की जा रही है	
4	टेलीफोन नंबर:	
5	लोड संवर्द्धन के मामले में:	

	मौजूदा स्वीकृत भार (केडब्ल्यू / केवीए में):	उन्नत लोड अनुरोध (केडब्ल्यू / केवीए में):
6	लोड कमी के मामले में:	अनुरोधित लोड (केडब्ल्यू / केवीए में):
	मौजूदा स्वीकृत भार (केडब्ल्यू / केवीए में):	
7	लोड संवर्द्धन / कमी के कारण (ओं)	
8	लागू होने पर आपूर्ति से जोड़ा गया / डिस्कनेक्ट लोड का विवरण। (कृपया उपकरण श्रेणीवार की सूची संलग्न करें) ए। प्रकाश ख। प्रेरक शक्ति सी। कृषि घ। अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	

तिथि: उपभोक्ता का हस्ताक्षर

स्थान का नाम:

संपर्क संख्या: ईमेल आईडी:

नोट: निम्नलिखित दस्तावेज आवेदन पत्र से जुड़े होते हैं (यदि लागू हो)

1. उपभोक्ता की स्थापना को बदल दिया गया है, तो लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार से एक कार्य पूरा करने प्रमाण पत्र और परीक्षण रिपोर्ट।
2. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए संकल्प।

अभिस्वीकृति

.....

इस संबंध में, आवेदक को संदर्भ संख्या दी गई है

भविष्य के पत्राचार में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

लाइसेंसधारक के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर / मुहर

नाम और पदनाम:

अनुबंध- आठवीं

कनेक्टेड लोड के निर्धारण के लिए प्रक्रिया

आवेदक का नाम:.....

सेवा कनेक्शन संख्या (मौजूदा कनेक्शन के लिए):

आवेदक का पता:

आवेदक से संपर्क संख्या:

आवेदक का ईमेल आईडी:

विद्युत उपकरण का उपयोग करने के लिए प्रस्तावित किया गया है:

(कृपया जुड़े हुए लोड के निर्धारण को सक्षम करने के लिए निम्न तालिका को भरें। आम तौर पर प्रत्येक आइटम का वास्तविक भार परिसर में जुड़े लोड को निर्धारित करने के लिए माना जाएगा। किसी भी आइटम की रेटेड क्षमता की अनुपलब्धता के मामले में, भार नीचे दिखाया जाएगा।)

प्रति आइटम	आइटम लोड (वाट)	संख्या	कुल भार (वाट)
1	2	3	4 = 2X3
सीएफएल 15	15		
बल्ब 60	60		
ट्यूब प्रकाश 50	50		
फैन 60	60		
टेप रिकॉर्डर / संगीत प्रणाली 100	100		
टेलीविजन 90	90		
मिक्सर 375	375		
इलेक्ट्रिक लोहे 750	750		
फ्रिज 150	150		
कूलर 250	250		
हीटर (खाना पकाने और पानी के हीटिंग के लिए) 1000	1000		
वॉशिंग मशीन 750	750		
गरम पानी का झरना 2000	2000		
माइक्रोवेव ओवन 2000	2000		
एयर कंडीशनर (1 टन) 1500	1500		
एयर कंडीशनर (1.5 टन) 2250	2250		
कंप्यूटर 100	100		
प्रिंटर 150	150		
पम्प सेट 375	375		
संपूर्ण			

अनुबंध- IX

आवेदक की स्थापना का परीक्षण परिणाम रिपोर्ट
(केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियमन, विनियमन, 2010)

(लाइसेंसधारी के प्रतिनिधि द्वारा भरा जाना)

संदर्भ संख्या तारीख

1. उपभोक्ता का नाम और पता:
2. आवेदक से संपर्क संख्या:
3. आवेदक का ईमेल आईडी:
4. स्थापना का विवरण:
5. स्थापना के शॉर्ट सर्किट गलती स्तर:
6. स्थापना की कमीशन की तारीख (अतिरिक्त आपूर्ति या पुनः कनेक्शन के मामले में)
7. किए गए परीक्षणों के परिणाम

एस नः	उपकरण	परीक्षण आयोजित	परीक्षण के परिणाम	टिप्पणियों
-------	-------	----------------	-------------------	------------

1	स्विच फ्यूज से जुड़ा हुआ	i) मैकेनिकल ऑपरेशन ii) फ्यूज की रेटिंग iii) ब्लेड का संपर्क	चिकना / परेशानी एम्प पूर्ण / आंशिक	
1a	आइसोलेटर	i) मैकेनिकल ऑपरेशन ii) रिमोट ऑपरेशन iii) स्थानीय संचालन iv) संपर्क प्रतिरोध का मापन v) पृथ्वी स्विच के साथ इंटरलॉकिंग vi) सीबी के साथ इंटरलॉकिंग vii) आईआर मान खुली हालत बंद हालत	i) ठीक है / ठीक नहीं है ii) ठीक है / ठीक नहीं है iii) ठीक है / ठीक नहीं है iv) micro ओहम v) ठीक है / ठीक नहीं है vi) ठीक है / ठीक नहीं है vii) एम ओएमएम पीएच-पीएचएच-ई	
2	सर्किट ब्रेकर एस नं	1) सर्किट ब्रेकर की रेटिंग मैं अंकित करता हूँ ii) वोल्टेज iii) सामान्य वर्तमान iv) रुकावट क्षमता 2) आईआर मूल्य खुली हालत बंद हालत संपर्क प्रतिरोध मैकेनिकल ऑपरेशन रिमोट ऑपरेशन स्थानीय ऑपरेशन Isolator के साथ interlocking पृथ्वी स्विच के साथ इंटरलॉकिंग ओटीआई / डब्ल्यूटीआई / बुकहोलज़ / पीआरवी के लिए अलार्म और ट्रिप पृथ्वी गलती रिले वर्तमान रिले से अधिक वोल्टेज रिले के तहत एसएफ 6 प्रेशर अलार्म और ट्रिप ऑपरेशन टेस्ट	 के। वी Amps kA पीएच-पीएचएच-ई micro ओहम तत्काल चिकनी टाइम गैप (सेक) ठीक नहीं ठीक है / ठीक नहीं है ठीक है / ठीक नहीं है ठीक है ठीक है / ठीक नहीं है ठीक है / ठीक नहीं है ठीक है / ठीक नहीं है ठीक है / ठीक नहीं है ठीक है / ठीक नहीं है	
3	ट्रांसफार्मर एस नं	ए) इन्सुलेशन प्रतिरोध मूल्य 1. एलटी से एचटी 2. पृथ्वी पर एचटी 3. पृथ्वी से एलटी बी) वोल्टेज टेस्ट तोड़ो 1) तेल नमूना - मैं (शीर्ष) 2) तेल नमूना -2 नीचे) सी) वेक्टर समूह परीक्षण डी) ध्रुवीयता परीक्षण ई) चुंबक संतुलन एफ) टैन डेल्टा टेस्ट (क्षमता के अनुसार) जी) संरक्षक टैंक में तेल का स्तर	 एम ओह ओह ओहम के। वी के। वी ठीक है / ठीक नहीं है ठीक है / ठीक नहीं है ठीक है / ठीक नहीं है ठीक है / ठीक नहीं है	

		एच) सांस कप में तेल का स्तर i) ओटीआई / डब्ल्यूटीआई सेटिंग्स जे) ओटीआई / डब्ल्यूटीआई अलार्म और ट्रिप ऑपरेशन के) बुकहोलज़ रिले का संचालन एल) पीआरवी का संचालन एम) तेल रिसाव एन) शुष्क ट्रांसफार्मर के लिए दरवाजा स्विच की इंटरलॉक ओ) पक्ष निकासी के लिए निकासी: दो ट्रांसफार्मर के बीच: (पी) शारीरिक पृथ्वी प्रतिरोध तटस्थ पृथ्वी प्रतिरोध	ठीक है / ठीक नहीं है ठीक है / ठीक नहीं है ठीक है / ठीक नहीं है ए / टी_ओसी ए / टी_ओसी ठीक है / ठीक नहीं है ठीक है / ठीक नहीं है ठीक है / ठीक नहीं है ठीक है / ठीक नहीं है ठीक है / ठीक नहीं है ठीक है / ठीक नहीं है सीएमएस मीटर एन 1 Ohm एन 2 ... ओह	
4	डीजी सेट्स वैकल्पिक के लिए एसएल संख्या इंजन	ए) अन्य आपूर्ति स्रोतों के साथ इंटरलॉकिंग बी) शरीर पृथ्वी प्रतिरोध सी) तटस्थ पृथ्वी प्रतिरोध	ठीक है / ठीक नहीं है एन 1 ओम एन 2 Ohm	
5	केवल आकार: वर्ग मिमी	ए) इन्सुलेशन प्रतिरोध मूल्य 1. पीएच-पीएच 2. पीएच -र्थ 3. पीएच-अर्थ + अन्य पीएच बी) झुकाव त्रिज्या	... एम ओएमएम ओह ओह ठीक है / ठीक नहीं है	
6	ग्राउंडिंग	ए) धातु स्ट्रिप्स का धातु और आकार बी) पृथ्वी का प्रकार 1) प्लेट पृथ्वी 2) पाइप धरती 3) काउंटर पोइज़ अर्थिंग सी) पृथ्वी इलेक्ट्रोड के पृथ्वी प्रतिरोध का मूल्य 1) रिपेक्टर तटस्थ: 2) ला के 3) संरचना: 4) फ्रेम्स / उपकरण के निकायों 5) मोटर्स	Cu / अल / सैनिक। वर्ग मिमी हाँ नही हाँ नही हाँ नही एन 1 ओह ... एन 2 ओहम आर) ओहम (वाई) ... ओह (बी) ...। ओम ओम ओम ओम	
7	संभावित ट्रांसफार्मर	i) अनुपात परीक्षण ii) ध्रुवीयता परीक्षण iii) तेल का बीडीवी iv) आईआर टेस्ट	ठीक है / ठीक नहीं है ठीक है / ठीक नहीं है के। बी (आर) पी-ई ...। एम ओहम (वाई) पी-ई ... एम ओएमएम (बी) पी-ई ... एम ओह	
8	करेंट ट्रांसफॉर्मर	i) अनुपात परीक्षण ii) ध्रुवीयता परीक्षण	ठीक है / ठीक नहीं है ठीक है / ठीक नहीं है	

		iii) तेल का बीडीवी iv) आईआर टेस्ट	 के। वी आर) पी-ई एम ओहम (वाई) पी-ई एम ओएमएम (बी) पी-ई एम ओह	
9	संचरण रेखा	i) कंडक्टर / टावर की शारीरिक स्थिति ii) टावर सहायक उपकरण की जांच iii) टॉवर पैरिंग प्रतिरोध iv) कंडक्टर निरंतरता परीक्षण v) जमीन निकासी की जांच vi) मार्ग के साथ विद्युत निकासी की जांच करें	ठीक है / ठीक नहीं है ठीक है / ठीक नहीं है Ohm ठीक है / ठीक नहीं है ठीक है / ठीक नहीं है ठीक है / ठीक नहीं है	

सामान्य अवलोकन

एस नं	मद	अवलोकन
1	आवश्यक चरण चरण, चरण से जमीन और अनुभागीय निकासी की जांच करें	
2	उपकरण लेआउट और समग्र स्थापना विवरण के लिए जाँच करें	
3	लागू होने के रूप में पृथ्वी चटाई या पृथ्वी इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध का परीक्षण	
4	व्यक्तिगत उपकरणों की उपभोक्ता की पूर्व-कमीशन परीक्षण रिपोर्ट की जांच करें	
5	व्यक्तिगत उपकरणों की निर्माता की नियमित / प्रकार परीक्षण रिपोर्ट की जांच करें	
6	लागू होने पर इंस्पेक्टर की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है या नहीं	
7	क्या नियमों के अनुपालन के बारे में स्वामी का आत्म-प्रमाणीकरण प्राप्त किया गया है?	
8	सामान्य अवलोकन और विचार (विनियमों की आवश्यकताओं से विशिष्ट विचलन स्पष्ट रूप से लाया जाएगा)	

प्राधिकरण का नाम, हस्ताक्षर और मुहर

अनुबंध- X

मीटर की जांच के लिए मीटर संबंधित शिकायत / अनुरोध
(लागू उद्देश्य पर टिकटें)

शिकायत संदर्भ संख्या: _____ (लाइसेंसधारी द्वारा दिया जाना)

1. सेवा कनेक्शन सं :
2. उपभोक्ता का नाम:
3. उपभोक्ता का पता और संपर्क संख्या:
4. उपभोक्ता का ईमेल आईडी
5. शिकायत का संक्षिप्त विवरण - बर्न आउट / पूरी तरह से बंद / तेज मीटर / सील टूटा / मीटर का परीक्षण
6. मीटर की आरंभिक लागत (एक टिकटें) द्वारा ली गई थी: उपभोक्ता / लाइसेंसधारक
7. शिकायतकर्ता प्रतिस्थापन के लिए एक नया मीटर प्रदान करने / प्रदान करने की इच्छा रखता है
(हाँ / नहीं):
8. कोई अन्य जानकारी

दिनांक: (उपभोक्ता के हस्ताक्षर)

(कार्यालय उपयोगार्थ)

1. साइट सत्यापन रिपोर्ट
हस्ताक्षर (संबंधित अधिकारी)
2. संबंधित अधिकारी की टिप्पणियां
हस्ताक्षर (संबंधित अधिकारी)

अभिस्वीकृति

शिकायत संदर्भ संख्या: (लाइसेंसधारी द्वारा दिया जाना है)

शिकायत द्वारा प्राप्त: (नाम और पदनाम)
शिकायत प्राप्त करने की तिथि:

लाइसेंसधारक प्रतिनिधि का हस्ताक्षर / मुहर
नाम और पदनाम

अनुबंध- इलेवन

मीटर परीक्षण परिणाम रिपोर्ट

1. उपभोक्ता विवरण
सेवा कनेक्शन संख्या उपभोक्ता का नाम
उपभोक्ता श्रेणी अनुबंधित लोड
उपभोक्ता का पता
उपभोक्ता का संपर्क संख्या
उपभोक्ता का ईमेल आईडी
2. मीटर विवरण
मीटर नहीं आकार
प्रकार.....। सी टी अनुपात
ई / एल-एलईडी स्थिति रेव एलईडी स्थिति

3. क्रांति / पल्स टेस्ट

- मीटर कांस्टेंट भार.....
परीक्षण से पहले पढ़ना परीक्षण के बाद पढ़ना
क्रांति की संख्या / पल्स ले लिया। परीक्षण के लिए वास्तविक समय लिया
मीटर द्वारा रिकॉर्ड ऊर्जा
मानकीकृत मीटर त्रुटि द्वारा रिकॉर्ड की गई ऊर्जा

परिणाम

उपभोक्ता मीटर दर्ज% कम / अधिक खपत प्रतिस्थापन की आवश्यकता है या
..... के भीतर हैं।

प्रमाणपत्र यह प्रमाणित करना है कि प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण किया गया है। एक बाहरी भार केडब्ल्यू का इस्तेमाल 1 किलोवाट के लिए परीक्षण के लिए किया गया था और कुल समय लिया गया था। मिनट। दालों / क्रांति की गिनती के लिए ऑप्टिकल स्कैनर का उपयोग करके परीक्षण किया गया था।

उपभोक्ता का हस्ताक्षर नाम: कंपनी के हस्ताक्षर अधिकारिक: नाम और पदनाम

नोट: विभिन्न बाहरी भारों के परीक्षण के लिए अनुमानित समय निम्नानुसार है:

मिनटों में लगभग केडब्ल्यू में लोड करें

1 किलोवाट 60

2 किलोवाट 30 .

4 किलोवाट 15

5 किलोवाट 12

अनुबंध xii

स्व-मूल्यांकन बिल के लिए आवेदन

1	उपभोक्ता का नाम	
2	सेवा कनेक्शन संख्या	
3	पता	
4	पिछले 6 महीनों की औसत खपत	
5	पढ़ने के आधार पर उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि (आत्म मूल्यांकन) (औसत खपत से कम नहीं होना चाहिए पिछले 6 महीने)	पिछला पढ़ना
		वर्तमान पढ़ना
		शुद्ध खपत
		रकम
6	भुगतान का प्रकार	चेक
		डीडी / मनी ऑर्डर
		कैश

उपभोक्ता का हस्ताक्षर:

उपभोक्ता की संपर्क संख्या:

उपभोक्ता का नाम:

उपभोक्ता का ईमेल-आईडी

अनुबंध-XIII

अग्रिम भुगतान के आवेदन के लिए प्रारूप

सेवा कनेक्शन संख्या

उपभोक्ता का नाम:

उपभोक्ता श्रेणी:

अनुबंधित भार:

उपभोक्ता का पता:

संपर्क नंबर:.....

ईमेल आईडी :.....

श्रीमान,

मैं ऊपर उल्लिखित कनेक्शन के खिलाफ से तक की अवधि के लिए अग्रिम भुगतान करना चाहता हूं।

आपसे अनुरोध है कि कृपया मुझे उपर्युक्त अवधि की बिजली की खपत के लिए एक अस्थायी अग्रिम बिल भेजें, ताकि मैं भुगतान कर सकूँ। धन्यवाद।

उपभोक्ता का हस्ताक्षर

उपभोक्ता का नाम:

अनुबंध- XIV

यूयूई / चोरी के मामले में निरीक्षण रिपोर्ट के लिए प्रारूप

निरीक्षण की तिथि: सं :

निरीक्षण एजेंसी:

सेवा: लोड विवरण		
कनेक्शन संख्या		
उपभोक्ता का नाम		
उपभोक्ता श्रेणी		
पता		
ए) स्वीकृत / अनुबंधित लोड		
बी) केडब्ल्यू या केवीए या स्वीकृत अनुबंध की मांग में अधिकतम मांग, जो भी अधिक हो		
सी) चोरी के मामले में प्रत्येक उपकरण के विवरण के साथ कुल कनेक्ट लोड		
अनियमितता का प्रकार: (जो भी लागू हो टिकटें)		
बिजली का अनधिकृत उपयोग	चोरी होना	अन्य (विस्तार से निर्दिष्ट करें)
जाँच के नतीजे:		
मीटर संख्या (चित्रित): सीटी बॉक्स मुहर संख्या:	सीटी बॉक्स सील नंबर:	
मीटर संख्या (डायल): मीटर बॉक्स सील नंबर:	मीटर बॉक्स सील नंबर:	
पढ़ना (केडब्ल्यूएच):	मीटर टर्मिनल सील नंबर:	
पढ़ना (केवीएच):	आधा मुहर संख्या:	
पढ़ना (केवीएआरएच):	कार्य मीटर:	
एमडीआई:	केबल स्थिति:	
शक्ति तत्व:	सीटी अनुपात:	
आकार:	प्रकार:	
शंट कैपेसिटर (टिक टिक)	शंट कैपेसिटर _____ रेटिंग की संख्या और _____make पावर फैक्टर को बनाए रखने के लिए कार्य क्रम में स्थापित पाया गया; या कोई शंट संधारित्र स्थापित नहीं मिला। बिजली कारक _____ lagging मापा	

जेनरेटर: केवीए बिना अनुमति के / स्थापित किए गए सील का विवरण मिला

निरीक्षण दल द्वारा अन्य अवलोकन:

उपभोक्ता को नोट करें: आपसे अनुरोध है कि कृपया निरीक्षण टीम सदस्य / पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए गए शो-काँज़ नोटिस में उल्लिखित समय और तिथि पर से पहले उपस्थित हों।

उपभोक्ता का हस्ताक्षर

उपभोक्ता का नाम:

उपभोक्ता की संपर्क संख्या:

उपभोक्ता का ईमेल-आईडी:

मूल्यांकन / अधिकृत अधिकारी (ओं) का हस्ताक्षर:

हस्ताक्षर

नाम

पद

कर्मचारी संख्या।

अनुबंध XV

स्थायी डिस्कनेक्शन और अनुबंध की समाप्ति के लिए अनुरोध सेवा कनेक्शन संख्या उपभोक्ता का नाम: उपभोक्ता श्रेणी: अनुबंधित भार: पता:

..... यह अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त कनेक्शन स्थायी रूप से डिस्कनेक्ट हो सकता है और लाइसेंसधारी के साथ प्रासंगिक अनुबंध तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा। नोट: निम्नलिखित दस्तावेज आवेदन पत्र से जुड़े हुए हैं:

1. अंतिम बिल की प्रति
2. अंतिम बिल की भुगतान रसीद की प्रति धन्यवाद तिथि: उपभोक्ता का हस्ताक्षर जगह:..... नाम: संपर्क नंबर। पता: ईमेल आईडी: अभिस्वीकृति डिस्कनेक्शन और समझौते को समाप्त करने के सभी मामलों में पूर्ण (आवेदक का नाम) इस आवेदन पर इस तारीख (तारीख) को प्राप्त किया गया है। इस संबंध में, आवेदक को भविष्य के पत्राचार के लिए उपयोग करने के लिए एक संदर्भ संख्या दिया जाता है। लाइसेंसधारक के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर / मुहर नाम और पदनाम

अनुबंध- XVI

समझौते की समाप्ति के बाद उपभोक्ता को सूचना के लिए प्रारूप

लाइसेंसधारक की कार्यालय की तारीख कार्यालय का पता.....।

सेवा कनेक्शन संख्या

..... (उपभोक्ता का नाम)

..... (उपभोक्ता का पता)

..... (संपर्क उपभोक्ता से संपर्क करें)

..... (उपभोक्ता का ईमेल-आईडी)

यह आपको सूचित करना है कि एक समझौते दिनांक सेवा कनेक्शन संख्या के बीच में और

(लाइसेंसधारक का नाम) के संबंध में

उपभोक्ता श्रेणी में केडब्ल्यू / मेगावाट (अनुबंधित लोड) की आपूर्ति है

(कारण) के कारण w.e.f (दिनांक) को समाप्त कर दिया गया है

आपकी आपूर्ति स्थायी रूप से डिस्कनेक्ट हो गई है।
सभी शुल्कों और ऊर्जा बिलों के अंतिम समायोजन के बाद राशि:

1. रुपये आपको देय है जिसके लिए चेक नंबर संलग्न है।
 2. रुपये आप से देय है। आपसे अनुरोध है कि इस पत्र की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर राशि का भुगतान करें, जिसमें असफल हो, कानून के तहत निर्धारित कार्रवाई राशि की वसूली के लिए शुरू की जाएगी।
- धन्यवाद।
निष्ठा से,
लाइसेंसधारक के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर / मुहर
नाम और पदनाम:

अनुलग्नक-XVII

आपूर्ति के अस्थायी डिस्कनेक्शन के बाद उपभोक्ता को सूचना के लिए प्रारूप

लाइसेंसधारी का कार्यालय पता तारीख

सेवा कनेक्शन संख्या:
उपभोक्ता का नाम:
उपभोक्ता श्रेणी:
अनुबंधित भार:
उपभोक्ता का पता:
संपर्क उपभोक्ता की संख्या:
उपभोक्ता का ईमेल आईडी

यह आपको सूचित करने के लिए है कि निम्नलिखित कारणों से आपकी आपूर्ति अस्थायी रूप से (तिथि) से डिस्कनेक्ट हो गई है:

आपसे अनुरोध है कि डिस्कनेक्शन का कारण निकालें और जल्द से जल्द इस कार्यालय को अंतरंग करें। आपसे अनुरोध किया जाता है कि का भुगतान करने के लिए .. डिस्कनेक्शन और पुनः कनेक्शन शुल्क और। (उल्लेख करें कि विस्तृत ब्रेक-अप के साथ, कोई अन्य बकाया जमा किया जाना है)।

यदि इस कार्यालय की संतुष्टि के लिए डिस्कनेक्शन का कारण नहीं हटाया गया है और उपर्युक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो इस नोटिस के 45 दिनों के भीतर आपकी आपूर्ति बिना किसी सूचना के स्थायी रूप से डिस्कनेक्ट हो जाएगी।

धन्यवाद। निष्ठा से,

लाइसेंसधारक के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर / मुहर
नाम और पदनाम

अनुलग्नक XVIII

सुरक्षा जमा राशि का वितरण

उपभोक्ता के लिए सुरक्षा जमा राशि = उस श्रेणी के लोड एक्स लोड फैक्टर जिसमें उपभोक्ता एक्स (30 दिन (कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर) + 30 दिन) x 24 घंटे x वर्तमान टैरिफ

एस नं।	विवरण	लोड कारक 2
1	घरेलू	30%
2	व्यावसायिक	50%
3	एलटी औद्योगिक	50%

4	एचटी / ईएचटी औद्योगिक:	
	• एकल शिफ्ट उद्योग	50 %
	• डबल शिफ्ट उद्योग	75 %
	• सतत उद्योग	100 %
5	कृषि / जल आपूर्ति	33 %
6	सड़क की बतियाँ	40 %
7	सिग्नल और ब्लिंकर्स	75 %
8	रेलवे ट्रैक्शन	50 %

नोट: कृषि उपभोक्ताओं के लिए समय अवधि 60 दिन होगी।

अनुबंध- XIX

चोरी के मामलों में ऊर्जा का आकलन

1. बिजली की चोरी के कारण खपत की गणना के लिए मूल्यांकन सूत्र निम्नानुसार होगा:

इकाइयों का आकलन = एल एक्स डी एक्स एच एक्स एफ

कहा पे,

एल = लोड (निरीक्षण के दौरान उपभोक्ता के परिसर में जुड़े लोड लोड) केडब्ल्यू में;

डी = दिनों में मूल्यांकन की अवधि, जिसके दौरान अनधिकृत उपयोग / चोरी का संदेह होता है और नीचे निर्दिष्ट अनुसार विभिन्न श्रेणियों के उपयोग के लिए लिया जाएगा:

ए) निरंतर उद्योग 30 दिन

बी) गैर-निरंतर उद्योग 25 दिन

सी) 30 दिनों का घरेलू उपयोग

डी) कृषि 30 दिन

ई) गैर आवासीय (निरंतर) जैसे। अस्पताल, होटल

रेस्तरां, गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम, पेट्रोल पंप

और टेली-संचार टावर 30 दिन

एफ) गैर आवासीय (सामान्य) यानी, (ई) 25 दिनों के अलावा

जी) जल कार्य और स्ट्रीट लाइट 30 दिन

एच) अन्य श्रेणियां (अस्थायी आपूर्ति सहित) 30 दिन

एच = उपभोक्ता को खिलाने वाले वितरण प्रमुखों में उपलब्ध बिजली आपूर्ति के प्रति घंटे की औसत संख्या जो नीचे निर्दिष्ट अनुसार विभिन्न श्रेणियों के लिए ली जाएगी:

ए) एकल शिफ्ट उद्योग (केवल दिन / रात) 08 बजे

बी) गैर निरंतर प्रक्रिया उद्योग (दिन और रात) 20 बजे

सी) निरंतर प्रक्रिया उद्योग 24 घंटे

डी) (i) गैर-आवासीय (सामान्य) रेस्तरां सहित 12 बजे

(ii) होटल, अस्पताल, नर्सिंग होम, गेस्ट हाउस,

पेट्रोल पंप और टेली-संचार टावर 20 बजे

ई) घरेलू 08 बजे

एफ) कृषि 04 बजे

जी) पानी 08 बजे काम करता है

च) स्ट्रीट लाइट 08 बजे

i) अन्य श्रेणियां (अस्थायी आपूर्ति सहित) 12 बजे

एफ = लोड फैक्टर, जो नीचे दी गई विभिन्न श्रेणियों के लिए लिया जाएगा:

एस संख्या	विवरण	लोड फैक्टर
1	एचटी (गैर-घरेलू और उपरोक्त 107 एचपी या 100 केवीए के लिए 75 किलोवाट से ऊपर भार सहित)	100%
2	एलटी औद्योगिक (107 एचपी या 100 केवीए)	75%
3	गैर-घरेलू (75 किलोवाट तक) gair-ghareloo (75 kilovaat tak)	50%
4	घरेलू (75 किलोवाट तक)	40%
5	कृषि	50%
6	जलापूर्ति	50%
7	गली की बत्ती	50%
8	प्रत्यक्ष चोरी - सभी श्रेणियां	100%

2. अस्थायी कनेक्शन के मामले में ऊर्जा का आकलन अस्थायी कनेक्शन के मामले में, बिजली की चोरी के लिए खपत इकाइयों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाएगा:

इकाइयों का आकलन = एल एक्स डी एक्स एच कहा पे,

एल = लोड (निरीक्षण के समय जुड़े पाया) केडब्ल्यू में;

डी = दिनों में मूल्यांकन की अवधि; तथा कृषि कनेक्शन के लिए

एच = 6 घंटे और दूसरों के लिए 12 घंटे

अनुबंध- XX

आपूर्ति की सामान्य शर्तें

उपभोक्ता के परिसर में तारों

1 उपभोक्ता के परिसर में तारों का काम एक लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार द्वारा किया जाएगा और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 में निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप होगा। तारों के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का पालन करना होगा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के साथ या बेहतर हो। जमीन के स्तर से 15 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाली सभी ऊंची इमारतों, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और बिजली आपूर्ति से संबंधित उपाय) नियम, 2010 के नियम 50-ए का भी पालन करेंगे। वायरिंग का परीक्षण किया जाएगा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियमन, 2010 के विनियमन 31 के प्रावधान।

एसी मोटर्स की स्थापना

2 कोई एसी मोटर लाइसेंसधारक की निम्न या मध्यम वोल्टेज प्रणाली से जुड़ी नहीं होगी जब तक कि मोटर और उसके इंस्टॉलेशन के पास नीचे निर्दिष्ट आवश्यकता के अनुसार प्रारंभिक वर्तमान को सीमित करने के लिए उपयुक्त उपकरण नहीं है।

(1) किसी भी आवेदक को 3 एचपी क्षमता या उपरोक्त या 1 केवीए क्षमता या ऊपर के वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर के प्रेरण मोटर्स का उपयोग करने के लिए कम या मध्यम वोल्टेज पर बिजली आपूर्ति नहीं दी जाएगी, जब तक उचित रेटिंग के शंट कैपेसिटर उपभोक्ता द्वारा स्थापित नहीं

किए जाते इस आपूर्ति कोड, 2018 में निर्दिष्ट औसत मासिक बिजली कारक प्राप्त करने के लिए ऐसे मोटर और वेलिंग ट्रांसफार्मर का टर्मिनल।

(2) कम या मध्यम वोल्टेज के मोटर्स को सभी संभावित स्थितियों के तहत निम्नलिखित अनुसूची में दी गई सीमाओं से अधिक उपभोक्ता की स्थापना से अधिकतम वर्तमान मांग को संतोषजनक रूप से रोकने के लिए नियंत्रण गियर के साथ प्रदान किया जाएगा:

आपूर्ति की प्रकृति	स्थापना का आकार	मैक्स। वर्तमान मांग
एकल चरण / तीन चरण	(ए) 1 बीएचपी तक और सहित।	छह गुना पूर्ण भार वर्तमान
	(बी) 1 बीएचपी से ऊपर और 10 बीएचपी सहित	तीन बार पूर्ण लोड वर्तमान
	(सी) 10 बीएचपी से ऊपर और 15 बीएचपी सहित	दो बार पूर्ण लोड वर्तमान
	(डी) 15 बीएचपी से ऊपर	ढाई गुना पूर्ण लोड वर्तमान

इन आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफलता उपभोक्ता को डिस्कनेक्ट होने के लिए उत्तरदायी प्रदान करेगी। लाइसेंसधारक, काम करने की स्थिति और स्थिति के आधार पर, प्रारंभिक वर्तमान सीमा को आराम कर सकता है।

(3) नो-वोल्ट रिलीज द्वारा संरक्षित एक तिहाई ध्रुव लिंक स्विच मोटर सर्किट और ट्रिपल पोल फ्यूज (या अधिभार रिलीज) को नियंत्रित करेगा। यह महत्वपूर्ण है कि रिलीज को अच्छे कामकाजी क्रम में बनाए रखा जाएगा। मोटरों के लिए तारों को धातु के कंडिशन में सभी तीन चरण के तारों के साथ चलाया जाएगा, जो प्रभावी ढंग से पूरे रूप से शुरू किए जाएंगे और मोटर के फ्रेम से जुड़े रहेंगे, जिससे दो अलग-अलग पृथ्वी के तार चलेंगे। पृथ्वी तार के न्यूनतम अनुमत आकार की संख्या 14 एसडब्ल्यूजी होगी। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) समय-समय पर संशोधित विनियम, 2010, प्रत्येक सम्मान में अनुपालन किया जाएगा।

(4) कुल हार्मोनिक वोल्टेज विरूपण नीचे उल्लिखित सीमा से अधिक नहीं होगा:

ईएचटी = 4%

एचटी = 10%

एलटी = 15%

(5) इसके अलावा, वर्तमान में wattles को नियंत्रित करने के लिए एक उपकरण के साथ तुल्यकालिक मोटर भी प्रदान किया जाएगा।

सिंचाई / कृषि पंप सेट की स्थापना सभी नए पंपिंग सेट कनेक्शन / पुनः कनेक्शन में निम्नलिखित होंगे: (1) घर्षण कम पैर वाल्व (2) एचडीपीई पाइपिंग चूषण और वितरण (3) आईएसआई ने ऊर्जा कुशल monobloc पंप सेट चिह्नित किया। (4) पंप सेट के लिए पर्याप्त रेटिंग के संधारित्र। लाइसेंसधारक की आपूर्ति प्रणाली के साथ समानांतर ऑपरेशन 3 उपभोक्ता 50 किलोवाट से ऊपर की क्षमता के लिए वितरण लाइसेंसधारक की सहमति के साथ एक पृथक मोड में काम करने के लिए, इसके विस्तार या इसके अतिरिक्त सहित, अपनी जेनरेटिंग इकाइयों के पौधे, मशीनरी और उपकरण की व्यवस्था करेगा। जहां समानांतर संचालन के लिए सहमति दी गई है, उपभोक्ता लाइसेंसधारक प्रणाली में गड़बड़ी से बचाने के लिए अपनी स्थापना की व्यवस्था करेगा। लाइसेंसधारक ऐसे समानांतर संचालन के कारण उपभोक्ता के पौधे, मशीनरी और उपकरण के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, या उसके उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रतिकूल परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ग्रिड के साथ समानांतर संचालन के लिए, उपभोक्ता को समय-समय पर संशोधित जेईआरसी राज्य ग्रिड कोड विनियम, 2010 के प्रावधानों का पालन करना होगा और अन्य प्रासंगिक नियमों और आयोग द्वारा अनुमोदित सिंक्रनाइजिंग शुल्क का भुगतान करना होगा। वास्तविक संचालन एसटीयू और लाइसेंसधारक के समन्वय में किया जाएगा। 4 अगर इसे एसएलडीसी / लाइसेंसधारक के नोटिस में लाया गया है कि एक विशेष उपभोक्ता अनधिकृत या अनियमित साधनों से आपातकालीन रोस्टिंग के दौरान बिजली का उपयोग कर रहा है, तो ऐसे उपभोक्ता को खिलाने वाला फीडर स्रोत ग्रिड उप-स्टेशन से इसे ऊर्जा देने के लिए खोला जाएगा, एसएलडीसी के निर्देशों पर, जिसके लिए उपभोक्ता पूरी तरह से होगा उत्तरदायी।

अनुबंध XXI

प्रदर्शन गारंटी / बैंक गारंटी बोर्ड का फॉर्म लाइसेंसधारक के नाम पर विचार

(यहां "वितरण लाइसेंसधारक का नाम कहा जाता है।" जो अभिव्यक्ति तब तक होगी जब तक कि विषय या अनुबंध में प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी और असाइनमेंट शामिल हों) प्लॉट नंबर सर्वेक्षण संख्या 0__ पर स्थित मैसर्स _____ को छूट देने के लिए सहमत हो गया है संयुक्त बिजली आपूर्ति संहिता विनियमन 2018 (इसके बाद आपूर्ति कोड, 2018 की आपूर्ति के लिए आपूर्ति कोड कहा जाता है, इसके बाद बैंक गारंटी के उत्पादन पर केवीए उच्च तनाव शक्ति के तहत सुरक्षा जमा के भुगतान से _____ (यहां "उपभोक्ता (ओं) कहा जाता है) के बाद पंजीकृत कार्यालय" _____ रुपये (रुपये _____ अकेले) के लिए।

1. हम _____ (बाद में "बैंक" के रूप में संदर्भित) मैसर्स _____ के अनुरोध पर लाइसेंसधारी नाम का भुगतान करने के लिए _____ (केवल रुपए) से अधिक की राशि का भुगतान करने के लिए किसी भी नुकसान या क्षति के कारण या पीड़ित या इसके कारण होगा संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति संहिता) विनियम, 2018 में निहित किसी भी नियम और शर्तों के किसी भी उल्लंघन द्वारा आपूर्ति के लिए लाइसेंसधारक के नाम से या पीड़ित किसी अन्य उल्लंघन / आपूर्ति के लिए अन्य समझौते / नियम समय-समय पर स्थान के नाम पर विद्युत ऊर्जा का प्रबल होता है।

2. We _____ do इस प्रकार किसी गारंटी के तहत इस गारंटी के तहत देय और देय राशि का भुगतान करने के लिए केवल लाइसेंसधारक के नाम से मांग पर भुगतान करते हुए यह बताते हुए कि दावा की गई राशि हानि या क्षति के कारण होती है या जिसके कारण होता है या उसके कारण होता है संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति संहिता) विनियम, 2018 या विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किसी भी अन्य नियम / समझौतों के किसी भी नियम और शर्तों के उपभोक्ता (ओं) द्वारा उल्लंघन के कारण लाइसेंसधारक का नाम। इस गारंटी के तहत बैंक द्वारा देय और देय राशि के संबंध में बैंक पर ऐसी कोई भी मांग निर्णायक होगी। हालांकि, इस गारंटी के तहत हमारी देयता राशि (केवल रुपए) से अधिक की राशि तक ही सीमित नहीं होगी।

3. हम, कहा बैंक आगे लाइसेंसधारक का नाम चुकाने का प्रयास करता है किसी भी अदालत या किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल से पहले लंबित किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में उपभोक्ता द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद या विवाद के बावजूद किसी भी धन की मांग की गई, इस वर्तमान के तहत हमारी देयता पूर्ण और स्पष्ट है।

4. हम (बैंक का नाम) आगे सहमत हैं कि यहां दी गई गारंटी बिजली आपूर्ति की पूरी अवधि या संयुक्त संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति संहिता) विनियम, 2018 के तहत कवर की गई किसी भी अन्य अवधि के दौरान पूर्ण बल और प्रभाव में बनी रहेगी या विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए लागू किसी भी अन्य नियम / समझौते लेकिन तारीख (डी) से परे नहीं है और यह तब तक लागू होगा जब तक कि लाइसेंसधारक के नाम की सभी बकाया राशि पूरी तरह से भुगतान नहीं की जाती है जब तक कि दावा या मांग न हो इस गारंटी के तहत डी + 6 महीने पहले सभी दायित्वों से छुट्टी मिलने से पहले इस गारंटी को हमारे लिखित में लिखा गया है।

5. हम _____ इसके बाद (लाइसेंसधारक का नाम) से सहमत हैं कि लाइसेंसधारक का नाम हमारी सहमति के बिना पूरी तरह से स्वतंत्रता प्राप्त करेगा और किसी भी तरह से हमारे संयुक्त दायित्व को लागू किए गए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के किसी भी नियम और शर्तों में भिन्नता के बिना प्रभावित नहीं होगा (आपूर्ति संहिता विनियम, 2018) या विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किसी भी अन्य नियम / समझौते और हमें इस तरह के बदलाव के कारण हमारी देयता से मुक्त नहीं किया जाएगा।

6. बैंक या उपभोक्ता के संविधान में बदलाव के कारण यह गारंटी छुट्टी नहीं दी जाएगी।

7. हम, ... (बैंक का नाम इंगित करें) आखिरकार लिखित में लाइसेंसधारक के नाम की पिछली सहमति को छोड़कर इस गारंटी को अपनी मुद्रा के दौरान रद्द नहीं करना है।

8. यह गारंटी लाइसेंसधारक के नाम से मांग पर विस्तारित होने तक तक मान्य नहीं होगी। उपरोक्त वर्णित कुछ भी होने के बावजूद, इस गारंटी के खिलाफ हमारी देयता (रुपये) तक सीमित है और जब तक कि समाप्ति की तारीख के छह महीने के भीतर या विस्तृत तिथि के भीतर लिखित में दावा हमारे साथ दर्ज नहीं किया जाता है इस गारंटी की समाप्ति की हमारी सभी देनदारियों को गारंटी के तहत छोड़ दिया जाएगा।

..... दिनांक

..... के लिए

..... (बैंक का नाम)

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(FOR THE STATE OF GOA AND UNION TERRITORIES)

NOTIFICATION

Gurugram, the 26th November, 2018

Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa and Union Territories) Electricity Supply Code) Regulations, 2018

JERC:23/2018:-In exercise of the powers conferred under Section 181 read with Section 50, of the Electricity Act, 2003 (Act No. 36 of 2003) (hereinafter referred to as 'the Act'), and all other powers enabling it in this behalf including sub-ordinate legislation, rules, statutory orders, resolutions, clarifications issued by the Government in terms of the Act relating to supply of electricity, the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (UTs) hereby makes this "Electricity Supply Code" Regulations, 2018, hereinafter called the Supply Code, 2018.

Chapter-1**1. SHORT TITLE, SCOPE, EXTENT AND COMMENCEMENT**

- 1.1** *This Supply Code, 2018 shall be called "Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and UTs (Electricity Supply Code) Regulations, 2018" (hereinafter referred to as 'the Supply Code, 2018').*
- 1.2** *This Supply Code, 2018 details the obligations of the Licensee and consumers vis-à-vis each other and specifies the set of practices that shall be adopted by the Licensee to provide efficient, cost-effective and consumer friendly service to the consumers. It specifically details the following:*
- (1) The procedure for connection, disconnection, reconnection, assessment of load, changes in existing connections (load modifications, change of name, change of tariff category, etc.);
 - (2) Practices relating to consumer metering, billing and payment.
 - (3) Method of assessment of electricity charges payable in case of theft of electricity pending adjudication by the appropriate court or in case of unauthorized use of electricity;
 - (4) Disconnection of supply in case of theft or unauthorized use of electricity and removal of meter, electric line, electrical plant and all other apparatus; and
 - (5) Measures to prevent diversion of electricity, theft or unauthorized use or tampering, distress or damage to electrical plant, electric line or meter.
- 1.3** *All the forms and formats annexed to the Supply Code, 2018 are integral part of this Supply Code, 2018. The Licensee, if it feels imperative, may approach the Commission to seek suitable amendments in the forms/formats and such amended forms/ formats would be posted on the website of the respective Licensees for use by consumers.*
- 1.4** *This Supply Code, 2018 shall be applicable to:*
- (1) All Distribution Licensees including Deemed Licensees and all Consumers in the State of Goa and Union Territories (except Delhi).
 - (2) All other persons who are exempted under Section 13 of the Act from obtaining the Licence; and
 - (3) Unauthorized supply, unauthorized use, diversion and other means of unauthorized use/ abstraction of electricity.
- 1.5** *The provisions of the Supply Code, 2018 shall be read in conjunction with the Regulations made under the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and UT's (Standard of Performance*

for Distribution Licensees) Regulations, 2015 and other relevant Regulations and codes notified by the Commission for the State of Goa and UT's and as amended from time to time:

Provided that in case the timelines and other conditions specified in this Supply Code, 2018 are in variation with Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and UT's (Standard of Performance for Distribution Licensees) Regulations, 2015 (SOP Regulations), the timelines and other conditions as specified in this Supply Code, 2018 shall prevail and such timelines and other conditions shall be deemed to have been replaced in the existing SOP Regulations.

1.6 *This Supply Code, 2018 shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.*

1.7 *The Supply Code, 2018 consists of 10 Chapters, as follows:*

- (1) Chapter 1: Short Title, Scope, Extent and Commencement
- (2) Chapter 2: Definitions
- (3) Chapter 3: Supply Code Review Panel
- (4) Chapter 4: System of Supply and classification of Consumers
- (5) Chapter 5: Procedure for release of new connections and modifications as per existing connection
- (6) Chapter 6: Metering
- (7) Chapter 7: Billing
- (8) Chapter 8: Restrictions-Theft and Unauthorized use of electricity
- (9) Chapter 9: Disconnection and Reconnection
- (10) Chapter 10: General Provisions

Chapter-2

2. DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS

2.1 *Words, terms and expressions defined in the Electricity Act, 2003, as amended from time to time and used in this Supply Code, 2018 shall have and carry the same meaning as defined and assigned in the said Act.*

All other expressions used herein but not specifically defined in the Act or Regulations but defined under any law passed by a competent legislature and applicable to the electricity industry in the State of Goa and UTs shall have the meaning assigned to them in such law. Subject to the above, expressions used herein but not specifically defined in the Act or any law passed by a competent legislature shall have the meaning as is generally assigned in the electricity industry.

2.2 *In the interpretation of this Supply Code, 2018, unless the context otherwise requires:*

- (1) Words in the singular or plural term, as the case may be, shall also be deemed to include the plural or the singular term, respectively;
- (2) References to any statutes, Regulations or guidelines shall be construed as including all statutory provisions consolidating, amending or replacing such statutes, Regulations or guidelines, as the case may be, referred to;
- (3) Terms "include" or "including" shall be deemed to be followed by "without limitation" or "but not limited to" regardless of whether such terms are followed by such phrases or words of like import.

2.3 *In this Supply Code, 2018, unless it is repugnant to the context:*

- (1) “Act” means the Electricity Act, 2003 and subsequent amendments thereof;
- (2) “Agreement” means an agreement entered into by the Distribution Licensee and the consumer for the services including supply of electricity by the Licensee to the consumer;
- (3) “Appellate Authority” means the authority prescribed under sub-section (1) of Section 127 of the Act;
- (4) “Applicant” means an owner or occupier of any land/premises who files an application form with a Licensee for supply of electricity, increase or reduction in sanctioned load/contract demand, change in title, disconnection or restoration of supply or termination of agreement or any other services as specified in this Supply Code, 2018 as the case may be, in accordance with the provisions of the Act and the Code, Rules and Regulations made thereunder or other services;
- (5) “Application” means an application form complete in all respects in the appropriate format, as specified in this Supply Code, 2018 along with documents showing payment of necessary charges and other compliances;
- (6) “Application form” means an application form complete in all respects in the appropriate format, as required under this Supply Code, 2018;
- (7) “Apparatus” means electrical apparatus and includes all machines, fittings, accessories and appliances connected to the electrical distribution system;
- (8) “Area of supply” means the area within which a Distribution Licensee is authorized by his licence to supply electricity;
- (9) “Assessing Officer” means an officer designated as Assessing Officer by the concerned State / UTs Government under provisions of Section 126 of the Act;
- (10) “Authorized Officer” means an officer designated as Authorized Officer by the Appropriate Authority, under provisions of Section 135 of the Act;
- (11) “Authorized representative” of any person/entity means all officers, staff, representatives or persons discharging functions under the general or specific authority of the concerned person/entity;
- (12) “Billing cycle or billing period” means the period as approved by the Commission for which regular electricity bills are to be prepared by the Licensee for different categories of consumers;
- (13) “Breakdown” means an occurrence relating to equipment of the distribution system of the Licensee including electric line up to the consumer meter that prevents its normal functioning;
- (14) “Calendar year” means the period from the first day of January of a year to the thirty first day of December, of the same year;
- (15) “Check meter” means a meter connected to the same core of the Current Transformer (CT) and Voltage Transformer (VT) to which main meter is connected and shall be used for accounting and billing of electricity in case of failure of main meter;
- (16) “Commission” means the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (except Delhi);
- (17) “Conductor” means any wire, cable, bar, tube, rail or plate used for conducting electrical energy and so arranged as to be electrically connected to a system;
- (18) “Connected load” expressed in kilo Watt (kW), kilo Volt Ampere (kVA) or Horse Power (HP), means aggregate of the manufacturer’s rated capacities of all energy consuming

devices or apparatus connected with the Distribution Licensee's service line on the consumer's premises, which can be simultaneously used and shall be determined as per the procedure laid down in this Supply Code, 2018. This shall be expressed in kW or kVA. If the rating is in kVA, the same shall be converted to kW by multiplying the kVA with a Power Factor of 0.9. If the same or any other apparatus is rated in H.P, the H.P shall be converted to kW by multiplying it by 0.746;

- (19) "Connection point" or "Interconnection" means a point at which the consumer's installation and/or apparatus are connected to Distribution Licensee's distribution system;
- (20) "Consumer" means any person who is supplied with electricity for his/her own use by a Licensee or the Government or by any other person engaged in the business of supplying electricity to the public under the Act or any other law for the time being in force and includes any person whose premises are for the time being connected for the purpose of receiving electricity with the works of a Licensee, the Government or such other person, as the case may be including temporarily disconnected premises. A consumer is specified as a:
 - a. 'Low Tension Consumer (LT Consumer)' if the consumer obtains supply from the Licensee at low or medium voltage;
 - b. 'High Tension Consumer (HT Consumer)' if the consumer obtains supply from the Licensee at High Voltage;
 - c. 'Extra High-Tension Consumer (EHT Consumer)' if the consumer obtains supply from the Licensee at Extra High Voltage;
- (21) "Consumer installation" or "Consumer's installation" means any composite portable or stationary electrical unit including electric wires, fittings, motors and apparatus erected and wired by or on behalf of the consumer at the consumer's premises starting from the point of supply and includes apparatus that is available on his premises for being connected or envisaged to be connected to the installation but is for the time being not connected;
- (22) "Consumer's premises" means land, building or structure or part or combination thereof in respect of which a separate meter or metering arrangements have been made by the Licensee for supply of electricity.
- (23) "Consumption Charges" means the consumption of electrical energy in kWh or kVAh multiplied by applicable energy charges and demand charges/fixed charges, fuel surcharge adjustment (FSA), peak load exemption charges, whichever applicable. These exclude all types of duties and taxes, service charge and rentals;
- (24) "Contracted load" or "Contract demand" means the maximum demand in kW, kVA or HP, agreed to be supplied by the Licensee and indicated in the agreement executed between the Licensee and the consumer;
- (25) "Cut-out" means any appliance or device for automatically interrupting the conduction of electricity through any conductor when the current rises above a pre-determined quantum and shall also include fusible devices;
- (26) "Date of commencement of supply" is the date when the Licensee energizes the installation of the consumer by connecting it to the Distribution main;
- (27) "Demand charge" for a billing period refers to a charge levied on the consumer based on the contracted/sanctioned load or maximum demand (reference to sub clause 2.3(50) of this Supply Code, 2018) whichever is higher, and shall be calculated as per the procedure laid down in the Tariff Order approved by the Commission;
- (28) "Developer" means a person or company or organization or authority that undertakes development of an area for residential, commercial or industrial use and includes development agencies, colonizers, co-operative group housing societies, associations, etc.;

- (29) "Disconnection" means the physical separation of user or consumer from the Licensee's system;
- (30) "Distribution mains" means the portion of any main with which a service line is, or is intended to be, immediately connected;
- (31) "Distribution system" means the system of wires and associated facilities between the delivery points on the transmission lines or the generating station connection and the point of connection to the installation of the consumers;

Explanation: Any system consisting mainly of overhead lines, underground cables, service lines, electrical plant, control switchgear and meters having design voltage of 33 kV and below and shall also include any other system of higher voltage as the Commission may specifically recognize. The Distribution System shall not include any part of the Transmission System except the terminal equipment (metering system, CT and PT) connected at consumer end and used for the supply of electricity to extra high voltage (66 kV and above) consumers;

- (32) "Earthed" means connected with the general mass of earth in such manner as to ensure at all times an immediate discharge of energy without danger;
- (33) "Electric line" means any line which is used for carrying electricity for any purpose and includes
 - a. any support for any such line, that is to say, any structure, tower, pole or other thing in, on, by or from which any such line is, or may be, supported, carried or suspended; and
 - b. any apparatus connected to any such line for the purpose of carrying electricity;
- (34) "Emergency Rostering" means load shedding carried out by disconnecting at short notice or no notice for safety of personnel and equipment;
- (35) "Energy Charge" refers to a charge levied on the consumer based on the quantity of electricity (units in kWh or kVAh as per tariff) consumed by the consumer;
- (36) "Extra High Voltage (EHV)" or "Extra High Tension (EHT)" means a voltage exceeding 33000 Volts;
- (37) "Electrical Inspector" means a person appointed as such by the appropriate Government under Sub-section (1) of Section 162 of the Act and also includes the Chief Electrical Inspector;
- (38) "Financial Year" means the period beginning from first of April in an English calendar year and ending with the thirty first of the March of the next calendar year;
- (39) "Feeder" means an LT, HT or EHT line, emanating from a sub-station, to which a distribution sub-station or LT, HT or EHT consumers are connected;
- (40) "Fixed Charges" shall be as per the provisions of the prevailing Tariff Order issued for the Licensee by the Commission;
- (41) "High Voltage (HV)" or "High Tension (HT)" means a voltage level above 440 Volts and up to and including 33000 Volts;
- (42) "Independent feeder" means a feeder constructed at the cost of a consumer or a group of consumers and supplying electricity to only that consumer or group of consumers;
- (43) "Island area" means Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands;
- (44) "Licence" means a licence granted under Section 14 of the Act;
- (45) "Licensed Electrical Contractor (LEC)" means a contractor licensed under Regulation 29 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 and as amended from time to time;

(46) “Licensee” or “Distribution Licensee” means a person who has been granted a licence under Section 14 of the Act, to operate and maintain a distribution system for supplying electricity to the consumers in his area of supply and includes Deemed Licensee;

(47) “Load factor” is the ratio of the total number of units consumed during a given period to the total number of units which have been consumed had the load been maintained throughout the same period and shall usually be expressed as the following percentage:

Load factor in percentage = $\frac{\text{Actual units consumed in a given period (kWh/kVAh)} \times 100}{\text{Contracted load in kW/kVA} \times \text{No. of hours in the period}}$

(48) “Low Tension (LT)” means the voltage of 230 volts between the phase and neutral or 440 volts between any two phases under normal conditions subject to the percentage variation permissible from time to time;

(49) “Mainland area” means all areas other than Island areas falling under the jurisdiction of JERC.;

(50) “Maximum Demand” means the highest load measured in average kVA or kW at the point of supply of a consumer during any consecutive period of 30 (thirty) minutes or as provided by the Commission, during the billing period;

(51) “Meter” means an equipment used for measuring, indicating and recording electrical quantities like energy in kWh or kVAh, maximum demand in kW or kVA, reactive energy in kVAR hours, etc., including accessories like Current Transformer (CT), Voltage Transformer (VT)/Potential Transformer (PT) / Capacitor Voltage Transformer (CVT), etc., where used in conjunction with such meter.

It shall also include any seal or sealing arrangement and other measures provided by the Licensee for sealing, reliability and for preventing theft/unauthorized use of electricity;

(52) “Occupier” means the owner or person in occupation of the premises where energy is used or proposed to be used;

(53) “Overhead line” means any electric supply-line, which is placed above ground and in the open air but excluding live rails of traction system;

(54) “Outstanding Dues” means all electricity dues pending on said premises (i.e., amount billed but not paid by the consumer) at the time of disconnection plus late payment surcharge subject to Section 56 (2) of the Act;

(55) “Phased contract demand” means contract demand agreed to be availed in a phased manner;

(56) “Point of supply” means the point at the incoming terminals of switchgear installed by the consumer;

(57) “Power factor” means, the average monthly power factor and shall be the ratio expressed as a percentage of the total kilowatt hours to the total kilovolt ampere hours supplied during the month; the ratio being rounded off to two decimal figures;

(58) “Premises” means land, building or infrastructure or part or combination thereof in respect of which a separate meter or metering arrangements have been made by the Licensee for supply of electricity;

(59) “Prosumer” means a Consumer who is also injecting the power in the grid;

(60) “Rural areas” means all areas other than urban areas;

(61) “Sanctioned Load” means the load in kW, kVA or HP, which the Licensee has agreed to supply from time to time subject to the governing terms and conditions in the absence of an Agreement between the Distribution Licensee and the consumer;

- (62) "Service Line" means any electric supply line through which electricity is, or is intended to be, supplied:
- a. to a single consumer either from a distributing main or immediately from the Distribution Licensee's premises; or
 - b. from a distributing main to a group of consumers on the same premises or on contiguous premises supplied from the same point of the distributing main;
- (63) "Standby Meter" means a meter connected to CT and VT, other than those used for main meter and check meter and shall be used for accounting and billing of electricity in case of failure of main meter for all new connections at voltage level of 33 kV and above to be issued after notification of these Regulations;
- (64) "Supplier" means any entity authorized to supply electricity to consumer under the provisions of the Act;
- (65) "Tariff Order" in respect of a Licensee means the most recent order in force issued by the Commission for that Licensee indicating the rates to be charged by the Licensee from various categories of consumers for supply of electrical energy and services;
- (66) "Temporary Supply" shall mean the supply available to any person requiring power supply for a purpose temporary in nature for a period up to one year, which may be extended further after completion of formalities;
- (67) "Tariff Schedule" means the latest schedule of charges for supply of electricity and services issued by the Licensee as per the provisions of the Tariff order for that Licensee;
- (68) "Theft" shall mean theft of electricity as defined in Section 135 of the Act;
- (69) "Transmission Licensee" means a person who has been granted a licence under Section 14 of the Act authorizing him to establish or operate transmission lines;
- (70) "Transmission System" means the system consisting of EHV electric lines being operated at EHV (excluding generator interconnection facilities) owned and/or operated by the Transmission Licensee for the purposes of transmission of electricity from one power station to a sub-station or to another power station or between sub-stations or to or from any external interconnection equipment up to the interconnection with the distribution system and includes the plant and apparatus and meters owned or used by the Transmission Licensee in connection with the transmission of electricity, but shall not include any part of any Licensee's distribution system;
- (71) "Urban Areas" means the areas covered by all Municipal Corporations and other Municipalities including the areas falling under the various Urban Development Authorities, Cantonment Authorities and industrial estates or townships including the areas covered under class I cities;
- (72) "User" means any person having electrical interface with, or using the distribution system of the Distribution Licensee to whom this Supply Code, 2018 is applicable.

Explanation: Any Distribution Licensee, Transmission Licensee and generating Units connected to the distribution system and the person availing open access in transmission or distribution system are also included in this term.

Chapter -3

3. ELECTRICITY SUPPLY CODE REVIEW PANEL

3.1 *The Commission shall constitute an Electricity Supply Code Review Panel to review this Supply Code, 2018 on periodic basis The Review Panel shall consist of such number of members from the State of Goa and Union Territories (except Delhi), as the Commission may consider*

necessary.

The Review Panel shall consist of the following: -

- (1)** Secretary of the Commission;
- (2)** One member from each of the Distribution Licensees of the State of Goa and Union Territories;
- (3)** One member to represent State Transmission Utility (STU);
- (4)** Three representatives of Industrial consumers to be nominated by the Commission. They shall be from duly registered organization or Association of Industries / Chambers of Commerce. Of these, two representatives shall be from HT / EHT consumers and one from LT industrial consumers;
- (5)** Two representatives, to be nominated by the Commission. They shall be from registered consumer organizations / bodies to represent domestic and commercial categories of consumers;
- (6)** Two representatives from the Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF) on a rotational basis as nominated by the Commission from time to time; one of the CGRF representatives shall represent the Island area and the other shall represent mainland area;
- (7)** Ombudsman of the Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) shall be a permanent member of the Review Panel;
- (8)** One member, to be nominated by the Commission, shall be from registered bodies representing interest of agricultural consumers;
- (9)** The Commission may further add any other member(s) or experts to the Review Panel from any sector / profession as it may deem necessary.

3.2 *The Secretary of the Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) shall be the Chairperson of the Review Panel.*

3.3 *The Member-Secretary of the Review Panel shall be an Officer of the Commission to be appointed by the Chairperson of the Panel.*

3.4 *All members of the Review Panel shall be appointed for a period of three years unless they cease to hold their office. The new member in replacement shall be from the same category and for the unexpired period of the term.*

3.5 *The existing members of the Review Panel shall continue to be members of the Review Panel till the expiry of their term or till the new members are appointed, whichever is later.*

3.6 *The Review Panel shall meet at least once in every twelve (12) months. The Member-Secretary of Review panel shall convene meetings with the approval of the Chairperson in consultation with the Commission. The Chairperson shall send meeting notice along with agenda to all the members ten days in advance.*

3.7 *The Chairperson, Member-Secretary and all members shall be part-time members of the Review Panel. They shall draw their salaries, allowances and perquisites from their respective parent organizations.*

3.8 *It will be incumbent upon the members of the CGRF attending the meetings of the Review panel to consult with CGRF's of other utilities and raise their issues in the meetings.*

3.9 *The Member-Secretary of the Review Panel shall send the proceedings of the meetings to all the*

members and to the Commission within 15 days from the date of the meetings.

- 3.10** *Any Licensee, generating company, consumer, industry or any interested parties or business organization may send their suggestions in writing for revision of this Supply Code, 2018 to the Member-Secretary of the Review Panel. All these representations or suggestions shall be recorded and discussed in the meetings. The Member-Secretary shall maintain the entire correspondence relating to the Review Panel.*
- 3.11** *The Commission may amend the Supply Code, 2018 suo-moto or on the recommendations of the Review Panel committee. However, before any amendment is issued, procedure as specified in the Joint Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2009 as amended from time to time, shall be followed.*
- 3.12** *A notice of the gist of amendments made in the Supply Code, 2018 shall be published by the Licensees in at least two newspapers having wide circulation in the areas/ regions of supply stating that copies of the amended Electricity Supply Code are available for purchase in the offices as mentioned at 3.13 below.*
- 3.13** *Copies of this Supply Code, 2018, as duly amended from time to time, shall be kept at areas offices, regional offices, circle offices, division and subdivision offices of the Licensees and such other offices as may be specified by the Commission. The Licensees shall also post the copy of this Supply Code, 2018 on their respective websites.*

Chapter-4

4. SYSTEM OF SUPPLY AND CLASSIFICATION OF CONSUMERS

System of Supply:

- 4.1** *The Licensee shall supply power within the frequency band specified in the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010 including amendments thereof, if any, and JERC (State Grid Code) Regulations, 2010 including amendments thereof, if any. At the point of commencement of supply, except with the written consent of the consumer or with the previous sanction of the Commission, a supplier shall not permit the voltage to vary from the declared voltage more than the limit specified by Central Electricity Authority from time to time.*

Classification of Supply

- 4.2** *The classification of supply depends upon the network in the State and Union Territories and has been customized based on the prevailing voltage levels in the State and Union Territories.*
- 4.3** *The supply shall generally be given at the following voltages on the basis of contracted load for the States and Union Territories as per the tables given below:*

Table 1: Standard Voltage of Supply

Category	System of Supply
Low Tension	
All installations (other than irrigation pumping and agricultural services) with a contracted load up to and including 5 kW	Single phase at 220 V/ 230 V
Irrigation pumping and agricultural services and all installations with a contracted load exceeding 5 kW and up to and including 100 kVA of contracted load	3 Phase, 4 wire at 440 V
High Tension	
Contracted load exceeding 100 kVA and up to and including 5000 kVA	6.6 kV/11kV/22kV/33kV
Extra High Tension	

Contracted load exceeding 5000 kVA	66 kV and above
------------------------------------	-----------------

Notwithstanding above, the consumer may opt for supply at higher voltage even though the contracted load is less than the specified limit, if the consumer so desires:

Provided that such supply shall be provided only in case it is found technically feasible:

Provided further that the cost of such supply at higher voltage shall be borne by the consumer seeking such supply.

The Licensee may, depending upon the technical constraints of the distribution system, offer supply at a higher voltage than that specified above, however, the differential cost for supplying at higher voltage shall be borne by the Licensee.

Supply to existing consumers at voltage lower than the limit specified above, shall continue and in case their load requirement increases, the above specified limit will be applicable and the consumer has to opt for supply at higher voltage.

Further, the Licensee wise specific details regarding voltage of supply at various Contract Loads shall be as per the Conditions of Supply and the provisions of Supply Code, 2018 in this regard shall be read in conjunction with Conditions of Supply.

- 4.4** *The Voltage Rebate for availing the supply at higher voltage level than the voltage level prescribed in this Supply Code, 2018 shall be as specified by the Commission in the Tariff Orders.*
- 4.5** *Load for energy intensive consumers such as arc/induction furnaces, rolling mills, re-rolling mills and mini steel plants shall be released only through an independent feeder wherever feasible and all necessary charges shall be paid by the consumer. Supply may be given through independent feeder in other cases at the request of the consumer if the consumer is willing to bear all applicable charges.*
- 4.6** *The Licensee may, depending upon the technical conditions of the distribution system, give supply at a voltage and phase other than the classification of supply in Regulation 4.3 of this Supply Code, 2018, subject to the Commission's approval.*

Adequacy of Power Factor & Installation of Shunt Capacitors

- 4.7** *Consumers having a contracted demand of 20 kW and above shall have to install a PF correction device such as Shunt Capacitor. The consumer shall ensure such devices if not already installed shall be installed as per the following timeline from the date of notification of this Supply Code, 2018:*
- Contract demand of 50 kW and above except domestic consumers: PF correction device to be installed within a period of six months (06) months.*
 - Contract demand of 20 kW to 50 kW and domestic consumers with contract demand above 25 kW: PF correction device to be installed within a period of twelve (12) months.*
- 4.8** *All LT consumers as specified in Regulation 4.7 above obtaining 3 phase supply have to maintain Power Factor (lagging) of not less than 0.85 in respect of their installation. All HT/EHT consumers should maintain a Power Factor (lagging) of 0.95 and above. The meters installed by the Licensee shall have Power Factor measuring feature and actual Power Factor shall also be indicated in the bills of the consumers.*
- 4.9** *If Power Factor is not maintained at 0.85 (lagging) by LT consumers except domestic*

consumers up to 25 kW and 0.95 (lagging) by HT/EHT consumers, a penalty shall be imposed as specified by the Commission in the Tariff Order. If Power Factor reduces below 0.80 (lagging) in case of LT consumers except domestic consumers up to 25 kW and 0.90 (lagging) in case of HT/EHT consumers, then 60 days' notice will be served by the Licensee for rectification of the Power Factor. Even after 60 days' notice period, if the Power Factor is not improved, the Licensee can serve disconnection notice mentioning that if the Power Factor is not improved within 30 days, the Licensee may disconnect the supply.

- 4.10** The Power Factor Penalty and Incentive shall be specified by the Commission in the Tariff Orders.
- 4.11** The Power Factor Penalty/Incentive as well as notice for improvement of Power Factor and disconnection of supply on account of not maintaining the minimum prescribed Power Factor shall only be applicable based on actual Power Factor measured by the Licensee and indicated in the bill of the consumer.
- 4.12** The Distribution Licensee shall not commence power supply to any applicant requiring power load exceeding the limits as specified in Regulation 4.7 unless the consumer installation is provided with a suitable and adequate Power Factor corrective equipment.
- 4.13** The consumer shall procure his own shunt capacitor of any make from the list of manufacturers empanelled by the Distribution Licensee (according to IS Standards) of adequate rating at his cost. The consumer shall install it after providing manufacturer's test certificate to the Distribution Licensee. The consumer may also alternatively request the Distribution Licensee to install the shunt capacitor for his installation subject to necessary payment and the Distribution Licensee shall install shunt capacitor of adequate rating if available with it. The Distribution Licensee shall provide, upon request from consumers, guidance for suitable rating of the shunt capacitors and name of the suppliers empanelled by the Distribution Licensee.
- 4.14** The shunt capacitor installed by the Distribution Licensee at the cost of the Applicant / Consumer shall be the property of the Applicant / Consumer by whom it shall be maintained. In case the capacitor installed is damaged or found missing, it shall be replaced by the consumer at his cost or the Distribution Licensee may replace it at the cost of the consumer if the capacitors of the adequate ratings are available with the Licensee.

Parallel Operation with Distribution Licensee's System

- 4.15** *The consumer shall submit necessary technical and operational details as may be needed to co-ordinate with the Distribution Licensee before installing any generating unit in any premises, in case it is to be connected with the Distribution System.*

Further, the consumer shall take approval of concerned agencies including Chief Electrical Inspector or Electrical Inspector in accordance with the Central Electricity Authority (Measures Relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 including amendments thereof and the relevant Government's Notification, if any, in force from time to time before energization of such generating unit.

- 4.16** *Operation of generating unit in consumer's installation in parallel with the Licensee's system is permissible only with the written consent of the Licensee. However, the consumer may install generator, inverter, solar generating plant only after the consumer has installed automatic 4 pole changer and a manual double link switch changer so that the current of generator/inverter may not be injected in the Licensee's distribution system under any circumstances. The capacity of the generator/inverter shall not be taken into account for calculation of connected load.*
- 4.17** *Where consent has been given for parallel operation, the consumer shall arrange to protect his installation from disturbances in the Licensee's system. The consumer should also ensure that his supply does not get connected to the Licensee's system. The Licensee shall not be liable for any damage caused to the consumer's plant, machinery and apparatus on account of such parallel operation, or any adverse consequence arising thereof. For parallel operation with the*

grid, the consumer shall have to follow the provisions of the Electricity Grid Code as specified by Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and UTs and other relevant Regulations. The actual operations shall be carried out in coordination with both the State Transmission Utility and the Licensee.

- 4.18** *Where no such consent has been given, the consumer shall arrange the plant, machinery and apparatus of his generating units, including an extension of or addition to the same, to operate in an isolated mode and the generating unit, in no case, should get connected to the Licensee's system. The Licensee, on intimating the consumer, can enter the premises and inspect the arrangement to ensure that at no time the generator gets connected to his system.*
- 4.19** *In case the consumer's supply gets extended to the Licensee's system from a generator or inverter or from any other source, without appropriate approval from the Licensee, causing damage to the Licensee's apparatus or to human life, the consumer shall be made responsible for the same and shall be liable to fully compensate the Licensee for all losses caused to the Licensee or to the Licensee's other consumers/persons and shall also be fully liable for civil and criminal offences.*

Classification of Consumers/Prosumers

- 4.20** *The Commission may classify and reclassify consumers/prosumers into various tariff categories including sub-categories and slabs from time to time. No additional category including sub-category or slab other than those approved by the Commission shall be created by the Licensee.*

Charges for Supply

- 4.21** *Charges for supply of electricity shall be as per the tariff schedule approved by the Commission from time to time. The charges may include:*
- (1)** *Charges for supply of energy (fixed charges, energy charges, etc.) as determined for the Licensee by the Commission in the latest tariff order for the Licensee;*
 - (2)** *Wheeling charges and/or cross-subsidy surcharge and additional surcharge, if any, as determined by the Commission;*
 - (3)** *Rental, if any, towards meters and other electric plant and equipment of the Licensee, as approved by the Commission;*
 - (4)** *Miscellaneous charges such as penal charges for exceeding contract demand, late payment surcharge, and any other charges applicable as approved by the Commission from time to time.*

In addition to the Charges as approved by the Commission, Licensee can charge the statutory levies such as electricity duty, taxes or any other taxes/duties payable by the consumer as per law of the relevant Government of the State and UTs;

In addition to the Charges as approved by the Commission, Security Deposit shall be deposited by the consumer with the Distribution Licensee as per Regulation 5.130 of this Supply Code, 2018.

- 4.22** *The Licensee shall publish the tariff schedule on its website immediately after the Commission has approved it. The Licensee shall also make available copies of the tariff schedule to consumers at a reasonable price.*

Supply through Independent feeders

- 4.23** *Due to extensive urbanization, it has become difficult to lay distribution/transmission lines, especially in urban areas, because of right of way problem. Henceforth, before allowing supply to an applicant through independent feeder, technical feasibility including right of way to lay the*

line, space for placing/erecting controlling breaker in the control room/switchyard, creation of additional line bay shall be examined. The same shall be allowed only in cases where it is technically feasible to lay an independent feeder.

- 4.24** *The Licensee shall not be held responsible for the delay in giving supply if the same is on account of problems relating to statutory clearances, right of way, acquisition of land, or the delay in consumer's obligation to obtain approval of Chief Electrical Inspector for High Tension installations, over which the Licensee has no reasonable control.*
- 4.25** *The charges of controlling equipment including Circuit Breaker, Bay (if to be erected), CTs & PTs, Isolators, Line and Earth switch, Meter required at the feeding sub-station, Electric Line up to the consumer end and the meter at consumer end shall be borne by the applicant.*
- 4.26** *Such consumer, who on his own, requests for supply of electricity through an independent feeder, will be billed as per the meter reading taken jointly by consumer and the Licensee, of the meter installed as per the CEA (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006. The Licensee will inform the consumer through phone / SMS to be present for joint reading of meter. In case the consumer fails to be present, it will be treated as deemed to be present for meter reading. However, in case the Automatic Meter Reading (AMR) meters are installed for meter-reading, the billing shall be done as per the meter reading by the Licensee and joint meter reading will not be applicable.*
- 4.27** *If more than one applicant/consumer(s) are required to be fed from the existing independent feeder due to right of way or other similar problems, the utility shall connect such consumer(s) to an existing independent feeder provided they are of the same category, i.e., HT Industrial, HT Non-Domestic Supply/Bulk Supply consumers and subject to the concurrence of the original consumer who has paid for the independent feeder. In such cases, metering arrangement at the consumer end would be mandatory.*

The billing of such consumers shall be done as per Regulation 4.26 on the basis of the meter reading, in proportion of the consumption recorded by the meters installed as per CEA (Installation and Operation of Meters) Regulations 2006. The metering arrangement at both ends (sub-station as well as the consumer end) would be of the same specifications and accuracy class conforming to CEA Metering Regulations.

- 4.28** *Independent feeder shall be considered independent as long as the number of consumers connected on an independent feeder are five or less subject to technical limitations.*

Where more than five consumers are connected on an independent feeder, that feeder shall be considered as general feeder and the billing to the consumers shall be done based on the consumption recorded by the meters installed for the respective consumer.

- 4.29** *The additional consumer required to be connected on such general feeder, shall deposit the service connection charges as approved by the Commission from time to time.*
- 4.30** *As long as the status of the feeder remains independent, the meters installed at the sub-station and at the consumer end shall be read by the Licensee on the same day in the shortest possible time in the presence of the consumer's representative. The apportionment of the feeder losses among the consumers on the independent feeder shall be done in proportion of their consumption as per the meters installed at their end irrespective of the distance of the consumer on the feeder. The consumer shall thus, be billed as per Regulation 4.26.*

In case due to exigencies/unforeseen reasons, any other consumer(s) of different category are to be connected to the independent feeder for some period to maintain the continuity of supply, the same will be connected only with the permission of the appropriate authority of the Licensee. If such consumers are required to be connected on an independent feeder for more than 7 days, the permission of the Director or appropriate authority concerned shall be required and during such

period the independent feeder will be deemed to be a general feeder.

The consumer(s) of the independent feeder shall be informed prior to the connection/disconnection of consumer(s) of other category on the independent feeder and the reading of the meters installed at the consumer end and the sub-station meter shall be taken simultaneously in a shortest possible time in the presence of the consumer(s) or their representative. No apportionment of losses shall be carried out during this period and the billing for this period shall be done as per the consumption recorded by the meters installed at the consumer(s) end. For connecting second or subsequent consumer on an independent feeder, the consent of the original consumer(s) shall be required:

Provided that, with the proposed addition of load of the subsequent consumer(s), if the total load on the independent feeder exceeds its rated capacity, such consumer(s) shall not be connected until the capacity of the feeder is augmented.

4.31 *When additional consumer(s) are connected on an independent feeder, the original cost of the common portion of the independent feeder shall be shared by the new consumer(s) and the credit of the same will be given to the original consumer in the manner agreed between new consumer(s) and original consumer.*

4.32 *In case an independent feeder has been laid on common poles/structures or otherwise and any case of misuse for abstraction of power or unauthorized use of the independent feeder for connecting any other load by the line staff is noted, the same shall be dealt under Section 142 of the Electricity Act for action against the defaulting employee/person notwithstanding any actions that may be taken against such employee/person under Section 138 of the Electricity Act by the appropriate authority:*

Provided that in case the connivance of the consumer is proved, the issue will be dealt under Section 135 of the Electricity Act for dishonestly using electricity for the purpose other than for which the usage of electricity was authorized.

4.33 *Supply to 33 kV and above rating substations would be given through independent radial lines, i.e., no tapping of 33 kV and above rating lines would be allowed.*

4.34 *The estimated cost involved for extension of distribution system or laying an independent feeder shall be calculated as per the Schedule of Rates approved by the Commission.*

4.35 *After deposit of requisite charges by the applicant, the Licensee shall take necessary steps for extension of distribution system for supply of electricity within the time limits as specified in this Supply Code, 2018.*

4.36 *All equipment except the meter (if supplied by the applicant), notwithstanding that whole or a portion thereof has been paid by the consumer, upon energization, shall become the property of the Licensee and the Licensee shall maintain the same without claiming any operation and maintenance expenses, including replacement of defective/damaged material/equipment from the consumer. Warranty/Guarantee of such equipment shall also stand transferred to the Licensee. The Distribution Licensee shall have the right to use it for the supply of electricity to any other person by tapping or otherwise except if such supply is detrimental to the supply to the consumer already connected therewith and subject to the provision under Regulation 4.27.*

4.37 *The Licensee shall maintain a record of expenditure incurred on extension of distribution system consumer-wise in case of consumers requiring supply on 11 kV and above voltage. After execution of work, the amount found excess, if any, shall be refunded to the applicant by adjustment in future bills. The Licensee shall be entitled to demand the amount found short, if any, by giving a notice and the applicant shall pay the same within 30 days from the date of dispatch of the notice. The applicant shall pay interest @ 12% p.a. from the date of dispatch of notice, on the amount found short, if the applicant fails to pay the same within the notice period and the applicant shall be liable for disconnection in case of default:*

Provided that the Licensee shall complete the finalization of accounts and present the detailed statement of expenditure to the consumer and refund the excess amount if any within a period of one month from the date of release of supply failing which the Licensee shall pay interest to the applicant @ 12% per annum from the date of completion of work, on the excess amount.

Special Provisions in case the applicant opts for execution of extension of distribution system on his own and in case of single point supply

4.38 *In case the applicant opts to carry out the work on his own, the applicant shall get the same carried out through a Licensed Electrical Contractor.*

The work relating to electrification of Urban Estates/Group Housing Societies/Employer's Colonies will be executed by the concerned department /colonizer/society/employer after the Licensee approves the electrification plan and the estimates for such plans and the applicant shall pay supervision charges to the Licensee at the rate of 15% of the estimated labour cost of such works. The Goods and Services Tax (GST) on the Supervision Charges, if any, shall be recovered from the consumer. At the time of energization of the system, the Licensee shall ensure that the system has been laid as per the approved electrification plan. The applicant applying for connection in such area shall not pay service connection charges to the Licensee as long as his load is within the parameters of the sanctioned plan:

Provided that if at the time of energization of the system, it is noted that the concerned department /colonizer/society has not executed the complete electrification work as per the electrification plan approved by the Licensee, the colonizer/developer shall be required to furnish the Bank Guarantee equivalent to 1.5 times of the estimated cost of the balance work to be executed as per the approved plan. The Licensee shall not release single point connection or individual connections to the residents of such areas without taking requisite Bank Guarantee.

Chapter-5

5. PROCEDURE FOR RELEASE OF NEW CONNECTION AND MODIFICATION IN EXISTING CONNECTION

Licensee's obligation to supply

5.1 *The Licensee shall, on an application by the owner or occupier of any premises located in his area of supply, give supply of electricity to such premises within the time specified in this Supply Code, 2018, provided that*

- (1)** *The supply of power is technically feasible. Where it is found to be not feasible, the Licensee shall endeavour to improve the feasibility at the earliest and release connection as per this Supply Code, 2018.*
- (2)** *The applicant has observed the procedure specified in this Supply Code, 2018; and*
- (3)** *The applicant agrees to bear the cost of supply and services as specified in this Supply Code, 2018.*

5.2 *The system of supply and voltage shall depend on the category of the consumer and the load as per details given in Regulations 4.1 and 4.3, subject to Regulation 4.6 of this Supply Code, 2018.*

5.3 *The Licensee shall examine the technical feasibility of the connection applied for from their distribution mains and conduct the inspection within 5 working days of the receipt of application.*

- 5.4** *In case the connection is not found technically feasible, the Licensee shall intimate to the applicant in writing within 10 (ten) days of receipt of application giving reason for the same and estimated time that it will take to provide the connection, which shall not exceed the timelines specified under Supply Code, 2018:*

Provided that no connection up to 20 kW from the existing network can be delayed only on technical grounds for domestic and commercial consumers and for such connections, feasibility report will not be required. However, for load exceeding 20 kW Licensee shall provide connection after augmentation (if required) of the existing network as specified in Supply Code, 2018.

- 5.5** *If the connection is delayed beyond the timeline specified in this Supply Code, 2018, the applicant can lodge complaint at the centralized call centre/complaint centre at the zonal/district offices of the Licensee or through telephone or on website of the Licensee or through post. The contact details of these centres shall be printed on the electricity bill, displayed at the bill collection centres and uploaded on the Licensee's website. The Licensee shall create Call centre / complaint centre within a period of 6 months from the date of notification of these Regulations, in case not already created.*
- 5.6** *The Licensee shall create necessary online infrastructure within a period of one (1) year in order to make it easy for consumers to apply online. Once the online infrastructure is created by the Licensee, the Licensee shall display the monthly updated status of application for new connections on its website.*
- 5.7** *Nothing contained under Regulation 4 above shall be taken as requiring a Distribution Licensee to supply electricity to any premises if it is prevented from doing so by cyclone, floods, storm and other natural calamities beyond its control.*

Licensee's obligation to extend the distribution system and consumer's share in the cost

- 5.8** *The Licensee shall have obligation for ensuring that its distribution system is upgraded, extended and strengthened to meet the demand for electricity in its area of supply. Wherever the existing transformation capacity at sub-station end is loaded up to 70% of its capacity, the Licensee shall prepare a scheme for augmentation of such transformation capacity after factoring in (N-1) contingency. . The Licensee shall display the monthly updated status of transformation capacity for each sub-stations on its website.*
- 5.9** *The Licensee shall meet the cost for strengthening/upgradation of the distribution system to meet the demand of the existing consumers as well as future growth in demand through its annual revenues or funds arranged by the Licensee and this cost shall be allowed to be recovered from the consumers through tariff by the Commission subject to prudence check.*
- 5.10** *In all cases of new connections, the consumer shall bear the Service Connection Charges, that is the cost of service connection from the Distribution Mains to the point of supply, as approved by the Commission from time to time.*
- 5.11** *For uniformity and simplification in calculating the actual cost of extension, the Licensee shall prepare a ready reckoner and get the same approved by the Commission to show the per-unit material cost of LT line, HT line, substation of different capacities, etc., within 6 months from the date of notification of these Regulations. The Licensee shall update the ready reckoner every year, under intimation to the Commission.*
- 5.12** *In case the connected / contracted load of any new connection as submitted in applicable forms is 100 kVA or more, a separate transformer of adequate capacity shall be installed at consumer's cost. The space/ room required for housing the transformer, substation, switch gears, meters and panels shall be provided by the consumer, free of cost, which is easily accessible to the Licensee:*

Provided that for any new connection with connected /contracted load lower than 100 kVA also, Licensee may install a separate transformer if requested by the consumer, at consumer's cost.

- 5.13** *The service connection / extension of distribution mains, notwithstanding that it has been paid for by the consumer shall be the property of the Licensee. The Licensee shall maintain it at its cost and shall also have the right to use the same service connection / extension for supply of energy to any other person but such extension or service connection should not adversely affect the supply to the consumer who paid for the extension of the distribution supply network and shall be subject to the concurrence of original consumer as per Regulation 4.27.*
- 5.14** *When the Licensee completes the work of extension of distribution mains and is ready to give supply, the Licensee shall serve a notice on the consumer to take power supply within one month in case of LT and three months in case of HT or EHT. If the consumer fails to avail supply within the notice period, the agreement shall come into force from the day following the end of the notice period, and thereafter the consumer shall be liable to pay fixed charges and all other charges as applicable, as per the agreement.*
- 5.15** *The applicant shall have an option to get the work of drawing of service line from Licensee's distribution mains up to his premises as per the estimates and layout approved by the Licensee through an appropriate class of licensed electrical contractor, and the work of extension of EHT and HT line, distribution or HT substation and LT line through an appropriate class of licensed electrical contractor, as per the estimates and layout approved by the Licensee. In such case, the consumer himself shall procure the materials from the list of empanelled manufacturers issued by the Licensee. The Licensee will publish on its website the list of empanelled manufacturers within 3 months from the date of notification of these Regulations. The Licensee may ask for documentary evidence to verify the quality of materials used.*
- 5.16** *In case the consumer is getting the work done by itself, Licensee can charge Supervision Charges on the labour component of the work at the rate of 15%. The Goods and Services Tax (GST) on the Supervision Charges, if any shall be recovered from the consumer.*
- 5.17** *The consumer shall get the work done within the timeframe provided under this Supply Code, 2018 and if consumer needs more time, the consumer shall represent to the Licensee with reasonable ground for extension of time and the Licensee shall communicate his approval of the same to the Consumer.*

Conditions for Grant of Connection

- 5.18** *The Licensee shall prominently display on its website and wherever feasible, in its offices, the updated status of applications for new connections in that area/circle, detailed procedure for grant of new connection, and the complete list of documents required to be furnished along with such applications. Normally no document, which has not been so listed, will be required for processing application forms for new connection. Security amount and cost of service line to be deposited by applicant in accordance with Annexure- XVIII to this Supply Code, 2018 shall also be prominently displayed.*
- 5.19** *Connection to any applicant residing in unauthorized colonies/areas or disputed property shall not be granted where a restraining/prohibition order has been issued by any Indian court and/or a restraining/prohibition order has been issued by any competent authority.*

Purchase of existing property

- 5.20** *Where the applicant has purchased an existing property whose electricity connection has been disconnected, it shall be the applicant's duty to verify that the previous owner has paid*

all dues to the Licensee and obtained a “no-dues certificate” from him. In case where “no-dues certificate” has not been obtained by the previous owner before change in ownership of property, the new owner may approach the Licensee for such a certificate. The Licensee shall acknowledge receipt of such request and shall either intimate in writing the dues outstanding on the premises, if any, or issue a “no-dues certificate” within 1 month from date of receipt of such application.

- 5.21** *In case the Licensee does not intimate the outstanding dues or issue a “no dues certificate” within this time, new connection to the premises shall not be denied on grounds of outstanding dues of the previous consumer. In such an event, the Licensee shall have to recover the dues if any, from previous consumer as per provisions of law.*

Sub-divided property

- 5.22** *Where a property has been legitimately sub-divided, outstanding dues for consumption of energy on such undivided property, if any, shall be divided on pro- rata basis based on area of such sub-divided property. A new connection to any portion of such sub-divided premises shall be given only after the share of outstanding dues attributed to such legitimately sub-divided premises is duly paid by the applicant. A Licensee shall not refuse connection to an applicant only on the ground that dues on the other portion(s) of such premises have not been paid, nor shall the Licensee demand record of last paid bills of other portion(s) from such applicants.*

Reconstruction of existing property

- 5.23** *In case of demolition and reconstruction of the entire premises or building, the existing consumer installation shall be surrendered, meter and service line shall be removed and the agreement shall be terminated. The security deposit of the consumer shall be duly returned by the Licensee. A new connection shall be taken for the reconstructed building after clearing all dues on the old premises. Temporary power supply from existing connection shall not be allowed for construction purpose in such cases. For availing temporary supply, the applicant shall apply afresh as per the provisions of this Supply Code, 2018.*

Procedure for providing New Electricity Service Connection

Application Form

- 5.24** *The applicant shall apply for release of new connection in the following format as given in the Annexure to this Supply Code, 2018:*

Application form for release of new connection (Low Tension) – Annexure- I

Application form for release of new connection (High Tension/ Extra High Tension) - Annexure –II

Format for declaration/undertaking to be signed at the time of receiving electricity supply - Annexure –III

- 5.25** *Application forms shall be available at the local office of the Licensee free of cost. The Licensee shall also put up all application forms on its website for free download. Legible photocopies of a blank form may be made by the applicant, which shall be accepted by the Licensee. The Licensee shall clearly display on its website; the address and telephone numbers of offices where filled-up application form can be submitted. The Licensee shall also display in each office, the address and telephone numbers of offices in the respective area of supply where filled-up application form pertaining to that particular area can be submitted.*

Any assistance or information required in filling up the form shall be provided to applicants at the local office of the Licensee.

- 5.26** *The Licensee shall also provide new avenues for applying for new connection or modification in existing connection through website, call centres, etc., which minimize the applicant's interface with the utility during the process.*
- 5.27** *Application forms for new connection must be accompanied with a photograph of the applicant, identity proof of the applicant, proof of applicant's ownership or occupancy over the premises for which new connection is being sought, proof of applicant's current address, and in specific cases, certain other documents as detailed in Regulation 5.29- 5.34 of this Supply Code, 2018.*
- 5.28** *Non-Refundable Registration-cum-processing fees of Rs. 20,000/- for HT and Rs. 1,00,000/- for EHT shall be levied while applying for new connection. These charges shall be adjusted by the Licensee while issuing the demand note.*
- 5.29** *Any of the following documents shall be considered as acceptable proof of identity:*

If the applicant is an individual:

- (1)** Electoral Identity Card
- (2)** Passport
- (3)** Driving Licence
- (4)** Photo Identity card issued by Government agency
- (5)** PAN Card
- (6)** Photo Certificate from village Pradhan or any village level Government functionary like Patwari/ Lekhpal/ village level worker/ village chowkidar/ Primary school teacher/ in-charge of primary health centre, etc.
- (7)** Aadhaar Card.

- 5.30** *Any of the following documents shall be considered as acceptable proof of ownership or occupancy of premises:*

- (1)** Copy of the registered sale deed or lease deed or rent agreement and in the case of agricultural connections, a copy of khasra / khatauni / khata nakal;
- (2)** Registered General Power of Attorney;
- (3)** Municipal/Panchayat tax receipt or Demand notice or any other related document;
- (4)** Letter of allotment;
- (5)** Copy of the house registration certificate issued by the Panchayat/ownership certificate issued by Revenue Authorities;
- (6)** Any other ownership related document issued by local Government Authority.
- (7)** An applicant who is not an owner but an occupier of the premises shall, along with any one of the documents listed at (1) to (6) above, also furnish a No Objection Certificate from owner of the premises:

Provided that where an applicant, who is lawful occupier of the premises, is a tenant or a leaseholder and is unable to produce the No Objection Certificate from owner for obtaining a connection, a separate Indemnity Bond shall be executed in favour of the Distribution Licensee in the form prescribed by the Distribution Licensee.

- (8) For bonafide consumers residing in JJ clusters or in other areas with no specific municipal address, the Licensee may accept either ration card or electoral identity card mandatorily having the same address as a proof of occupancy of the premises only for the purpose of releasing electricity connection and not for any other purpose:

Provided further that the electricity bill shall be only for electricity supply to the premises occupied by the consumer and shall not be treated as having rights or title over the premises.

- 5.31 *All communications shall be sent at the address where the connection has been released. However, till release of connection, communication may be sent at the address provided by the applicant for this purpose.*
- 5.32 *In case of a partnership firm - The applicant shall furnish the partnership deed and an authorization in the name of the applicant for signing the requisition form and agreement.*
- 5.33 *In case of Public and/or Private Limited Company - The applicant shall furnish the Certificate of Incorporation, Memorandum and Articles of Association and Board Resolution for authorization in the name of the applicant for signing the requisition form and agreement.*
- 5.34 *Other documents applicable only for select consumer categories:*
- (1) **Industrial consumers:** Valid Industrial Licence, if applicable, along with approval of the use of land for non-agricultural purposes (Not required for industrial consumers in notified Industrial Areas).
 - (2) **Agricultural consumers:** No Objection Certificate from competent government authority;
 - (3) **Non-Domestic Khokhas and Temporary Structure:** No Objection Certificate for khokha or temporary structure from the Nagar Nigam / Nagar Palika / Nagar Panchayat / Gram Sabha / Gram Panchayat / Land Development Authority / Land Owning Agency.
 - (4) **Where new industrial connection or addition to the load of existing connection needs clearance from pollution or environmental angle, the applicant shall submit “no objection certificate” from the competent authority to the Distribution Licensee.**

Processing Application Forms

- 5.35 *For all application forms pertaining to release of supply of new connections, the Licensee shall verify the application form along with enclosed documents and if found deficient, shall issue a written note on the spot regarding shortcomings in the application form. If the application form is complete, the Licensee shall acknowledge its receipt on the spot. In case the application is submitted online, the Licensee shall issue a written note regarding shortcomings in the application within 3 working days from the date of submission of application.*
- 5.36 *The Licensee shall maintain a permanent record of all application forms received in an*

Application Register/Database. Each application form shall be allotted a permanent application number (for identification) serially in the order in which it was received. Separate registers/databases for different category of consumers may be maintained. The Licensee shall keep the registers/databases updated with stage-wise status of disposal of each application form. The above information should also be maintained and uploaded on the Licensee website where applicant can check the status of application.

- 5.37** *The Licensee shall deal with application forms in each tariff category on the broad principle of “first come, first served” basis as per serial priority in the Application Register/Database. The Licensee shall maintain a waiting list of applicants seeking new connections, area-wise information about new connections released, and updated status of the waiting list shall be displayed on the Licensee’s website or the Notice Board at the local office of the Licensee, to be updated weekly.*
- 5.38** *An application form shall be deemed to be received on the date of receipt of consumer’s application in the prescribed format of the application form, complete in all respects and attached with all relevant documents.*
- 5.39** *An application shall be deemed to be received on the date of receipt of all applicable charges including the security deposit in accordance with Annexure-XVIII of this Supply Code, 2018, after receipt of the application form.*
- 5.40** *The Licensee shall, at the time of receipt of application form, specify a date for inspection of applicant’s premises in mutual consultation with the applicant, under written acknowledgment. The date of inspection must be scheduled within 3 working days in urban areas and 5 working days in rural areas from the date of receipt of application form. If the applicant wishes, the inspection can be scheduled on a non-working day for the Licensee (i.e., Sunday, gazetted holidays, etc.) on payment of inspection fee of Rs. 500.*
- 5.41** *If inspection is required to be carried out, the Licensee shall inspect and test the applicant’s consumer installation as required of him under Regulation 31 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 and as amended from time to time, in the presence of the applicant or his Licensed Electrical Contractor or his authorized representative. The Licensee shall maintain a record of test results in the format given in Annexure -IX as required of him under Regulation 31 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 and as amended from time to time.*
- 5.42** *During the inspection, the Licensee shall:*
 - (1)** *Fix the point of supply and the place where the meter and the MCB, etc., shall be installed in consultation with the consumer:*

Provided that the service line shall be laid at an accessible location and the meter shall be fixed at location in conformity with Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006, in such a manner that it is protected from elements like rain, etc., and is easily accessible without getting the premises unlocked or opened for this purpose;

In no case, the Distribution Licensee shall fix its apparatus, meter or any of its property in a place, which requires entry by its employee into private premises.
 - (2)** *Record the correct full address of the premises, if not provided in the application form, and note down landmarks near the property and the pole number from where service connection is proposed to be given; and*
 - (3)** *Verify all other particulars mentioned in the application form, as required;*

If on inspection, the Licensee finds any defect (e.g. consumer's installation not completed, bare ends of conductor/joints not properly covered with insulating tape, wiring of such nature that it is dangerous to life/property, etc.) the Licensee shall intimate the defects to the applicant on the spot under proper receipt in the format given at Annexure –IX.

- 5.43** *The applicant shall get all defects removed within 30 working days from receipt of intimation of defects as specified in Regulation 5 of this Supply Code, 2018 and inform the Licensee in writing under acknowledgement. In case the applicant fails to remove such defects or fails to inform the Licensee about removal of defects, the application form shall stand lapsed and the applicant will have to apply afresh. The Licensee may grant additional time to the applicant for completion of works, in case the applicant submits a written request for the same within 10 working days from receipt of intimation of defects.*
- 5.44** *On receipt of information from the applicant about removal of defects, the Licensee shall stipulate a date for re-inspection of applicant's premises in mutual consultation with the applicant, under written acknowledgment. The date of re-inspection must be scheduled within 3 working days in urban areas and 5 working days in rural areas from the date of receipt of such information.*
- 5.45** *If on re-inspection, the defects pointed out earlier are found to persist, the Licensee shall again record the same in the format given in Annexure -IX to this Supply Code, 2018 and hand over a copy of the same to the applicant or his authorized representative available on site. The application form shall then stand lapsed and the applicant shall be informed accordingly in writing under acknowledgement:*

Provided that if the applicant feels aggrieved by the Licensee's action or omission, the applicant may file a representation to the concerned Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF) for redressal of grievance:

- 5.46** *If on inspection, there are no defects found, or on re-inspection the defects noticed earlier are found to have been removed, the Licensee shall sanction the load determined in accordance with Annexure -VIII to this Supply Code, 2018 or the load applied for, whichever is higher, and issue a demand note in writing, under acknowledgment, within the timeline specified below:*

Table 2: Timeline for issue of demand note:

Particulars	No. of working days from receipt of application	
	Urban Areas	Rural Areas
<i>Extension of distribution mains not required</i>	<i>Within 7 working days</i>	<i>Within 10 working days</i>
<i>Extension of distribution mains / system required</i>		
<i>1. In case of LT service connections</i>	<i>Within 7 working days</i>	<i>Within 10 working days</i>
<i>2. In case of HT service connections</i>	<i>Within 15 working days</i>	<i>Within 20 working days</i>
<i>3. In case of EHT service</i>	<i>Within 30 working days</i>	<i>Within 30 working days</i>

<i>Reconnections</i>		
----------------------	--	--

r

Provided that the time taken by applicant in rectifying the defects/deficiencies found at the applicant's premises shall not be included in the timeline specified above:

Provided further that wherever the Transmission Licensee's involvement is required in the process for time and cost estimation, the time taken by the Transmission Licensee shall not be included in the timeline specified above.

5.47 *The demand note shall contain the following details:*

- (1)** Details of the works (including service line) to be undertaken for providing electricity supply;
- (2)** Charges for the abovementioned works to be paid by the applicant in accordance with the schedule of charges specified by the Licensee as approved by the Commission:

Provided that if the applicant wishes to carry out the works himself, the same shall be permitted under supervision by the Licensee's official. Adhering to the estimate and layout approved by the Licensee, the applicant can get the work of drawing of service line from the Licensee's distribution mains up to his premises through a 'C' or higher-class Licensed Electrical Contractor (LEC), and the work of extension of HT/EHT line, Distribution or HT substation and LT line only through an 'A' class LEC. In such case the consumer shall procure the materials. The Licensee will issue a list of empanelled manufacturers for procuring material to be used by the consumer. The consumers can purchase materials of any make from the list of empanelled manufacturers. The Licensee may ask for documentary evidence to verify the quality of materials used:

Provided further that if the applicant is getting the work done by himself, Licensee can charge Supervision Charges on the labour component of the work at the rate of 15%. The Goods and Services Tax (GST) on the Supervision Charges, if any, shall be recovered from the applicant:

Provided also that if the applicant chooses to get the extension work done on his own, the applicant shall get the work done within the timeframe specified in Regulation 5.52 of this Supply Code, 2018, failing which the Licensee may, on giving 15 days' notice, treat the application form for supply as cancelled.

- (3)** Amount of security deposit as specified in Annexure -XVIII to this Supply Code, 2018.

5.48 *The applicant shall make the payment within 15 days of receipt of demand note, failing which the application form shall stand lapsed and the applicant shall be informed accordingly in writing under acknowledgement. The Licensee's obligation to energize the connection shall arise only after receipt of full payment. The Licensee may grant additional time to the applicant for payment of charges in case the applicant submits a written request for the same, within the 15-day payment period.*

5.49 *The demand note shall be prepared as per the provisions of this Supply Code, 2018 and on the basis of charges specified by the Licensee with the prior approval of the Commission from time to time. The Licensee shall submit a proposal to the Commission along with the Tariff Petition for approval of various charges to be charged by the Licensee in demand notes. The demand note, once made for an applicant, shall be valid for two months.*

5.50 *Any excess/deficient payment made by the consumer shall be adjusted in the subsequent two bills.*

5.51 *If as per this Supply Code, 2018, provision of supply requires installation of a distribution transformer within the applicant's premises, the applicant shall make available to the*

Licensee a suitable room or portion of land within his premises for the period of supply for installation of the distribution transformer.

5.52 *The overall timeline for releasing new electricity connection, from the date of receipt of application, shall be as under:*

Table 3: Timeline for releasing new electricity connection (energization):

Activity	Island areas		Mainland areas	
New connection/ additional load where supply can be provided from existing network	Urban area: 30 days from receipt of complete application		Urban area: 16 days from receipt of complete application	
	Rural area: 30 days from receipt of complete application		Rural area: 24 days from receipt of complete application	
Extension work or enhancement of transformer capacity is required	Urban area:	Rural area:	Urban area:	Rural area:
	a) LT-60 days	a) LT-90 days	a) LT-30 days	a) LT-45 days
	b) HT-120 days	b) HT-120 days	b) HT-90 days	b) HT-90 days
	c) EHT-180 days	c) EHT-180 days	c) EHT-180 days	c) EHT-180 days
Erection of substation to extend supply	On case to case basis as per approval of the Commission		On case to case basis as per approval of the Commission	

Provided that the Licensee may approach the Commission for extension of time specified above, in specific cases where extension of Distribution mains requires more time, along with details. In such cases, the Licensee shall inform the consumer about the likely time of completion of works.

5.53 *Where extension of supply requires erection and commissioning of new substation, the Licensee shall submit to the Commission within 15 days of site inspection, a proposal for erection of such substation along with the time required for erection and commissioning of the same, and get the Commission's approval. The Licensee shall commence electricity supply to the applicant within the time period approved by the Commission:*

Provided that where such substation is covered in the investment plan approved by the Commission, the Licensee shall not be required to take any further approval from the Commission and shall complete erection of such substation within the time period specified in such investment plan:

Provided further that in cases where the substation is meant to extend supply to an individual consumer, the Licensee shall commence erection of the substation only after receipt of necessary payment against demand note from the applicant.

5.54 The Licensee shall not be held responsible for delay, if any, in extending supply if the same is on account of problems relating to right of way, acquisition of land, or delay in consumer's obligation over which Licensee has no reasonable control.

5.55 *In case the applicant had opted to get the extension work done himself, the applicant shall follow the procedure of self-certification or testing as per the provisions of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 as amended from time to time:*

Provided that if the electric installation exceeds 11 kV, it will require to be inspected by the Electrical Inspector before commencement of supply.

Procedure for Supply to Multi-Consumer Complex

5.56 *In case of multi-consumer complexes, such as Group Housing, etc., the new connection sought shall preferably be provided at single point with single meter on LT if load is up to 100 kVA and on HT if load exceeds 100 kVA. A new connection will not be granted until the entire electrical infrastructure is completed. The Licensee shall ensure energization of new connection only after physically verifying the entire internal electrical infrastructure and fulfilment of Regulation 5.35. However, this shall not restrict the individual owner or occupier of any premises for applying for individual connection and the Licensee shall sanction such individual connections. The choice of having single LT/HT connection or individual connections, once exercised before release of connection, cannot be revoked due to operational problem.*

In case the connected/contracted load of any connection is projected to be more than 100 kVA, a separate transformer of adequate capacity shall be installed at consumer's cost. The space/room required for housing the transformer, substation, switch gears, meters and panels shall be provided by the consumer, free of cost, which is easily accessible to the Licensee.

For any new connection with connected /contracted load lower than 100 kVA also, License may install a separate transformer if requested by the consumers, at consumer's cost.

In case the consumers in Multi-consumer complex have availed individual connections, separate connection shall be provided for consumption of energy for common services such as lifts, pumps for pumping water, etc., and such consumption of such connection shall be billed at highest slab of respective tariff category.

For all the connections exceeding 11 kV for multi-storeyed building of more than fifteen metre in height, the connection shall be released after obtaining the certificate from Electrical Inspector in accordance with the provisions of Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 as amended from time to time.

5.57 *For such Multi Consumer complexes, the builder / developer / society/ Owners Association, shall be liable to pay service connection charges, i.e., cost of service connection from the existing network of the Distribution/Transmission Licensee to the point of supply, as approved by the Commission from time to time.*

Note: The developer/builder/society/ Owners Association includes any agency whether Government, local body or private that constructs the Multi-consumer Complex.

- (1)** Location for installation of meter should be decided in consultation with the consumer in accordance with the procedures detailed in Chapter-6 of this Supply Code, 2018.
- (2)** Connections for common facilities like lift, water pumps, etc., shall be given in the name of the builder / developer / society/ Owners Association.
- (3)** In case the original approved plan is for a multi-consumer complex, but the builder/developer / society / consumer desires to avail connection for a portion of it, the connection shall be provided treating it as multi-consumer complex.
- (4)** If a building comes under the category of multi-consumer complex and if a separate distribution transformer of sufficient capacity is necessary for giving supply to such building which was not provided earlier, it will be provided at the cost of the builder/developer/society consumer. Alternatively, the builder/developer/society/ consumer shall bear the additional cost to augment the capacity of the existing 11/0.4 kV substation, if found necessary by the Licensee.

- (5) On receipt of requisition from the builder/developer/society consumer for supply of electricity to multi-consumer complexes, the Licensee shall extend the supply as per this Supply Code, 2018.

5.58 *Procedure for Supply for Agriculture/Irrigation Pump sets*

- (1) The procedure laid down in Clauses 5.29 to 5.52 as applicable, shall be followed for giving supply to agriculture /irrigation pump sets where extension of distribution mains and/or augmentation of distribution transformer is not required.
- (2) Supply for agriculture/irrigation pump set, at one point, may also be given to a registered co-operative society or to a group of farmers recognized by the Licensee.
- (3) If, on inspection of the premises, it is found that extension of distribution mains or augmentation of distribution transformer capacity or providing of additional distribution transformer, etc., are required, necessary estimate as per the cost-data shall be prepared and got approved by competent authority. The Distribution Licensee shall be responsible to develop, construct, augment and maintain the entire infrastructure required for distribution system, including 33/11 kV, at its own cost. The work of electrification of pump set(s), will be taken up and completed within the period as laid down in this Supply Code, 2018 after the amount as intimated is deposited by the consumer(s). New connection shall be given on the broad principle of first-come first serve basis. Within 7 working days of completion of work, the Licensee shall intimate the date of testing of the installation of the consumer and inspect the wiring in the premises of the consumer. In case the Licensee is satisfied, the connection shall be served within 3 working days of the inspection.
- (4) An agricultural consumer, if so desires, may shift the location of his connection within his premises, with the approval of the Licensee, after payment of charges, if any.

5.59 *Procedure for supply to Public Street Lightings*

- (1) Requisition for power supply to new or additional public street lights shall be submitted to the local office of the Licensee by the Municipal Corporation or Municipality or Municipal Board or Gram Panchayat or Local Body or the Government Department or any other organization responsible for maintaining public street lights (in context of public street lights herein after called 'local body').
- (2) The requisition for public lights shall be accompanied by resolution of the local body and the sketch indicating the number of poles, existing or new, where streetlights are required.
- (3) The fittings, brackets or any special fittings shall be in accordance with the relevant BIS specifications or its equivalent, and shall maintain required clearances as per prevailing rules and regulations. The local body shall bear the full cost of arranging of power supply to public streetlights including complete fittings and brackets. In case, any special fittings are to be provided, the local body shall arrange for it.
- (4) The Licensee shall intimate the cost of extension in writing within 20 days from the date of application. The work shall be taken up only after deposit of the

amount and execution of agreement by the local body.

- (5) A suitable double compartment weather proof metal box to house the energy meter and streetlight switch/MCB/ timers shall be provided by the Licensee.
- (6) It shall be the responsibility of the municipal body/local body to maintain and replace streetlight fittings and also switch on and switch off the streetlight. However, the Licensee may carry out the maintenance of streetlight fixtures on payment basis. Such maintenance charges shall be included in the schedule of miscellaneous charges
- (7) All the new installation for Public Street Lightings, which shall be installed after 3 months from the date of notification of these Regulations shall be mandatorily energy efficient type lamps.

Procedure for Providing Temporary Supply

- 5.60** *Temporary connection shall be granted for a period of maximum one (1) year at a time, which may be further extended, if required:*

Provided that in case of construction of buildings (both residential and non-residential), where it would take longer time for completion of the same or other such projects, the temporary supply connection shall be given for a period of two years, which may be further extended, if required:

Provided further that when any part of the building / project has been effectively completed and possession offered to a prospective occupant, then the developer/occupant of such building/portion shall apply for a permanent connection to the Licensee within one month from the date of such effective completion/offer of possession. The temporary connection shall be removed within three months after the date of such effective completion / offer of possession.

- 5.61** *For LT connections, temporary connection may be granted through prepaid meters wherever technically feasible.*
- 5.62** *The Licensee may give temporary supply within a period of 24 hours, subject to the following conditions:*
- (1) If it is technically feasible;
 - (2) On payment of an additional fee as fixed by the Licensee and approved by the Commission.

- 5.63** *The applicant shall apply for temporary supply in the format prescribed in Annexure I or II (as applicable) to this Supply Code, 2018 along with the documents prescribed in Regulations 5.29 to 5.34 of this Supply Code, 2018 as well as a No-Objection Certificate (NOC) from the local authority if the supply is required at a place owned by the local authority along with an advance amount as approved by the Commission as a part of Miscellaneous Charges.. This advance shall be adjusted against the estimated cost of works:*

Provided that in case temporary supply is required in premises/place where 100 or more persons are likely to assemble, applicant shall comply with the provisions of Section 54 of the Act:

Provided further that in case any permit / NOC is withdrawn by the competent authority after energization of connection, supply shall be disconnected forthwith and shall be reconnected only after the permit/NOC is restored.

- 5.64** *The Licensee shall process the application form as per the procedure given in Regulations 5.35 to 5.45 of this Supply Code, 2018.*
- 5.65** *During the inspection, the Licensee shall examine the technical feasibility of the connection applied for. If the connection is not found technically feasible, the Licensee shall inform the applicant in writing within 7 working days for LT and 15 working days for HT/EHT connections after receipt of application form, giving reason(s) for the same. However, no connection up to 20 kW shall be delayed on technical grounds.*
- 5.66** *If on inspection/re-inspection, the connection is found feasible, the Licensee shall sanction the load applied for and issue a demand note in accordance with Regulation 5.47 of this Supply Code, 2018, inclusive of an estimate of advance charges for electricity, within the timeline specified in Regulation 5.46 of this Supply Code, 2018.*
- 5.67** *The applicant or his authorized representative shall be present during testing along with the Licensed Electrical Contractor or his authorized representative who had undertaken the installation. If the Licensee is satisfied, the Licensee shall issue a written acknowledgment on the spot.*
- 5.68** *If the Licensee is not satisfied, the applicant shall be intimated on the spot in writing, under acknowledgment, of the faults/shortcoming in the consumer installation. The applicant, after rectification of the defects, shall intimate to the Licensee in writing after which the Licensee shall again follow the procedure as laid down in Regulation 5.55 of this Supply Code, 2018.*
- 5.69** *After re-testing of the consumer installation and payment of prescribed fee (no fee shall be charged by the Licensee for the first test but subsequent tests due to faults/shortcomings found in the initial test shall be charged), if the consumer installation is found satisfactory by the Licensee, the Licensee shall issue a written acknowledgment on the spot.*
- 5.70** *After deposit of estimated cost and advance charges for temporary electricity connection by the applicant, and satisfactory testing of the consumer installation, the temporary connection shall be released by the date of requirement as indicated in the application form, or as per the timelines given below, whichever is later.*

Table 4: Timeline for release of temporary connection:

<u>Activity</u>	<u>Island areas</u>	<u>Mainland areas</u>
<u>Where supply can be provided from existing network</u>	<u>Urban area: 6 days</u>	<u>Urban area: 3 days</u>
	<u>Rural area: 14 days</u>	<u>Rural area: 7 days</u>
<u>Where supply can be provided after extension/augmentation of network</u>	<u>Urban and Rural areas</u> a) <u>LT-60 days</u> b) <u>HT-90 days</u> c) <u>EHT-180 days</u>	<u>Urban and Rural areas:</u> a) <u>LT-30 days</u> b) <u>HT-90 days</u> c) <u>EHT-180 days</u>

- 5.71** *If there are outstanding dues on the premises, temporary connection shall not be given till such dues are paid by the consumer.*
- 5.72** *After the period of temporary supply is over and supply has been disconnected, the Licensee shall prepare the final bill on the basis of actual consumption. Consumption security, after adjusting unpaid dues, shall be refunded by the Licensee. Material security shall also be*

refunded after deducting any damage to material (meter, transformer, isolator, etc.) and dismantling charges, which shall not be more than 10% of the material security. Refund of these securities shall be made within 15 days from the date of disconnection, failing which the Licensee shall be liable to pay interest at a rate equivalent to the late payment surcharge as per the prevalent Tariff Order issued by the Commission.

- 5.73** *For extension of the period of temporary supply, the consumer shall apply to the Licensee in writing at least 7 working days before the date of expiry of temporary supply. The Licensee may grant extension and send to the consumer a demand note of advance electricity charges for the period of extension within 7 working days of receiving the written request. For extension of the period of temporary supply for the same load, no fresh feasibility report will be required.*
- 5.74** *The applicant may get the date of availing temporary supply extended to a date not later than 90 days from the date of original sanction, by applying to the Licensee at least 4 days before the originally sanctioned date of commencement of supply in Urban Areas, and at least 8 days in advance in Rural Areas.*
- 5.75** *The grant of temporary connection does not create a right in favour of the applicant for claiming a permanent connection, which shall be governed by provisions of the Act and this Supply Code, 2018.*

Procedure for Modification in Existing Connections

Application Form

- 5.76** *The applicant shall apply for modification in existing connection in the following format as given in the Annexure to this Supply Code, 2018:*
- (1) *Application format for change in name of registered customer due to change in ownership/occupancy - Annexure IV*
 - (2) *Application format for transfer of ownership to legal heir - Annexure V*
 - (3) *Application format for Conversion of Services / Change of Consumer Category / Shifting of Premises - Annexure VI*
 - (4) *Application format for load enhancement/reduction - Annexure VII*
- 5.77** *Application forms in English and Hindi shall be made available at the local office of the Licensee free of cost. The Licensee shall also put up all application forms on its website for free download. Legible photocopies of a blank form may be made by the consumer and shall be accepted by the Licensee. The Licensee shall clearly display on its website the address and telephone numbers of offices where filled-up application form can be submitted. The Licensee shall also display in each office the address and telephone numbers of offices in the respective area of supply where filled-up application form pertaining to that particular area can be submitted. Any assistance or information required in filling up the form shall be provided to applicants at the local office of the Licensee.*
- 5.78** *The Licensee shall facilitate or provide such avenues for applying for new connection or modification in existing connection through website, call centres, etc., which minimize the applicant's interface with the utility during the process.*
- 5.79** *All application forms for change in existing connection must be accompanied with an identity proof of the applicant in accordance with Regulation 5.29 of this Supply Code, 2018, if the connection is registered in the name of the applicant; or a No-Objection Certificate (NOC) from the person in whose name the connection is registered, if the connection is not registered in the name of the applicant.*

Processing Application Forms

- 5.80** *The Licensee shall verify the application form along with enclosed documents and if found deficient, shall issue a written note on the spot regarding shortcomings in the application form. If the application form is complete, the Licensee shall acknowledge its receipt on the spot.*
- 5.81** *The Licensee shall maintain a permanent record of all application forms received in an Application Register/Database. Each application form shall be allotted a permanent application number (for identification) serially in the order in which it was received. The Licensee shall keep the registers/databases updated with stage-wise status of disposal of each application form. The Licensee shall deal with application forms on the broad principle of “first come, first served” basis as per serial priority in the Application Register/Database.*
- 5.82** *An application form shall be deemed to be received on the date of receipt of consumer’s requisition of supply in the prescribed format of the application form, complete in all respects and attached with all relevant documents.*
- 5.83** *An application shall be deemed to be received on the date of receipt of all applicable charges including the security deposit in accordance with Annexure XVIII of this Supply Code, 2018, after receipt of the application form.*
- 5.84** *The Licensee shall process application forms for change in existing connections as detailed below.*

Transfer of Connection

- 5.85** *The consumer shall not without prior consent in writing of the Distribution Licensee assign, transfer or part with the benefit of the Agreement executed with the Distribution Licensee nor shall part with or create any partial or separate interest thereunder in any manner.*
- 5.86** *A connection may be transferred in the name of another person upon death of the consumer or in case of transfer of the ownership or occupancy of the premises, upon filing an application form in the prescribed format given in either Annexure IV or V (as applicable) for change of name by the new owner or occupier:*

Provided that such change of name shall not entitle the applicant to require shifting of the connection from the present location.

- 5.87** *The Licensee shall deal with applications relating to change of consumer’s name due to change in ownership/occupancy of property in accordance with the procedure detailed below.*
- (1)** *The applicant shall apply for change of consumer’s name in the format prescribed in Annexure IV to this Supply Code, 2018, along with a copy of the latest bill duly paid. The request for transfer of connection shall not be accepted unless all dues recoverable against the concerned connection are settled. The application form shall be accepted on showing proof of ownership/occupancy of property. A “No Objection Certificate” from the registered consumer/ authorized person/ previous occupant of the premises shall be required for cases involving transfer of security deposit in the name of applicant. The Licensee shall process the application form in accordance with Regulations 5.80 to 5.83 of this Supply Code, 2018.*
 - (2)** *In case the No Objection Certificate from the registered consumer/ authorized person / previous occupant is not submitted, an application form for change of name shall be entertained only if security deposit as stipulated in this Supply Code, 2018 is paid afresh. However, the original security deposit shall be refunded to the claimant as and when a claim is preferred by the concerned*

person.

- (3) Change of consumer's name shall be in effect within two billing cycles after acceptance of application form.

5.88 *The Licensee shall deal with applications relating to transfer of consumer's name to legal heir in accordance with the procedure detailed below:*

- (1) The applicant shall apply for change of consumer's name in the format prescribed in Annexure V to this Supply Code, 2018, with a copy of the latest bill duly paid. The application form shall be accepted on showing the Registered Will/deed, Succession/Legal heir Certificate, Mutation in municipal/land records or any other proof of legal heirship. The Licensee shall process the application form in accordance with Regulations 5.79 to 5.83 of this Supply Code, 2018.
- (2) Security deposit lying with the Licensee in the name of original consumer shall be transferred to its legal heir to whom the connection is to be transferred and the shortfall in security deposit calculated as specified in Annexure XVIII of this Supply Code, 2018, if any, shall be payable by the applicant.
- (3) The change of consumer's name shall be effected within two billing cycles after acceptance of application.
- (4) Any charge for electricity or any sum other than charge for electricity as due and payable to Licensee, which remains unpaid by a deceased consumer or the erstwhile owner/occupier of any land/premises as the case may be, shall be a charge on the premise transmitted to the legal representative/ successors-in-law or transferred to the new owner of the premise as the case may be, and same shall be recoverable by the Licensee as due from such legal representative or successor-in-law or new owner/occupier of the premises as the case may be.

Conversion of Services

5.89 The applicant shall apply for conversion of the nature of his existing connection in the format given in Annexure VI to this *Supply Code, 2018*. The Licensee shall process the application form in accordance with Regulations 5.80 to 5.83 of this *Supply Code, 2018*. For site inspection and issuance and payment of demand note for the estimated cost of works, both the Licensee and applicant shall follow the procedure and timelines as laid down in Regulations 5.40 to 5.51 of this *Supply Code, 2018*. After payment of requisite charges by the applicant, the Licensee shall give effect to applications for *conversion of existing services from Low Tension to High Tension or vice-versa, and from single-phase to three-phase or vice-versa, within the following time limits:*

Table 5: Timeline for conversion of services:

	Urban Areas	Rural Areas
Conversion from LT single phase to LT 3-phase or vice-versa	Within two billing cycles from payment of necessary charges by consumer	Within two billing cycles from payment of necessary charges by consumer
Conversion from LT to HT or vice-versa	Within two billing cycles from payment of necessary charges by consumer	Within two billing cycles from payment of necessary charges by consumer
Conversion from HT to EHT or vice versa	Within four billing cycles from payment of necessary charges by consumer	Within four billing cycles from payment of necessary charges by consumer

5.90 *The Licensee shall, within the specified period, seek the Commission's approval for extension*

of time limit whenever the above schedule cannot be met.

Shifting of Meter / Existing Connection

- 5.91** *The applicant shall apply for shifting the service connection in existing premises or for deviation of existing lines in the format prescribed in Annexure VI to this Supply Code, 2018. The Licensee shall process the application form in accordance with Regulations 5.79 to 5.83 of this Supply Code, 2018. For site inspection and issuance and payment of demand note for the estimated cost of works, both the Licensee and applicant shall follow the procedure and timelines as laid down in Regulations 5.40 to 5.51 of this Supply Code, 2018.*
- 5.92** *The following time schedule shall be observed for giving the estimated amount by the Licensee and completing the works:*
- (1)** *Shifting of meter/service line/LT/HT lines/Transformer: within 30 days for giving the estimated amount to the consumer for shifting and within 30 days of the consumer depositing the amount;*
- 5.93** *Any excess/deficient payment made by the consumer shall be adjusted in the subsequent two bills.*

Reclassification of Consumer Category

- 5.94** *If it is found that a consumer has been wrongly classified in a particular category, or the purpose of supply as mentioned in Agreement has changed to other Tariff Category, or the consumption of power has exceeded the limit of that category as per the Commission's Order, the Licensee may consider reclassifying the consumer under appropriate category. The consumer shall be informed of the proposed reclassification through a notice and duly given a 30-day notice period to file objections, if any. The Licensee, after due consideration of the consumer's reply, if any, may alter the classification within 10 days from the date of receipt of reply. In case of any dispute, the consumer may approach the Consumer Grievance Redressal Forum.*
- 5.95** *If a consumer wishes to change his consumer category, the consumer shall submit an application form to the Licensee in the format given in Annexure VI to this Supply Code, 2018. The Licensee shall process the application form in accordance with Regulations 5.79 to 5.83 of this Supply Code, 2018. For site inspection and issuance and payment of demand note for the estimated cost of works, both the Licensee and applicant shall follow the procedure and timelines as laid down in Regulations 5.40 to 5.51 of this Supply Code, 2018. The Licensee shall also note down the meter reading at the time of inspection. If on inspection, the consumer's request for reclassification is found valid, the Licensee shall change the category within 10 days of receipt of the application.*
- 5.96** *If the Licensee does not find the request for reclassification valid, it shall inform the applicant in writing, giving reason(s) for the same, within 10 days from date of inspection.*
- 5.97** *For the period in which the consumer's application for reclassification is pending, the consumer shall not be liable for any action on grounds of unauthorized use of electricity.*

Load Enhancement

- 5.98** *Applicants shall apply for load enhancement to the Licensee in the format prescribed in Annexure VII to this Supply Code, 2018. The Licensee shall process the application form in accordance with Regulations 5.79 to 5.83 of this Supply Code, 2018. For site inspection, issuance and payment of demand note for the estimated cost of works, both the Licensee and applicant shall follow the procedure and timelines as laid down in Regulations 5.40 to 5.51 of this Supply Code, 2018. Consumer can retrieve the self-declaration Forms from the website of the Licensee or collect the same from the office of Licensee, if the consumer has to*

increase/decrease load at any time.

- 5.99** *If on inspection, there are no defects found, or on re-inspection, the defects noticed earlier are found to have been removed, the Licensee shall sanction the additional load applied for, and issue a demand note in writing under acknowledgment, within the timeline specified below:*

Table 6: Timeline for raising Demand Note for Additional Load

S. No.	Item	Time Limit (within)
1	Aggregate Loads up to 100 kVA	10 days of receipt of Application
2	Aggregate Loads above 100 kVA and up to 4000 kVA	15 days of receipt of Application
3	Aggregate Loads above 4000 kVA	30 days of receipt of Application

Provided that the time taken by applicant in removing the defects/deficiencies found at the applicant's premises shall not be included in the timeline specified above. The timeline shall not include the time taken by the Licensee to augment the infrastructure subject to ceiling limit as specified in Regulation 5.52 of this Supply Code, 2018.

- 5.100** *The Licensee's written intimation sent along with the demand note to the consumer shall cover the following:*

- (1) Whether the additional power can be supplied at existing voltage or at a higher voltage;
- (2) Addition or alterations, if any, required to be made to the system and the cost to be borne by the consumer;
- (3) Amount of additional security deposit, cost of additional infrastructure and the system strengthening charges or capacity building charges, if any, to be deposited; and
- (4) Change in classification of the consumer and applicability of tariff, if required.

- 5.101** *The application form for enhancement of load shall not be accepted if the consumer is in arrears of payment of the Licensee's dues. However, the application form may be accepted if such payment of arrears has been stayed by a Court of law, or the Commission or an authority appointed by the Commission.*

- 5.102** *If supply of enhanced load is feasible, the consumer shall:*

- (1) Pay additional security deposit, cost of addition or alteration required to be made to the system, if any, and system strengthening charges/capacity building charges, if any, within 15 working days of receipt of the demand note, and;
- (2) Execute a Supplementary Agreement.

- 5.103** *Supply of enhanced load shall be provided in adherence to the timeline specified in Regulation 5.52 of this Supply Code, 2018.*

- 5.104** *If the consumer feels aggrieved by the Licensee's action or omission, the consumer may file his representation to the concerned Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF) for redressal of his grievance.*

- 5.105** *If the application is not decided by the Licensee within the period mentioned in Table 6*

above, the applicant may, by a written notice to the Licensee, draw its attention to the matter and yet if no decision is communicated to him within a further period of 15 days, the permission for enhancement of contract demand shall be deemed to have been granted.

5.106 *The enhancement of load shall be effective from the date on which the enhanced load is released by the Licensee or deemed permission is granted.*

Load Reduction

5.107 *The Application for load reduction shall be accepted only after six months from original energisation for connections up to 100 kVA, and 1 (one) year from original energisation for connections above 100 kVA.*

5.108 *The applicant shall apply for load reduction to the Licensee in the format prescribed in Annexure VII to this Supply Code, 2018, along with the following documents:*

- (1)** *Details of alteration/modification/removal of electrical installation with work completion certificate and test report from a Licensed Electrical Contractor where alteration of installation is involved;*
- (2)** *Any other reason(s) for reduction of contract demand.*

5.109 *The Licensee shall process the application form in accordance with Regulations 5.79 to 5.83 of this Supply Code, 2018. For site inspection, both the Licensee and applicant shall follow the procedure and timelines as laid down in Regulations 5.40 to 5.45 of this Supply Code, 2018.*

5.110 *The Licensee shall consider the grounds for load reduction stated in the application, verify the same during inspection and decide the application within a period of 10 working days from inspection. If the consumer feels aggrieved by the Licensee's action or omission, the consumer may file his representation to the concerned Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF).*

5.111 *The Licensee shall issue a demand note to the consumer in writing, under acknowledgment, in accordance with the timeline specified in Regulation 5.46, and thereafter, both the Licensee and applicant shall follow the procedure and timelines as laid down in Regulations 5.47 to 5.51 of this Supply Code, 2018.*

5.112 *If the application is not decided by the Licensee within the above-mentioned period of 10 days from inspection, the applicant may, by a written notice to the Licensee, draw its attention to the matter. If no decision is communicated to the consumer within a further period of 15 days, permission for reduction of contract demand shall be deemed to have been granted.*

5.113 *Any difference in security deposit arising out of load reduction shall be adjusted in the subsequent two bills of the consumer.*

5.114 *The reduction of load shall be effective from the first day of the month following the month in which the sanction is communicated or deemed permission is granted.*

Annual Review of Contract Demand

5.115 *In case of HT and EHT connections, if the maximum demand was recorded to be in excess of contract demand by 5% or more for at least four times during the last financial year, the Licensee shall issue a 30-day notice to the consumer for submitting an application form for enhancement of load. If there is no response from the consumer by the end of the notice period, the Licensee shall start the procedure for enhancing the consumer's contract demand to the average of four recordings of maximum demand shown by the consumer's Maximum Demand Indicators (MDI) meter in the last financial year. In case of LT connections, similar review shall be carried out for connections equipped with an MDI meter.*

5.116 *Energy meters with MDI facility are to be installed by all the Distribution Licensees for all new HT and EHT connections. In case, the Maximum Demand Indicator of the meter at the consumer's installation is found to be faulty or not recording at all (unless tampered), the Demand Charges shall be calculated based on maximum demand during corresponding months/billing cycle of previous year, when the meter was functional and recording correctly. In case the recorded maximum demand of corresponding month/billing cycle of past year is also not available, the maximum demand needs to be computed by applying the Load Factor as per Annexure XVIII of the Supply Code, 2018.*

5.117 *The Licensee and applicant shall follow the procedure and timelines with respect to acceptance of application form, site inspection and issuance of demand note for the estimated cost of works in accordance with Regulations 5.35 to 5.50 of this Supply Code, 2018. Enhanced supply shall be released in accordance with Regulation 5.52 of this Supply Code, 2018.*

5.118 *If the consumer feels aggrieved by the Licensee's action or omission, the consumer may file his representation to the concerned Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF) for redressal of his grievance.*

Execution of Agreement

5.119 *The Licensee may require the applicant to execute an Agreement for obtaining new connection, for change of name, and for enhancement or reduction of sanctioned load before commencement of supply.*

5.120 *The Agreement form shall be supplied by the Licensee along with application form and shall also be available on the Licensee's website for download.*

The Agreement shall include the following:

- (1) Name and address of the consumer/applicant;
- (2) Address of the premises for which electricity supply has been requisitioned and for which the agreement is being executed;
- (3) Sanctioned load/ contract demand;
- (4) Purpose of usage of electricity;
- (5) Declaration by the applicant/consumer:
 - a) To abide by provisions of Act and this Supply Code, 2018;
 - b) To pay for the supply of electricity based on the prevailing tariff rates;
 - c) To pay for all other charges payable in accordance with this Supply Code, 2018 and the Schedule of Miscellaneous Charges of the Licensee approved by the Commission from time to time;
 - d) To deposit such security money as the Licensee may be entitled to recover from him under the Act and this Supply Code, 2018;

5.121 *If there is no separate written Agreement between the Distribution Licensee and the consumer, after the supply of electricity has commenced, the consumer shall be deemed to be bound by terms and conditions of the Supply Code, 2018. The consumer shall not refuse to tender an Agreement if so required by the Distribution Licensee within thirty days of commencement of the supply. Upon failure of the consumer to sign the Agreement, it shall be open to the Distribution Licensee after giving due notice and opportunity of representation to disconnect the supply to such Premises. However, the Distribution Licensee shall restore the supply immediately upon execution of the Agreement by such consumer.*

5.122 *If any Consumer terminates his Agreement within period of 2 years of the commencement of new or additional supply (or where no formal Agreement is tendered, if the supply is not utilized for the period of 2 years, which would have been applicable if an Agreement has been tendered), the consumer shall be liable to pay the Fixed/Minimum charges for each month short of the period of 2 years.*

5.123 *A copy of the Agreement executed shall be given to the consumer/applicant.*

General Conditions of Supply for determination of Connected Load

5.124 *The method of determination of connected load shall be as per Annexure VIII to this Supply Code, 2018.*

Point of Supply

5.125 *Supply shall be given at a single point in the premises of the consumer. The point of supply shall be determined by the Licensee such that meters and other equipment are always accessible to the Licensee for inspection without infringing upon the consumer's privacy. All HT and EHT consumers shall provide independent entry to the meter or metering cubicle. However, in special cases, the Licensee may agree to give supply at more than one point in the consumer's installation on account of the separate physical layout and wiring of the installation and the requirements of the consumer.*

5.126 *At the point of commencement of supply, the consumer shall provide a main switch/circuit breaker. In addition, HT and EHT consumers shall also provide suitable protective devices as per the provisions of Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 as amended from time to time. The system of protection shall have to be approved by the Licensee before commencement of supply. Meters, MCBs/CBs and associated equipment shall be installed by the Licensee at the point(s) of supply.*

5.127 *HT and EHT consumers shall install step-down transformers with a vector group with delta winding on the high voltage side and star winding on the low voltage side, with the neutral terminal brought out and solidly earthed as per Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 and as amended from time to time.*

5.128 *The meter, meter boards, service mains, MCB/CB, load limiters, etc., must on no account be handled or removed by anyone who is not an authorized employee/representative of the Licensee. Seals, which are fixed on the meters/metering equipment, load limiters and the Licensee's apparatus, must on no account be tampered with, damaged or broken. It is the consumer's responsibility to keep in safe custody, the Licensee's equipment and seals on the meters/metering equipment within the consumer's premises.*

5.129 *In the event of any damage caused to the Licensee's equipment within the consumer's premises by reason of any act, neglect or default of the consumer or his employees, the cost thereof as claimed by the Licensee shall be payable by the consumer. If the consumer fails to do so after demand, it shall be treated as a contravention of the terms and conditions of supply agreement and the electricity.*

Security Deposit

5.130 *A security deposit shall be deposited by all the consumers to cover:*

- (1) The estimated amount of bill corresponding to the billing cycle period plus one month; and
- (2) Payment due to the Licensee for any electric line or electrical plant or electric meter that is to be provided for supplying electricity to the consumer.

The estimated security deposit amount for different categories while releasing new connections shall be calculated as per the methodology given in Annexure XVIII to this Supply Code, 2018. In case of enhancement of load, only additional security to cover the additional consumption shall need to be deposited, estimated as per the methodology given:

Provided that for consumers who have opted for availing phased contract demand, revision of security deposit for the existing load shall be based on actual consumption of the previous financial year, while security deposit for additional load released during the year shall be estimated on the basis of the methodology given in Annexure XVIII to this Supply Code, 2018.

- 5.131** *Subsequently, the security deposit shall be revised annually as per the procedure defined in Regulation 5.136 of this Supply Code, 2018. For deficient amount of Security Deposit, the Licensee shall serve the notice to consumer for Additional Security Deposit to be deposited by consumer within 30 Days. In case, the consumer does not deposit additional Security Deposit within 30 days of notice by Licensee, the additional Security Deposit shall be included in two subsequent bills of the consumer. Any excess amount of Security Deposit shall be adjusted within two subsequent bills of the consumer.*
- 5.132** *If the security deposit is reduced due to adjustment of outstanding dues, the same shall be adjusted within the subsequent two bills of the consumer.*
- 5.133** *The security deposit shall be returned to consumer upon termination of Agreement within 30 days of adjustment of all dues. In case of delay, interest equivalent to the State Bank of India Base Rate on the 1st of April of that year shall be payable to the consumer.*
- 5.134** *The LT consumers can provide the security deposit in the form of cash (applicable for deposits up to Rs 10,000), cheque or demand draft. The HT/EHT and industrial consumers can provide the security deposit through cash/demand draft/banker's cheque, Bank Guarantee as per the format specified in Annexure XXI or by providing lien against fixed deposits. If the Security Deposit is submitted in the form of Bank Guarantee or by providing lien against fixed deposits, no interest shall be payable to the consumer.*

Interest on Security Deposit

- 5.135** *The Licensee shall pay interest to the consumer at the State Bank of India Base Rate prevailing on the 1st of April for the year, payable annually on the consumer's security deposit with effect from date of such deposit in case of new connections energized after the date of this notification, or in other cases, from the date of notification of this Supply Code, 2018. The interest accrued during the year shall be adjusted in the consumer's bill for the first billing cycle of the ensuing financial year. If the Security Deposit is submitted in the form of Bank Guarantee or by providing lien against fixed deposits, no interest shall be payable to the consumer.*

Review of Security Deposit

- 5.136** *At the beginning of the financial year, the Licensee shall review the consumption pattern of the consumer for the adequacy of the security deposit from April to March of the previous year. Consumer is required to maintain a sum equivalent to his average payment for the period of one billing cycle plus one month, where 'average payment' shall be equal to the average of actual bills paid in the last financial year:*

Provided that for a consumer whose electricity connection is less than 1 year old, the security deposit shall not be revised at the beginning of the financial year.

- 5.137** *The security deposit available with the Licensee in respect of each consumer shall be shown in the bill issued to the consumer. Refund of security to the consumer by the Licensee, as and when arises, shall be made through maximum of two electricity bills.*

Cost of Servicing New Connection/ Enhancement of Load

- 5.138** *The consumer shall pay the cost of service line, etc., and other applicable charges. These charges shall be either on the basis of the schedule of standard charges approved by the Commission.*

General Provisions Regarding Service Line and Apparatus

- 5.139** *The consumer shall provide space of requisite dimensions and at convenient location as mutually agreed between the consumer and the Licensee, free of charge, for erection / installation of that part of service line that falls within his premises, transformers, switch gear, meter and all other apparatus up to the point of commencement of supply. The whole of service line and other apparatus shall be deemed to be the property of the Licensee and shall remain under its control.*
- 5.140** *The Licensee may use the service line and other apparatus to give supply to other consumers provided that the supply to the consumer who has paid for these is not affected adversely. Further, even if the supply to the consumer who has paid for the line / apparatus is disconnected for whatever reason, the consumer shall permit the Licensee continued access to the service line and other apparatus if they are required to give supply to other consumers, and no payment shall be due to the consumer for such access / facility, until alternate arrangements are made. However, it is expressly provided that the Licensee shall make all possible efforts to make alternate arrangements within 6 months. For this purpose, the Licensee may explore a mutually acceptable arrangement for continuation of the installation at the existing place.*

Resale of Energy

- 5.141** *The consumer shall not supply any energy supplied to him by the Licensee to another person or other premises unless the consumer holds a suitable sanction or licence for distribution and sale of energy granted by the Commission or has been exempted from obtaining the licence or has been appointed as a franchisee of the Distribution Licensee.*

Access to Consumer's Premises

- 5.142** *The Distribution Licensee or any person duly authorized by Distribution Licensee shall have access to consumer's premises in accordance with the provisions of Section 163 of the Electricity Act, 2003.*

Failure of Supply due to Fuse Failure

- 5.143** *Should at any time the Licensee's service fuse or fuses fail, complaint should be registered at the Licensee's local office or call centre or if there are sub-stations, at the nearest substation. Only authorized representatives of the Licensee are permitted to replace these fuses in the Licensee's cut-outs. Consumers are not allowed to replace these fuses and they will render themselves liable to penalty if the Licensee's fuse placed to protect the Licensee's apparatus are changed.*

Chapter 6**6. METERING**

- 6.1** *No installation shall be serviced without a meter. All meters and installation of meters shall conform to requirements as laid down in the Central Electricity Authority (Installation & Operation of Meters) Regulations, 2006 issued under Section 55 of the Act, and as amended from time to time. Notwithstanding this, the Licensee may consider installing upgraded technology meter becoming available in the market if it meets the requirements over and above the requirements of CEA.*

6.2 *For LT loads, Miniature Circuit Breakers (MCBs) and for HT/ EHT loads, Circuit Breakers (CBs) of appropriate rating and specifications shall be installed along with the meter.*

6.3 *At the time of seeking a new connection the consumer shall have the option to either:*

- (1)** *Purchase the meter, MCB/CB and associated equipment himself as per specifications issued by the Licensee from time-to-time; or*
- (2)** *Require that the meter, MCB/CB and associated equipment be supplied by the Licensee.*

The consumer shall indicate this option in the application form and Licensee shall supply him with the meter specifications. Once the consumer has procured the meter as per the specifications, the Licensee shall test, install and seal the meter.

The Licensee shall make available on its website, specifications of meters and other equipment.

6.4 *The Licensee is authorized to review the status of meters already installed in the context of upgraded technology becoming available and suitability of the site where meter is placed in the consumer's premises.*

6.5 *If supply is provided by the Licensee to different categories of consumers in the same premises, separate meter(s) shall be installed for measurement of energy for each such category.*

6.6 *The Distribution Licensee shall make out a plan for introduction and adoption of new technologies such as pre-paid meters, smart meters, time of the day (TOD)/ frequency-based tariff (FBT) meters, automatic remote meter reading (AMR), Automatic Metering Infrastructure (AMI) system through appropriate communication system.*

6.7 *All the meters to be installed after notification of these Regulations including replacement of meters shall be meters with MDI facility.*

6.8 *If supply to an HT/EHT consumer is given on an independent feeder for his exclusive use, the metering arrangement shall be installed at the sub-station of the Licensee. Further, for all new connections availing supply through independent feeder, Stand-by meter will be installed at consumer's premises at consumer cost to carry out accounting in case of failure of main meter.*

6.9 *Temporary Connections wherever possible shall be released on pre-paid meters.*

Supply and Installation of Meters and MCBs/CBs

6.10 *LT, HT and EHT consumers, if they opt for procurement of meter and related apparatus, shall provide a locked and weatherproof enclosure of a design approved by the Licensee to house the metering equipment including CTs and PTs. In other cases, these shall be included in the estimate and provided by the Licensee.*

6.11 *If the meter is supplied by the Licensee, the Licensee shall be entitled to recover the cost of meter and associated equipment as part of the demand notice. Else, the Licensee shall charge meter rent as approved by the Commission. In case of connections where the meter has been procured by the consumer, no meter rent and meter cost shall be charged from the consumer.*

6.12 *The installation of meter shall be decided in consultation with the consumer. The consumer shall provide suitable and adequate space for installation of the meter in such a manner that it is always accessible to the Licensee or its representatives. In case of multi-storied buildings,*

all the meters shall be fixed preferably on the ground floor/rising mains having proper air ventilation and adequate illumination as per the standards and codes specified.

- 6.13** *Initial installation or replacement of the meter shall be done by the Licensee's representative in the presence of the consumer or his authorized representative, after giving a notice of 3 days.*
- 6.14** *The Licensee shall evolve a format of Meter Particulars Sheet for recording the particulars of the meter at the time of initial installation or replacement. The Licensee shall retain one copy and the second copy, duly signed by the authorized representative of the Licensee, shall be given to the consumer under proper acknowledgment. The consumer or his authorized representative shall also sign the Meter Particulars sheet. Subsequently, details of any faults in the meter, repairs, replacements, etc., shall be entered into the Meter Particulars Sheet by the Licensee or his authorized representative.*
- 6.15** *Whenever a new meter is installed (for a new connection or as a replacement) it shall be sealed in the presence of the consumer. The seal, name plates and distinguishing numbers or marks affixed on the said equipment or apparatus shall not in any way be broken, erased or altered by the consumer. Treatment of meter seals shall be in accordance with the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006 and all subsequent amendments.*
- 6.16** *The consumer shall be responsible for safe custody of meter(s), MCB/CB, etc., if the same are installed within the consumer's premises. The consumer shall promptly notify the Licensee about any fault, accident or problem noticed with the meter.*
- 6.17** *All the unmetered connections including agricultural and streetlights must be metered by the Licensee within a period of six (6) months from the issuance of this Supply Code, 2018.*
- 6.18** *It shall be the responsibility of the Licensee to maintain the meter and keep it in working order at all times. The Licensee may also have a provision for such metering system where the display unit is at the consumer premises and the metering unit is outside the premises such as on a pole, etc. In such cases, the responsibility of safe custody of the metering unit shall lie with the Licensee.*
- 6.19** *The Licensee shall monitor the consumption pattern of the consumer and get the meter checked wherever considered necessary to ensure that the meter is in proper working condition.*
- 6.20** *A consumer may install a check meter of appropriate make and conforming to the technical specifications as laid down in Central Electricity Authority (Installation and Operation of meters) Regulations, 2006. These check meters may be calibrated by the Licensee upon payment of prescribed fee as specified by the Licensee with the approval of the Commission. However, check meter readings shall not be used for billing purpose by the Licensee. Stand-by meter readings shall be used for billing purposes by the Licensee only when the main meter is faulty/burnt, etc.*

Reading of Meters

- 6.21** *The meter shall be read once in every billing cycle and the consumer shall extend all facilities to the Licensee or his authorized representatives to read the meter.*
- 6.22** *The meter shall be read by an authorized representative of the Licensee. The Licensee shall issue proper photo identity cards to all meter readers and meter readers shall carry the photo identity card during the course of meter reading.*
- 6.23** *The meter reader may use hand held instruments, meter reading instrument (MRI) or wireless equipment for recording meter readings and for generation of bills on the spot.*

- 6.24** *It shall be the duty of the meter reader to check the condition of LEDs (light emitting devices) on electronic meters. In case the E/L LED indicator provided on electronic meters is found to be 'ON', the meter reader shall inform the consumer that there is leakage in the premises and advise the consumer to get the wiring checked and leakage removed. The meter reader shall also inform the concerned officials of the Licensee about the leakage.*
- 6.25** *Status of the meter and/or its seal along with the meter reading details for last six billing cycles of each consumer shall be made available on the Licensee's website as well in each bill to be raised by the Licensee.*
- 6.26** *If the meter is inaccessible on two consecutive meter reading dates as per cycles, a notice shall be issued to consumer to keep the meter accessible for reading on the date (at least 7 days after the date of notice) and time specified in the notice..*
- 6.27** *If meter is not made accessible even on the specified date, a notice shall be served on the consumer, if available, or affixed near the main entrance of the premises, to inform the meter reading to Licensee within the next 7 days. Failing this, supply shall be disconnected.*
- 6.28** *The provisions of Regulations 6.26 and 6.27 of this Supply Code, 2018 shall not apply in case of a domestic consumer who has given an advance intimation to the Licensee of the inaccessibility of his meter for reading due to the consumer being out of station and has also deposited an amount in accordance with Regulation 7.22 of this Supply Code, 2018.*
- 6.29** *When a domestic consumer gives prior information in writing about inaccessibility of the meter to the Licensee due to continued absence from residence, the Licensee shall not send any notice/provisional bill to the consumer provided that the consumer pays the fixed charges for such period in advance. Whenever the meter is made accessible by the consumer for taking the meter reading, the entire consumption shall be taken as if the consumption was for the period excluding the intimated period of inaccessibility. This facility shall be available to the consumer if the dues have been up to date.*
- 6.30** *If the consumer desires to have a special reading taken, the same shall be arranged by the Licensee and the charge, as approved by the Commission shall be included in the next bill of the consumer.*

Periodic Testing of Meters

- 6.31** *It shall be the Licensee's responsibility to satisfy itself regarding the accuracy of the meter before it is installed and the Licensee may test them for this purpose. The Licensee shall conduct periodical inspection/testing and calibration of the meters as specified by the Central Electricity Authority (Installation & Operation of Meters) Regulations, 2006 and as amended from time to time.*
- 6.32** *The Licensee shall conduct periodical inspection/testing of the meters as per the following schedule:*
- (1)** Single phase meters: Once every 5 years
 - (2)** LT 3-phase meters: Once every 3 years
 - (3)** HT/EHT meters including MDI: Yearly

Wherever applicable, CT and PT shall also be tested along with meters.

- 6.33** *Test results shall be maintained as per the format given in Annexure IX to this Supply Code, 2018.*

Testing of Accuracy of Meters

- 6.34** *The Licensee shall have the right to test any meter and related apparatus if there is a reasonable doubt about accuracy of the meter. The consumer shall provide the Licensee necessary assistance in conduct of the test.*
- 6.35** *A consumer may request the Licensee to test the meter on his premises if the consumer doubts its accuracy, by applying to the Licensee in the format given in Annexure X to this Supply Code, 2018, along with the requisite testing fee. On receipt of such request, the Licensee shall follow the procedure as detailed in Regulations 6.36 to 6.39 of this Supply Code, 2018.*
- 6.36** *The meter may be tested for accuracy at a third-party facility, if so desired by the consumer. The list of third-party agencies, which are accredited by NABL (National Accreditation Board for testing and Calibration Laboratories) shall be available on the website of the Licensee:*
- Provided that in case of testing on the consumer's request, the consumer shall have to pay the testing fee as per the cost specified by the Licensee with the approval of the Commission:*
- Provided further that if the meter is found to be defective / burnt due to technical reasons attributable to the Licensee, viz., voltage fluctuation, transients, etc., the Licensee shall refund the test fee to the consumer by adjustment in the subsequent bill.*
- 6.37** *Before testing a consumer's meter, the Licensee shall give 7 days' advance notice in urban areas and 10 days' advance notice in rural areas intimating the date, time and place of testing so that the consumer or his authorized representative may be present at the time of testing. The Licensee shall inspect and check the accuracy of the meter within 30 days of receiving the complaint both in urban and rural areas. The Licensee, after testing, if needed, shall replace the meter within 15 days thereafter.*
- 6.38** *The consumer/authorized representative present during testing will sign the test report as a token of witness. In case the consumer / authorized representative is not present, the Licensee's representative and the testing laboratory official shall sign on the test report.*
- 6.39** *The Licensee shall dispatch the test report to the consumer, to be received under acknowledgment, within 7 working days of the date of testing. In case of faulty meter, rectification for a maximum period of six months or from the date of last testing, whichever is later, on the basis of the test report, shall be adjusted or accounted for in the subsequent bill.*
- 6.40** *If a consumer disputes the results of testing, the consumer may represent to the Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF).*

Cost of Replacement of Defective/ Burnt/ Lost Meters

- 6.41** *If, as a result of testing, it is established that the meter became defective/burnt due to technical reasons, viz., voltage fluctuation, transients, etc., attributable to the Licensee, the cost of the meter shall be borne by the Licensee.*
- 6.42** *If, as a result of testing, it is established that the meter was rendered defective/burnt due to reasons attributable to the consumer such as defect in consumer installation, connection of unauthorized load by the consumer, etc., the cost of the meter shall be borne by the consumer as specified below:*
- (1)** *If the meter was owned by the consumer, the Licensee shall inform the consumer to replace the meter and associated equipment as per provisions of Regulations 5 to 6.4 of this Supply Code, 2018 within 7 days, after which the Licensee may be empowered to install a new meter and seek additional security deposit and start charging meter rent, if applicable;*
 - (2)** *If the meter was owned by the Licensee, the Licensee shall install a new meter at*

its own cost and recover the cost of the burnt meter from the consumer in proportion of the remaining useful life of the meter (useful life of the meter as per the depreciation schedule of the Commission - number of years after date of first instalment of the aforesaid meter) that was rendered defective/burnt:

Provided further that if, as a result of testing, it is established that the meter was rendered defective/burnt due to tampering or any other deliberate act by the consumer to interfere with the meter, the consumer shall be assessed as per Regulation 8.50 of this Supply Code, 2018 and action as permissible under law shall be taken against the consumer for pilferage and tampering.

- 6.43** *The meter may be tested at a third-party facility, if so desired by the consumer. The list of third-party agencies, which are accredited by NABL (National Accreditation Board for testing and Calibration Laboratories) shall be available on the website of the Licensee.*

Provided that in case of testing on the consumer's request, the consumer shall have to pay the testing fee as per the cost specified by the Licensee with the approval of the Commission:

- 6.44** *In case of loss of meter, the cost of new meter and other apparatus shall be borne by the consumer unless the meter was installed outside consumer premises. The Licensee shall recover the cost of the meter from the consumer in proportion of the remaining useful life of the meter that was lost.*

The Licensee shall attend the complaint of consumers for defective / stuck meter within 15 days of receiving the complaint and after testing, if needed, shall replace the meter within 15 days thereafter.

Replacement of Meters (including MDI) Not Recording

- 6.45** *The consumer is expected to intimate the Licensee as soon as it comes to the notice of the consumer that the meter has stopped or is not recording.*
- 6.46** *If during periodic or other inspection any meter is found to be not recording by the Licensee, or a consumer makes a complaint in this regard, the Licensee shall follow the procedure detailed in Regulations 6.37 to 6.39 of this Supply Code, 2018.*
- 6.47** *If the meter is actually found to be not recording, the Licensee shall replace the non-working (stuck, running slow, fast or creeping) meter within 15 working days.*

Replacement of Burnt Meters

- 6.48** *In case a meter is found burnt either on consumer's complaint or upon inspection by the Licensee, the Licensee shall restore the supply within 6 hours of receipt of the complaint or inspection by the Licensee, bypassing the burnt meter after ensuring that necessary preventive action at site is taken to avoid future damage.*
- 6.49** *If the meter is burnt due to causes attributable to the Licensee, the Licensee shall replace the burnt meter within 5 working days of receiving the complaint.*
- 6.50** *If the meter is burnt due to causes attributable to the consumer such as tampering, defect in consumer's installation, connecting unauthorized additional load, etc., the procedure laid down in Regulation 6.42 shall be followed with respect to replacement of meter. The Licensee shall serve a notice to the consumer for recovery of cost of the meter within 7 working days of detection and shall replace the meter within 15 working days of receiving payment from the consumer and after necessary corrective action is taken to avoid future damage to the meter. In case the consumer does not replace the meter or pay within the stipulated time for*

replacement of meter, the consumer shall be served notice for disconnection within 7 days of expiry of the specified period. Failure to comply with the same shall lead to disconnection with immediate effect.

Replacement of Lost Meters

6.51 *Complaints regarding lost meters shall be entertained by the Licensee only if they are accompanied by a copy of the FIR lodged by the consumer with police. In all such cases, the Licensee shall also conduct an inquiry.*

Supply in such cases shall be restored after installation of a new meter, payment of electricity charges for the period in which meter was not available and any other prescribed charges that may be approved by the Commission. Electricity charges for the period in which the meter was not available shall be assessed as per Regulation 7.14 of this Supply Code, 2018.

Chapter-7

7. BILLING

General

7.1 *Tariff and charges for supply of electricity shall be determined by the Commission from time to time. The Licensee shall intimate the consumer, in the beginning of the financial year, the following:*

- (1) *Billing cycle, which shall be monthly for all categories of consumers except agricultural consumers, i.e., pump set connections, in which case, depending upon the local conditions, the Licensee shall specify the billing cycle separately with the approval of the Commission.*

In case of consumers with LT single phase supply, if the Licensee experiences difficulty in monthly billing of such a large number of consumers, it may carry out the billing on bi-monthly basis (i.e., once in two months) with the approval of the Commission. The Commission may consider the difficulties of the Licensee and may approve the billing on bi-monthly basis for a limited time period beyond which the billing cycle shall be on monthly basis.

- (2) *Probable week in which bill shall be issued by the Licensee in every billing cycle;*
- (3) *Probable due dates for payment of bill; and*
- (4) *Rebates applicable to consumers, if any.*

7.2 *Provided that the due date for bill payment through cheques shall be 3 working days in advance of the normal due date for cash payment. The Licensee shall also intimate the consumer of bill dispatch through SMS and/or email, if the consumer has furnished requisite details. The billing details of last six bills (including the latest bill) for all consumers shall also be made available on the Licensee's website along with payment receipt details.*

7.3 *The Licensee may explore an option of introducing Spot Billing to domestic and commercial consumers in its area of supply.*

7.4 *The Licensee shall issue the first bill within two billing cycles of energizing a new connection. In case the consumer does not receive the first bill within two billing cycles from the date of energization of the connection, the consumer shall complain, in writing, to the Licensee's office and the Licensee shall issue the bill within the next 14 days.*

7.5 *The bill will be delivered to the consumer immediately in case of spot billing under acknowledgment by the consumer. In all other cases, the Licensee shall ensure that the bill is delivered to the consumer by hand/post/courier at least 15 days prior to the due date of payment.*

7.6 *If a consumer does not receive the bill within 7 days of the probable bill issue date, the consumer may obtain a duplicate bill from the concerned billing office of the Licensee or download it from the website of the Licensee. However, the responsibility of delivering the bill to the consumer lies with the Licensee only. The Licensee shall issue a duplicate bill immediately if the consumer contacts the Licensee's office in person/ telephonically, or on the date of acknowledgement if received by post..*

7.7 *The following information shall be included in the bill:*

- (1)** Address and telephone number of the billing office / distribution centre;
- (2)** Service Connection Number;
- (3)** Bill Number and Period of Bill;
- (4)** Consumer Number, Name and Address;
- (5)** Pole Number from which connection is served / Name of sub-division or centre;
- (6)** Date of issue of Bill;
- (7)** Tariff category of consumer (i.e., domestic, commercial, etc.);
- (8)** Tariff, rate of electricity duty and cess applicable;
- (9)** Status of meter (OK/defective/not available);
- (10)** Billing Status (Regular/ Assessed/ Provisional Bill with reason)
- (11)** Supply details:
 - a) Type of supply (i.e., single phase, three-phase LT or HT)
 - b) Contracted load/ Connected load
- (12)** Meter number and identification details of meter (in case the meter was replaced during the billing period, the bill must indicate the meter numbers of new as well as old meter, date of replacement, final reading of old meter and initial reading of new meter at the time of replacement of meter);
- (13)** Initial meter reading with date;
- (14)** Final meter reading with date;
- (15)** Multiplying Factor of the meter, if any;
- (16)** Units consumed;
- (17)** Maximum Demand;
- (18)** Power Factor, if applicable;
- (19)** Due date of payment (separately specified for payment by cash, cheque, Credit/Debit Card, etc., if necessary) and date of payment with prompt rebate;
- (20)** Security Deposit deposited by consumer;

(21) Billing details: Item-wise details for the current month as well as past arrears shall be furnished in the bill. A representative list is given below:

- a) Energy Charges;
- b) Fixed Charges;
- c) Meter rent, if any;
- d) Capacitor surcharges;
- e) Other Charges, if any;
- f) Electricity Duty;
- g) Fuel price purchase adjustment charges;
- h) Power factor adjustment charges, if any;
- i) Reactive Energy Charges, if any;
- j) Surcharge for delay, if any;
- k) Interest on instalments due;
- l) Total current month demand;
- m) Arrears (with details);
- n) Details of Subsidy, if any, under Section 65 of the Act;
- o) Others (with details);
- p) Total amount due;
- q) Adjustment;
- r) Net amount to be paid;
- s) Modes of payment accepted;
- t) In case of cheques and bank drafts, the receiving authority in whose favour the amount should be drawn;
- u) Amount of Security Deposit held and required;
- v) Consumption details of last six readings.

7.8 *The following information shall be provided on the reverse of the bill, if not provided on the front or stamped on the bill or be sent in an annexure accompanying the bill at least twice a year:*

- (1)** Address(es) of collection centre(s) and working hours for collection of bill payments, including the date and time of presence of the mobile van, if any, at different venues for collection of bill payments;
- (2)** Designation and address of the authority with whom grievance/complaints pertaining to bills can be lodged;
- (3)** Complete address(es) with telephone number(s) of the complaint centres, if any;
- (4)** Addresses and telephone numbers of CGRFs as well as that of the Ombudsman constituted under Section 42 sub- clause 6 of the Act;
- (5)** Tariff Schedule applicable to the consumer; and
- (6)** Information relating to safety, Energy conservation, prevention of theft, etc.

7.9 *The bill may contain additional information, if any, as desired by the Licensee.*

7.10 *The Licensee shall ensure adequate publicity of the addresses/locations and working hours of the collection centres including those of banks wherein consumers can make payments.*

- 7.11** *In all cases not covered by the Spot Billing system, if the Licensee is not able to read the meter, a provisional bill may be issued on the basis of the consumption for the corresponding period of the previous year wherein the meter was functional. However, the Licensee shall ensure that such provisional billing does not extend to more than two billing cycles at a stretch, and there are not more than two provisional bills generated for a consumer during one financial year. If the premises of the consumer is inaccessible for more than two billing cycle, a notice is to be affixed in the premises of the Consumer for temporary disconnection. If within 30 days from the affixation of such notice, if the consumer fails to make arrangement for meter reading, the supply shall be temporarily disconnected after giving one-month notice. The provisional bills shall be adjusted on the basis of the subsequent actual meter reading.*

In case of new connection for which one-year data is not available, the consumption for the purpose of provisional billing shall be computed by considering the load factor as specified for that category in Annexure XVIII of these Regulations.

Billing in case of defective/stuck/stopped/burnt meter

- 7.12** *In case of defective/stuck/stopped/burnt meter, the consumer shall be billed on the basis of higher of monthly consumption of corresponding month of the previous year and average monthly consumption of immediately preceding three months. These charges shall be leviable for a maximum period of three months only during which time the Licensee is expected to have replaced the defective meter.*
- 7.13** *In case, the Maximum Demand Indicator of the meter at the consumer's installation is found to be faulty or not recording at all (unless tampered), the Demand Charges shall be calculated based on maximum demand during corresponding months/billing cycle of previous year, when the meter was functional and recording correctly. In case, the recorded maximum demand of corresponding month/billing cycle of past year is also not available, the maximum demand shall be calculated based on the load factor as per the mechanism specified in Annexure XIX of the Supply Code, 2018.*

Billing in case of Lost Meters

- 7.14** *In case of meters reported as lost, electricity charges for the period for which the meter was not available shall be assessed as below:*
- (1)** *As per Regulation 8.50 of this Supply Code, 2018, if it is established in the Licensee's enquiry that the loss of meter was due to a deliberate act of the consumer and/or with his connivance;*
 - (2)** *As per Regulations 7.12 and 7.13 of this Supply Code, 2018, in other cases.*

Special Reading and Billing of Meters in cases of Change of Occupancy or Vacancy of Premises for Domestic Consumers

- 7.15** *It shall be the responsibility of the consumer to get a special reading done by the Licensee at the time of change of occupancy or on the premises falling vacant and obtain a No-Dues certificate from the Licensee.*
- 7.16** *The consumer shall request in writing to the Licensee for special reading to be taken at least 15 days in advance of the said vacancy of premises or change of the occupancy, as the case may be. However, the Licensee may accept a notice of shorter period.*
- 7.17** *The Licensee shall arrange to take a special reading of the meter within 5 days of receiving the consumer's written request and issue a final bill including all arrears till the date of billing, at least 5 days before change of occupancy / vacancy of premises. The final bill thus*

raised shall mention that no other dues are pending on the premises and the bill is final. The final bill shall also include charges for the period between the date of special reading and date of vacancy of premises on a pro-rata basis.

- 7.18** *Once the final bill is raised, the Licensee shall not have any right to recover any charge(s) other than those in the final bill, for any period prior to the date of such bill. The Licensee shall disconnect supply to the premises on its vacancy. It shall be the responsibility of the consumer to make the final payment on vacating the premises and the Licensee shall accordingly issue a No-Dues Certificate on receiving such payment. However, in case of change of occupancy, the connection shall not be disconnected and after completing the commercial formalities for change of name, the same shall be affected.*

Payment on Self-Assessment by the Consumer

- 7.19** *In case of non-receipt of bill, the consumer may deposit self-assessed bill in the format prescribed in Annexure XII to this Supply Code, 2018 for the period for which bill has not been received, provided that it is not less than the average consumption during the billing cycle over the last six months. The excess/deficient payment so made by the consumer shall be adjusted in the next bill.*
- 7.20** *In case of dispute regarding levy of surcharges, the Licensee shall settle the dispute within one billing cycle from the date of protest by the consumer after giving him an opportunity of being heard.*

Advance Payment of Bills

- 7.21** *In case a consumer's premises remains vacant for some duration and the consumer intends to make advance lump sum payments from which the billed amount may be deducted periodically, the consumer can apply to the Licensee in the format prescribed at Annexure XIII to this Supply Code, 2018.*
- 7.22** *In such cases, the consumer shall deposit an amount that covers the fixed charges for the duration of the proposed absence. Such provisional payment shall be adjusted when subsequent bill is issued on the basis of actual meter reading.*
- 7.23** *Bills of the consumers opting for this arrangement shall be showing the amount deposited by the consumer, amount adjusted against the electricity dues after each billing cycle and the balance left. On the amount remaining outstanding from such advance deposits, interest shall be paid at the State Bank of India's prevailing interest rate for Savings Bank account. This interest computation will be done quarterly.*

Billing in case of Disputed Bills

- 7.24** *On receipt of the complaint in case of disputed bills in person, the Licensee shall issue a written/electronic acknowledgment on the spot or within three days of receipt, if received by post and give a complaint number for reference.*
- 7.25** *If no additional information is required from the consumer, the Licensee shall resolve the consumer's complaint and intimate the result to the consumer within 7 days of receipt of the complaint. In case, any additional information is required, the same shall be obtained, the issue resolved and result intimated to the consumer within 7 days of receipt of the additional information. However, if the consumer does not provide information on time, the Licensee shall not be held liable for the consequent delay. Till the complaint on the bill is resolved, the consumer shall pay the amount based on average consumption of corresponding period of the previous year when the meter was functional. Amount so recovered shall be subject to final adjustment on resolution of the complaint.*

- 7.26** *If the complaint is found to be correct by the Licensee, a revised bill shall be issued within 5 working days of intimation of the same to the consumer. The consumer shall make the payment within 15 days after receipt of the revised bill. The consumer shall not be charged any late payment surcharge, if the payment is made by the revised due date.*
- 7.27** *If the complaint was found to be incorrect the consumer shall be notified and directed to make the payment as per the original bill immediately and the consumer shall be liable to pay late payment surcharge if the payment is made after the due date of the original bill.*
- 7.28** *Consumers, who intend to get the special meter reading conducted, shall pay the requisite fee for the same as approved by the Commission from time to time.*

Billing in case of Excess Load

- 7.29** *The billing for excess load shall be made as approved by the Commission.*

Payment of Bills

- 7.30** *Consumer may pay the bill by cash (up to Rs. 5,000), Cheque, Demand Draft or Debit / Credit Card, banker's cheque, Electronic Clearing System, net banking, drop boxes, etc. Cheques and Demand Drafts shall be payable at any branch of a scheduled commercial bank that is a member of the clearing house for the area where the concerned Sub Divisional Office is located. The date of depositing of the cheque by the consumer, shall be deemed to be the date on which the payment is received in the Licensee's account.*
- 7.31** *The payment may be made*
- (1)** *In person at the designated collection offices of the Licensee during specified times; or*
 - (2)** *By post or courier; or*
 - (3)** *by deposit in the drop-boxes maintained by the Licensee at designated locations; or*
 - (4)** *By bank transfer through the internet; or*
 - (5)** *By any other scheme accepted by the Licensee for acceptance of bill payment.*
- 7.32** *The Licensee shall establish sufficient number of collections centres at suitable locations with necessary facilities where consumer can deposit the bill amount with ease and without undue congestion. Wherever necessary, separate collection counter should be provided for senior citizens, physically challenged person and women, preferably at the ground floor.*
- 7.33** *The Licensee may issue a disconnection notice in writing, as per Section 56 of the Act, to any consumer who defaults on his payment of dues, after giving him a notice period of 15 clear days to pay the dues.*

In case a cheque is dishonoured, the Licensee shall inform the consumer and require him to pay the bill within 7 days in cash. The consumer shall be liable to pay the late payment surcharge, as applicable, as well as a charge on account of the dishonour of the cheque/non-realization of the draft. If there are two instances of dishonour of cheques/draft of a consumer in a financial year, the consumer shall be required to make all payments through net banking till the end of the following financial year. In addition, the Licensee may have the option to initiate action against the consumer as per the legal provisions of the Negotiable Instruments Act.

- 7.34** *In addition to the mode of payments specified in Regulation 7.30 of this Supply Code, 2018, the Licensee may notify schemes for acceptance of bill payment through Electronic Clearing*

System or at designated counters of a bank or through credit/debit cards or through any other means in a specified area and/or for a specified category of consumers, after due notice is given to consumers. However, any change in the mode of payment shall be consumer friendly.

- 7.35** *Where the due date indicated for payment on the bill falls on a Sunday or a public holiday, the payment shall become due on the next working day.*

Receipt of bill payment

- 7.36** *Receipt shall be given to the consumer for payment of bills made in person. In all cases, payments shall be acknowledged in the next bill.*

Utilization of the Amount Received

- 7.37** *All payments made by the consumer will be adjusted in the following order of priority:*

- (1)** *Late payment surcharge;*
- (2)** *Arrears of electricity charges and corresponding arrears of electricity duty/ tax;*
- (3)** *Current electricity charges and corresponding current electricity duty/tax;*
- (4)** *Miscellaneous charges.*

Late Payment Surcharge

- 7.38** *Surcharge for delayed payment shall be levied as per the prevailing Tariff Order.*

Instalment Facility

- 7.39** *The Licensee may frame a scheme for providing facility of payment of bills in instalments for consumers who are for the time being under financial distress to continue the supply of electricity. Late payment surcharge shall however, be levied on the amount paid after the due date.*

Recovery of Arrears

- 7.40** *No sum due from any consumer, on account of default in payment shall be recoverable after the period of two years from the date when such sum became first due unless such sum has been shown continuously as recoverable as arrear of charges for electricity supplied.*

Further, dues of any consumer (if any) pending for a period more than 6 months can be transferred to another installation of the same consumer after thorough verification by the Licensee, i.e., proof that the both consumers are same.

Chapter-8

8. THEFT AND UNAUTHORIZED USE OF ELECTRICITY

Theft of Electricity

- 8.1** *Whenever a case of theft of energy is detected, the Authorized Officer shall carry out assessment, in accordance with the procedure as laid down in the clauses below:*

Procedure for booking a case of theft of electricity

8.2 *The Licensee or supplier shall publish the list of the Authorized Officers prominently in all the Offices and its website and the Photo Identity Card issued to such officers shall indicate so for inspection of any place or premise, as per Section 135(2) of the Act.*

8.3 *An Authorized Officer, suo-moto or on receipt of reliable information regarding theft of electricity, shall promptly conduct inspection of such premises after prior intimation to Executive Engineer (SE) of that area:*

Provided that in cases where EE is not appointed; prior intimation shall be provided to the concerned Assistant Engineer:

Provided further that no inspection, search and seizure of any residential premises shall be carried out between sunset and sunrise, except in the presence of an adult male member occupying such premises.

8.4 *The inspection team of the Licensee or supplier, headed by such Authorized Officer shall carry along with them their Photo Identity Cards. Photo Identity Card should be shown to the consumer/consumer representative before entering the premises. Photo Identity Card of the Authorized Officer shall clearly indicate that he has been nominated as Authorized Officer as per provisions of Section 135 of the Act.*

8.5 *While conducting inspection, the Authorized Officer and his team shall follow the provisions of sub-sections 2, 3 and 4 of Section 135 of the Act.*

8.6 *As far as possible, the events of inspection shall be photographed / video graphed. In cases, where significant law and order problem is anticipated, the Authorized Officer inspecting the premises shall immediately seek assistance from his senior officer(s) and also call for police help. In such cases all events shall be recorded through video camera.*

8.7 *If such entry or inspection reveals nothing to indicate the commission of or engagement in any act of theft of electricity by the person / consumer, the Authorized Officer, the employees accompanying him and the Licensee shall not be liable for any alleged loss or inconvenience caused to the person/consumer on account of such entry, inspection and search.*

8.8 *The Authorized Officer shall prepare a report giving details such as connected load, condition of meter seals, working of meter and mention any irregularity noticed (such as tampered meter, artificial means adopted for theft of energy).*

8.9 *The report shall clearly indicate whether sufficient evidence substantiating the theft of energy was found or not. The details of such evidence should be recorded in the report.*

8.10 *No case for theft shall be booked only on account of seals on the meter missing or tampered or breakage of glass window, unless corroborated by consumption pattern of consumer and such other evidence as may be available.*

8.11 *In case sufficient evidence is found to establish direct theft of electricity, Licensee or Supplier as per Section 135 sub-clause (1A) of the Act shall disconnect the supply and seize all material evidence including wires/cables, meter, service line, etc., from the premises and shall lodge a complaint in writing relating to the commission of such offence in police station having jurisdiction within 24 hours from the time of such disconnection.*

8.12 *In case of suspected theft, the Authorized Officer shall remove the old meter under a seizure memo and seal it in the presence of the consumer or his authorized representative and the Authorized Officer and the consumer have to sign on the seal borne on the meter.*

8.13 *The Licensee or supplier shall continue the supply to the consumer with a new meter. The old meter shall be tested in the presence of the consumer or his authorized representative and the*

Authorized Officer at the Licensee's testing lab, which shall give a test report, in writing, which along with photographs / videos shall constitute evidence thereof. The Authorized Officer shall record reasons to suspect theft in the premises in his report:

Provided that if consumer requests, the testing of the meter will be carried out at a NABL (National Accreditation Board for testing and Calibration Laboratories) accredited third-party testing facility at the cost of consumers.

- 8.14** *The report shall be signed by the Authorized Officer and each member of the inspection team and the same must be handed over to the consumer or his/her representative at site immediately under proper receipt. In case of refusal by the consumer or his Authorized representative to either accept or give a receipt, a copy of the inspection report must be pasted at a conspicuous place in/outside the premises and photographed. Simultaneously, the report shall be sent to the consumer through Registered Post/Speed Post on the day or the next day of the inspection:*

Provided that in case of suspected theft, if the consumption pattern for last one year is reasonably uniform and is not less than 75% of the assessed consumption, no further proceedings shall be taken and the decision shall be communicated to the consumer under proper receipt within three days.

- 8.15** *After detailed examination of the evidence and the consumption pattern of the consumer, if the Licensee or supplier is convinced that a prima-facie case is made out for the abstraction, consumption or use of electricity dishonestly against the consumer, the Licensee or supplier shall, within 7 days of inspection, serve a provisional assessment order assessed as per Regulation 8.25 of this Supply Code, 2018 along with show cause notice to the consumer, giving reasons, as to why a case of theft should not be booked against such consumer giving full details for arriving at such decision and points on which reply has to be submitted. The notice should clearly state the time, date and place at which the reply has to be submitted and the designation of the person to whom it should be addressed.*
- 8.16** *In case a show-cause notice is not served even after 30 days from date of inspection by the Licensee or supplier, the case of suspected theft shall be considered as dropped and no further action can be initiated against the consumer.*
- 8.17** *Theft shall not be limited to physical interference with the meter found during physical inspection. It shall also include theft committed by resorting to external methods such as remote control, high voltage injection, etc., which interfere with the accurate recording of energy consumed. Theft of electricity may be established by analysis of metering data down-loaded by the Licensee. In case the consumer requests for the testing of meter or analysis of metering data down-loaded by a third-party facility accredited by the NABL, the cost of such testing/analysis by third party shall be borne by the consumer. In case theft of energy is determined by way of meter down load, the provisional assessment order assessed as per Regulation 8.25 of this Supply Code, 2018 along with show-cause notice will be sent to the consumer/user. The notice should clearly state the time, date and place at which the reply has to be submitted and the designation of the person to whom it should be addressed.*
- 8.18** *The person, on whom an order has been served under Regulations 8.15 and 8.17 of this Supply Code, 2018, shall be entitled to file objections, if any, against the provisional assessment before the Assessing Officer, who shall, after affording a reasonable opportunity of hearing to such person, pass a final order of assessment.*

Submission of consumer's reply

- 8.19** *The consumer shall submit his/her reply within 15 days of receipt of show cause notice to the concerned officer mentioned in Regulations 8.15 and 8.17 of this Supply Code, 2018.*

- 8.20** *In such cases where the consumer files objections against the provisional assessment order, the process of hearing shall be as per Regulations 8.21 and 8.22 of this Supply Code, 2018.*

Hearing in case of suspected theft

- 8.21** *Within 5 working days from the date of submission of consumer's reply, the Licensee or Supplier shall arrange a hearing with the consumer. The consumer may be given another opportunity in case the consumer fails to appear for the hearing. In case, the consumer fails to appear for the second time, the Licensee may proceed against the consumer.*
- 8.22** *During the hearing, the Assessing Officer shall give due consideration to the facts submitted by the consumer and pass, within 5 working days, an order as to whether the case of theft is established or not. The order shall contain the brief of inspection report, submissions made by consumer in his written reply and oral submissions during hearing and reasons for acceptance or rejections of the same.*
- 8.23** *In all cases where theft of electricity has been detected, the Licensee or Supplier shall file the case with Special Courts established under Section 153 of the Act.*
- 8.24** *In case of the decision based on the consumer's reply/hearing wherein the case of theft is not established, no further proceedings shall be required.*

Assessment

- 8.25** *The Assessing Officer of the Licensee or the Supplier as defined under Section 126 of the Act, notwithstanding the criminal action taken under Section 135 of the Act for theft of electricity, shall assess the energy consumption as per the assessment formula given in Annexure XIX to this Supply Code, 2018, for the entire period during which such theft of electricity has taken place and if, however, the period during which such theft of electricity has taken place cannot be ascertained, such period shall be limited to 12 months immediately preceding the date of inspection and prepare an assessment order on applicable tariff. After assessing the energy consumption as per the assessment formula given in Annexure – XIX to these Regulations, the Licensee shall prepare a final assessment bill equal to two times of the tariff applicable and serve upon the consumer notices containing the following information:*
- (1)** *The details relating to the inspection carried out by the Authorized Officer including the dates and timings, list of material seized and any other relevant fact;*
 - (2)** *Details of the energy consumption assessed on account of theft of electricity, the period for which assessment has been made and the amount to be deposited by the consumer/person (amount calculated formula given in Annexure – XIX to these Regulations).*
- 8.26** *In case of a regular metered connection, where a case of theft of electricity is detected, units recorded in the meter for which bills have been raised by the Licensee to the person during the period, for which the assessment is made, shall be duly credited to the consumer.*
- 8.27** *The consumer shall be required to make the payment within 7 days of its receipt.*
- 8.28** *The Licensee or Supplier, as the case may be, on deposit or payment of the assessed amount or electricity charges in accordance with the provisions of these Regulations, shall, without prejudice to the obligation to lodge the complaint as referred to in the second proviso to the clause (1A) of Section 135 of the Act, restore the supply line of electricity within forty-eight hours of such deposit or payment.*
- 8.29** *If the person does not make payment within the stipulated time, the Licensee or supplier shall proceed to recover its dues against the assessment order.*

- 8.30** *In case of default by the person in payment of assessed amount, the person, in addition to the assessed amount, shall be liable to pay, on expiry of thirty days from the date of order of assessment, an amount of interest at the rate of 16% per annum compounded every 6 months pending adjudication by Appropriate Court.*

Default in payment of assessed amount or instalments thereof

- 8.31** *In case of default in payment of the assessed amount, the Licensee will, after giving 15 days' notice, in writing, file a case against the consumer in the designated Special Court as per the provisions of Section 135 of the Act.*

Voluntary Declaration of Tampered Meters

- 8.32** *In case a consumer comes forward and voluntarily declares tampering of meter and/or seals:*

- (1) The tampered meter shall be replaced with a new meter by the Licensee at the consumer's cost or by the consumer, as the case may be, immediately and the Licensee shall raise the assessment bill at two times the normal tariff for the period of last six months reckoned from date of declaration;
- (2) The energy bill, for the period the meter is not replaced, shall be sent as per the procedure for defective meters;
- (3) The Licensee shall not move the Special Court in case a consumer voluntarily declares the tampered meter and pays the requisite charges in time;
- (4) In case of default in payment, the procedure for booking the theft case may be followed.

Unauthorized Use of Electricity (UUE)

Cases to be treated as Unauthorized Use of Electricity

- 8.33** *The following acts on the part of consumer are to be considered as unauthorized use of electricity for the purpose of assessment under the provisions of Section 126 of the Act;*

- (1) By any artificial means; or
- (2) By a means not authorized by the concerned person or authority or Licensee; or
- (3) Through a tampered meter; or
- (4) For the purpose other than for which the usage of electricity was authorized; or
- (5) For the premises or areas other than those for which the supply of electricity was authorized.

- 8.34** *Cases not to be treated as unauthorized use of electricity:*

- (1) If connected load of any consumer (including domestic consumer) is found to be at variance from the sanctioned/contracted load as a result of increase of load or due to any replacement of lamps, fans, fuses, switches, low voltage domestic appliances, fittings, etc., it shall neither fall under unauthorized use of electricity (Section 126 of Act 2003) nor under theft of electricity (Section 135 of Act 2003);
- (2) Supply to activities incidental to main activity, for example supply to chemist shop in

nursing homes and hospitals, tea shops, canteens, employee cooperative stores, dispensaries, puncture shops in petrol pumps, etc., provided that the connected load for such activities remains within 5% of the sanctioned load or 5 kW, whichever is less;

- (3) In case of domestic/non-domestic connection(s), extension of supply from the connection to other portion of the building/plot including for servant quarters, own parking garages or for social requirements relating to personal religious functions, sports, etc., in residential areas so long as the supply is not extended to any portion for which the connection has been disconnected due to non-payment of dues and there is no change in the category of use;
- (4) Professionals such as Doctors, Engineers, Lawyers, CAs, Journalists and Consultants practicing from their residence irrespective of location provided that such use shall not exceed 25% of the area of the premises or as specified in the rules/regulations of their respective State or Union Territory;
- (5) For cottage and commercial activities operating in residences such as repair of shoes by cobbler, dhobi, ironing of clothes, stitching/knitting, paan-shop and bakery products, small shops, tea shops, etc., with total load (maximum demand) of 5 kW, domestic tariff shall be applicable, subject to the installation of MDI Meters. In cases where total load is more than 5 kW, separate metering shall be done for commercial and domestic use, and consumption shall be charged according to the applicable tariff;
- (6) In industrial or commercial premises where the supply is used by one or more persons where partition in business takes place or division in the family occurs or where user of the connection changes due to succession.

Procedure for booking a case for Unauthorized Use of Electricity

- 8.35 *The Licensee or Supplier shall publish the list of Assessing Officers, prominently in all the Offices and its website and issue Photo Identity Card to such officers.*
- 8.36 *An Assessing Officer, suo-moto or on receipt of reliable information regarding unauthorized use of electricity, shall promptly conduct inspection of such premises and shall be present at the time of conducting inspection of such premises.*
- 8.37 *The inspection team of the Licensee, headed by such Assessing Officer shall carry along with them their Visiting Cards and Photo Identity Cards. Photo Identity Card should be shown and Visiting Card handed over to the consumer before entering the premises.*
- 8.38 *The Assessing Officer shall prepare a report giving details such as connected load, condition of seals, working of meter and mention any irregularity noticed (such as, artificial means adopted for unauthorized use of electricity).*
- 8.39 *The report shall clearly indicate whether sufficient evidence substantiating unauthorized use of electricity was found or not. The details of such evidence should be recorded in the report and the material utilized for the purpose shall be kept as evidence.*
- 8.40 *The report shall be signed by the Assessing Officer, each member of the inspection team and by the consumer, if the consumer fails to sign the report then the same has to be recorded in the inspection report and the report must be handed over to the consumer or his/her representative at site immediately under proper receipt. In case of refusal by the consumer or his/her representative to either accept or give a receipt, a copy of inspection report shall be pasted at a conspicuous place in/outside the premises and photographed. Simultaneously, the report shall be sent to the consumer under Registered Post/Speed post on the day or the next day of the inspection.*
- 8.41 *Within three working days of the date of inspection, the Assessing Officer shall analyse the case after carefully considering all the evidence including the consumption pattern, wherever*

available and prepare the report of inspection. If it is concluded that no unauthorized use of electricity has taken place, no further action will be taken.

Notice to consumer

- 8.42** *If the Assessing Officer suspects that the unauthorized use of electricity has taken place, he shall serve a provisional assessment order assessed as per Regulations 8.49 and 8.50 of Supply Code, 2018 along with show cause notice to the consumer, giving reasons as to why a case of unauthorized use of electricity should not be booked against such consumer.*

The show-cause notice should clearly state the time, date and place at which the reply has to be submitted and the designation of the person to whom it should be addressed.

- 8.43** *The person, on whom an order has been served under Regulation 8.42 of this Supply Code, 2018, shall be entitled to file objections, if any, against the provisional assessment before the Assessing Officer, who shall, after affording a reasonable opportunity of hearing to such person, pass a final order of assessment.*

- 8.44** *If the provisional assessment amount is deposited within 7 days of serving such provisional assessment order on the consumer, reply to the notice shall not be necessary.*

Submission of Consumer's Reply

- 8.45** *The consumer shall submit his reply within 15 days of receipt of show cause notice to the concerned officer mentioned in Regulation 8.42 of this Supply Code, 2018.*

- 8.46** *In such cases where the consumer files objections against the provisional assessment order, the process of hearing shall be as per Regulations 8.47 and 8.48 of this Supply Code, 2018.*

Hearing in case of suspected unauthorized use of electricity

- 8.47** *Within 5 days from the date of submission of consumer's reply, the Licensee shall arrange a hearing with the consumer.*

- 8.48** *During the hearing, the Assessing Officer shall give due consideration to the facts submitted by the consumer and pass, within 5 working days, an order as to whether the case of unauthorized use of electricity is established or not. The order shall contain the brief of inspection report, submissions made by consumer in his written reply and oral submissions during hearing and reasons for acceptance or rejections of the same.*

Assessment

- 8.49** *Where it is established that there is a case of unauthorized use of electricity based on consumer's reply submission/hearing, the Assessing Officer shall assess the energy consumption taking into consideration the following:*

- (1)** **Period of assessment:** If the Assessing Officer reaches to the conclusion that unauthorized use of electricity has taken place, the assessment shall be made for the entire period during which such unauthorized use of electricity has taken place and if, however, the period during which such unauthorized use of electricity has taken place cannot be ascertained, such period shall be limited to a period of 12 months immediately preceding the date of inspection;
- (2)** **Assessment charge:** The assessment shall be limited to twice the financial loss caused to the Licensee for the period during which the unauthorized use has taken place, i.e., two times the difference of the electricity charges required to be paid by the consumer as per the relevant category of tariff and electricity charges actually paid during the period, subject to a maximum period of 12 months;

- (3) If a consumer is found indulging in more than one act of unauthorized use of electricity, the charges payable by the consumer in respect of each such unauthorized use shall be separately assessed and billed accordingly.
- 8.50** *The Assessing Officer of the Licensee or the Supplier as defined under Section 126 of the Act, notwithstanding the criminal action taken under Section 135 of the Act for theft of electricity, shall assess the energy consumption as per the assessment formula given in Annexure XIX to this Supply Code, 2018.*
- 8.51** *The final assessment order shall be served on the consumer under proper receipt. The consumer shall be required to make the payment within 7 days of its proper receipt. A copy of the order shall also be handed over to the consumer under proper receipt.*
- 8.52** *The order of final assessment shall be served upon the person in occupation or possession or in charge of the place or premises in such manner as prescribed by the State Government under Section 126(2) of the Act.*
- 8.53** *Any person served with the order of final assessment, may, accept such assessment and deposit the assessed amount with the Licensee within 7 days of service of assessment order upon him.*
- 8.54** *In case of non-payment of bill amount within 7 days of serving the final assessment order, the connection will be disconnected by serving a 15 days' notice, which will not be reconnected until the assessed amount is deposited. In case of non-payment, the amount will be shown as arrear in the regular bill.*
- 8.55** *When a consumer defaults in making payment of assessed amount, the consumer in addition to the assessed amount, shall be liable to pay, on the expiry of 30 days from the date of order of assessment, an amount of interest at the rate of 16% per annum compounded every 6 months.*

Appeal to Appellate Authority

- 8.56** *Any person aggrieved by the final order served by the Assessing Officer may, within 30 days of the said order, prefer an appeal in such form, verified in such manner and be accompanied by such fee as specified by the State Commission, to an Appellate Authority.*
- 8.57** *No appeal against an order of assessment under Regulation 8.56 above shall be entertained unless an amount equal to half of the assessed amount is deposited with the Licensee and documentary evidence of such deposit has been enclosed along with the appeal.*
- 8.58** *The Appellate Authority will dispose of the appeal after hearing the parties and pass appropriate order after hearing the parties and send copy of the order to the Assessing Officer and the appellant. The order of the Appellate Authority shall be final.*
- 8.59** *The consumer will be served with a revised bill as per final order of the Appellate Authority to be paid in 7 days.*
- 8.60** *If a consumer defaults in making the payment within 7 days of serving the final order of the Appellate Authority, the connection will be disconnected after serving a 15 days' notice, which will not be reconnected until the bill amount is cleared. In case of non-payment, the amount will be indicated as arrears in regular bill and action will be taken for recovery.*
- 8.61** *An interest of 16% per annum will be charged on the amount as per final order of the Appellate Authority after thirty days from the date of final order, compounded every 6 months as per Section 127(6) of the Act.*

- 8.62** *In case the Appellate Authority holds that no case of unauthorized use of electricity is established, no further proceedings will be initiated by the Licensee and the amount deposited by the appellant shall be refunded along with interest at the rate of 16 percent per annum compounded every six months for the period from the date of deposit till the amount recovered is adjusted through adjustment in the electricity bills of the immediately succeeding months. The appellant may also opt for cash refund of the amount deposited by the appellant along with prevalent saving bank rate interest of State Bank of India, till payment of such amount is made by the Licensee.*
- 8.63** *In case the amount payable as determined by the appellate authority is less than the amount already deposited by the person, the excess amount will be refunded by adjustment in the bills of the immediately succeeding months along with prevalent saving bank rate interest of State Bank of India from the date of such excess deposit till the date of actual adjustment.*
- 8.64** *In case person does not prefer to appeal under Section 127 of the Act and also defaults in the making payment of assessed amount, the connection will be disconnected by serving a 15 days' notice, which will not be reconnected until the assessed amount is deposited. In case of non-payment, the amount will be shown as arrear in the regular bill.*
- 8.65** *When a person defaults in making payment of assessed amount, he, in addition to the assessed amount shall be liable to pay, on the expiry of 30 days from the date of order of assessment, an amount of interest at the rate of 16% per annum compounded every 6 months.*

Chapter -9

9. DISCONNECTION AND RECONNECTION

- 9.1** *The supply may be disconnected temporarily or on a permanent basis as per the procedure described below. The Licensee shall remove service line, meter, etc., after permanent disconnection. However, the Licensee may not remove service line, meter, etc., in case of temporary disconnection.*
- 9.2** *The charges for connection, reconnection and disconnection shall be in accordance with the Schedule of Charges approved by the Commission.*

Temporary Disconnection

- 9.3** *The supply may be disconnected temporarily in following cases:*

- (1)** On non-payment of the Licensee's dues: The Licensee may issue a disconnection notice in writing, as per Section 56 of the Act, to any consumer who defaults on his payment of dues, after giving him a notice period of minimum 15 working days to pay the dues. Thereafter, the Licensee may disconnect the consumer's installation on expiry of the said notice period by removing the service line/meter as the Licensee may deem fit;
- (2)** If the conduct/continuance of any business/industry/activity being carried out in any premises becomes unlawful due to lack of necessary permission or withdrawal of permission from the competent authority;
- (3)** If the wiring, apparatus, equipment or installation at the consumer's premises is found to be defective or there is leakage of electricity or if the consumer is found to have altered the position of the meter and related apparatus or if the consumer uses any apparatus or appliance or uses the energy in such manner as to endanger the service lines, equipment, electric supply mains and other works of the Licensee, or is found to be using it in any manner which unduly or

improperly interferes with the efficient supply of energy to any other consumer;

- (4) If at any time, the consumer is found to be using energy for a purpose other than for which it was intended / provided or tampers with the meter and/or other apparatus of the Licensee on his premises or extends/allows supply of energy to any other premises from his connection;
- (5) If the consumer remains unavailable for meter reading for two or more billing cycle after factoring in advance payment for the period of absence, if any as per the provisions of this Supply Code, 2018.

9.4 *The supply shall be disconnected after giving a notice period of minimum 15 days. The supply shall be disconnected only if the cause of the disconnection is not removed within the notice period.*

9.5 *The Licensee shall, after the connection is temporarily disconnected as per Regulations 9.3(2), 9.3(3) and 9.3(4), issue a notice to the consumer to remove the cause of disconnection within 45 days for domestic consumer and 15 days for consumer of other categories, respectively, failing which the supply shall be disconnected permanently.*

9.6 *The Licensee may take steps to prevent unauthorized reconnection of consumers disconnected in the manner as described above. Wherever the Licensee discovers that connection has been re-connected in an unauthorized manner, Licensee may initiate action as per provisions of Section 138 of the Act. Further, in case the Licensee discovers that supply to such premises has been restored through another live connection, the same shall also be disconnected.*

Permanent Disconnection

9.7 *The supply shall be disconnected permanently in following cases:*

- (1) On the termination of the Agreement;
- (2) If the cause for which the supply was temporarily disconnected is not removed within the notice period:

Provided that if the service of the consumer remains continuously disconnected for 180 days, not being a temporary disconnection upon request of the consumer, the Agreement shall be deemed to be terminated on the expiry of 15 days or after expiry of the initial period of agreement, whichever is later without prejudice to the rights of the Licensee or of the consumer under the Act for recovery of any amount due under the Agreement.

Disconnection on Consumer's Request

9.8 *In case a consumer desires his meter to be permanently disconnected, the consumer shall apply for the same in the format prescribed in Annexure XV to this Supply Code, 2018. The Licensee shall give a written acknowledgment of receipt of such request, on the spot.*

9.9 *The Licensee shall carry out a special reading and prepare a final bill including all arrears up to the date of such billing within 5 days from receipt of the request. Upon payment, the Licensee shall issue a receipt with 'Final Bill' stamped on it. This receipt shall be treated as a No Dues Certificate:*

Provided that whenever an agreement is terminated on notice given by the consumer, the Licensee shall give a written intimation within 2 working days after termination in the format given in Annexure XVI to this Supply Code, 2018, failing which such intimation shall be deemed to have been given to the consumer.

9.10 *In case of consumers who were sanctioned contract demand in a phased manner and supply*

was released for initial or intermediary phased demands, the consumer may seek deferment or cancellation of such of the phased demands, which are scheduled beyond minimum period of Agreement, by giving 3 months' notice in advance or in lieu thereof pay 3 months' charges towards such deferment or cancellation of such phased demands.

- 9.11** *HT/EHT consumers opting for disconnection shall also bear the estimated expenditure on removal of the apparatus and service line. The Licensee shall issue a demand note to the consumer in writing, under acknowledgment, within 10 working days of receipt of request.*

Reconnection

- 9.12** *In case the consumer request for reconnection within a period of 6 months after disconnection, the Licensee shall reconnect the consumer's installation within 5 days of payment of past dues and reconnection charges.*
- 9.13** *In case the consumer requests for reconnection after 6 months of disconnection, the connection shall be reconnected only after all the formalities as required in the case of a new connection are complied with by the consumer including payment of pending dues, services line charges, security deposit, etc., as applicable for that category of consumer.*

Chapter-10

10. GENERAL PROVISIONS

General

10.1 *The Licensee shall monitor the progress of new connections, billing, metering, disconnection, reconnection and theft on monthly basis and send MIS reports to the Commission every quarter, mentioning the performance standards achieved, violation of Supply Code, 2018 in each category, penalty leviable, penalty adjusted, etc.*

10.2 *The Licensee shall keep uploading the area-wise list and current status of new connection, billing, metering, disconnection, reconnection and number of theft cases on the website giving overall figure of such cases booked, decided and pending. The Licensee shall also upload on its website all the reports sent to the Commission in accordance with this Supply Code, 2018.*

Provision for load shedding

10.3 *Notwithstanding anything contained in any agreement or undertaking executed by a consumer with Licensee or in the tariff applicable to him, the consumer shall restrict the use of electricity in terms of his maximum demand and/or stagger energy consumption in the manner and for the period as maybe specified in any order that may be made by the State Load Dispatch Centre or the State Government or the Licensee to maintain orderly grid operation. The Licensee shall inform bulk/ HT consumers in advance about such restrictions as early as possible by any convenient communication mode for arranging alternate means.*

Complaints Management System

10.4 *Any aggrieved person, electricity consumer, consumer association or legal heirs or authorized representatives (in case of death of a consumer) may lodge a complaint at the centralized call centre/complaint centre/website or through telephone or post to the Licensee. In case the grievances of the consumer are not addressed by the Licensee, the consumer may approach the Consumer Grievances Redressal Forums (CGRF) established by the Licensee as per JERC (Establishment of Forum for Redressal of Grievances of Consumers) Regulations, 2009.*

Seasonal Industry-Change in Contract Demand

10.5 *In order to reduce burden on seasonal industries, the Seasonal Industry consumers can change their contract demand twice a year with at least 1 month of notice period.*

Service of Notice

10.6 *Any order/ notice on the consumer by the Licensee, including the notice under Section 56 of the Act shall be deemed to be duly served if it is sent by registered/speed post at the correct postal address of the addressee or delivered by hand to the person residing at the address notified to the Licensee by the consumer:*

Provided that in the case of an individual, service of notice to the consumer's spouse or his authorized representative, and in the case of a firm, company or corporation, service of notice on the Managing Director, Director or Principal Officer or an authorized person of such a concern, shall be taken as proper and complete service for the purpose of this Supply Code, 2018.

10.7 *If a consumer refuses or avoids receiving the notice, the service may be effected by:*

- (1)** *Affixing the notice at a conspicuous place on the consumer's premises in the presence of two witness and photographing the notice; or*
- (2)** *Publication of the notice in daily newspaper(s) commonly read in the concerned locality to be kept on record by the Licensee.*

Either of the above shall be deemed as proper and complete service of notice.

Power Quality Audit

10.8 *All HT/EHT consumers shall submit power quality audit report to the respective Licensee at least once in a year for improvement in quality of power.*

Supply Safety Guidelines

10.9 *The Licensee and the consumer shall, in every respect, comply with the provisions of the Central Electricity Authority (Measures Relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010, as amended from time to time.*

Demand Side Management

10.10 *It shall be the duty of every consumer to stop wastage and inefficient use of electricity and to extend necessary cooperation to the Licensee in implementation of the programs for Demand Side Management that may be launched by the Licensee.*

Term and Conditions of Supply

10.11 *Every Licensee, shall, modify and update the terms and conditions of supply and all circulars, orders and any other document or communication relating to the supply of electricity to consumers to make them consistent with these Regulations under intimation to the Commission.*

Exemption

10.12 *The timelines and procedures specified in these Regulations shall remain suspended during Force Majeure conditions such as war, mutiny, civil commotion, riot, flood, cyclone, lightning, earthquake, lockout, fire, etc., affecting the Licensee's installations and activities.*

Repeal and Savings

10.13 *Save as otherwise provided in this Supply Code, 2018, JERC (Electricity Supply Code) Regulations, 2010 together with amendments made from time to time, are hereby repealed.*

10.14 *Notwithstanding such repeal, anything done or action taken or purported to have been taken, or proceedings initiated under such repealed Regulations, shall be deemed to have been taken under this Supply Code, 2018 to the extent that same were not inconsistent with the Act.*

Inconsistency

10.5 *In case of any inconsistency in the provisions of Supply Code, 2018 and Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa & UT (Standard of Performance for Distribution Licensee) Regulations, 2015 as amended from time to time, the provisions of Supply Code, 2018 shall prevail.*

Power to Remove Difficulties

10.16 *If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this Supply Code, 2018, the Commission may, by general or special order, do or undertake or direct the Licensees to do or undertake things, which in the opinion of the Commission are necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.*

Powers to Amend

10.17 *The Commission may, at any time and on such times as it may think fit, amend, alter or modify any provisions of the Supply Code, 2018 or remove any error or defect in this Supply Code, 2018.*

RAKESH KUMAR, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./376/18]

Annexure -1

Application form - New Connection (Low Tension Service):

1	Name of the Applicant/Organization:	
2	Name of father / husband / Director / Partner / Trustee	
3	Address:	
(a)	For communication	House/Plot/Premise no. Street Area/Colony District Telephone No.:
(b)	Where the new connection is applied for existing connection is required to be shifted	House/Plot/Premise no. Street Area/Colony District
	(Indicate landmarks to identify the location)	
4	Plot size: sq. feet	Covered area: sq. feet
5	Category of Supply: (list of categories attached)	
6	Purpose of Supply:	
7	Total Load applied for (in kW):	
8	Type of Supply (Permanent / Temporary):	
8(a)	If Temporary supply, specify period of requirement:	From (date): To (date):

9	Please indicate whether you want to carry out the works of laying service line and/or dedicated distribution facility for the electricity supply requisitioned (Yes/No)	
10	Please indicate whether you want to install your own CEA approved meter (Yes/No)	
11	List of documents attached:	
(a)	Photograph affixed on application form (Yes / No)	
(b)	Identity Proof submitted along with this application form:	
	If Applicant is a person (Tick any one)	(i)Electoral identity card; (ii) Passport; (iii)Driving license; (v)Photo identity card issued by Government agency; (vi) PAN card; (vii)Certificate from village Pradhan / Patwari / Lekhpal / village level worker/ village chowkidar/ Primary school teacher/ in-charge of primary health center etc. (viii)Aadhar Card
	If Applicant is an organization (Tick any one)	Signature of competent authority (e.g. Branch Manager, Principal, Executive Engineer etc.) along with relevant resolution/authority letter of the institution concerned
(c)	Proof of ownership or occupancy of premises for which electricity connection is required (Tick any one)	(i) Copy of sale deed or lease deed or in the case of agricultural connections a copy of khasra / khatauni / khata nakal (ii) Registered General Power of Attorney; (iii) Municipal tax receipt or Demand notice or other related document; (iv) Letter of allotment; (v) Copy of the house registration certificate issued by the Panchayath/ownership certificate issued by Revenue Authorities (vi) Any other ownership related document issued by local Government Authority (vii) An applicant who is not an owner but an occupier of the premises shall along with any one of the documents listed at (i) to (vi) above also furnish a no objection certificate from owner of the premises; Provided that where an applicant, who is lawful occupier of the premises, is a tenant or a leaseholder and is unable to produce the No Objection Certificate from owner for obtaining a connection, a separate Indemnity Bond shall be executed in favour of the distribution Licensee in the form prescribed by the distribution Licensee. (viii) For bonafide consumers residing in JJ clusters or in other areas with no specific municipal address, the Licensee may accept either

		ration card or electoral identity card mandatorily having the same address as a proof of occupancy of the premises only for the purpose of releasing electricity connection. Provided that if the Applicant is an individual, the Applicant has to be Indian Citizen for availing new electrical service connection.
(d)	Proof of current address <i>(Tick any one)</i>	(i)Electoral identity card; (ii) Passport; (iii) Driving license; (iv) Ration card; (v)Photo identity card issued by any Government agency; (vi)Statement of running Bank Account; (vii)Water / Telephone / Electricity / Gas connection Bill; (viii) Income Tax assessment order / Aadhar Card
(e)	Any other document as applicable (Please Specify)	
12	Any electricity dues outstanding in Licensee's area of operation in consumer's name: Yes/ No	
13	Any electricity dues outstanding for the premises for which connection applied for: Yes/ No	
14	Any electricity dues outstanding with the Licensee against any firm with which the consumer is associated as an Owner, Partner, Director or Managing Director: Yes/ No	
<i>(For questions 12, 13 & 14 if the answer is 'Yes' in any case please provide details on a separate sheet)</i>		

I / We hereby declare that

- a) The information provided in this application is true to my knowledge.
- b) I / We have read the Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) Supply Code Regulations 2018 and agree to abide by the conditions mentioned therein
- c) I / We will deposit electricity dues, every month, as per the applicable electricity tariff and other charges.
- d) I / We will own the responsibility of security and safety of the meter, cut-out and the installation thereafter.
- e) I / We further agree that the connection given to me/us is only for availing electricity during my occupancy and shall not be used in any way to show ownership of premises.

Date: Signature of the consumer/ Authorized Signatory

Place:

Name:

Contact No:

E mail-Id:

Note: Apart from documents for identity proof, proof of ownership/occupancy of premises and proof of current address, the following documents shall be attached with the application form:

- (1) In case of a partnership firm -The applicant shall furnish the partnership deed and an authorization in the name of the applicant for signing the requisition form and agreement;
- (2) In case of Public and/or Private limited Company-The applicant shall furnish a Memorandum and Articles of Association and Certificate of Incorporation along with Board Resolution for authorization in the name of the applicant for signing the requisition form and agreement;
- (3) Other documents applicable only for select consumer categories:
 - a) Industrial consumers: Valid Industrial License, if applicable
 - b) Agricultural consumers: No Objection Certificate from competent government authority for tube wells, if required
 - c) Non-Domestic Khokhas and Temporary Structure: No Objection Certificate for khokha or temporary structure from the nagar nigam / nagar palika / nagar panchayat / gram sabha / gram panchayat / land development authority / land owning agency

Acknowledgement

Application of..... (name of applicant)
for..... (purpose) is hereby received on (date).

In this regard, the applicant is given a reference no.....to be used for all future correspondence.

Signature/Seal of Licensee's Representative

Name and Designation:

Annexure – II

Application form - New Connection (High Tension / Extra High-Tension Service)

1	Name of the Applicant/Organization:	
2	Name of father/husband/Director/Partner/Trustee:	
3	Address for communication	

4	Address where the new connection is applied for existing connection is required to be shifted <i>(Indicate landmarks to identify the location)</i>								
5	Voltage at which supply is required (kV) <i>(Please tick the category applicable)</i>	6.6kV	11 k V	22kV	33 k V	66 kV	110 kV	132 kV	220 kV
6	Type of Supply (Permanent / Temporary):								
6(a)	If Temporary supply, specify period of requirement:	From (date):							
		To (date):							
7	Total Contract Demand applied for (in kW / kVA):								
8	Basis for projection of Contract Demand								
9	Phasing of Contract Demand required (Yes/No):								
	If Yes, then provide the following details in the given format:								
	CD required (kVA) along with remarks, if any	Tentative Date from which required							
	(a)								
	(b)								
	(c)								
10	Purpose of Installation:								
11	Category of Tariff opted for:								
12	Category of Tariff provided (To be filled by Licensee):								
13	Production capacity:								
14	Category of Industry: <i>(Tick the applicable one)</i>	SSI			MSI		LSI		
	Type of unit: <i>(viz. Ownership/Partnership/Private Ltd./Public Ltd./Society/ Govt Dept./Govt undertaking)</i>								
15	Name of Institution developing Premises:								
16	Possession Letter or No-Objection Certificate (	Number:							
16(b)		Date:							
17	Whether supply is needed through an independent feeder								
18	Whether the above unit ever operated at some other place or applied for connection? <i>(If Yes, please provide details)</i>	(a) Sanctioned Load:							
		(b) Service Connection No.:							
		(c) Arrears of payment (if any):							
19	If electricity connection for the premises was requested in past? <i>(If Yes, please provide details)</i>	(a) Name of unit: (b) Service Connection No.: Arrears of payment (if any):							
20	Status of land acquisition:								
21	Expected date by which finance will be available:								
22	Whether the requisite consent / NOC (if applicable as per the list of Pollution Control Board) has been obtained as per statutory requirements <i>(If yes, attach a copy):</i>								
23	Any electricity dues outstanding in Licensee's area in consumer's name: Yes/ No								
24	Any electricity dues outstanding for the premises for which connection applied for: Yes/ No								
25	Any electricity dues outstanding with the Licensee against any firm with which the consumer is associated as an Owner, Partner, Director or Managing Director: Yes/ No								
	<i>(For questions 22, 23 & 24 if the answer is 'Yes' in any case please provide details on a separate sheet)</i>								

I / We hereby declare that

- a) The information provided in this application is true to my knowledge.
- b) I/ We have read the Electricity Supply Code, 2018 and agree to abide by the conditions mentioned therein.
- c) I/We will deposit electricity dues, every month, as per the applicable electricity tariff and other charges.
- d) I/We will own the responsibility of security and safety of the meter, cut-out and the installation thereafter.

Date: Signature of the consumer/ authorized signatory
Place:..... Name:
Contact No.: Email-Id:

Note: The following documents shall be attached with the application form:

1. Proof of ownership of the premises
2. A map indicating the proposed location of the plant/office and the point where supply is required. The map should normally be of the scale of 1 cm representing 1200 cm.
3. Licence / NOC from statutory authority, if required or a declaration by the applicant that his connection does not fall under the requirement of NOC under any statute.
4. In case of a proprietary firm, an affidavit to be submitted stating that the applicant is the sole proprietor of the firm.
5. In case of partnership firm, partnership deed.
6. In case of Limited Company, Memorandum and Articles of Association and Certificate of Incorporation.
7. Proof of permanent residential address of the consumer and PAN Number, if any. If there is any change at a later date, the same shall be intimated by the consumer to the Licensee immediately.
8. Letter of intent for production/ enhancement in production may be furnished.
9. List of equipment's proposed to be installed along with the expected load.
10. Board Resolution for authorized signatory.

11. Registration from Industries Department.
12. Extract of project report relevant to power and process requirements (in case of industries).
13. Copy of the relevant section of the current tariff order that provides details of the tariff category opted by the consumer and duly signed by him. This will be appended with the agreement after completion of formalities.

Acknowledgement

Application of _____ (name of applicant)

For (Purpose) is hereby received on _____ (date).

In this regard, the applicant is given a reference no. _____ to be used for all future correspondence.

Signature / Seal of Licensee's representative

Name and Designation:

Annexure-III

Declaration / Undertaking

I, _____ Son / Daughter of Resident of (hereinafter referred to as "Applicant", which term shall mean and include executors, administrators, successors and assigns), do hereby swear and declare as under:

Or

The a company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956/2013 having its registered office at (hereinafter referred to as "Applicant", which expression shall, unless repugnant to the context or meaning thereof, include its successors and assigns), do hereby swear and declare as under:

THAT the Applicant is a lawful occupant of the premises at in support of which the Applicant has enclosed a proof of occupancy.

THAT the Applicant has requested the Licensee to provide a service connection at the above-mentioned premises in the Applicants name for the purpose mentioned in the application form.

THAT in furnishing the Declaration, the Applicant has clearly understood that should the above statements prove to be false or incorrect at any later stage, the Licensee shall have every right to disconnect supply to the Applicant without any notice and above right to adjust dues against Consumer Security Deposit.

THAT the Applicant hereby agrees and undertakes:

- (1) To indemnify the Licensee against all proceedings, claims, demands, costs,

damages, expenses that the Licensee may incur by reason of a fresh service connection given to the Applicant.

(2) That all Electrical Works done within the premises are as per Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010 to the best of our knowledge and have been carried out by a licensed electrical contractor (in case the Applicant is an owner and wiring in the premises is new)

Or

That all Electrical Work done within the premises are as per Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010 to the best of our knowledge (where application is for reconnection or Applicant is occupier of the premises)

(3) The Licensee is indemnified against any loss accrued to the applicant on this account. Further, Applicant agrees that if there is any harm/loss to the property of the Licensee due to the fault in Electrical work within the premises of Applicant, all the liabilities shall be borne by the Applicant.

(4) To pay the electricity consumption bills and all other charges at the rates set out in the Licensee's Tariff Schedule and miscellaneous charges for supply as may be in force from time to time, regularly as and when the same becomes due for payment.

(5) To deposit the additional consumption deposit as revised by the Licensee from time to time based on the consumption of the Applicant in preceding year.

(6) To abide by the provisions of the Electricity Act, 2003, Electricity Supply Code, 2018 tariff orders and any other rules or regulations notified by the Commission, as applicable from time to time.

(7) That Licensee shall be at liberty to adjust the electricity consumption charges along with any other charges against the Consumer Security Deposit paid by the Applicant, in the event of termination of the agreement prior to expiry of the contracted period or in case of any contractual default.

(8) To be responsible for safe custody of Meters, CTs, Cables etc. provided by the Licensee and in case, there is any damage to equipment due to the reasons attributable to Applicant the same shall be chargeable to the Applicant. Further, all repercussions on account of breakage of seals of meters etc. or Direct/Dishonest Abstraction of energy shall be to the account of Applicant, as per the existing laws.

(9) To allow clear and un-encumbered access to the meters for the purpose of meter reading and its checking etc.

(10) That the Applicant would let the Licensee disconnect the Service connection under reference, in the event of any default, non-compliance of statutory provisions and in the event of a legally binding directive by Statutory Authority(ies) to effect such an order. This shall be without prejudice to any other rights of the Licensee including that of getting its payment as on the date of disconnection.

(11) That the Licensee shall not be held responsible for any interruption or diminution of supply of Electricity.

(12) All the above declaration given by the Applicant shall be construed to an Agreement between the Licensee and the Applicant.

Signature of the Applicant

Name of the applicant

Contact No. of Applicant

SIGNED AND DELIVERED

In presence of witness

Name of Witness

Annexure-IV

Application form - Change in Name of Registered Consumer

1	Service Connection No.	
2	Name of Registered Consumer (at present)	
3	Consumer category	
4	Contracted load	
5	Address:	Telephone no.:
6	Name of the person in whose name connection to be changed (in CAPITAL LETTERS)	

Note: The following documents are attached with the application form:

(Tick whichever applicable)

1. Copy of latest bill duly paid
2. Proof of ownership / legal occupancy of premises
3. No Objection Certificate from the existing consumer if available/possible.
4. Registered deed/ Succession certificate/*(if any other document, please specify)*

Date:

Signature of the Consumer:

Place:

Name:

Contact No.:

Email-Id:

*Acknowledg
ement*

Application form of Service Connection No..... at present in the name of..... (name of applicant) has been received on.....(date) for changing the name of Consumer to ..

In this regard, the consumer is given a reference no. to be used for all future correspondence.

Signature / Seal of Licensee's representative
Name and Designation:

Annexure-V

Application form - Transfer of Ownership to Legal Heir

1	Service Connection No.	
2	Name of Registered Consumer (at present)	
3	Consumer category	
4	Contracted load	
5	Address:	Telephone no.:
6	Name of the person in whose name connection to be changed (in CAPITAL LETTERS)	

Note: The following documents are attached with the application form:

(Tick whichever applicable)

1. Copy of latest bill duly paid
2. Proof of ownership / legal occupancy of premises
3. Registered will / Succession or Legal Heir certificate / Mutation deed / (if any other document, please specify)
4. NOC from other legal heir(s) in case connection is to be changed in the name of one of the legal heirs in absence of 3 above.

Date: Signature of the Consumer

Place:

Name:

Contact No.:

Email-Id:

*Acknowledg
ement*

Application form of Service Connection No.....at present in the name of.....

(name of applicant) has been received on.....(date) for changing the name of Consumer to.....In this regard, the consumer is given a reference no._____ to be used for all future correspondence.

Signature / Seal of Licensee's representative

Name and Designation

Annexure-VI

**Application form - Conversion of Services / Change of Consumer Category/
Shifting of Connection to new Premises
(Tick the applicable purpose)**

1	Service Connection No.	
2	Name of Consumer	
3	Consumer category	
4	Contracted load	
5	Address:	
6	Telephone no.:	
7	Request for change in service:	
i)	If request is for conversion of service: (Tick whichever applicable)	Conversion from LT single phase to LT 3-phase Conversion from LT 3-phase to LT single phase Conversion from LT to HT Conversion from HT to LT Conversion from HT to EHT Conversion from EHT to HT Other (Please specify)
ii)	If request is for change in consumer category, mention the tariff category to which Consumer wants to shift:	(See list of all tariff categories attached with this form)
iii)	If request is for change of connection to new premises:	(a) New address to which existing service connection is to be shifted: (b) Details of equipment to be shifted (Meter/service line, LT/HT line, transformer, etc.):
8	Reason for change in service	

Note: The following documents are attached with the application form: (Tick whichever applicable)

1. Installation inspection report
2. Proof of ownership / legal occupancy of premises, if request is for shifting of premises.
3. Any other document (please specify)

Date:

Place

Name

Signature of the Consumer

Contact No.:

Email-Id:

Acknowledgement

Application form of Service Connection No.....at present in the name
of..... (Name of applicant) has been received on
(date)
for (Purpose).

In this regard, the consumer is given a reference no.....to be used for all future correspondence.

Signature / Seal of Licensee's
representative

Name and Designation

Annexure-VII

Application form - Load Enhancement / Load Reduction

(Tick the applicable purpose)

1	Name of the Applicant/Organization:	
2	Service Connection Number	
3	Address of premises to which electricity is being supplied	
4	Telephone No.:	
5	In case of Load Enhancement:	
	Existing sanctioned load (in kW/kVA):	Enhanced load requested (in kW/kVA):
6	In case of Load Reduction:	
	Existing sanctioned load (in kW/kVA):	Reduced load requested (in kW/kVA):
7	Reason(s) for Load Enhancement / Reduction:	
8	Details of load added/ disconnected from supply, if applicable. <i>(Please attach list of equipment category-wise)</i> a. Lighting b. Motive Power c. Agricultural d. Other (please specify)	

Date: Signature of the consumer

Place: Name:

Contact No:

Email-Id:

Note: The following documents are attached with the application form *(if applicable)*

1. A work completion certificate & test report from Licensed Electrical Contractor, if the consumer's installation has been altered.
2. Resolution for authorized signatory.

*Acknowledg
ement*

Application of.....for load enhancement / load reduction.....against Service Connection No.....is hereby received on.....(date).

In this regard, the applicant is given a reference note to be used in all future correspondence.

Signature / Seal of Licensee's
representative

Name and Designation:

Annexure-VIII

Procedure for Determination of Connected Load

Name of applicant:.....

Service Connection No. (For existing connections):

Address of applicant:

Contact No. of applicant:.....

Email-Id of the applicant:.....

Electrical equipment proposed to be put to use:.....

(Please fill-up the following table to enable determination of the connected load. Normally the actual load of each item will be considered to determine the connected load at the premises. In case of non availability of the rated capacity of any item, the load shown below shall be considered.)

Item	Load per item (Watts)	No.	Total load (Watts)
1	2	3	$4 = 2 \times 3$
CFL	15		
Bulb	60		
Tube light	50		
Fan	60		
Tape-recorder/ Music system	100		
Television	90		
Mixer	375		
Electric iron	750		
Fridge	150		
Cooler	250		
Heater (for cooking and water heating)	1000		
Washing machine	750		
Geyser	2000		
Microwave oven	2000		
Air Conditioner (1 ton)	1500		
Air Conditioner (1.5 Ton)	2250		
Computer	100		
Printer	150		
Pump-set	375		
Total			

Annexure-IX

Test Result Report of Applicant's Installation

(Regulation 31 of Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010)

(To be filled by Licensee's representative)

Reference No..... Date.....

1. Name and address of the Consumer:
2. Contact No of applicant:
3. Email-Id of the applicant:
4. Details of the installation:
5. Short circuit fault level of the installation:
6. Date of Commissioning of installation (In case of additional supply or reconnection)
7. Results of the tests conducted

S No	Equipment	Test Conducted	Test Results	Remarks
1	Linked with Switch Fuse(s)	i) Mechanical Operation ii) Rating of Fuse iii) Contact of Blades	Smooth/Troublesome Amp Full/Partial	
1 a	Isolator	i) Mechanical operation ii) Remote operation iii) Local operation iv) Measurement of Contact resistance v) Interlocking with earth switch vi) Interlocking with CB vii) IR Values Open Condition Closed Condition	i) OK/Not OK ii) OK/Not OK iii) OK/Not OK iv) micro Ohm v) OK/Not OK vi) OK/Not OK vii) M Ohm Ph-Ph Ph-E	
2	Circuit Breaker S No	1) Rating of the Circuit Breaker i) Type ii) Voltage iii) Normal current iv) Rupturing capacity 2) IR Values Open Condition Closed Condition Contact Resistance	_____ kV Amps ____kA Ph-Ph Ph-E micro Ohm	

S No	Equipment	Test Conducted	Test Results	Remarks
		Mechanical Operation Remote Operation Local Operation Interlocking with Isolator Interlocking with Earth switch Alarm and Trip for OTI/WTI/Buchholz/PRV Earth Fault Relay Over Current Relay Under Voltage Relay SF6 Pressure Alarm and trip Operation Test	Instant smooth Time Gap (Sec) OK/Not OK/Not OK OK/Not OK OK OK/Not OK OK/Not OK OK/Not OK OK/Not OK OK/Not OK	
3	Transformer S No	a) Insulation resistance values 1. HT to LT 2. HT to earth 3. LT to Earth b) Break down Voltage Test 1) Oil Sample- I (Top) 2) Oil Sample-II Bottom) c) Vector Group Test d) Polarity Test e) Magnetizing Balance f) Tan Delta Test (as per capacity) g) Oil level in conservator tank h) Oil level in breather cup i) OTI/WTI settings j) OTI / WTI Alarm and Trip operation k) Operation of Buchholz relay l) Operation of PRV m) Oil leakage n) Interlock of door switch for dry transformer o) Clearance for side clearance: Between two Transformers : (P) Body Earth resistance Neutral Earth resistance	M Ohm M Ohm M Ohm kV kV OK/Not OK OK/Not OK OK/Not OK OK/Not OK OK/Not OK OK/Not OK OK/Not OK OK/Not OK A/T_°C A/T_°C OK/Not OK OK/Not OK OK/Not OK OK/Not OK OK/Not OK Cms Meters N1....Ohm N2 ...Ohm	
4	DG Sets SI No for Alternator Engine	a) Interlocking with other Supply Sources b) Body Earth resistance c) Neutral Earth resistance	OK/Not OK N1.....Ohm N2.....Ohm	
5	Cable Size: Sq mm	A) Insulation Resistance Values 1. Ph-Ph 2. PH -Earth 3. Ph-Earth + Other Ph B) Bending Radius	...M Ohm M Ohm M Ohm OK/Not OK	

S No	Equipment	Test Conducted	Test Results	Remarks
6	Earthing	A) Metal and Size of Earth Strips B) Type of Earthing 1) Plate Earthing 2) Pipe Earthing 3) Counter Poise Earthing C) Value of Earth resistance of earth electrodes for 1) Reactor Neutral: 2) LA's 3) Structure: 4) Frames/bodies of equipment 5) Motors	Cu/Al/GI..... Sq mm Yes/No Yes/No Yes/No N1 Ohm ...N2 Ohm R) Ohm (Y)... Ohm (B)... Ohm Ohm Ohm Ohm	
7	Potential Transformer	i) Ratio Test ii) Polarity Test iii) BDV of Oil iv) IR Test	OK/ Not OK OK/ Not OK kV (R) P-E.... M Ohm (Y) P-E M Ohm (B) P-E M Ohm	
8	Current Transformer	i) Ratio Test ii) Polarity Test iii) BDV of Oil iv) IR Test	OK/ Not OK OK/ Not OK kV (R) P-E..... M Ohm (Y) P-E M Ohm (B) P-E M Ohm	
9	Transmission Line	i) Physical condition of conductor / tower ii) Check of tower accessories iii) Tower footing resistance iv) Conductor continuity test v) Check of ground clearance vi) Check of electrical clearance along the route	Ok/Not OK Ok/Not OK Ohm Ok/Not OK Ok/Not OK Ok/Not OK	

General Observations

S. No	Item	Observation
1	Check of required phase to phase, phase to ground and sectional clearance	
2	Check for equipment layout and overall installation details	
3	Test of resistance of earth mat or earth electrodes as applicable	
4	Check of consumer's pre-commissioning test reports of individual equipment	
5	Check of manufacturer's routine /type test reports of individual equipment	
6	Whether Inspector's approval if applicable is obtained	
7	Whether owner's self-certification about compliance with the Regulations is obtained?	
8	General observations and views (specific deviation from the requirements of the Regulations shall be clearly brought out)	

Name, Signature and Seal of Authority

Annexure-X

Meter Related Complaints / Request for Testing of Meter

(Tick the applicable purpose)

Complaint reference No.: _____(to be given by Licensee)

1. Service Connection No.:.....
2. Name of the consumer:.....
3. Address and Contact No. of the consumer:
4. Email-Id of the consumer.....
5. Brief description of the complaint - Burnt out / completely stopped / fast meter / Seal broken / Testing of Meter.....
6. Initial cost of meter was borne by (*tick one*) : Consumer / Licensee.....
7. Complainant desires to provide/has provided a new meter for replacement (Yes/No):.....
8. Any other information.....

Date: (Signature of Consumer)

(For Office Use)

1. Site verification report

Signature (concerned official)

2. Comments of concerned official

Signature (concerned official)

Acknowledgement

Complaint reference no.: (to be given by Licensee)

Complaint received by: (name and designation)

Date of receiving complaint:

Signature / Seal of Licensee Representative

Name and Designation

*Annexure-XI***Meter Testing Result Report****1. Consumer Particulars**

Service Connection No..... Name of Consumer.....

Consumer Category..... Contracted Load.....

Address of Consumer.....

Contact No of Consumer.....

Email-Id of Consumer.....

2. Meter Particulars

Meter No..... Size.....

Type..... C. T. Ratio.....

E / L-LED Status Rev LED Status

3. Revolution / Pulse Test

Meter Constant..... Load.....

Reading before test..... Reading after test.....

No. of Revolution / Pulse taken..... Actual Time Taken for the test.....

Energy Recorded by meter.....

Energy Recorded by a standardized
Meter
Error.....**RESULT**

Consumer Meter recorded.....% LESS / MORE Consumption.....

Needs replacement OR.....Results are within

Certificate

This is to certify that testing has been carried out as per the procedure. An external load of kW was used for testing for 1 kWh and total time taken was minutes. The testing was carried out by using optical scanner for counting the pulses/revolutions.

Signature of Consumer

Name:

Signature of Company Official:
Name and Designation

Note: Approximate time taken for test for different external loads is as under:

Load in kW Approximate time in minutes

1 kW	60
2 kW	30
4 kW	15
5 kW	12

Annexure-XII

Application for Self-Assessed Bill

1	Name of the Consumer	
2	Service Connection Number	
3	Address	
4	Average consumption of last 6 months	
5	Amount paid by Consumer based on reading (Self assessed) (Must not be less than average consumption last 6 months)	Previous Reading Current Reading Net Consumption Amount
6	Mode of Payment	Cheque DD/Money Order Cash

Signature of Consumer:

Contact No. of

Consumer:

Name of Consumer:

Email-Id of Consumer:

*Annexure-XIII***Format for Application of Advance Payment**

Service Connection No.....

Name of consumer:

Consumer category:.....

Contracted Load:.....

Address of consumer:.....

Contact No.:.....

Email-Id :.....

Dear Sir,

I wish to make advance payment for the period from..... to.....against the above referred connection.

You are requested to kindly send me a provisional advance bill for my electricity consumption of above period, so that I can make payment.

Thank you.

Signature of Consumer

Name of Consumer:

*Annexure-XIV***Format for Inspection Report in case of UAE/Theft**

Date of Inspection:..... S.No.:.....

Inspecting Agency:.....

Service Connection No.	
Name of Consumer	
Consumer category	

Address:		
Load Details		
a) Sanctioned/Contracted Load		
b) Maximum demand in kW or kVA or sanctioned contract demand, whichever is higher		
c) Total Connected Load with details of each equipment in case of Theft		
Type of Irregularity: (Tick whichever applicable)		
Unauthorized Use of Electricity	Theft	Other (Specify in detail)
INSPECTION RESULT:		
Meter No. (Painted):	CT Box Seal No.:	Found:
Meter No. (Dial):	Meter Box Seal No.:	Found:
Reading (kWh):	Meter Terminal Seal No.:	Found:
Reading (kVAh):	Half Seal No.:	Found:
Reading (kVARh):	Working Meter:	
MDI:	Cable Status:	
Power Factor:	CT Ratio:	
Size:	Type:	
Shunt Capacitor (Tick one)	Shunt Capacitor ____ No. of ____ rating and ____ make found installed in working order to maintain the power factor; OR No shunt capacitor found installed. Power factor measured ____ lagging	

Generator:..... kVA found installed with /
without permission Details of Seals
Other observations by Inspection Team :.....

Note to Consumer: You are requested to please appear before..... on the time and date mentioned in the Show-Cause Notice issued by inspection team member/police officer.

Signature of Consumer

Name of Consumer:.....

Contact No. of Consumer:

Email-Id of Consumer:

Signature of Assessing/Authorized Officer(s):

Signature

Name

Designation

Employee No.

XV

Annexure-

Request for Permanent Disconnection & Termination of Agreement

Service Connection No.....

Name of the consumer:.....

Consumer category:.....

Contracted load:.....

Address:.....

It is requested that the above connection may be permanently disconnected and the relevant Agreement with the Licensee be terminated forthwith.

Note: The following documents are attached with the application form:

1. Copy of last bill
2. Copy of payment receipt of last bill

Thank you

Date:.....

Signature of the Consumer

Place:.....

Name:

Contact No.

Address:

Email-Id:

Acknowledgement

Application of (name of applicant) complete in all respects for disconnection and termination of Agreement has hereby been received at this office on (date).

In this regard, the applicant is given a reference no.....to be used for all future correspondence.

Signature / Seal of Licensee's representative

Name and Designation:

Annexure-XVI

Format for Intimation to Consumer after Termination of Agreement

Licensee's Office Date.....

Office Address.....

Service Connection No.....

..... (Name of consumer)

..... (Address of consumer)

..... (Contact No.of consumer)

..... (Email-Id of Consumer)

This is to inform you that an agreement dated..... against Service Connection No.....between yourself and.....(name of Licensee) regarding

supply of..... kW/MW (contracted load) in the consumer category has been terminated w.e.f (date) on account of (reason)

Your supply has been disconnected permanently.

After final adjustment of all charges and energy bills an amount of:

1. Rs.....is payable to you for which Cheque No is enclosed.
2. Rs is due from you. You are requested to pay the amount within a week of receipt of this letter, failing which, action as prescribed under the law shall be initiated for recovery of the amount.

Thank you.

Sincerely,

Signature / Seal of Licensee's representative

Name and Designation:

Annexure-XVII

Format for Intimation to Consumer after Temporary Disconnection of Supply

Licensee's Office Address..... Date.....

Service Connection No.:.....

Name of consumer:

Consumer category:.....

Contracted Load:.....

Address of consumer:.....

Contact No. of consumer:.....

Email-Id of consumer.....

This is to inform you that your supply has been temporarily disconnected with effect from (date) due to the following reason(s):

You are requested to remove the cause of disconnection and intimate this office at the earliest. You are also requested to pay a sum of Rs.....towards disconnection & re-connection charges and..... (mention if any other dues are to be deposited, with a detailed break-up).

If the cause of disconnection is not removed to the satisfaction of this office and above amount is not paid, within 45 days of this notice your supply shall be disconnected permanently without any further notice.

Thank you. Sincerely,

Signature/Seal of Licensee's Representative

Name and

Designation

Annexure XVIII

Delimitation of Security Deposit amount

Security deposit amount for a consumer = Load x Load Factor of the category in which the consumer falls x (30 days (except agricultural consumers) + 30 days) x 24 hours x Current tariff

S. No.	Particulars	Load factor ²
1.	Domestic	30%

2.	Commercial	50%
3.	LT Industrial	50%
4.	HT/EHT Industrial:	
	• Single shift industries	50%
	• Double shift industries	75%
	• Continuous industries	100%
5.	Agriculture / Water Supply	33%
6.	Street lights	40%
7.	Signals & blinkers	75%
8.	Railway Traction	50%

Note: For agricultural consumers the time period shall be 60 days.

Annexure-XIX

Assessment of Energy in cases of Theft

1. The assessment formula for calculation of the consumption due to theft of electricity shall be as under:

$$\text{Units assessed} = L \times D \times H \times F$$

Where,

L = Load (Connected load found in the consumer's premises during the course of inspection) in kW;

D = Period of assessment in days, during which unauthorized use/theft is suspected and shall be taken for different categories of use as specified below:

- | | |
|--|---------|
| a) Continuous Industry | 30 days |
| b) Non-continuous Industry | 25 days |
| c) Domestic use | 30 days |
| d) Agriculture | 30 days |
| e) Non-Residential(continuous)viz. hospital, hotels
restaurants, guest houses, nursing homes, petrol pumps
and Tele-communication towers | 30 days |
| f) Non Residential(general) i.e., other than (e) | 25 days |
| g) Water works & Street lights | 30 days |

- h) Other Categories (including temporary supply) 30 days

H = Average number of hours per day of power supply made available in the distribution mains feeding the consumer which shall be taken for different categories as specified below:

- | | | |
|------|---|--------|
| a) | Single shift Industry (day/night only) | 08 hrs |
| b) | Non continuous process industry (day & night) | 20 hrs |
| c) | Continuous process industry | 24 hrs |
| d) | (i) Non-Residential(general)including restaurants | 12 hrs |
| (ii) | Hotels, hospitals, nursing homes, guest houses, | |
| | Petrol pumps and Tele-communications towers | 20 hrs |
| e) | Domestic | 08 hrs |
| f) | Agriculture | 04 hrs |
| g) | Water works | 08 hrs |
| h) | Street lights | 08 hrs |
| i) | Other categories (including temporary supply) | 12 hrs |

F = Load factor, which shall be taken for different categories of use as given below:

S. No.	Particulars	Load factor
1.	HT (including load above 75 kW for non-domestic and above 107 HP or 100 kVA for	100%
2.	LT Industrial (107 HP or 100 kVA)	75%
3.	Non- domestic (up to 75kW)	50%
4.	Domestic (up to 75 kW)	40%
5.	Agriculture	50%
6.	Water supply	50%
7.	Street light	50%
8.	Direct theft - All categories	100%

2. Assessment of energy in case of temporary connection

In the case of temporary connection, the assessment of units consumed for theft of electricity shall be done as under:

$$\text{Units assessed} = L \times D \times H$$

Where,

L = Load (found connected at the time of inspection) in kW;

D = Period of assessment in days; and

H = 6 hours for agriculture connections and 12 hours for others

Annexure-XX

General Conditions of Supply

Wiring on Consumer's Premises

- 1 The work of wiring at the premises of the consumer shall be carried out by a Licensed Electrical Contractor and conform to the standards specified in Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010. The material used for wiring shall comply with or be superior to the standards laid down by the Bureau of Indian Standards. All high-rise buildings, having a height of more than 15 meters from ground level, shall also comply with Rule 50-A of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010. Wiring shall be tested as per provisions of regulation 31 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010.

Installation of AC Motors

- 2 No AC motor shall be connected to the low or medium voltage system of the Licensee unless the motor and the installation thereof has a suitable device to limit the starting current in accordance with the requirement indicated below.
 - (1) Power supply shall not be given to any applicant at low or medium voltage for utilizing induction motors of 3 HP capacity or above or welding transformers of 1 kVA capacity or above, unless shunt capacitors of appropriate rating are installed by the consumer across the terminal of such motors and welding transformers to achieve an average monthly power factor that is specified in this Supply Code, 2018.
 - (2) Motors of low or medium voltage shall be provided with control gear to satisfactorily prevent the maximum current demand from the consumer's installation exceeding the limits given in the following schedule under all possible conditions:

Nature of Supply	Size of Installation	Max. Current Demand
Single phase/ Three phase	(a) Up to and including 1 BHP.	Six times full load current
	(b) Above 1 BHP and up to and including 10 BHP	Three times full load current
	(c) Above 10 BHP and up to and including 15 BHP	Two times the full load current
	(d) Above 15 BHP	One and a half times the full load current

Failure to comply with these requirements shall render the consumer liable to be disconnected. The Licensee may, depending on the location and condition of working, relax the starting current limit.

- (3) A triple pole linked switch protected by a no-volt release shall control the motor circuit and triple pole fuses (or overload release). It is important that the release shall be maintained in good working order. Wiring for motors shall be run with all three-phase wire bunches in a metallic conduit, which shall be effectively earthed throughout and shall be connected to the frame of the motor from which two separate earth wires shall run. The minimum permissible size of the earth wire permitted shall be No. 14 SWG. Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010, as amended from time to time, shall be complied with in every respect.
- (4) Total harmonic voltage distortion shall not exceed the limits mentioned below:
EHT = 4%

HT = 10%

LT = 15%

- (5) In addition, synchronous motors shall also be provided with an apparatus to control wattles current.

Installation of Irrigation/Agriculture Pump Set

All new pumping set connection/reconnections shall have the following:

- (1) Friction less foot valve
- (2) HDPE piping suction and delivery
- (3) ISI marked energy efficient monobloc pump set.
- (4) Capacitor of adequate rating for the pump set.

Parallel Operation with the Supply System of Licensee

- 3 The consumer shall arrange the plant, machinery and apparatus of his generating units, including an extension of or addition to the same, to operate in an isolated mode, with the consent of the Distribution Licensee, for capacity above 50 kW. Where consent has been given for parallel operation, the consumer shall arrange his installation to protect it from disturbances in the Licensees system. The Licensee shall not be liable for any damage caused to the consumer's plant, machinery and apparatus on account of such parallel operation, or any adverse consequence arising thereof. For parallel operation with the grid, the consumer shall have to follow the provisions of the JERC State Grid Code Regulations, 2010 as amended from time to time and other relevant regulations and shall pay synchronizing charges as approved by the Commission. The actual operations shall be carried out in coordination with the STU and the Licensee.
- 4 If it is brought to the notice of the SLDC/Licensee that a particular consumer is using electricity during emergency rostering by unauthorized or irregular means, the feeder feeding such a consumer shall be opened to dis energize it from the source grid sub-station, on instructions from the SLDC, for which the consumer shall be solely responsible.

Annexure-XXI

FORM OF PERFORMANCE GUARANTEE/BANK GUARANTEE BOND

In consideration of the Name of Licensee (Herein called "name of distribution Licensee....."which expression shall unless repugnant to the subject or contract include his successor and assigns) having agreed to exempt M/s_____ situated at Plot No. Survey No_____ having its registered office at _____(herein after called " the Consumer(s)") from the payment of Security Deposit under Joint Electricity Supply Code Regulations 2018 (hereinafter called Supply Code, 2018 for supply of____.kVA High Tension power on production of Bank Guarantee for Rs____(Rupees_____only).

1. We_____ (hereinafter referred to as "the Bank") at the request of M/s_____ do hereby undertake to pay the Name of Licensee an amount not exceeding Rs_____(Rupees only) against any loss or damage caused to or suffered or would be caused to or suffered by the Name of Licensee by any reason of any breach by the said consumer(s) of any of the terms and conditions contained in the said Joint Electricity Regulatory Commission (Supply Code) Regulations, 2018 and other agreement /rules for supply of electrical energy prevailed in Name of place from time to time.

2. We _____do hereby undertake to pay amounts due and payable under this guarantee without any demur, merely on a demand from the Name of Licensee stating that the amount claimed is due by way of loss or damage caused to or would be caused to or suffered by the Name of Licensee by reasons of the breach by the said consumer(s) of any of the terms and conditions of the said Joint Electricity Regulatory Commission (Supply Code) Regulations, 2018 or any other rules/agreements for supply of electrical energy. Any such demand made on the bank shall be conclusive as regards the amount due and payable by the bank under this guarantee. However, our liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs.....(Rupees only).
3. We, the said bank further undertakes to pay the Name of Licensee any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the consumer(s) in any suit or proceeding pending before any court or Tribunal relating thereto, our liability under this present being absolute and unequivocal.
4. We (Name of the Bank) further agree that the Guarantee herein contain shall remain in full force and effect during the entire period of power supply or any other period covered under the said Joint Electricity Regulatory Commission (Supply Code) Regulations, 2018 or any other rules/agreements applicable to the supply of Electrical Energy but not beyond Date(D) and it shall continue to be enforceable till all the dues of the Name of the Licensee have been fully paid unless a claim or demand under
this Guarantee is made on us in writing on before D+6 months shall be discharged from all liability under this guarantee thereafter.
5. We _____ further agree with the (Name of Licensee) that the Name of Licensee shall have the fullest liberty without our consent and without effecting in any manner our obligation hereunder to vary any of the terms and conditions of the said Joint Electricity Regulatory Commission (Supply Code) Regulations, 2018) or any other rules/agreement for the supply of electrical energy and we shall not be relieved from our liability by reason of any such variation.
6. This guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank or the consumer(s).
7. We, ... (indicate the name of the bank) lastly undertake not to revoke this guarantee during its currency except with the previous consent of the Name of the Licensee in writing.
8. This guarantee shall not be valid up to unless extended on demand by the Name of Licensee. Notwithstanding anything mentioned above, our liability against this guarantee is restricted to Rs.....(Rupees.....) and unless a claim in writing is lodged with us within six months of the date of expiry or the extended date of expiry of this guarantee all our liabilities under guarantee shall stand discharged.

Dated the day of.....for(Name of Bank)